खण्ड-194, अंक-2
गुरूवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1880
(27 मार्च, 1958 ई0)

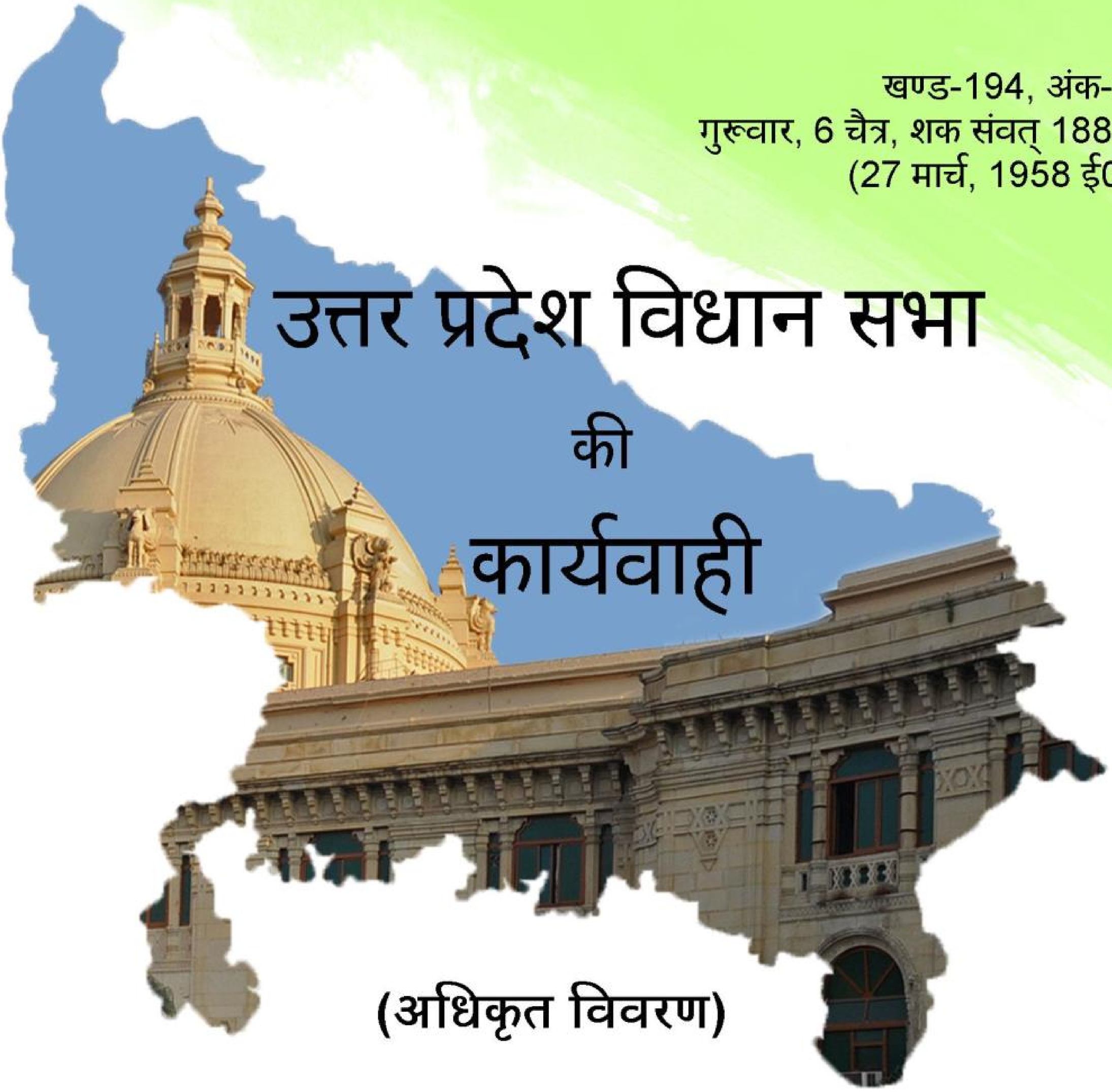

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 194 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २७ मार्च, १९५८ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३२२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशफाक़ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमार सिंह, श्री
कैलाश नारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंद सहाय, श्री
गोविंद सिंह बिष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमुना सिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डुंगरसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवी प्रसाद मिश्र, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरदेव सिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बर राम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रताप बहादुर सिंह, श्री
प्रताप भान प्रकाश सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धो लाल, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजराम, श्री

ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भजन लाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद हुसेन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मोती लाल अवस्थी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह मेहता, श्री
यमुना प्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपाल सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्र दत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर राम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांत सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
राम वचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
राम सुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री

लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवन लाल, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथ बहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरत चन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरी सिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह बिसेन, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २७ मार्च, १९५८ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले के ट्रेण्ड कण्डक्टरों का नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र

**१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५-२-५८ को उनके पास आजमगढ़ जिले के कुछ ट्रेण्ड कन्डक्टरों का प्रार्थना-पत्र इस आशय का आया है कि वे सन् १९५४ के ट्रेण्ड हैं पर अब तक उन्हें स्थान नहीं मिला है ? यदि हां, तो उन पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां। जांच की जा रही है।

पंचायत मंत्रियों के महंगाई भत्त में ५ रुपये वृद्धि के लिए जानकारी

**२—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना विचाराधीन है जिसके अनुसार सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले अन्य कर्मचारियों की तरह पंचायत मंत्रियों के महंगाई के भत्ते में भी पांच रुपये की वृद्धि की जाय ?

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—जी नहीं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार पंचायत मंत्रियों को स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारी नहीं मानती ? यदि नहीं, तो किस विभाग के मानती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पंचायत मंत्री ग्राम सभा के कर्मचारी होते हैं और ग्राम सभा ऐसी आर्थिक स्थिति में नहीं है कि वह इन रुपयों को दे सके।

श्री गौरीशंकर राय—क्या पंचायत मंत्री गवर्नमेन्ट सर्वेंट्स कांडक्ट रूल्स के अन्डर नहीं आते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—वे तो पंचायत राज ऐक्ट के नियमों के अन्तर्गत आते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—तो सरकार इन पंचायत मंत्रियों के भत्ते में वृद्धि करने का विचार क्यों नहीं कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत जो पंचायत मंत्री हैं उनको तो कोई महंगाई का भत्ता दिया ही नहीं जाता, फिर बढ़ती का प्रश्न ही कहां से उठता है। उनको तो केवल वेतन ही मिलता है।

नजीबाबाद, जिला बिजनौर में कत्थे की फैक्टरी के लिए ऋण देने के संबंध में जानकारी

**३—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि वह नजीबाबाद, जिला बिजनौर में कत्थे की निजी क्षेत्र में खुलने वाली फैक्टरी को कितना ऋण देने जा रही है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय वित्त मंत्री की ओर से किसी व्यक्ति को यह वादा कर दिया गया है कि उन्हें २० लाख रुपया दिया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी—इसकी सूचना इस वक्त नहीं है, इकट्ठा की जा रही है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले के नजीबाबाद स्थान के किसी सज्जन ने फैक्टरी खोलने के लिये सरकार के पास कर्ज के लिये कोई प्रार्थना-पत्र भेजा था ?

श्री रऊफ जाफरी—मैं अर्ज कर चुका हूं कि इस सिलसिले में सूचना एकत्र की जा रही है। कई एजेन्सीज से रुपया दिया जाता है। यह सब दरियाफ्त करना है कि उन्होंने फाइनेन्शल कार्पोरेशन से मांगा है या ग्रान्ट्स कमेटी से मांगा है या लिब्रलाइज्ड लोन्स से मांगा है। २५ तारीख को यह सवाल दिया गया और यह सब इन्फार्मेशन अभी हमारे पास है नहीं।

हवालाती पुलिस कर्मचारियों के मुकदमे में सहायता देने की प्रार्थना

**४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हवालाती पुलिस कर्मचारियों की सहायता मुकदमे के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या-क्या की जा रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—यदि प्रश्नकर्ता का तात्पर्य पुलिस आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये पुलिस कर्मचारियों से है, तो चूंकि सरकार ही उन लोगों पर मुकदमें चला रही है, इसलिये सरकार द्वारा मुकदमे के सम्बन्ध में सहायता करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि हवालात में जो कैदी रहते हैं और जेल के जरिये से जो सहायता सरकार से मुकदमे के सम्बन्ध में मांगते हैं उन्हें वह सहायता देने का जेल मैनुअल में कोई प्रबंध है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो हवालाती जेल में रहते हैं उनको जेल मैनुअल के अनुसार कुछ सुविधायें मिलती हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस आन्दोलन हवालाती कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह सहायता क्यों नहीं प्रदान की जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मैं यह समझता हूं कि जेल मैनुअल के अन्तर्गत जो सुविधा दी जाती है वह दी ही जा रही होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुकदमों में पैरवी की सुविधा जो जेल मैनुअल के अनुसार हवालाती को दी जाती है वह सुविधा इन पुलिस के हवालातियों को क्यों नहीं दी जाती ?

श्री कैलाश प्रकाश—मैं तो समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य कौन सी जेल मैनुअल की धारा के अनुसार यह बात कह रहे हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास ऐसा कोई तरीका है जिससे हवालात में बन्द उन लोगों के लिये डिफेन्स की सुविधा दी जाय जो उसकी सुविधा का इन्तजाम खुद नहीं कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—आप कानूनी सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। मर्डर के चार्ज के लिये गवर्नमेन्ट इन्तजाम करती है। सब मुकदमों के लिये गवर्नमेन्ट नहीं करती है। वह शायद यह जानते नहीं हैं कि किस-किस अपराध में करती है नहीं तो वह जवाब दे सकते थे।

श्री गौरीशंकर राय—मेरा मतलब यह है कि जेल मैनुअल में जिनके लिये नहीं है और जो इस प्रकार के हवालाती खुद डिफेन्स का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं और सरकार से प्रार्थना करते हैं तो क्या सरकार उनके डिफेन्स का इन्तजाम करती है ?

श्री अध्यक्ष—अगर कोई सादी मारपीट करे तो सरकार डिफेन्स का इन्तजाम नहीं करती है। इस प्रकार का आपका प्रश्न पूछने का यदि मतलब है तो सरकार यही कहेगी कि वह इन्तजाम नहीं करती।

श्री गौरीशंकर राय—मैं यह जानना चाहता हूं कि पुलिस के जो लोग हवालाती जेल में बन्द हैं क्या सरकार उनको डिफेन्स की सुविधा देने जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं।

माल मंत्री द्वारा २० मार्च, १९५८ के स्थगित प्रश्न

* * * *

आजमगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में नकलनवीसों की संख्या

*३—**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में कुल कितने-कितने नकलनवीस हैं ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में एक स्थायी नकलनवीस है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अर्जेन्ट और आर्डिनरी नकलें दोनों नकलनवीस देते हैं या अर्जेन्ट और आर्डिनरी के लिये अलग-अलग हैं ?

श्री चरणसिंह—दोनों प्रकार की नकलें यह नकलनवीस देते हैं लेकिन जब जरूरत हो तो कलेक्टर को अधिकार है कि एडीशनल नकलनवीस ऐप्वाइन्ट कर दे, लेकिन पहली फरवरी को जब जवाब आया तो उस रोज कोई नकलनवीस नहीं था।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में निर्णीत मुकदमों के अमलदरामद में विलम्ब

*४—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में परगनाधीश एवं जुडिशियल की अदालतों से माल (revenue) के अमलदरामद के वास्ते ३१-१०-५६ से ३१-१०-५७ तक कितने मुकदमों में फैसला हुआ और कितने मामलों का अमलदरामद सरकारी कागजों में तहसील सगड़ी से हुआ और कितने अभी बाकी हैं ?

श्री चरणसिंह—३१ अक्तूबर, १९५६ से ३१ अक्तूबर, १९५७ तक कुल १,५२२ मुकदमों में फैसला हुआ था और इनमें से १,४७७ का अमलदरामद सरकारी कागजों में हुआ और ४५ बाकी रहे। इन ४५ मुकदमों में भी अमलदरामद का कार्य अब सम्पन्न हो चुका है।

*५—**श्री मुक्तिनाथ राय**—क्या सरकार कोई ऐसा आदेश देने का विचार कर रही है कि अदालतों से आदेश हो जाने पर निश्चित तिथि तक अवश्य आदेशानुसार सरकारी कागजों में अमलदरामद का कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिये ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि मुकदमों के फैसल हो जाने के बाद अमलदरामद करने की जिम्मेदारी संबंधित कोर्ट की होती है या फरीकैन की ?

श्री चरणसिंह—दोनों की।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि मुकदमा फैसल हो जाने के बाद अमलदरामद कराने में फरीकैन को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ? यदि जानकारी है तो इसको दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री चरणसिंह---जी हां, यह मुझे मालूम है कि अमलदरामद के सिलसिले में कुछ जगहों पर शिकायतें हैं और अभी जमींदारी लैंड रिफार्म ऐक्ट में हम तरमीम करने की बात सोच रहे हैं। लेकिन जहां तक आजमगढ़ का ताल्लुक है ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वहां पर १५२२ मुकदमे फैसल हुये और उनमें से १४७७ में अमलदरामद हो गया।

* * * *

राज्य के कुछ पूर्वी जिलों में भुखमरी की घटनाओं की जांच गैर-सरकारी कमेटी द्वारा कराने की प्रार्थना

*९---**श्री उग्रसेन**---क्या माल मंत्री देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर की हाल में हुई भुखमरी की घटनाओं की, जिसकी उन्हें सूचना मिली है जांच के लिये एक गैर-सरकारी कमेटी बिठायेंगे ? यदि नहीं, तो क्या वे सदन को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं। भुखमरी की जितनी भी घटनाओं की सूचना सरकार को प्राप्त हुई उनमें जांच करायी गयी जिससे ज्ञात हुआ कि किसी भी घटना में मृत्यु भुखमरी से नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया, देवरिया, गोरखपुर और आजमगढ़ से कितनी भुखमरी की सूचनायें मिलीं ?

श्री चरणसिंह---सरकार के पास जितनी सूचना है उसका एक कैटलाग मेरे पास है जो तहकीकात हुई और जो नतीजा निकला। अब इन जिलों के लिये मुझे देखना होगा।

श्री अध्यक्ष---तादाद इकट्ठी लिखी हुई है ?

श्री चरणसिंह---सारी स्टेट की है। अलग जिलों के लिये देखने की आवश्यकता होगी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया, सलेमपुर तहसील का टिंगरी हरिजन ग्राम गुमटही, राम धनी गौड़, ग्राम मरवा, फूलचंद हरिजन, ग्राम बरसा और बलिया के चार बच्चे भूख से मरे, इसकी सूचना उन्हें प्राप्त हुई है ?

श्री चरणसिंह---जैसा मैंने अर्ज किया कि इस बात को जानने के लिये मुझे सदन का काफी समय लेना पड़ेगा। मेरे पास फेहरिस्त मौजूद है। यदि माननीय मित्र देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह अन्य कारण क्या थे जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई ?

श्री चरणसिंह---भुखमरी के अलावा जो कारण होते हैं, जैसे बुढ़ापे से मर जाते हैं तथा रोग से मर जाते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अन्य कारण बताये गये हैं, उनका स्पष्टीकरण सिविल सर्जन ने किया है या किसी मैजिस्ट्रेट ने किया है ?

श्री चरणसिंह---तहकीकात से गांव में मालूम हुये। सिविल सर्जन उस समय मौजूद नहीं थे।

श्री गेंदासिंह---भुखमरी की जांच किन लोगों के द्वारा कराई गई इसको बताने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री चरणसिंह—माननीय मित्र को मालूम है कि ऐसी जांच मुहकमे माल के कर्मचारियों द्वारा कराई जाती है। गांव में सभापति तथा जिम्मेदार लोगों से तहकीकात की जाती है और दूसरा रास्ता संभव भी नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच जुडीशियल कमेटी द्वारा कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

राज्य के कुछ पूर्वी जिलों में बाढ़ग्रस्तों को सहायता

*१०—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत २-८-५७ एवं पुनः १५-८-५७ की हाल की राप्ती सरयू के संगम पर उसकी बाढ़ से अपार क्षति एवं अकाल की छाया जो बरहज के पास गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया तथा देवरिया के २५० से अधिक गांवों में छायी है, जिससे वहां के २०,००० व्यक्तियों का जीवन संकटापन्न है उसके संबंध में सरकार ने पीड़ितों की अबतक क्या-क्या सहायता की है ?

श्री चरणसिंह—राप्ती सरयू के संगम पर उसकी कथित बाढ़ से किसी भी ग्राम में अपार क्षति एवं अकाल की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। जिला बलिया में राप्ती सरयू की बाढ़ से कोई ग्राम प्रभावित नहीं हुआ। गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों के कुछ ग्रामों में बाढ़ से साधारण हानि हुई।

क्षतिग्रस्त ग्रामों में आवश्यकतानुसार अहेतुक सहायता व तकावी बांटी गई व सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गईं। नावों का प्रबंध यातायात के साधन के लिये किया गया तथा मुफ्त राशन दिया गया। चिकित्सा का प्रबंध भी किया गया तथा कपड़े भी मुफ्त बांटे गये।

* * * *

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में मालगुजारी की वसूली के विरुद्ध शिकायत

*१३—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज तहसील, जिला गोरखपुर में मालगुजारी वसूली के हेतु जुलाई-अगस्त मास सन् १९५७ में कुछ वारन्ट कुर्की जारी किये गये ? यदि हां, तो कितने ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१४—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बिना छूट का पर्चा बांटे ही किसानों से उपर्युक्त मालगुजारी वसूल की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—शासन से मालगुजारी की छूट की मंजूरी अभी हाल ही में गयी है इसलिये जुलाई और अगस्त सन् १९५७ में छूट के पर्चे बांटने का प्रश्न पैदा नहीं होता। वैसे भी उन क्षेत्रों में जहां जमींदारी का खातमा हो गया है छूट के पर्चे बांटना आवश्यक नहीं है।

गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में चकबन्दी योजना लागू करने की जानकारी

*१५—श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में चकबन्दी योजना कब से लागू होगी ?

श्री चरण सिंह—इस विषय पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।

* * * *

*२१-२२—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर जिले में चकबन्दी योजना लागू करने की जानकारी

*२३—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कानपुर जिले में चकबन्दी की योजना कब से लागू होने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कानपुर जिले में चकबन्दी योजना कब से लागू की जायगी।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार आगे जिलों में इस योजना को लागू करते समय कानपुर को प्राथमिकता देने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—अवश्यमेव।

* * *

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में लगान की वसूली

*२५—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर का १३६४ फसली का भू-राजस्व (लगान) कुल कितना है और उसमें से कितना अब की साल वसूल हुआ ? कितना बाकी है ?

श्री चरणसिंह—तहसील फरेन्दा, जिला गोरखपुर का १३६४ फसली का संशोधित भू-राजस्व (मालगुजारी) ६,६०,३५६ रुपया था। उसमें से ५,७६,४८९ रुपया १३६४ फसली में और ४,०२७.८२ रुपया १३६५ फसली में वसूल हुआ और अब कुल ७९,८३९.१८ रुपया बाकी है।

* * *

हरदोई जिले में अग्निपीड़ित हरिजनों को सहायता

*३०—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में सन् १९५६ से अब तक कितने हरिजनों को उनके मकानादि में आग लगने से नष्ट होने पर सरकारी सहायता दी गयी है ?

श्री चरणसिंह—१६६ हरिजनों को।

* * *

गोंडा जिले में तरबगंज तहसील के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स बनवाने का आयोजन

*३२—श्री शीतला प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा जिले के तहसील तरबगंज देहात में निर्जन स्थान पर होने के कारण तहसील कर्मचारियों के ठहरने की कोई जगह नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों के निवास-स्थान की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

श्री शीतला प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त क्वार्टर्स कब तक बन जायंगे ?

श्री चरणसिंह—इस वर्ष वहां के जिलाधीश ने २० क्वार्टर्स बनाने के लिये सरकार को लिखा है, लेकिन हम इस आगामी वर्ष १९५८-५९ के बजट में केवल १० क्वार्टर्स बनाने का प्रबन्ध कर पाये हैं। तो यह इस वर्ष बन जायंगे और बाकी १० फिर बनेंगे।

श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो २० क्वार्टर्स के लिये जिलाधीश ने मांग की है उनमें कितने चपरासियों के लिये हैं और कितने अन्य कर्मचारियों के लिये ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन आफिसर्स के पदों की समाप्ति

*३३---श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन आफिसर के पद की समाप्ति कर दी है ?

श्री चरणसिंह---इन पदों की समाप्ति ३१ मार्च, १९५८ को पूर्णरूप से हो जावेगी ।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग इन पदों पर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा ?

श्री चरणसिंह---इन अफसरों की तादाद गालिबन ३९ है और यह इस वक्त डिप्टी कलेक्टरी का काम कर रहे हैं । ३१ मार्च से उनमें दो, चार को छोड़ कर बाकी तो टेम्पोरेरिली १९५८-५९ में काम करते रहेंगे, लेकिन उनमें से ११ आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये मुस्तकिल तौर पर प्राविंशियल सिविल सर्विस के केडर में जज्ब कर लिये जायंगे, बाकी आदमी डिपार्टमेंटों को वापस जायंगे या घर जायंगे ।

श्री रामजीलाल सहायक---क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो कार्य कलेक्शन का उनके द्वारा हो रहा था उसका क्या होगा ?

श्री चरणसिंह---अपनी अपनी तहसील में वह तहसीलदार की जिम्मेदारी होगी और जिले के स्तर पर एक डिप्टी कलेक्टर की विशेष जिम्मेदारी होगी, जिसको जिलाधीश तय करेगा । वह अपना काम करेगा लेकिन विशेष जिम्मेदारी उसकी ही होगी ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कलेक्शन अफसरों की मातहती में जो कलेक्शन नायब तहसीलदार रहते हैं वह अब रखे जायंगे या नहीं ?

श्री चरणसिंह---कलेक्शन के सभी कर्मचारी रखे जा रहे हैं, केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन आफिसर्स रिट्रेन्च किये जा रहे हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय---आइन्दा कलेक्शन नायब तहसीलदार किसके मातहत काम करेंगे ?

श्री चरणसिंह---अपने-अपने तहसीलदार के ।

अल्मोड़ा जिले के दानपुर परगने में वर्षा पीड़ितों को सहायता

*३४---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बतायेगी कि परगना दानपुर, जिला अल्मोड़ा में सन् १९५७ की बाढ़ से किन-किन गांवों की जमीन बही और कितना-कितना और कैसा-कैसा नुकसान उससे हुआ तथा कितनी मदद वहाँ दी गई ?

श्री चरणसिंह---परगना दानपुर, जिला अल्मोड़ा में ११ अगस्त, १९५७ की रात्रि को भीषण वर्षा के कारण निम्न ५ ग्रामों की भूमि बही:---

१---लोहारखेत, २---सुडिंग, ३---भनारघाट, ४---भिल्यूड़ा व ५---बालीगैर (लग्गा ग्राम चौड़ा) ।

इनके अतिरिक्त ६ ग्राम और प्रभावित हुये । जिनके लगभग २४० नाली क्षेत्रफल में क्षति पहुंची, ४२ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा २२ व्यक्तियों के चोट आई । ११९ पशुओं की जान हानि हुई । २६ मकान क्षतिग्रस्त हुए तथा ८,००० रुपये की अन्य सम्पत्ति को तथा लगभग

२,५०० रुपये की फसल को क्षति पहुंची । उक्त ग्रामों के पीड़ित १२ परिवार के ३३ व्यक्तियों को निम्नलिखित सरकारी सहायता दी गयी--

१---१,००० नकद मकानों की मरम्मत तथा बैल खरीदने के लिये ।

२---१२ मन साढ़े २२ सेर मुफ्त गेहूं जो लगभग ३ माह के लिये पर्याप्त था ।

३---१८ कम्बल ।

४---३ बंडल बीड़ी, ९ बक्स दियासलाई, १८ बोतल मिट्टी का तेल, साढ़े ७ सेर सरसों का तेल व आवश्यक दवाइयां ।

जख्मी व्यक्तियों का पूर्ण रूप से उपचार किया गया ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वे ६ कौन-कौन से गांव हैं जिन पर पत्थर पड़े थे ?

श्री चरणसिंह---मीनार, गासी, सुभगढ़, क्याली कमहेडा, सलीउडियाह, सलेमा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इतने ज्यादा ग्रामों को हानि हुई, ४२ आदमी मरे, ११९ पशुओं की जानें गईं, इन सब हानियों को देखते हुये, जो नकद रुपया और ३ बंडल बीड़ी इत्यादि दिया गया, इसे कम समझते हुये मंत्रीजी इसे बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं । कम और ज्यादा निस्बती अलफाज हैं । देखना यह है कि गवर्नमेंट के पास कितना रुपया है और यदि एक जगह सभी हानि की पूर्ति कर देती है तो क्या सभी जगह ऐसा कर सकेगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्रीजी को ज्ञात है कि ऐसे नुकसान पर पूर्वी जिलों में ८, ८ और १०, १० हजार रुपया दिया गया है ?

श्री चरणसिंह---ऐसा कहना मुश्किल हो सकता है कि कहीं इससे भी कम दिया गया हो । जिलाधीशों के अपने अपने जजमेन्ट पर है और दो आदमियों के जजमेन्ट में हमेशा फर्क रह सकता है ।

* * *

इलाहाबाद कमिश्नरी के कार्यालय का स्थानान्तरण

*३६---**श्री कल्याणचन्द्र मोहिले** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद कमिश्नरी का दफतर वहां से हटा कर दूसरे स्थान पर लाया गया है और वह स्थान खाली है ? यदि हां, तो क्या कारण है और उस इमारत में कौन रहता है ?

श्री चरणसिंह---इलाहाबाद कमिश्नरी के कार्यालय के आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल भवन में स्थानान्तरित होने के पश्चात् पुराने कार्यालय भवन का पट्टा ५ अक्तूबर, १९५६ से भारत सरकार को सेन्ट्रल बोटेनिकल लेबोरेट्री स्थापित करने के लिये दे दिया गया है ।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में बाढ़-पीड़ितों को तकावी

*३७---**श्री सजीवन लाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्नाव जिले में बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिये कर्ज तकावी बांटने के लिये दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और उसमें से कितना रुपया पुरवा तहसील के लिये निश्चित किया गया है ?

श्री चरणसिंह---जी हां । कुल ७५,००० रुपया तकावी का बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये उन्नाव जिले को दिया गया है । इसमें से १५,००० रुपया पुरवा तहसील को दिया गया ।

श्री सजीवन लाल---जो पुरवा तहसील के कर्मचारियों को १५,००० रुपया दिया गया है, क्या वहां के कर्मचारियों ने उसे बांट दिया है ?

श्री चरणसिंह---कलेक्टर ने लिखा है कि यह रुपया उन्होंने तकसीम करने के लिये तहसीलदार के पास भेज दिया है। अनुमान है कि वह तकसीम हो गया होगा।

देवरिया जिले के अस्थायी लेखपालों को स्थायी करने की जानकारी

*३८---**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के ऐसे लेखपालों की संख्या कितनी है जो दो वर्ष से अधिक काम कर चुके हैं और अभी तक स्थायी नहीं हो सके हैं उनके स्थायी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह---ऐसे १६१ लेखपाल हैं इनमें से ९० लेखपाल परीक्षण पर हैं जिन्हें परीक्षाकाल की समाप्ति के बाद योग्य पाने पर नियमानुसार स्थायी किया जायगा। शेष अस्थायी लेखपाल तब तक अस्थायी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें स्थायी श्रेणी (Permanent cadre) में नियमानुसार खपा (absorb) न लिया जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---१६१ में केवल ९० परीक्षण वालों के अलावा क्या बाकी का परीक्षण समाप्त हो चुका है ?

श्री चरणसिंह---जी हां, २८३ परमानेन्ट हो चुके हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---मैं यह पूछना चाहता हूं कि बाकी का परीक्षण समाप्त हो चुका है या नहीं ?

श्री चरणसिंह---लेखपालों की काडर में ३/४ स्थान ही स्थायी हैं और १/४ टैम्पोरेरी हैं। बाकी लोग टेम्पोरेरी हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---क्या यह सही है कि उनकी प्रोबेशनरी अवधि केवल २ वर्ष थी ? जो अभी तक अस्थायी हैं वे कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---सन् ५३ में भरती हुये और उसके बाद भी भरती हुये। सबके मुताल्लिक मुद्दत नहीं बतायी जा सकती, लेकिन काडर का १/४ टैम्पोरेरी रहेगा, यह रूल है।

* * * *

गोरखपुर जिले में गोला सड़क टेस्ट वर्क पर श्री राजमंगल मिश्र द्वारा अनशन

*४३---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर जिले के गोला नामक स्थान पर गत २० जनवरी को ५ बजे से श्री राजमंगल मिश्र ने अनशन आरम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनशन के कारणों तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये, यह बताने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---जी हां, २०-१-१९५८ को श्री राज मंगल मिश्र ने गोला सड़क पर चलने वाले टेस्ट वर्क पर मजदूरी प्रतिदिन न बंटने के विरोध में अनशन प्रारम्भ किया था। उन्हें परिस्थिति समझा दी गई। उन्होंने अनशन २२-१-५८ को तोड़ दिया।

* * * *

*५१---**श्री माता प्रसाद** (जिला जौनपुर)---[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

* * * *

इटावा जिले में ५ एकड़ से नीचे के किसानों के संबंध में जानकारी

*५९—श्री भजन लाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में ५ एकड़ से नीचे के कितने किसान हैं ?

श्री चरणसिंह—इस सूचना को एकत्रित करने में बहुत समय लगेगा और बहुत खर्चा होगा ।

श्री भजनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गर्मी समाप्त होने के बाद जो अधिवेशन चलेगा उसमें यह सूचना देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—जवाब दिया है कि इसमें बहुत खर्चा और समय लगेगा, इसलिये वह सूचना एकत्र करके उत्तर देना नहीं चाहते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह तालिका तैयार कराने में कितना समय लग सकता है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि ५ एकड़ से कम के कितने किसान हैं । ५ एकड़ से कम के कितने खाते हैं यह तो आसानी से मालूम किया जा सकता है । यह मालूम करना कि हर आदमी का हर खाते में कितना हिस्सा है, और फिर सब खातों का हिसाब लगाना है, इसमें जनहित की दृष्टि से ज्यादा खर्चा और समय लगेगा ।

खीरी जिले के अग्निपीड़ितों को सहायता

*६०—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में इस वर्ष (१९५७ में) १४० गांव में आग लगी थी ? यदि हां, तो उनको सरकार ने क्या सहायता दी ?

श्री चरणसिंह—जिला खीरी में गत वर्ष (१९५७ में) १८२ गांव में आग लगी थी । सरकार ने निम्नलिखित सहायता दी :—

१—तकावी .. १३८१० रुपये ।

२—अहेतुक सहायता ३५५ रुपये ।

३—छप्पर व मकान बनाने का सामान वन विभाग से दिया गया ।

४—सीमेंट व टीन के परमिट आग पीड़ित व्यक्तियों को दिये गये ।

जुडिशियल आफिसर्स, जिला बुलन्दशहर के विचाराधीन माल के मुकदमे

*६१—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में माल विभाग के सब से पुराने कितने मुकदमे हैं जो अभी तक निर्णय नहीं हो पाये और वह किस सन् में दायर किये गये थे ?

श्री चरणसिंह—सबसे पुराने ५ मुकदमे हैं जो सन् १९४९ में दायर किये गये थे ।

*६२—श्री हिम्मत सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जुडिशियल आफिसर्स, जिला बुलन्दशहर के यहां माल विभाग के कितने चालू अथवा पेन्डिंग मुकदमे किस-किस धारा के हैं तथा किस सन् में दायर किये गये थे ?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२५ पर ।)

श्री हिम्मत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् १९४७-४८ में चालू हुए मुकदमे अब तक अदालतों में चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं । सबसे पुराना मुकदमा मैंने बताया ४९ का है । यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट के मातहत फैसल होने पर केस हाईकोर्ट में गया । वहां से वापस आया अब उसकी फाइनल डिग्री तैयार हो रही है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् १९४५ से १९५८ तक जो भी मुकदमे पेंडिंग रहे, वे कितनी अदालतों से गुजर चुके हैं ?

श्री चरणसिंह---मैंने तो सबसे पुराना मुकदमा सन् ४९ का बताया । उसका एक डिसीजन हुआ जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी । अब अक्तूबर सन् १९५७ में वह वहां से वापस आया है । दोनों फरीकैन को नोटिस दिये गये हैं । फाइनल डिग्री तैयार हो रही है । जो मुकदमे इस वक्त हैं वे इस प्रकार से हैं---४९ के ५, ५२ के २, ५५ के ४, ५६ के १२५ । अब उनमें से हर एक कौन कौन अदालत में से गुजरा और कितने कितने दिन लगे यह बताना बहुत मुश्किल है ।

श्री हिम्मतसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ५०-५१ और ५३-५४ में दायर किये हुये मुकदमे क्या अब भी चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---मैंने तो सदन का समय बचाने के लिये तालिका दे दी है । उसमें मौजूद हैं ।

इटावा जिले की भर्थना तहसील के ग्राम नौगवां में चकबन्दी योजनान्तर्गत खंड 'ग' की जमीन के चक बनाने की प्रार्थना

*६३---श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चकबन्दी में जो भूमि खण्ड 'क, ख, ग' में बांटी गई है और उसमें भूमि 'ग' के भी चक बनाये जा रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---जी हां ।

*६४---श्री भुवनेश भूषण शर्मा (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार इटावा जिले की भर्थना तहसील के ग्राम नौगवां के किसानों की खण्ड 'ग' की जमीन के भी चक बनाने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---खण्ड 'ग' की भूमि के चक बनाये जा रहे हैं ।

*६५---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

सीतापुर जिले में सीरदार अधिवासियों के मुकदमे

*६६---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की प्रत्येक तहसील में जुलाई, १९५७ ई० तक सीरदार, अधिवासियों के कितने मुकदमे ३ साल, २ साल और १ साल से विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह—सीतापुर जिले की किसी भी तहसील में जुलाई, १९५७ को कोई भी सीरदार अधिवासियों का मुकदमा ३ साल पुराना नहीं था। ऐसे मुकदमे २ साल और १ साल पुराने अवश्य थे जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

नाम तहसील		सीरदार अधिवासियों के मुकदमों की संख्या	
		२ साल पुराने	१ साल पुराने
१—सीतापुर	..	६२	३६१
२—सिधौली	..	५	१९३
३—बिसवां	..	५३२	४०९
४—मिश्रिख	..	२४३	८७३

* * *

देवरिया जिले में बैलों के लिए तकावी

*७६—श्री रामायण राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में बैल की तकावी के लिये कितनी धनराशि इस वित्तीय वर्ष में दी गई है ?

श्री चरणसिंह—जिला देवरिया में इस वित्तीय वर्ष में कुल १,६१,३७५ रुपया बैल की तकावी के लिये वितरित किया गया है।

श्री रामायण राय—कितने आवेदन-पत्र थे और कितनों को दिया गया ?

श्री चरणसिंह—यह नयी बात है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामायण राय—इतनी कम रकम देने का क्या कारण था ?

श्री चरणसिंह—रकम कम नहीं, बहुत ज्यादा है। डेढ़ लाख से ज्यादा है।

* * *

*७९—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

* * *

टेहरी-गढ़वाल जिले के पटवारियों के वेतन-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

*८३—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल में कितने पटवारी हैं ?

श्री चरणसिंह—७४।

*८४—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—जिला टेहरी के पटवारियों की सालाना बढ़ोत्तरी कुमायूं के अन्य जिलों से कम क्यों है ?

श्री चरणसिंह—कम नहीं है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पटवारियों के लिये सरकार की ओर से कितने भवन हैं ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या इन लोगों की बढ़ोत्तरी अन्य जिलों के बराबर हो गयी है, पहले तो नहीं थी ?

श्री चरणसिंह—कुमायूं की अपेक्षा आपने पूछा था तो कुमायूं डिवीजन की अपेक्षा यहां कम नहीं है, एक सी है। वहां ६० से ९० का वेतन-क्रम है और डेढ़ रुपया बढ़ोत्तरी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में आज भी पटवारी कहलाते हैं या लेखपाल ?

श्री चरणसिंह—पटवारी कहलाते हैं और पुलिस का काम भी करते हैं।

* * *

*८७—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

* * *

*८९—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

निष्क्रान्त भूमि के किसानों को दैवी आपदाओं के समय मालगुजारी में छूट देने का नियम

*९०—श्री यमुनासिंह—क्या यह सही है कि निष्क्रांत भूमि के काश्तकारों को दैवी आपदाओं के समय अन्य काश्तकारों की भांति मालगुजारी में छूट नहीं दी जाती है ?

श्री चरणसिंह—निष्क्रांत सम्पत्ति के प्रशासन तथा उसकी मालगुजारी इत्यादि की वसूली का सम्बन्ध प्रादेशिक सरकार से नहीं वरन् केन्द्रीय सरकार से है। अतः निष्क्रांत भूमि के काश्तकारों को प्रादेशिक सरकार द्वारा मालगुजारी में छूट देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री यमुनासिंह—क्या प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने के लिये तैयार है कि दैवी आपदाओं के समय इन किसानों को भी छूट दी जा सकती है ?

श्री चरणसिंह—वैसे इनफार्मली कलेक्टर से वे रिपोर्ट मांगते हैं, यानी दरियाफ्त करते हैं और कलेक्टर अपनी सिफारिशें भेज देता है और आमतौर पर वे उसको मान लेते हैं।

* * *

श्री शिवरतन शुक्ल, ग्राम सभापति, देवपुरी, जिला रायबरेली के विरुद्ध भूमि पर अनियमित अधिकार की शिकायत

*९४—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि अब से एक वर्ष पहले रायबरेली जिले के बछरावां परगना के देवपुरी ग्राम के गांव सभापति ने श्री शिवरतन शुक्ल, भूतपूर्व जमींदार के विरुद्ध ४० बीघा आराजी पर उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ के नियम ११५-सी की कार्यवाही करने की दरख्वास्त दी थी ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। लेखपाल ने १३ जुलाई, सन् ५६ को श्री शिवरतन शुक्ल के विरुद्ध ३२ बीघा आराजी के सम्बन्ध में तहसील में रिपोर्ट दी थी।

*९५—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—उस रिपोर्ट पर जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है।

श्री सजीवनलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो आराजी गांव समाज की थी, जिस पर दो साल से मुकदमा चल रहा है, वह कब तक खत्म हो जायगा ?

श्री चरणसिंह—२ साल तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी ज्यादा समय हो गया है और डिप्टी कमिश्नर को लिख दिया गया है कि जल्दी इस मामले को समाप्त करने की कोशिश करें।

* * *

चकबन्दी क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए आदेश

*९८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि चकबन्दी क्षेत्रों में किसानों को आर्थिक सहायता देने के कोई आदेश भेजे हैं? यदि हां, तो क्या और कब?

श्री चरणसिंह—तकावी तथा कृषि सम्बन्धी ऋण के लिये प्राप्त प्रार्थनापत्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर चकबन्दी क्षेत्रों को ही प्राथमिकता दिये जाने के लिये पिछले वर्ष नवम्बर मास में आदेश भेजा जा चुका है। इस आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२६-२२७ पर)

जिला जालौन में पुराने पटवारियों के तबादले के लिए प्रार्थना

*९९—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में तहसील वार ऐसे कितने लेखपाल हैं जो जमींदारी विनाश के समय से एक ही स्थान पर या अपने ही निवास-स्थान पर काम कर रहे हैं और उनके तबादले अभी तक नहीं हुये?

श्री चरणसिंह—उरई में १२, जालौन में ७०, कालपी में ३७ और कोंच में १२।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के बाद से जो पटवारी अपने ही निवास स्थान पर काम कर रहे हैं, उसका कारण क्या है?

श्री चरणसिंह—क्योंकि यह नियम विरुद्ध नहीं है।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक ही स्थान पर पटवारी कब तक काम कर सकते हैं?

श्री चरणसिंह—बिला मियाद।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन पटवारियों के खिलाफ सरकार के यहां शिकायतें आती हैं, उनका तबादला हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—यह तो आपको स्वयं मालूम होना चाहिये।

जालौन जिले में कलेक्शन विभाग के अन्तर्गत परिगणित जाति के कर्मचारी

*१००—श्री गरीबदास—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में कलेक्शन विभाग में कितने व्यक्ति नायब तहसीलदार, अमीन व चपरासी के स्थान पर काम कर रहे हैं और उनमें परिगणित जाति के व्यक्तियों की संख्या क्या है?

श्री चरणसिंह—३१ जनवरी, १९५८ को जिला जालौन में ९ कलेक्शन नायब तहसीलदार, ८१ अमीन और १६२ चपरासी काम कर रहे थे उनमें परिगणित जाति के ४ व्यक्ति अमीनों के पदों पर और ३३ चपरासी के पदों पर काम कर रहे थे।

श्री गरीबदास—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नायब तहसीलदार जो ९ काम कर रहे हैं उनमें एक भी परिगणित जाति का नहीं है, इसका कारण क्या है?

श्री चरणसिंह--नायब तहसीलदार कलेक्शन पब्लिक कमीशन सर्विस के द्वारा सेलेक्ट होकर नियुक्त हुये और उसमें परिगणित जाति के नायब तहसीलदारों की संख्या १८ प्रतिशत है, लेकिन कोई नियम नहीं है कि हर जिले में उसी हिसाब से रखे जायंगे। मुमकिन है कि किसी जिले में १८ परसेंट से ज्यादा भी हों।

* * *

झांसी जिले में मऊरानीपुर तहसील की इमारत की मरम्मत के लिए विचार

*१०२--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि मऊरानीपुर (झांसी) तहसील की इमारत बहुत ही जीर्ण व जर्जर अवस्था में होने के कारण गत वर्षा काल में गिर गई थी ?

श्री चरणसिंह--तहसील मऊरानीपुर के भवन की छत, जो कि खपड़ैल की बनी थी और जर्जर हो गयी थी, विगत वर्षा ऋतु में गिर पड़ी थी।

*१०३--श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त इमारत के बजाय दूसरी इमारत बनवाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह--केवल छत गिर जाने से नया भवन बनवाने की आवश्यकता नहीं है। पुराने भवन की विशेष मरम्मत का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

* * *

लेखपालों द्वारा खेतों के कब्जा सम्बन्धी इन्दराज की सूचना न देने की शिकायत

*१०६--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या माल मंत्री किसी एक जिले के खेतों के कब्जा सम्बन्धी इन्दराजात का इस बात का पता लगाने के लिये कि पो० क० १० फार्म पर कितने प्रतिशत सीरदारी किसानों को सूचना दी गई, नमूने के तौर पर सर्वे कराने की कृपा करें ?

श्री चरणसिंह--सर्वे कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्यों कि जाड़े के दौरों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

*१०७--श्री देवीप्रसाद मिश्र (अनुपस्थित)--क्या माननीय मंत्री जी के पास इस समय इस बात की शिकायत आई है कि लेखपालों द्वारा कब्जे के इन्दराज के सम्बन्ध में पो० क० फार्म १० की सूचना न देने से देहातों में मुकदमेंबाजी बढ़ रही है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

* * *

गांव समाज की सम्पत्ति की रक्षा के लिए प्रार्थना तथा पंचायत सेक्रेटरी व लेखपाल के पदों के एकीकरण पर विचार

*११५--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव समाज की सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोकने तथा हाकिम परगना व तहसीलदार को उनके रख-रखाव के लिये पूर्णतया जिम्मेदार बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? क्या उस योजना में लेखपाल और पंचायत सेक्रेटरी का एक ही पद हो इस पर भी विचार किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, गांव समाज की सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये कानून में काफी व्यवस्था कर दी गई है, परन्तु हाकिम परगना व तहसीलदार को गांव समाज की सम्पत्ति के रख-रखाव के लिये पूर्णतया जिम्मेदार बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। परन्तु लेखपाल तथा पंचायत सेक्रेटरी के पदों को कार्यक्षमता तथा मितव्ययिता के आधार पर मिलाने का विचार किया जा रहा है।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन से कारण हैं जिनके अनुसार सरकार गांव समाज की सम्पत्ति पर रेवेन्यू से सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं रखना चाहती ?

श्री चरणसिंह--लेखपाल गांव का मालिक हो जायगा इसलिये हम अफसरों की पूरी जिम्मेदारी नहीं रखना चाहते हैं, गांव पंचायत की इमदाद के लिये वह है और यदि हमने लेखपाल, कानूनगो या तहसीलदार को यह जिम्मेदारी दे दी तो जनता का कोई हाथ नहीं रहेगा और न उन पर जिम्मेदारी आयेगी।

दैवी प्रकोपों के कारण मालगुजारी में छूट

*११६--श्री रामहेत सिंह--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में १९५७-५८ के वर्ष में दैवी प्रकोप से पीड़ित किस-किस जिले में कुल लगान में से कितनी-कितनी छूट तथा माफी करनी पड़ी ?

श्री चरणसिंह--वित्तीय वर्ष १९५७-५८ की रबी १३६४ फसली में दैवी प्रकोपों के कारण विभिन्न जिलों में मालगुजारी में जो छूट दी गई है तथा खरीफ १३६५ फसली की मालजारी की छूट के जो प्रस्ताव आये हैं वह एक संलग्न तालिका में दिखा दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २२८-२३० पर)

श्री रामहेत सिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १३६४ फसली में मथुरा जिले में लगान की छूट के लिये जिलाधीश की सिफारिश आने पर भी छूट न देने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--क्या आपके पास कोई फेहरिस्त है जिसे पढ़ कर आप यह प्रश्न कर रहे हैं ?

श्री रामहेत सिंह--जी हां, है।

श्री चरणसिंह--जिलाधीश की केवल सिफारिश होती है, कोई आदेश नहीं होता। बोर्ड आफ रेवेन्यू ने या गवर्नमेंट ने उसको किन्हीं कारणों से नहीं माना होगा, इस वक्त पूरी तफसील तो मेरे पास नहीं है।

* * *

मिर्जापुर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्र में टेस्ट वर्क खोलना तथा मुफ्त अनाज बांटना

*१२५--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में कितने टेस्ट वर्क्स खोले गये हैं और चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--जिला मिर्जापुर में अब तक तीन टेस्ट वर्क खोले गये हैं और चल रहे हैं।

*१२६--श्री रामकृष्ण जैसवार--अब तक प्रत्येक तहसील में कितने रुपये का मुफ्त गल्ला बांटा गया ?

श्री चरणसिंह---अब तक जिले में भर कुल १६२९१.९६ रुपये का गल्ला गरीबों को मुफ्त बांटा गया जिसका तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :---

नाम तहसील				गल्ले का मूल्य
मिर्जापुर	..	..	..	३००८.८८ रुपये
चुनार	..	..	..	२४७०.२६ रुपये
राबर्ट्सगंज	..	..	..	४२७८.०३ रुपये
दूधी	..	..	.	६५३४.७९ रुपये

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय राजस्व मंत्री जी के डिप्टी मिनिस्टर ने जो दौरा अभी किया था, उसकी सूचना के बाद वहां के लिये क्या सहायता देने का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री चरणसिंह---जो सिफारिश उन्होंने की थी ।

श्री रामकृष्ण जैसवार---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सूची के अलावा अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में किस प्रकार की क्या-क्या सहायता दी गई है ?

श्री चरणसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय माल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस समय टेस्ट वर्क के मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जा रही है ?

श्री चरणसिंह---जो सूबे भर की दर है वही मिर्जापुर की है---८ आठ आने, ६ आने और ४ आने ।

श्री गेंदासिंह---यह मजदूरी रोजाना दी जाती है या अगर रोजाना नहीं दी जाती है तो कितने-कितने दिन पर दी जाती है ?

श्री चरणसिंह---यह जिलाधीशों के अपने-अपने अलग-अलग इन्तजाम के ऊपर है, लेकिन अधिकतर रोजाना नहीं दी जा रही है । साप्ताहिक या एक सप्ताह में दो बार ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में जो टैस्ट वर्क चल रहा है उस पर प्रति दिन औसतन कितने आदमियों को रोजी मिलती है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं । इसकी तफसील मेरे पास नहीं है ।

* * * *

हरदोई जिले में परती भूमि को भूमिहीनों को बांटने का सुझाव

*१३४---श्री बुलाकी राम (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में कुल ऐसी कितनी जमीन है जिस पर खेती होती है और कुल ऐसी कितनी जमीन है जिस पर खेती हो सकती है परन्तु नहीं की जाती ?

श्री चरणसिंह---जिला हरदोई में १०,५५,१९९ एकड़ जमीन में खेती होती है और ८६,६८५ एकड़ जमीन खेती के योग्य है, परन्तु उस पर खेती नहीं होती ।

श्री बुलाकीराम---क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि ८६,६८५ एकड़ जो कृषि योग्य जमीन है जिस पर खेती नहीं होती उसको वह भूमिहीन किसानों में बांटने की योजना पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---जैसा सब सदस्यों को मालूम है और होना चाहिये कि इस प्रकार की भूमि सब गांव पंचायतों को दे दी गई है और उसमें १० परसेंट जमीन पब्लिक परपजेज के लिये रिजर्व करके पंचायतों को अधिकार है कि वह उसको उठा दें, लेकिन उनके लिये लाजिमी नहीं है कि उनको उठायें।

* * * *

प्रतापगढ़ में मुंसिफ, कुण्डा के न्यायालय में जमुनीपुर ग्राम के कुछ किसानों के खिलाफ कथित फर्जी सुलहनामा लगाना

*१३७---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ में मुंसिफ कुण्डा के न्यायालय में गत माह अगस्त एवं सितम्बर १९५७ में थाना रानीगंज के अन्तर्गत ग्राम जमुनीपुर के कुछ किसानों के खिलाफ गलत और फर्जी सुलहनामा लगवा कर उनके खेतों पर कुछ लोगों द्वारा तैयार एवं बोई हुई फसल पर कब्जा करने के बारे में उसके पास शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो कितनी और कितने किसानों के संबंध में ?

श्री चरणसिंह---राजस्व विभाग में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

* * * *

१४०-१४१---श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)---[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

लार्ज होल्डिंग टैक्स से आय के संबंध में जानकारी

*१४२---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि लार्ज होल्डिंग टैक्स से अब तक राज्य को कितनी आमदनी हुई है ?

श्री चरणसिंह---अभी तक कोई आमदनी नहीं हुई है।

*१४३---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

२७ मार्च, १९५८ के लिए रखे गए तारांकित प्रश्न

एक से अधिक अर्दली रखने वाले अधिकारियों से एक अर्दली वापस करने का आदेश

*१---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने जिलों की सभी अदालतों को यह आदेश भेजे हैं कि उनके पास एक से अधिक अर्दली न रहे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि राज्य के प्रत्येक अधिकारी से जिसके पास एक से अधिक अर्दली हैं एक अर्दली हटा लिया जाय। चूंकि अदालतों के चपरासी (court messengers) प्रिसाइडिंग आफिसर्स से सम्बद्ध नहीं होते, अतएव उन पर यह आदेश लागू नहीं होते।

*२---श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस आदेश के लागू हो जाने पर उत्तर प्रदेश भर में कुल कितने व्यक्ति नौकरी से अलग होंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न नहीं उठता।

*३---श्री रामसुन्दर पांडेय---[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

पी० सी० एस० के इमर्जेन्सी इम्तहान में उत्तीर्ण अभ्यर्थी

*४--श्री मुक्तिनाथराय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष दिसम्बर, १९५७ में पी० सी० एस० का चुनाव जो रेगुलर परीक्षा के द्वारा होने वाला था, बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और इसका चुनाव पुनः कब होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, इसका चुनाव फरवरी सन् १९५८ में हो गया।

*५--श्री मुक्तिनाथराय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५७ में जो पी० सी० एस० इमरजेंसी इम्तहान हुआ था, उसमें कुल कितने व्यक्ति लिये जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पैंतीस (३५)।

*६-७--श्री रामसुन्दर पांडेय--[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८--श्री मुक्तिनाथराय--[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

फूलपुर के तहसीलदार द्वारा श्री कामता प्रसाद मिश्र वैद्य, नेता समाजवादी दल के पीटे जाने की शिकायत

*९--श्री उग्रसेन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री कामता प्रसाद मिश्र, वैद्य को फूलपुर (आजमगढ़) के तहसीलदार ने चन्द्र-प्रताप, कानूनगो तथा एक अन्य चपरासी के साथ ४-११-५७ को मारा था ?

श्री चरणसिंह--इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिस पर सरकार जांच कर रही है।

*१०--श्री उग्रसेन--यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री चरणसिंह--एक रिपोर्ट तो आ चुकी है जिसमें जिन सज्जन के मुताल्लिक कहा गया है कि उनको मारा, उनका बयान भी मौजूद है, लेकिन हमको अभी तसल्ली नहीं हुई है इसलिये और ज्यादा तहकीकात करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि महीने दो महीने में यह पूरी हो जायगी।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि श्री केदारनाथ मिश्र, सेक्रेटरी सोशलिस्ट पार्टी आजमगढ़ ने सरकार को यह लिखा है कि उन्हें हुक्म दिया जाय कि वह तह-सीलदार जिन्होंने उन्हें मरवाया और मारा, उस पर वह मुकदमा चलावें ?

श्री चरणसिंह--अब मुझे यह तो याद नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में कोई इजाजत की जरूरत नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त तहसीलदार जिन्होंने कानूनगो और पटवारी को मारा है, क्या अपने स्थान पर काम कर रहे हैं या मुअत्तल कर दिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह--जो रिपोर्ट यह आयी है उन कामता प्रसाद साहब की, मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी इन्क्वायरी फिर करवा रहा हूं, उनका खुद का कहना है कि यह बात गलत है, मुझे नहीं मारा बारा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें यह शिकायत कब प्राप्त हुई थी ?

श्री चरणसिंह--इसके लिये नोटिस चाहिये ।

*११-१२--श्री अमरनाथ--[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रोडवेज के ड्राइवरों की नियुक्ति के संबंध में नियम

*१३--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार ने रोडवेज के ड्राइवरों की नियुक्ति के संबंध में कोई नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन नियमों की एक कापी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--ड्राइवरों की नियुक्ति के संबंध में परिवहन आयुक्त द्वारा नियम बनाये गये हैं और उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३१ पर)

श्री वीरेन्द्र वर्मा--परिवहन मंत्री जी बतायेंगे कि ड्राइवर्स की नियुक्ति के समय क्या कोई न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु की भी शर्त है ?

डाक्टर सीताराम--कम से कम २१ साल, ज्यादा से ज्यादा ४५ साल ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या मंत्री जी के पास इन नियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें आयी हैं ?

डाक्टर सीताराम--इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आयी ।

गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय सेवा खण्ड पनियारा न खुल सकना

*१४--श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में इस वर्ष राष्ट्रीय सेवा खंड पनियारा क्यों नहीं खुला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--केन्द्रीय सरकार की पर्याप्त संख्या में नए ब्लाक खोलने की मंजूरी प्राप्त न होने के कारण पनियारा ब्लाक न खोला जा सका ।

राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कार्य

*१५--श्री गनेशीलाल चौधरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ में सरकार ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिये क्या काम किये ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--इस संबंध में एक विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २३२ पर)

*१६--श्री गनेशीलाल चौधरी--सरकार का कितना धन इस संबंध में व्यय हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--३,१९,६८० रुपया व्यय हुआ ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने सूचना दी है अगर वह बहुत बड़ी न हो तो सदन के सम्मुख बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। हमने जो पर्यटन इंसपेक्टरों की देख-रेख में ब्यूरो खोले हैं वह देहरादून, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, मथुरा और कोटद्वार में हैं और रिसेप्शनिस्ट्स-कम-इंसपेक्टर्स की देख-रेख में जो सब-ब्यूरोज है वह भी हमने खोले हैं और नये-नये मकानात ट्यूरिस्ट्स के ठहरने के लिये गंगोत्री और बद्रीनाथ के रास्ते पर और मिर्जापुर वगैरह में बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार बहुत से पैम्फलेट्स और फोल्डर्स वगैरह हैं जिससे इस देश के और बाहरी मुल्कों के लोग टूरिस्ट के तौर पर हमारे प्रदेश के अन्दर काफी मात्रा में आ सकें और हमारी इनविजिबिल इन्कम बढ़ सके।

श्री गनेशीलाल चौधरी—चिनहट झील जो पिकनिक केन्द्र बनाया जा रहा है उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—चिनहट जो लखनऊ के पास है वहां एक बंगला बना हुआ है उसको जरा खूबसूरत बनाकर टूरिज्म और पिकनिक केन्द्र बनाने के लिये व्यवस्था की जा रही है।

श्री देवनारायण भारतीय—जिस टूरिस्ट योजना पर ३ लाख रुपया व्यय हो रहा है उससे आमदनी कितनी हुई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इससे डायरेक्ट आमदनी तो होती नहीं। पहले ही मैंने कह दिया कि यह इनविजिबिल इन्कम का जरिया है जैसे स्विटजरलैंड वगैरह में है।

*१७-१९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद का आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद आफिसर्स ट्रेनिंग में किस-किस प्रकार के आफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस स्कूल में परीक्षणकालीन डिप्टी कलेक्टरों एवं इस प्रदेश तथा राजस्थान के लिये आवंटित आई० ए० एस० अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है।

*२१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रदेश में आफिसर्स ट्रेनिंग लेने के समय किन-किन मुहकमे के लोगों को वेतन दिया जाता है और किन-किन लोगों को अलाउंस मिलता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपर्युक्त सभी अफसरों को पूर्ण वेतन और भत्ता (Allowance) जिसके पाने के वे साधारण तौर पर हकदार होते हैं, दिया जाता है।

*२२—श्री माताप्रसाद—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

ब्लाक परामर्शदात्री समितियों का निर्माण

*२३—श्री माताप्रसाद—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "ब्लाक परामर्श दात्री" समितियों का निर्माण किस आधार पर होता है? क्या इसमें हरिजनों का भी प्रतिनिधित्व होता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—माननीय सदस्य कृपया सरकारी आदेश परिपत्र संख्या ८९६-आर/३५-५००(१२९), १९५३, दिनांक १७ मार्च, १९५४ और इसे संशोधन करने वाले अन्य परिपत्रों को देखें। इनकी प्रतियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २३३-२३६ पर)

जी हां, हरिजन भी प्रतिनिधि हो सकते हैं।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि परामर्शदात्री समितियों के निर्माण में नियमों में स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण उनमें हरिजनों का प्रतिनिधित्व नहीं रहता ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसमें पदेन सदस्य होते हैं और अगर उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के सदस्य नहीं आये तो गवर्नमेन्ट उनको नामिनेट कर लेती है ।

इलाहाबाद रीजन में रोडवेज के कर्मचारियों में हरिजन

*२४—श्री माताप्रसाद—क्या यातायात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद रीजन के प्रत्येक जिले में राजकीय रोडवेज विभाग के अन्तर्गत कितने मजदूर, क्लीनर, क्लर्क, कन्डक्टर, ड्राइवर और ए० टी० आई० कार्य कर रहे हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २३७ पर)

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन क्लर्कों में डेढ़ प्रतिशत और कंडक्टरों में साढ़े ६ प्रतिशत स्थान हरिजनों को दिये गये हैं और ए० टी० आई० को १ प्रतिशत भी स्थान नहीं दिये गये, इसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—जहां तक मुझे सूचना है, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके । ९६९ जगहों में ७१ आदमी इलाहाबाद डिवीजन में नियुक्त किये गये जो ८ प्रतिशत पड़ता है ।

श्री माताप्रसाद—क्या माननीय मंत्री कोई ऐसा आदेश देने की कृपा करेंगे कि भविष्य में हरिजनों की संख्या हर एक स्थान पर सुरक्षित सीट के अनुसार पूरी कर दी जाय ?

डाक्टर सीताराम—परिवहन आयुक्त ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं ।

*२५-२७—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*२८—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९५७ की अगस्त मास की घाघरा की बा से आजमगढ़ की घोसी और सगड़ी तहसीलों में कितनी-कितनी किस-किस प्रकार की हानि हुई है ?

श्री चरण सिंह—अगस्त १९५७ की घाघरा नदी की बाढ़ से घोसी और सगड़ी तहसीलों में केवल फसलों को हानि हुई जिसका तखमीना घोसी तहसील में करीब ४ लाख रुपये और सगड़ी तहसील में करीब ५ लाख रुपये का है ।

*२९—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि न तहसीलों में से प्रत्येक में सरकार की ओर से किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

श्री चरणसिंह—अपेक्षित विवरण संलग्न सूची १ में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २३८ पर)

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय माल मंत्री बतलायेंगे कि संलग्न सूची में नं० २ में जो टेस्ट वर्क्स का जिक्र किया गया है ये टेस्ट वर्क्स कितने और कहां-कहां पर हुए ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री झारखंडे राय—उत्तर में कहा गया कि मालगुजारी में छूट दी जायगी तो घोसी और सगड़ी तहसीलों में अलग-अलग कितनी छूट देने का अनुमान है ?

श्री चरणसिंह—क्या अनुमान है, इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इन दो तहसीलों में जब बाढ़ आती है तब इन दोनों जगहों पर कोई टेस्ट वर्क्स क्यों जारी नहीं हैं ?

श्री चरणसिंह—मुझे कोई इल्म नहीं है, लेकिन अगर माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का खयाल है कि नहीं है तो मैं तहकीकात करा लूंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि मालगुजारी की छूट का पर्चा बिना काश्तकार को बटे ही मालगुजारी वसूल की गयी है और अधिक वसूल की गयी है ?

श्री चरणसिंह—यह बात ठीक है । छूट का पर्चा नहीं बांटा गया है और न बांटा जा सकता है । नियमों के देखने से मालूम होता है कि बांटने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा वसूल हुयी है और माननीय मित्र के पास उसकी तफसील है और वह मुझे बताने की कृपा करेंगे तो मैं तहकीकात करा लूंगा ।

श्री गेंदासिंह—कलेक्शन अमीन के पास कौन सा तरीका है जिससे वह यह समझ सके कि किस किसान से कितनी मालगुजारी वसूल करनी है और कितनी मालगुजारी उसकी छूटेगी ?

श्री चरणसिंह—अपनी जमाबन्दी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बतलायेंगे कि बिना किसानों को पर्चा बटे हुये उसको मालूम कैसे होगा कि उसे अपने खाते की कुल कितनी मालगुजारी देनी है ?

श्री चरणसिंह—जब इतने बड़े-बड़े पैमाने पर काम होगा तो राजकर्मचारियों के लिये यह सम्भव नहीं है कि इस तरह के पर्चे वह पहले तकसीम कर दें । जो कलेक्शन के अमीन हैं उनको तहसील की तरफ से हर गांव की बाबत यह इत्तला दे दी जाती है कि इस तरह से फलां-फलां आदमियों को छूट देनी है और वह उसकी जमाबन्दी में जमा हो जाता है । उसी के मुताबिक वह वसूल करते हैं ।

हरदोई जिले में रक्षक दल के आर्गनाइजर्स

*३०—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रक्षा दल के सैनिक प्रदेश में किन-किन जिलों में पुलिस विंग में अटैच किये गये हैं और उनसे क्या कार्य लिया जाता है तथा बाकी अन्य लोगों से क्या कार्य लिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आगरा, लखनऊ व वाराणसी । उनके तथा बाकी अन्य लोगों के द्वारा किये जाने वाले कार्य संलग्न सूची में दिये हुये हैं ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २३९ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न ३० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३१—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में कौन-कौन और कितने रक्षा दल के organisers हैं तथा उनमें से जिला हरदोई के कितने रहने वाले हैं और कितने २ वर्षों से मुहकमे में कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ २३९ पर)

*३२-३३—श्री भगवतीसिंह विशारद व श्री शिवगोपाल तिवारी (जिला उन्नाव)—[सातवें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ११३-११४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*३४-३५—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मैनपुरी जिले में रबी की काश्त में कमी की शिकायत

*३६—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिक वर्षा से एवं नदियों की बाढ़ से मैनपुरी जिले में कितने एकड़ भूमि शेष रह गई है जिसमें रबी की फसल नहीं बोई जा सकी है ?

श्री चरणसिंह—अधिक वर्षा और नदियों की बाढ़ के कारण मैनपुरी जिले में रबी की काश्त के रकबे में कमी नहीं हुई, बल्कि कुछ ऐसा रकबा जो आमतौर से रबी में नहीं बोया जाता था वह १३६५ फसली की रबी में बोया गया । हां, ९४८.८१ एकड़ रकबा ऐसा है कि जो आमतौर से रबी में बोया जाता है, लेकिन इस साल बोया नहीं गया ।

खीरी जिले के भूड़ परगने में धान की फसल को हानि के कारण लगान में छूट

*३७—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में परगना भूड़ में जो अभी धान की फसल ओला पत्थर वर्षा से चौपट हो गई है उसमें किसानों की क्या और किस ढंग की सहायता करने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—जिला खीरी के परगना भूड़ में ओलों से धान की फसल को ७ गांवों में ८ आने व उससे अधिक हानि हुई । क्षतिग्रस्त खातों को नियमानुसार मालगुजारी में छूट दी गई ।

तहसीलदारों की एस० डी० ओ० के पद पर उन्नति के लिये नियम

*३८—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार स्थायी तहसीलदारों को परगनाधीश (S. D. O).के स्थानों में नियुक्त करने का कोई सिद्धांत स्वीकार कर चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—परगनाधीश के स्थान पर केवल डिप्टी कलेक्टर अथवा आई० ए० एस० अफसर की ही नियुक्ति होती है । जो तहसीलदार नियमानुसार डिप्टी कलेक्टर के पद के लिये स्थानापन्न अथवा स्थायी रूप से चुन लिये जाते हैं, वह परगनाधीश के स्थानों पर नियुक्त किये जा सकते हैं ।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में ओला पड़ने से क्षति के संबंध में श्री इन्दुभूषण गुप्त का पत्र

*३९—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता का १० मई, १९५७, का कोई पत्र प्राप्त हुआ था जो आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में ओले से होने वाली क्षति के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो क्या उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी हां, उक्त पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ २४० पर)

लेखपाली स्कूलों में पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती

*४०—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में उत्तर प्रदेश के लेखपाली स्कूलों में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये? उनमें क्रमशः पिछड़े वर्ग व परिगणित जातियों के लोगों की संख्या क्या है?

श्री चरणसिंह—कुल ५१० व्यक्ति भर्ती किये गये। १२५ व्यक्ति पिछड़े वर्ग तथा १५ व्यक्ति परिगणित जातियों के हैं।

आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में चकबन्दी के कार्य में प्रगति

*४१—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ की सदर तहसील के कितने गांवों में अब तक चकबंदी हो चुकी और शेष में अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही पूरी हो चुकी है?

श्री चरणसिंह—२८ फरवरी, १९५८ तक आजमगढ़ जिले की सदर तहसील के १५३ गांवों में नये चकों पर कब्जा दिया जा चुका है।

उक्त तिथि तक शेष ७५५ गांवों में किये गये कार्य की एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २४१ पर)

*४२—श्री रणबहादुर सिंह—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों में हरिजन कर्मचारी

*४३—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कानपुर कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों में कुल कितने कर्मचारी (क्लर्क व चपरासी) कार्य कर रहे हैं? उनमें से अलग-अलग कितने हरिजन हैं?

श्री चरणसिंह—कानपुर कलेक्ट्रेट और तहसील के दफ्तरों में कुल ५२२ क्लर्क तथा ५५३ चपरासी कार्य कर रहे हैं जिनमें से क्रमशः १३ और ५१ हरिजन हैं।

कानपुर जिला नियोजन कार्यालय में हरिजन कर्मचारी

*४४—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कानपुर जिला नियोजन कार्यालय में कितने क्लर्क और चपरासी हरिजन हैं? क्या १८ प्रतिशत की सुरक्षा के अनुसार यह कोटा पूरा है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कानपुर जिला नियोजन कार्यालय में कोई हरिजन क्लर्क नहीं है। एक हरिजन चपरासी तथा एक हरिजन स्वीपर है। १८ प्रतिशत का कोटा क्लर्कों में पूरा नहीं है। निम्न श्रेणी में स्वीपर को मिला कर १८ प्रतिशत का कोटा पूरा है।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में बीज तथा तकावी का वितरण

*४५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९५७ से २० दिसम्बर, १९५७ तक तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर, में कितनी बीज तथा बैलों की तकावी बंटी है ?

श्री चरणसिंह—१,२५,९८१ रुपये की ।

*४६—श्री अशफाक अली खां (जिला शाहजहांपुर)—[दसवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर में रोडवेज के ड्राइवर श्री आर० के० शुक्ल की मृत्यु

*४७—श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसको रोडवेज कानपुर रीजन में हाल ही में किसी रोडवेज के ड्राइवर की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । श्री आर० के० शुक्ला ड्राइवर की मृत्यु हो गई है ।

*४८—श्री जवाहरलाल—यदि हां, तो सरकार क्या उन स्थितियों पर प्रकाश डालेगी जिनमें उसकी मृत्यु हुई ?

डाक्टर सीताराम—श्री शुक्ला की मृत्यु १५-११-५७ को लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर, में हुई । वह इस अस्पताल में १३-११-५७ को भर्ती किये गये और उनकी मृत्यु का कारण डाक्टर लोग (Broncho-Pneumonia with myocordical infraction and left ventricular failure बताते हैं ।

उन्नाव जिले की मालगुजारी

*४९—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की कुल मालगुजारी कितनी है ? १९४६ में कितनी थी ? अब कितनी है ?

श्री चरण सिंह—उन्नाव जिले की सम्पूर्ण मालगुजारी १९४६ (१३५३ फसली) में १६,८६,४२५.४३ रुपये थी और १३६४ फसली की ४७,६५,१७४.१८ रुपये है ।

*५०—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत तहसील हसनगंज की मालगुजारी १९४६ में क्या थी और अब कितनी है ?

श्री चरणसिंह—उन्नाव जिले के अन्तर्गत तहसील हसनगंज की सम्पूर्ण मालगुजारी १९४६ (१३५३ फसली) की ४,५७,१९९.९० रुपये थी और १३६४ फसली की १२,५३,०९५ .७८ रुपये है ।

कोटा, जिला मिर्जापुर, में कोयले की खानों का मिलना

*५१—श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार ने इस प्रदेश में कोयले की खोज के लिये कोई कार्य किया है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही इस प्रदेश में कोयले की खोज के लिये प्रयत्न हुआ है जिसके फलस्वरूप कोटा जिला मिर्जापुर में कोयले की खानों का पता चला है । अभी इस ओर बराबर प्रयत्न किया जा रहा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त जिले का सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हुआ है ।

उरई, जिला जालौन, के अफसरों को टैक्सियां मिलने में कथित असुविधा

*५२—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उरई, जिला जालौन, के आफिसरों को सरकारी गाड़ियां लौटा देने के फलस्वरूप जरूरत पर किराये पर टैक्सियां नहीं मिल रही हैं ? उन्हें टैक्सी किस डिपो से दी जायंगी और मार्ग का किराया कौन वहन करेगा ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। उरई जिला जालौन, के आफिसरों को आवश्यकता पड़ने पर उरई के रोडवेज कार्यालय से किराये पर टैक्सी मिल जाती है। यह कार्यालय १५ अक्तूबर, १९५७ से खोला गया है। टैक्सी का किराया उसे किराए पर ले जाने वाले आफीसर को वहन करना होता है।

*५३-५५—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला नैनीताल)—[बारहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३-५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*५६—श्री प्रतापसिंह—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा जिले में बन्दोबस्त के संबंध में गलत इन्दराज की शिकायत

*५७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में जो बन्दोबस्त हो रहा है उसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री चरणसिंह—जिला अल्मोड़ा में पैमाईश तथा अभिलेख क्रियायें (Survey and Record operations) हो रही हैं, बन्दोबस्त (Settlement) अभी नहीं हो रहा है। पैमाइश तथा अभिलेख का कार्य तहसील रानीखेत में करीब करीब समाप्त हो चुका है। तहसील अल्मोड़ा में फील्ड वर्क शुरू हो गया है।

*५८—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बन्दोबस्त के सम्बन्ध में सरकार के पास अमीनों द्वारा कब्जे बाबत गलत इन्दराज दर्ज किये जाने के बाबत शिकायतें आई हैं ? अगर हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह—कब्जे की बाबत गलत इन्दराज करन के सम्बन्ध में सरकार के पास एक शिकायत आई और जांच करने के पश्चात् वह निराधार पायी गयी।

अल्मोड़ा जिले में टेस्ट वर्क खोलने के संबंध में जानकारी

*५९—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों में लगातार जिला अल्मोड़ा के लमगड़ा, छड़ौज, बाड़ीछीना-पनुवानौला, दौलाघाट, कठपुलिया, सीतलाखेत आदि मार्गों पर टेस्ट वर्क खुलवाये थे ? क्या इस वर्ष भी ये टेस्ट वर्क सरकार ने खुलवाये हैं या खुलवाने जा रही है ?

श्री चरणसिंह—अल्मोड़ा जिले के प्रश्न में उल्लिखित मार्गों पर गत ५ वर्षों में लगातार टेस्ट वर्क नहीं खोले गये, हां, जब जब परिस्थिति की मांग हुई टेस्ट वर्क खोले गये। इस वर्ष टेस्ट वर्क नहीं खोले गये क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं समझी गयी।

हरदोई जिले में आचार्य विनोबा भावे तथा बाबा राघवदास द्वारा प्राप्त भूमि दान का बटवारा

*६०—श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष में जिला हरदोई में श्री विनोबा भावे तथा श्री बाबा राघवदास द्वारा कितनी भूमि, भूमिदान में प्राप्त हुई है तथा किन-किन ग्रामों में प्राप्त हुई है ?

श्री चरणसिंह—गत वर्ष (१९५७) में कुल ३५२.६५ एकड़ भूमिदान में प्राप्त हुई। ऐसे ग्रामों की संख्या ५६ है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

तहसील	ग्रामों की संख्या	क्षेत्रफल
१	२	३
		एकड़
हरदोई	२९	९८.३१
शाहाबाद	१७	२५.६५
बिलग्राम	१०	२२८.६९

ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २४२ पर)।

*६१—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भूमि का बटवारा किस प्रकार किया गया है ?

श्री चरणसिंह—केवल .२१ एकड़ भूमि भू-दान समिति द्वारा बांटी गई। शेष का कोई बटवारा अभी तक नहीं हुआ।

*६२—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिले में कितने भूमिहीन व्यक्तियों को यह भूमि दी गई है ?

श्री चरणसिंह—केवल .२१ एकड़ भूमि एक भूमिहीन को दी गई, यद्यपि पिछले वर्षों में प्राप्त हुई भूमि को, जो कि सन् ५७ में वितरित हुई मिलाया जाय तो कुल १२७.३७ एकड़ भूमि ३० भूमिहानों में १९५७ ई० में बांटी गई।

*६३—श्री गज्जूराम—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*६४-६५—श्री गज्जूराम—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

उतरौला तहसील, जिला गोंडा, के एक चपरासी का पीटा जाना

*६६—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उतरौला तहसील, जिला गोंडा, के एक चपरासी को थाना मनकापुर में १८ अगस्त, १९५७ के लगभग सरकारी कार्य करते समय मारे जाने की रिपोर्ट की गई ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—उतरौला तहसील, जिला गोंडा, के एक चपरासी ने ऐसी घटना की लिखित सूचना थाना मनकापुर में १६ अगस्त, १९५७ को दी जिसकी जांच थाना मनकापुर की पुलिस द्वारा की गई। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

*६७—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६८-७०—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला रायबरेली)—[ग्यारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ७०-७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कानपुर में नगर ट्रान्सपोर्ट के स्थान पर रोडवेज नगर बस सर्विस चलाने की प्रार्थना

*७१—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपया कानपुर नगर ट्रांसपोर्ट के स्थान पर रोडवेज नगर-बस-सर्विस चलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—कानपुर नगर ट्रांसपोर्ट का संचालन कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा (Kanpur Urban Area Development Act) के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों के अनुसार हो रहा है। अतः यहां रोडवेज नगर बस सर्विस चलाने का कोई विचार नहीं है।

नैनीताल जिले में खटीमा, रुद्रपुर तथा सरगाखेत सघन विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्य

*७२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खटीमा सघन विकास क्षेत्र जिला नैनीताल के अन्तर्गत अब तक खटीमा क्षेत्र में विकास हेतु क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ड" आगे पृष्ठ २४३-२४४ पर)

*७३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले के रुद्रपुर नेशनल एक्सटेंशन डेवलपमेंट ब्लाक के अन्तर्गत विकास सम्बन्धी अब तक क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २४३-२४४ पर।)

*७४—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल जिले के अन्तर्गत सर्गाखेत ओखल कांडा सघन विकास क्षेत्र में अब तक विकास हेतु क्या-क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २४३-२४४ पर।)

रजिस्ट्रेशन फीस का दोगुना किया जाना

*७५—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या रजिस्ट्रेशन फीस हर रजिस्ट्रेशन आफिस में १ अगस्त, १९५७ से १०० प्रतिशत बढ़ा दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*७६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—यदि नहीं, तो तहसील महाराजगंज जिला, गोरखपुर में १ अगस्त, १९५७ से फीस दोगुनी क्यों ली जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

*७७—श्री गनेशचन्द्र काछी—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में अपाहिजों को मुफ्त खाना

*७८—श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बस्ती जिले की प्रत्येक तहसील में कितने अपाहिजों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—बस्ती जिले में ४,०७६ अपाहिजों को मुफ्त गल्ला दिया गया जिसका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है—

बस्ती	६७६
बांसी	७०६
खलीलाबाद	१,११५
हर्रैया	७६८
डुमरियागंज	५४०
नौगढ़	२७१
योग ..	४,०७६

नानकमन्ता, जिला नैनीताल, के मेले में पुलिस का प्रबन्ध

*७९—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २२-१०-५७ से २५-१०-५७ तक नानकमन्ता, तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल, में जो मेला हुआ उसमें सरकार की ओर से क्या-क्या प्रबन्ध किया गया था ?

श्री चरणसिंह—उक्त मेले में सरकार की ओर से कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया क्योंकि इस मेले का समस्त प्रबन्ध गुरुद्वारा कमेटी नानकमन्ता, की ओर से होता है और वह ही मेले की आय प्राप्त करती है। सुरक्षा एवं शान्ति स्थापित रखने के निमित्त पुलिस कर्मचारी मेले के दिनों में वहां पर नियत रहे।

*८०—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मेले में कितने पुलिस अधिकारी व जिले के अधिकारी पहुंचे थे ?

श्री चरणसिंह—उपर्युक्त मेले में निम्नलिखित पुलिस अधिकारी नियत थे:—

१—डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस	१	सिविल पुलिस
२—सब इन्सपेक्टर	१	सिविल पुलिस
३—हेड कानिस्टेबिल	१	सिविल पुलिस
४—कानिस्टेबिल	६	सिविल पुलिस
५—हेड कानिस्टेबिल	१	आर्म्ड पुलिस
६—कानिस्टेबिल	४	आर्म्ड पुलिस

जिले के और अधिकारी उक्त मेले में नहीं गये।

फिरोजाबाद में अवैध रूप से मादक वस्तुओं के बेचने वालों की गिरफ्तारी

*८१—श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन सालों में फिरोजाबाद में अवैध रूप से नशीली वस्तुओं का व्यापार करते हुए कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—गत तीन सालों में फिरोजाबाद में अवैध रूप से नशीली वस्तुओं का व्यापार करते हुए कुल १०१ व्यक्ति पकड़े गये।

*८२—श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—[बारह बें गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

अभावग्रस्त जिलों के संबन्ध में जानकारी

*८३—श्री काशीप्रसाद पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ तक प्रदेश के कौन-कौन से जिले अभाव ग्रस्त घोषित किये जा चुके थे ?

श्री चरण सिंह—प्रदेश का कोई भी जिला अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया था।

एटा जिले में सघन विकास क्षेत्र अलीगंज के अन्तर्गत महिला शिविरों पर व्यय तथा सरकारी कर्मचारी की बरखास्तगी

*८४—श्री भूप किशोर (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगंज नार्मल ब्लाक में महिला कैम्प (महिला शिविर) मार्च सन् १९५७ ई० से जनवरी सन् १९५८ ई० तक कितने लगाये गये और जिन ग्रामों में कैम्प लगाये गये उनके नाम क्या हैं और किस ग्राम के महिला कैम्प में कितना खर्च हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला एटा के सघनोत्तर विकास क्षेत्र अलीगंज में मार्च, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक तीन महिला शिविर सुमोर, लोहारीखेड़ा तथा बुलाकीनगर में चल गये जिनमें क्रमशः ११२७.४६, १०१०.००, १०२०.२५ रुपये व्यय हुए।

*८५—श्री भूपकिशोर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नार्मल ब्लाक अलीगंज में मार्च, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक कितने सरकारी कर्मचारियों को बरखास्त किया गया और किन अभियोगों में बरखास्त किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सघनोत्तर विकास क्षेत्र अलीगंज (एटा) में मार्च, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक केवल एक शासकीय कर्मचारी को शासकीय कर्तव्यों से अनियमित रूप से अनुपस्थित होने के कारण पद से पृथक किया गया।

झांसी जिले में तालबेहट राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड के अन्तर्गत व्यय

*८६—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी के तालबेहट राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में जब से वह कायम हुआ अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ और वेतनों तथा जन हितकारी निर्माण कार्यों में अलग-अलग कितना धन व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस ब्लाक में १ जुलाई, १९५६ से ३१ जनवरी, १९५८ तक कुल १,६५,४९९ रुपया व्यय हुआ है। उसमें से वेतन पर २३,२०७ रुपया तथा जन-हितकारी निर्माण कार्यों पर ३१,२७५ रुपये व्यय हुआ।

*८७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ब्लाक में प्रति वर्ष अलग-अलग कार्यों के लिए कुल कितना धन सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस ब्लाक में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में क्रमशः १,०३,३४२ तथा १,०९,४०० रुपया स्वीकृत हुआ जिसके विस्तृत विवरण की सूचियां सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ २४५-२४६ पर)

*८८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या इस क्षेत्र में कोई गृह उद्योग प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गृह उद्योग की योजनाएं ब्लाक के सघन विकास क्षेत्र में परिवर्तित होने के बाद चलाई जाती हैं। क्योंकि यह ब्लाक अभी सघन विकास क्षेत्र नहीं बना है, इसलिये वहां अभी सरकार द्वारा गृह उद्योग आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

*८९—श्री मोहनलाल वर्मा---[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई व शाहजहांपुर जिलों में मेरठ के बने हुए कथित पम्पिंग इंजनों की सप्लाई

*९०---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर और हरदोई जिलों में जिन लोगों के लिए पम्पिंग प्लान्ट की तकावी मंजूर हुई थी उन्हें जिला प्लानिंग आफिसरों द्वारा मेरठ के बने हुए पम्पिंग इंजन सेट दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं। मेरठ के बने कोई पम्पिंग सेट नहीं दिये गये।

*९१---श्री भीखालाल---यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को पम्पिंग इंजन सेट दिये गये और उनमें से कितने काम कर रहे हैं और कितने बेकार साबित हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न उठता ही नहीं।

*९२---श्री भीखालाल---क्या इन पम्पिंग इंजनों के संबंध में सरकार को शिकायत मिली है और सरकार इनकी बाबत क्या कार्यवाही कर रही है या की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रश्न उठता ही नहीं।

*९३-९४---श्री लक्ष्मणराव कदम---[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

बदायूं तहसील में दाखिल-खारिज इन्दराजात के मुकदमे

*९५---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बदायूं, जिला बदायूं में सन् १९५५ ५६ व ५७ में कितने मुकद्दमे दाखिल-खारिज इन्दराजात के दायर हुए और कितने फैसल होकर इन्दराज हुआ ?

श्री चरणसिंह---२,०१०, ३,६५१ और ४,२१६ मुकदमें क्रमशः दायर हुये और १,५३६, ३,०४४ व ५,००० मुकदमे क्रमशः फैसल हुए। जितने फैसल हुये उन कुल में इन्दराज हो गया।

गोंडा जिले में नलकूपों की बोरिंग

*९६---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में छोटे नलकूप की बोरिंग करने के लिये कुल कितने बोर (मशीन) सेट हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गोंडा जिले में छोटे नलकूप की बोरिंग करने के लिये ५ इंच के १० सेट तथा ६ इंच के २ सेट हैं।

*९७---श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के किसानों ने १९५५-५६ और १९५६-५७ में बोरिंग करने के लिए कितने-कितने प्रार्थना-पत्र दिये ? इनमें कितने नलकूपों की बोरिंग हो चुकी है और कितनों का बोरिंग करना बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त जिले में १९५५-५६ में किसानों ने बोरिंग के लिये ५१ प्रार्थना-पत्र दिये। इन सब नलकूपों की बोरिंग हो चुकी है।

१९५६-५७ में भी ऐसे ५५ प्रार्थना पत्र दिये गये। इनमें से ५४ नलकूपों की बोरिंग हो चुकी है तथा केवल एक की बाकी है।

*९८—श्री नत्थूसिंह—[बारहवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*९९—श्री लक्ष्मणराव कदम—[दसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१००-१०१—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[नवें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या ११६-११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१०२-१०३—श्री देवनारायण भारतीय—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जिलाधीश हमीरपुर व उन्नाव को घोड़ा भत्ता

*१०४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन डिवीजनल कमिश्नरों व जिलाधीशों के पास घोड़े हैं और उन्हें अलग-अलग प्रतिमास क्या घोड़ा एलाउन्स दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल जिलाधीश उन्नाव और हमीरपुर के पास घोड़े हैं और उन्हें ६० रुपये प्रतिमास घोड़े के रख-रखाव के लिए भत्ता मिलता है ।

मिलिटरी कैम्प बबीना, जिला झांसी, की चांदमारी में दुर्घटना

*१०५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि अभी हाल ही में मिलिटरी कैम्प बबीना (झांसी) की चांदमारी के कारण कसोधन ग्राम का एक नवयुवक नागरिक मारा गया तथा दो नागरिक जख्मी हुए थे ? यदि हां, तो उनके कुटुम्बियों को क्या मुआविजा दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—जी हां । एक व्यक्ति मरा और एक जख्मी हुआ । उनके कुटुम्बियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया ।

पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में सुरक्षित स्थान रखने का सुझाव

*१०६—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित करने की नीति पर वह विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं । मगर सरकार पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग का जिसका प्रतिनिधित्व सरकार की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है विशेष खयाल रखती है ।

*१०७—श्री टीकाराम—[हटा दिया गया ।]

बदायूं जिले में सिंचाई के कुओं के लिए सीमेंट

*१०८—श्री टीकाराम—क्या सरकार बतायेगी कि जिला बदायूं को १९५६-५७ में सीमेंट का कितना कोटा मिला और उसमें से सिंचाई के कुओं के निर्माण के लिये कितना सीमेंट दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—२,२९२ टन सीमेंट जिले को मिला, जिसमें से ३६० टन सिंचाई के कुओं के निर्माण के निमित्त दिया गया ।

सहसवान तहसील में इन्दराज नाम-दुरुस्ती के मुकदमे

*१०९—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बतायेगी कि तहसील सहसवान में १९५४–५५ व १९५५–५६ व १९५६–५७ में कितने मुकदमे इन्दराज नाम-दुरुस्ती के दायर हुए और कितने फैसले हुए ?

श्री चरणसिंह—क्रमशः ५,१८,०७,२७२ और ३,७६८ दायर हुए और ३,७४८, ६,५२८ और ५,७३१ फैसले हुए।

जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत पुनर्वासन अनुदान का वितरण पूरा न हो सकना

*११०—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बतानेकी कृपा करेगी कि क्या जमींदारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत पुनर्वासन अनुदान (Rehabilitation grant) का वितरण पूर्ण कर दिया गया है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, अभी वितरण का कार्य चल रहा है

*१११—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यदि उपरोक्त अनुदान अभी तक वितरित नहीं किया जा सका है तो उसका कारण क्या है ?

श्री चरणसिंह—पुनर्वासन अनुदान सम्बंधी नियमों में आवश्यक संशोधन करने में तथा उक्त अनुदान के प्रार्थना-पत्र तथा अन्य फार्मों के छपने में समय लग जाने के कारण अनुदान के निर्धारण तथा भुगतान का कार्य देर से आरम्भ हुआ। इसलिये उक्त अनुदान का वितरण अभी पूर्ण नहीं किया जा सका।

जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील में तालाबों का प्रबंध

*११२—श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मछलीशहर तहसील, जिला जौनपुर, के ताल रोहा, कुरैला, बड़ेला, चितांवकोवी, बगदाहा, गदवार आदि बड़े-बड़े ताल किसके अधिकार में हैं ?

श्री चरणसिंह—रोहा ताल के अलावा बाकी सभी ताल गांव समाजों में निहित हैं जो उनका प्रबन्ध करते हैं। रोहा ताल का प्रबन्ध सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा किया जाता है।

*११३—श्री नागेश्वर प्रसाद—गत तीन वर्षों में इन तालों से अलग-अलग कितनी-कितनी आयी हुई और किस प्रकार की आय हुई ?

श्री चरणसिंह—रोहाताल के अलावा और किसी भी ताल से गत तीन वर्षों में कोई आय नहीं हुई। रोहा ताल से जो आय हुई उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है। यह आय मछली बेचने से हुई।

वित्तीय वर्ष	आय
१९५५–५६	१२५ रु० २ आ० ३ पा०
१९५६–५७	८९९ रु० ८ आ०
१९५७–५८	१०,४६८ रु०

जिला एण्टी करप्शन कमेटियों की बैठकें तथा कार्य

*११४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की जिला एण्टी करप्शन कमेटियों की १९५६–५७ में जिलवार अलग-अलग कितनी कितनी बैठकें हुईं ?

*११५—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५६–५७ में जिलेवार अलग-अलग उक्त कमेटियों के पास कितनी-कितनी भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना का विवरण मेज पर रख दिया गया है। जैसा कि विवरण में इंगित है, दो जिलों से सूचना अभी नहीं आई है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ २४७–२५० पर।)

जमींदारी उन्मूलन के मुआवजे पर इन्कम-टैक्स लेने की शिकायत

*११६—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५० में जमींदारी उन्मूलन होने पर जो मुआवजा दिया जा रहा है उसमें थोड़ी धनराशि वाले जमींदारों से भी रुपया देते समय इन्कमटैक्स ले लिया जाता है जिनकी कुल सालाना आय इतनी नहीं है कि उन पर इन्कमटैक्स लगे ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। जमींदारी उन्मूलन के मुआविजे पर इन्कम टैक्स नहीं लगता। इन्कम टैक्स केवल मुआविजे के बांडों पर देय सूद पर ही लगता है। इन्कम टैक्स ऐक्ट के अनुसार खजाना अधिकारी के लिये उक्त सूद में से इन्कम टैक्स काट लेना लाजिम है यदि उसके समक्ष बंध-धारी (bond-holder) बांड की किस्त लेते समय उक्त सूद के निस्बत इन्कम टैक्स की माफी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

*११७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—यदि हां, तो क्या सरकार मुआवजा देने वाले सम्बंधित अधिकारियों को ऐसा आदेश देगी कि वह थोड़ी धनराशि पर इन्कम-टैक्स न काटा करें ?

श्री चरणसिंह—इन्कम-टैक्स काटने का कार्य मुआवजा देने वाले अधिकारी नहीं करते। अतएव उन्हें आदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन्कम-टैक्स केन्द्रीय विषय है।

आगरा कलेक्टरी कचहरी में मैजिस्ट्रेटों द्वारा समय की पाबन्दी न करने की शिकायत

*११८—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—क्या सरकार को पता है कि आगरा कलेक्टरी कचहरी में कुछ मैजिस्ट्रेट शाम को सात बजे तक कचहरी करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*११९—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल—क्या सरकार के पास इस बात की कोई शिकायत आई है कि उपरोक्त कलेक्टरी कचेहरी में मैजिस्ट्रेट साहबान २–३ घंटे लंच रूम में खर्च करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

देवरिया जिले की पडरौना तहसील में दी गयी तकावी

*१२०—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया, को इस वर्ष कितने रुपये की तकावी दी गई है ?

श्री चरणसिंह—तहसील पडरौना, जिला देवरिया, में १९५७–५८ में २,२०,६१५ रुपये की तकावी दी गई है।

विभिन्न श्रेणियों के राज्य कर्मचारी

*१२१—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि समस्त राज्य कर्मचारियों की जो विभिन्न श्रेणियों (categories) में इस राज्य में कार्य करते हैं, संख्या क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—समस्त राज्य कर्मचारियों की संख्या ३१ मई, १९५६ को लगभग ३,५०,५८४ थी। उसके बाद की संख्या एकत्रित की जा रही है।

*१२२—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार सदन की मेज पर इस बात का विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेगी कि विभिन्न श्रेणियों (categories) के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की पृथक्-पृथक् संख्या क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मई, ३१, १९५६ को लगभग राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारियों की संख्या ५,६३० थी और अराजपत्रित (नान गजटेड) राज्य कर्मचारियों की संख्या ३,४४,९५४ थी। जिसमें इन्फीरियर क्लास के राज्य कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। उक्त तिथि के बाद की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की संख्या एकत्रित की जा रही है।

राज्य में विभिन्न श्रेणी के अधिकारी

*१२३—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के अन्तर्गत कार्य करने वाले आई०सी०एस०, आई०ए०एस०, पी०सी०एस०, आई०पी० और आई० पी०एस०, की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी है ? उपर्युक्त श्रेणियों के अधिकारियों में कितने केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकारों में डेपुटेशन (Deputation) पर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना निम्नलिखित है :

(१)	आई०सी०एस०	४७
	आई०ए०एस०	१७१
	आई०पी०	१८
	आई०पी०एस०	१०१
	पी०सी०एस०	३९९
(२)	ऊपर दी हुई श्रेणियों के अधिकारियों की संख्या में से निम्नलिखित संख्या केन्द्रीय सरकार या अन्य राज्य सरकारों में डेपुटेशन (Deputation) पर है :	
	आई०सी०एस०	२७
	आई०ए०एस०	४४
	आई०पी०	७
	आई०पी०एस०	१२
	पी०सी०एस०	२०

*१२४-१२५—श्री गंगाप्रसाद सिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*१२६-१२७—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—[बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में चलाये गये टेस्ट वर्क

*१२८—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में दिसम्बर, १९५७ में कितने स्थानों पर टेस्ट वर्क चालू थे ?

श्री चरण सिंह—आजमगढ़ जिले में दिसम्बर, १९५७ में ३४ स्थानों पर टेस्ट वर्क चालू थे।

*१२९—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फरवरी, सन् १९५८ में १९५७ के दिसम्बर मास में चलने वाले टेस्ट वर्कों में से कितने स्थगित कर दिये गये ?

श्री चरण सिंह—उक्त टेस्ट वर्क्स में से केवल ८ टेस्ट वर्क फरवरी, १९५८ में चालू थे।

*१३०—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि आजमगढ़ जिले को सन् १९५७ में कितना रुपया टेस्ट वर्क के लिये दिया गया और उसमें से कितना व्यय किया गया ?

श्री चरण सिंह—आजमगढ़ जिले को १९५७ में कुल २,९०,००० रुपये टेस्ट वर्क के लिये स्वीकृत किये गये थे जो सब व्यय हो गये। जनवरी, १९५८ में २,००,००० रुपया और स्वीकृत किया गया।

देवरिया जिले में लगान वसूली के संबंध में किसानों की गिरफ्तारी

*१३१—श्री रामायण राय—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में १३६४ फसली के मुल्तवी लगान की वसूली जारी है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

*१३२—श्री रामायण राय—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के किसान १३६४ फसली के मुल्तवी लगान तथा १३६५ फसली के खरीफ के लगान की वसूली में गिरफ्तार किये जा रहे हैं ?

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले में १३६४ फसली के मुल्तवी मालगुजारी की वसूली में किसान नहीं गिरफ्तार किये गये। परन्तु १३६५ फसली खरीफ में मालगुजारी की वसूली में कुछ किसान गिरफ्तार किये गये।

*१३३—श्री रामायण राय—देवरिया जिले के कितने किसान अब तक लगान-वसूली में गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले में खरीफ १३६५ फसली के मालगुजारी की वसूली में अब तक कुल १९ किसान गिरफ्तार किये गये।

उन्नाव जिले की सफीपुर तहसील में हरिजन चपरासी

*१३४—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव में कितनी चपरासियों की जगहें हैं तथा उनमें कितने हरिजन चपरासी हैं ?

श्री चरण सिंह—तहसील सफीपुर में माल विभाग के अन्तर्गत चपरासियों के ७१ पद हैं, जिनमें से ७ पदों पर हरिजन कार्य कर रहे हैं।

*१३५—श्री जगन्नाथ प्रसाद—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि १ जनवरी, १९५६ से ३० जून, १९५७ तक कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र चपरासी की जगहों के लिये आये और उनमें से कितने प्रार्थियों को जगहें दी गईं और कितनों को नहीं दी गईं ?

श्री चरण सिंह—१ जनवरी, १९५६ से ३० जून, १९५७ के अन्तर्गत केवल १ हरिजन ने चपरासी के पद के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जिसको नियुक्त कर दिया गया।

मद्य निषेध वाले जिलों में कच्ची शराब व अफीम रखने के अपराध में चलाये गये मुकदमे

*१३६—श्री भुवनेश भूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में मद्य निषेध कानून लागू है उन जिलों में कितने मुकदमें सन् १९५४ से नवम्बर, सन् १९५७ तक कच्ची शराब बनाने तथा अफीम रखने के अपराध में चलाये गये ?

डाक्टर सीताराम—इस प्रदेश में उन जिलों में जहां मद्यनिषेध कानून लागू है सन ५४ से नवम्बर, सन् ५७ तक कच्ची शराब बनाने के जुर्म में ५८७९ मुकदमे तथा अफीम रखने के जुर्म में ४,०२४ मुकदमे दायर किये गये।

गाजीपुर में रोडवेज बस स्टेशन तथा बिरनों थाने पर रोडवेज बुकिंग आफिस स्थापित करने की योजना

*१३७—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर शहर में रोडवेज स्टेशन बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त स्टेशन कब तक बन सकेगा ?

डाक्टर सीताराम—आयोजन तो है परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में बस स्टेशन निर्माण की सम्भावना नहीं है।

*१३८—श्री यमुना सिंह—क्या सरकार गाजीपुर जिले के बिरनों थाने पर रोडवेज बुकिंग आफिस बनाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। परन्तु आगामी वित्तीय वर्ष में नहीं।

*१३९—श्री गंगा प्रसाद सिंह—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

*१४०—श्री गनेशचन्द्र काछी—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर बारहवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले की दुरजनपुर पंचायती अदालत के अन्तर्गत लावारिस खातों की जमीन पट्टे पर उठाने के लिए आदेश

*१४१—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की करेगी कि अदालत पंचायत दुरजनपुर, परगना डिर्गसिर, तहसील तरबगंज, जिला गोंडा के क्षेत्र के ग्रामों में सन् १९५२ से १० दिसम्बर सन् १९५७ ई० तक कितने खाते लावारिस हुए हैं और लावारिस खातों में कितने को ग्राम प्रधान ने और कितने को तहसीलदार तथा एस०डी०एम० ने पट्टे दिये हैं ?

श्री चरणसिंह—७ खाते लावारिस हुए। इन लावारिस खातों की कोई भूमि पट्टे पर नहीं उठाई गई। ५ लावारिस खातों के बारे में तो अभी न्यायालय में झगड़ा चल रहा है। १ खाता बाग का था जिसके उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। केवल १ खाता ४.६७ एकड़ का ऐसा है जो ग्राम समाज के कब्जे में है और जिसको उठा देना चाहिये था। जिलाधीश को आज्ञा दी जा रही है कि वह भूमि प्रबंधक समिति को आदेश दें कि यह जमीन तुरन्त नियमानुकूल पट्टे पर उठा दी जाय।

*१४२—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अदालत पंचायत क्षेत्र में कितने भूमि-हीनों को जमीनें दी गईं, और कितनी जमीनें उन काश्तकारों को दी गई हैं जिनके पास जमीनें हैं। दोनों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री चरणसिंह—न्याय पंचायत क्षेत्र में सन् ५७ तक कोई भी जमीन पट्टे पर नहीं उठाई गई।

नैनीताल जिले के मालधन चौड़ा में भूमिहीन हरिजन शिल्पकारों को बसाने के लिये सुविधाएं

*१४३—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बताने की की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के मालधन चौड़ा में भूमिहीन हरिजन शिल्पकारों को जो तीन हजार एकड़ भूमि देने का निश्चय किया गया था उसमें इस वक्त तक कितने हरिजन शिल्पकारों को बसाया गया और जो बसाये गये उनको क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं ?

श्री चरण सिंह—उक्त क्षेत्र में अब तक २,३५० एकड़ भूमि ४७० भूमिहीन हरिजन परिवारों के बसने के लिये दी गई है और ३५० एकड़ भूमि ७० कुमायूं शिल्पकारों के परिवारों के बसने के लिये दी जाने वाली है। बाकी भूमि रास्ते इत्यादि के काम में लाई जायगी।

इन हरिजन परिवारों के बसने के लिये सरकार ने निम्नलिखित सुविधायें दी हैं—

(१) २०,००० रुपये भूमि को ट्रैक्टरों द्वारा तोड़ने के लिये।

(२) १०,००० रुपये मकान बनाने में सहायता देने के लिये व उनको ६ महीने की सुविधा देने के लिये जब तक पहली फसल तैयार न हो।

(३) बीज तथा बैलों आदि के खरीदने के लिये तकावी देने की सुविधा विचाराधीन है।

जौनपुर जिले में नियोजन विभाग द्वारा निर्माण-कार्य

*१४४—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग विभाग द्वारा जौनपुर जिले में १९५५-५६, १९५६-५७ में कितने कुएं, खड़ंजे और नालियां बनवाई गयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ २५१ पर।)

कसया ब्लाक, जिला देवरिया के अन्तर्गत कार्यों पर व्यय

*१४५—श्री रामायणराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फाजिल नगर, देवरिया छाया ब्लाक किस तिथि से एन० ई० एस० ब्लाक के रूप में परिवर्तित हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला नियोजन समिति ने इस ब्लाक को सन् १९६०-६१ में खोलने की सिफारिश की है। यह कब खुलेगा निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता है।

*१४६—श्री रामायणराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पथरदेवा छाया ब्लाक, देवरिया कब से प्रगाढ़ विकास खण्ड के रूप में परिवर्तित हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पथरदेवा छाया ब्लाक अभी राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड ही नहीं बना है इसलिये अभी उसके प्रगाढ़ विकास खण्ड में परिवर्तित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

*१४७—श्री रामायणराय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कसया ब्लाक, जिला देवरिया में अब तक कितना धन खर्च हुआ तथा कौन-कौन से विकास कार्य किये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस ब्लाक में ३१ जनवरी, १९५८ तक कुल २०,८४,७१३ रुपया व्यय हुआ। ब्लाक में जो विकास कार्य हुए हैं उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ २५२ पर)

लखनऊ से लखीमपुर और सुल्तानपुर जाने वाली रोडवेज बसों के किराये में अन्तर

*१४८—श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बता सकती है कि रोडवेज बसों में लखनऊ से लखीमपुर तक जिसकी दूरी ८२ मील है उसका किराया लोअर क्लास का ३ रुपया ढाई आना क्यों है और लखनऊ से सुल्तानपुर ८४ मील है उसमें लोअर क्लास का किराया २ रुपया छः आने क्यों है ?

डाक्टर सीताराम—लखनऊ से सुल्तानपुर तक का फासला, लखनऊ से लखीमपुर के फासले से अधिक है परन्तु यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निम्न श्रेणी का किराया तदर्थ दर के हिसाब से कम लिया जाता है।

वाराणसी जिले में शिकमी किसानों का सीरदार होना

*१४९—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी की वाराणसी जिले में कितने शिकमी किसान सीरदार हुए थे ?

श्री चरणसिंह—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में कलेक्शन विभाग के कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होना

*१५०—श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्नाव जिले की पुरवा तहसील में कुछ ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनका स्थानान्तरण ३ वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी नहीं किया गया है ?

श्री चरणसिंह—पुरवा तहसील में ऐसा स्थायी कर्मचारी नहीं है जो ३ साल से अधिक एक ही जगह पर कार्य कर रहा हो किन्तु कुछ अस्थायी कर्मचारी हैं ।

*१५१—श्री भगवतीसिंह विशारद—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा पूर्वक बतायेगी कि ऐसे कुल कितने और किस श्रेणी के कर्मचारी हैं और स्थानान्तरण न करने के कारण क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—ऐसे तृतीय श्रेणी के ८ कर्मचारी कलेक्शन विभाग के हैं । उक्त विभाग के कर्मचारियों के लिये ऐसे कोई आदेश नहीं हैं जिनके अन्तर्गत इनका स्थानान्तरण किया जाय । अतः उल्लिखित कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

फैजाबाद कमिश्नरी में इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट बाण्ड्स का वितरण

*१५२—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में फैजाबाद कमिश्नरी के प्रत्येक जिलों में कितने-कितने मूल्य के (Encumbered Estate Act. Bonds) वितरित किये गये और इस कमिश्नरी में १९५७-५८ में कितने मूल्य के बांड देने का इरादा है ?

श्री चरणसिंह—फैजाबाद कमिश्नरी के प्रत्येक जिले में वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में वितरित किये गय इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट बान्ड्स तथा १९५७-५८ में सम्भावित बांडों के वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

जिला	वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में वितरित किये गये बांडों का मूल्य	१९५७-५८ में वितरित होने वाले बांडों का मूल्य
१	२	३
	रुपये	रुपये
१—सुल्तानपुर	४७,५००	१३,५००
२—फैजाबाद	२८,००	२,५००
३—बाराबंकी	२८,७००	४८,६००
४—प्रतापगढ़	५,३००	३,२००
५—गोंडा	३,२००	४४,६००
६—बहराइच	..	

हरदोई जिले में वर्षा तथा बाढ़ पीड़ितों को तकावी

*१५३—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में गत वर्ष १९५७ में अधिक वर्षा और बाढ़ से फसल में प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कितनी क्षति हुई ?

श्री चरणसिंह—हरदोई जिले की प्रत्येक तहसील में गत वर्ष १९५७ में अधिक वर्षा तथा बाढ़ आदि से हुई फसल की क्षति निम्न प्रकार है:—

१—हरदोई—१ रुपये में १ आने से १६ आने तक।

२—शाहाबाद—१ रुपये में ४ आने से १६ आने तक।

३—संडीला—१ रुपये में ४ आने से १६ आने तक।

४—बिलग्राम—१ रुपये में ८ आने से १६ आने तक।

*१५४—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के लिये सरकार ने वर्ष १९५७ में कितनी तकावी दी है और वह जिले में अलग-अलग प्रत्येक तहसील में कितनी कितनी तादाद में बांटी गई तथा अधिक से अधिक एक व्यक्ति को कितनी तकावी दी गई और कम से कम कितनी दी गई ?

श्री चरणसिंह—हरदोई जिले को १९५७ में कुल २,८३,००० रुपये की तकावी अभाव विभाग द्वारा दी गई। अन्य अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ २५३ पर)

लोक सेवा आयोग के पास ब्लाक डेवलपमेंट तथा जिला उद्योग अधिकारी के पदों के लिये राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना पत्र

*१५५—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार यह बतायेगी कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर तथा जिला उद्योग अधिकारी के लिये कितने राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया तथा उनमें से कितनों की नियुक्ति की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

गोरखपुर जिले में विनायकपुर और हवेली परगनों में जड़हन की खेती सूखने के कारण सहायता

*१५६—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माल मन्त्री को मालूम है कि जिला गोरखपुर, तहसील फरेंदा के विनायकपुर और हवेली परगनों में जड़हन की खेती ७५ प्रतिशत से ज्यादा सूख गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के किसानों की सहायता का प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह—यह सही नहीं है कि जिला गोरखपुर में तहसील फरेंदा के विनायकपुर और हवेली परगनों में जड़हन की खेती ७५ प्रतिशत से ज्यादा सूख गई है। क्षति के अनुसार सहायता का प्रबन्ध किया गया है।

राज्य में ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० व वी० एल० डब्ल्यू० में परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के लोग

*१५७—श्री रामशरण यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार के कितने ए० डी० ओ० व बी० डी० ओ० व वी० एल० डब्ल्यू० हैं, उनमें कितने परिगणित जाति व कितने पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय ३०३ बी० डी० ओ० काम कर रहे हैं जिन में से २३ परिगणित जाति के और १० पिछड़े वर्ग के हैं। इसी प्रकार १,४०१ ए० डी० ओ० इस समय काम कर रहे हैं जिनमें ५३ परिगणित जाति के और ५५ पिछड़े वर्ग के हैं। बी०एल० डब्ल्यू० ३,४४५ हैं जिनमें से २३९ परिगणित जाति के और ३५३ पिछड़े वर्ग के हैं।

इटावा जिले में नियोजन सम्बन्धी कार्यों पर व्यय के ब्योरे की मांग

*१५८—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले को सन् १९५६-५७ तथा सन् १९५७-५८ में कितना रुपया प्लानिंग के कार्यों के लिये दिया गया तथा उसमें कितना खर्च हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना एकत्रित की जा रही है। उत्तर सूचना एकत्रित होने पर दिया जायगा।

*१५९—श्री मिहरबान सिंह—क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस रुपये में से किन-किन कार्यों में कितना-कितना रुपया खर्च किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना एकत्रित की जा रही है। उत्तर सूचना एकत्रित होने पर दिया जायगा।

*१६०—श्री मिहरबान सिंह—क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्ची सड़कों को पक्का बनाने में कितना रुपया खर्च किया गया तथा कौन-कौन सी कच्ची सड़कें पक्की बनाई गईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सूचना एकत्रित की जा रही है। उत्तर सूचना एकत्रित होने पर दिया जायगा।

बस्ती जिले के गौर, परसरामपुर, विक्रम जोत छाया क्षेत्रों को अनुदान

*१६१—श्री रणबहादुर सिंह—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के गौर, परसरामपुर, विक्रम जोत से छाया क्षेत्र में कितना अनुदान अब तक दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन छाया क्षेत्रों में क्रमशः १,४३९, ५४० तथा ५०४ रुपयों का अनुदान दिया गया है।

संचालक चकबन्दी के कार्यालय के स्थानान्तरण पर व्यय

*१६२—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि संचालक चकबन्दी का कार्यालय हाल में नं० १, राणा प्रताप मार्ग से उठा कर माल ऐवेन्यू में क्यों लाया गया था ? और कुछ ही समय पश्चात् क्यों पुनः राणा प्रताप मार्ग पर वापस भेजा गया ?

श्री चरण सिंह—चकबन्दी कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण नं० १, राणा प्रताप मार्ग में कार्यालय के लिये कोठी के उपलब्ध भाग में पर्याप्त स्थान नहीं रहा, अतएव कार्यालय वहां से नं० १५, माल ऐवेन्यू में जो उसी समय खाली हुआ था लाया गया। परन्तु फिर नं० १५, माल ऐवेन्यू को अतिथिगृह के रूप में उपयोग में लाने का निर्णय हुआ, इस कारण उसको खाली करना आवश्यक हो गया। इसी समय नं० १, राणा प्रताप मार्ग में भूतपूर्व चकबन्दी संचालक ने अपने व्यक्तिगत अधिकार में जो कोठी का भाग था उसे खाली कर दिया। अतः अब वहां पर्याप्त स्थान हो जाने के कारण कार्यालय पुनः वहां वापस ले जाया गया।

*१६३—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्यालय को लाने ले जाने में सरकार का कितना व्यय हुआ और कितना समय लगा ?

श्री चरण सिंह—कार्यालय को लाने ले जाने में कुल रुपया १,२७५·२७ खर्च हुआ तथा ४ दिन का समय लगा ।

*१६४—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार उक्त कार्यालय को स्थानाभाव के कारण किसी अन्य उपयुक्त भवन में भेजने का विचार कर रही है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं ।

बिजली न पाने वाले सहकारी नलकूप

*१६५—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने सहकारी नलकूप ऐसे हैं जिनको अभी तक बिजली नहीं मिली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य में बिजली से चलाये जाने वाले ३४ सहकारी नलकूप ऐसे हैं जिनको अभी तक बिजली नहीं मिली है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को मान्यता

*१६६—श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को सरकारी मान्यता दी गई है ?

*१६७—यदि हां, तो क्या विशारद को बी० ए० और साहित्य रत्न को एम० ए० के बराबर मान लिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक सरकारी नौकरियों में नियुक्त किये जाने का प्रश्न है—और माननीय सदस्या का अभिप्राय कदाचित् सरकारी नौकरियों से ही है—हिन्दी साहित्य सम्मेलन की केवल साहित्यरत्न और विशारद की परीक्षाओं को कुछ शर्तों के साथ इन्टरमीडियेट और हाई स्कूल कक्षाओं के हिन्दी अध्यापकों के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये सरकारी मान्यता दी गई है । इन शर्तों का विवरण मेज पर दी गई तालिका में दे दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ २५४ पर)

यदि माननीय सदस्या का अभिप्राय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिये मान्यता दिये जाने से है तो उन्हें सरकारी मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शिक्षा सम्बन्धी परीक्षायें या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (यू० पी० बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इन्टरमीडियेट एजुकेशन) द्वारा या विश्वविद्यालयों द्वारा विनियमित (govern) होती हैं । फिर भी, इन संस्थाओं द्वारा जो मान्यता हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को दी गई है उसकी जानकारी मेज पर रख दी गई तालिका में दे दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ २५५ पर)

गोंडा जिले में कौआपुर-महाराजगंज सड़क की मरम्मत के लिए प्रार्थना

*१६८—श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा)—क्या सरकार जी यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कौआपुर से महाराजगंज जाने वाली सड़क बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, ऐसी बड़ी कच्ची सड़कों की जो जमींदारी उन्मूलन के बाद राज्य सरकार में निहित हुई हैं, व्यवस्था का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

राज्य के डिप्टी कलेक्टरों में बैकवर्ड तथा परिगणित जाति के लोग

*१६९—श्री भजनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशमें कुल कितने डिप्टी कलेक्टर हैं तथा उनमें कितने बैकवर्ड तथा कितने परिगणित जाति के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश में कुल ४५५ डिप्टी कलेक्टर हैं जिनमें ९ बैकवर्ड तथा ३५ परिगणित जाति के हैं ।

झांसी जिले में ३ वर्ष से ऊपर के गजटेड अफसर

*१७०—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में ऐसे कितने गजटेड अधिकारी हैं जो ३ वर्ष से अधिक से इसी जिले में हैं, और उन्हें कब तक अभी और रखने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ २५६–२५७ पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड, तालबेहट, जिला झांसी से संबंधित इमारतों के निर्माण का ठेका

*१७१—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट, जिला झांसी में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड के कार्यालय व अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने की जो इमारतें बन रही हैं वे कब तक बन सकेंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आशा है कि यह इमारतें अप्रैल, १९५८ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायंगी ।

*१७२—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड की जो इमारतें बन रही हैं उनका ठेका कितने का है तथा इमारतों पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन इमारतों के बनने का ठेका ७१,००० रुपये का है परन्तु अनुमान है कि उनके निर्माण पर करीब ६५,००० रुपया ही व्यय होगा ।

हसायन विकास क्षेत्र, जिला अलीगढ़ में बाल-क्रीड़ा स्थलों पर व्यय

*१७३—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हसायन विकास क्षेत्र (अलीगढ़) में अब तक कितने "बाल-क्रीड़ा स्थल" खुले हैं और कहां कहां ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हसायन क्षेत्र में अब तक ४१ बाल-क्रीड़ास्थल खुले हैं, जिनका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ २५८ पर)

*१७४—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन बाल-क्रीड़ास्थलों में कितना-कितना सामान कितनी-कितनी कीमत का दिया गया है ? उसमें जनता का प्रत्येक बाल-क्रीड़ा केन्द्र में कितना अंशदान (कण्ट्रीब्यूशन) है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ २५९–२६० पर)

हसायन विकास क्षेत्र, जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत पुलियों का निर्माण

*१७५—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विकास क्षेत्र में कुल कितनी पुलियाएं बनी हैं और किस-किस गांव में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त विकास क्षेत्र में ११५ पुलियाएं बनी हैं। ये किस-किस गांव में हैं इसका विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ २६१ पर)

हसायन विकास क्षेत्र, जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत संगठित नेत्र चिकित्सा शिविरों पर व्यय

*१७६—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की हसायन विकास क्षेत्र (अलीगढ़) में अब तक कितने नेत्र चिकित्सा शिविर संगठित किये गये? उनमें से प्रत्येक में कितने-कितने व्यक्तियों ने किस-किस गांव में लाभ उठाया और उन पर कितना व्यय हुआ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हसायन खण्ड में अभी तक एक नेत्र चिकित्सा शिविर संगठित किया गया है। उस शिविर से ३,५०८ मरीजों ने लाभ उठाया। ये मरीज किन किन गांवों के थे—यह बताना सम्भव नहीं है क्योंकि नाम और पता उन्हीं मरीजों का रक्खा जाता है जो "इन पेशेन्ट डिपार्टमेंट" में भर्ती किये जाते हैं, सभी का नहीं।

इस शिविर पर कुल खर्चा १,००० रुपया हुआ जिसमें से ५०० रुपया खण्ड के बजट से दिया गया तथा शेष ५०० रुपया जनता से चन्दे के रूप में प्राप्त हुआ।

२७ मार्च, १९५८ के लिये रखे गये अतारांकित प्रश्न

आगरा जिले में माल व कलेक्टरी के कर्मचारियों में पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के लोग

१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में कितने लेखपाल, कलेक्शन अमीन, वासिल वाकीनवीस व स्याहः नवीस हैं? उनमें क्रमशः पिछड़े वर्ग तथा परिगणित जातियों के कितने?

श्री चरण सिंह—तत्सम्बन्धी सूचना इस प्रकार है :—

कर्मचारी		कुल संख्या	पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या	परिगणित जातियों के सदस्यों की संख्या
लेखपाल	..	३२१	११	३
कलेक्शन अमीन	..	९५	१	२
वासिल वाकीनवीस	..	७	..	..
स्याहा नवीस	..	७	..	..

२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले की कलक्टरी कचेहरी में कितने क्लर्क हैं, उनमें क्रमशः कितने पिछड़े तथा परिगणित जातियों के हैं?

श्री चरणसिंह—१४५ क्लर्क हैं जिनमें २ पिछड़े वर्ग तथा ३ परिगणित जातियों के हैं।

बरेली जिले में फरीदपुर-रायपुर सड़क पर पुल व पुलियों का निर्माण

३—श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय में तहसील फरीदपुर, जिला बरेली में फरीदपुर से मौजा रायपुर तक ७ मील लम्बी सड़क श्रमदान द्वारा बनाई गई थी और जिसमें सरकार ने करीब एक लाख रुपये की सहायता सड़क बनाने में पुलिया व पुलों के लिये दी थी? यदि हां, तो क्या वे सभी पुल व पुलियां बन गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। जिला बरेली में तहसील फरीदपुर से मौजा रायपुर तक ७ मील लम्बी सड़क श्रमदान द्वारा बनाई गई थी। इस सड़क पर ४० हजार रुपये का अनुदान नकटिया नदी पर पुल बनवाने के तथा ९,२२९ रुपया ८ आना ६ पाई तीन पुलियों बनाने के लिए जिला नियोजन समिति के कोष से स्वीकार किया गया है। तीनों पुलियां बन चुकी हैं। नकटिया नदी का पुल अभी नहीं बना है।

मालगुजारी की वसूली से संबंधित कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—आज एक कामरोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुर वर्मा ने दिया है, वह मालगुजारी की वसूली के सम्बन्ध में है और दूसरा उग्रसेन जी का भी मालगुजारी की वसूली के सम्बन्ध में है। आज जो एप्रोप्रिएशन बिल, विनियमन विधेयक उपस्थित होने वाला है, उसमें इस सम्बन्ध में वे चर्चा कर सकते हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, एक पत्र द्वारा भी मैं प्रमाणित करने वाला हूं।

श्री अध्यक्ष—पत्र में जो न हो वह भी आप कह सकते हैं। पत्र की कापी आप मंत्री जी के पास भेज दें।

श्री उग्रसेन—भेज दी गयी है।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है, उसका जिक्र आप उसमें कर सकेंगे।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा श्री गोविन्द सिंह जी विष्ट का है। यह प्रस्ताव बहुत लम्बा सा है और उसमें से अर्थ निकालना भी मुश्किल सा है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं बता दूं थोड़े से शब्दों में।

श्री अध्यक्ष—मैं तो उसकी इजाजत ही नहीं दे रहा हूं। ये सब चीजें एप्रोप्रिएशन बिल के विवाद में कही जा सकती हैं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। यह कोई बहुत निश्चित सा विषय नहीं है और न महत्व का ही प्रतीत होता है।

चकबंदी टैक्स की वसूली से सम्बन्धित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना* पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—एक प्रस्ताव श्री भजनलाल जी ने दिया था। वह यह चाहते हैं कि जहां चकबन्दी के सिलसिले में वसूली हो रही है उसकी सख्ती के संबंध में बहस करना चाहते हैं। उनको १७२ नियम के अनुसार मुझे नोटिस देना था, वह उन्होंने दिया था। तत्पश्चात् एक बात नेता सदन से मालूम हुई कि सदन में यह बात तय हुई थी कि मालगुजारी के सम्बन्ध में जितनी भी बातें वसूली इत्यादि के बारे में भी हों उन सभी पर विवाद के लिये ही एप्रोप्रिएशन बिल उपस्थित होने के बाद पूरा दिन दिया जाना चाहिये और उसमें कुल बहस हो जानी चाहिये। तो वह पूरा दिन आज दे दिया गया है। नेता सदन से मेरी चकबन्दी के खर्चे की वसूली की बाबत भी बातचीत हुई थी। नेता सदन ने मेरा ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि चकबन्दी के संबंध का प्रस्ताव सदन के सामने असरकारी दिन के वास्ते भी है जो इन शब्दों में है—"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में होने वाली चकबंदी का कार्य तत्काल स्थगित कर के

---

*२२ मार्च, १९५८ को दी गयी।

वर्तमान ढंग से होने वाली चकबंदी की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता की जांच करायी जाय और तदर्थ एक जांच समिति नियुक्त की जाय, जो अपनी रिपोर्ट ६ माह के अन्दर प्रस्तुत करे ।"

तो इस प्रस्ताव पर भी कई लोग बोलेंगे और माननीय भजन लाल कल इसमें भाग ले सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में दो दफा इसी विषय पर चर्चा हो सकती है, आज भी और कल भी । इसलिये चकबन्दी की वसूली पर अलहदा से विवाद कराने की आवश्यकता नहीं रहती । एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस रोज नारायणदत्त तिवारी जी ने यह एतराज किया था कि एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में बहस करते हुये मालगुजारी की वसूली या चकबन्दी की वसूली का जिक्र नहीं किया जा सकता है । स्वर्गीय श्री मावलंकरजी का अध्यक्ष के नाते २४ मार्च, १९५० को इस सम्बन्ध में एक फैसला हुआ था । मैं उसके पूरे वाक्य सुनाये देता हूं :—

"Honourable members will, therefore, see that when the Appropriation Bills are considered it will not be permissible to raise discussion on the taxation proposals. The discussion can cover any matter of public importance or of administrative policy implied in the grants and the expenditure charged on the Consolidated Fund in so far as the same is permitted under the Constitution and the Rules of Procedure. Questions of affecting economy, improvement in administration, scrutiny and maintenance of proper accounts, ree-appropriation, etc., in fact, generally all matters in respect of which the House would like to point out difficulties or give directions to the administration for improving tone, for improving service to the people, better efficiency and better economy."

इस निर्णय के अनुसार उक्त बातों पर चर्चा हो सकती है । यानी जो विनियोग विधेयक आपके सामने मौजूद है इसके सम्बन्ध में उन्होंने यह फैसला दिया था कि उस पर बहस में केवल कर लगाने वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में बहस नहीं हो सकती लेकिन शासन सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में, खर्चा ज्यादा हो रहा है इस सम्बन्ध में, खर्चा कम करने के बारे में, शासन में कहीं ज्यादती वगैरह हो रही हो और हर तरह का जिक्र जो कि वैज्ञानिक ढंग से बजट के विषयों पर डिबेट के वक्त आप ला सकते हैं वह इसमें भी ला सकते हैं । इसलिये मैं कहता हूं कि चकबन्दी के खर्चे की वसूली के प्रश्न को विवाद में आप आज भी ला सकते हैं और इस सिलसिले में नारायणदत्त तिवारी जी का उस दिन का एतराज गलत था ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, एक सूचना देना . . . . .

श्री अध्यक्ष—आप बीच में नहीं बोल सकते हैं ।

कल के रोज भी जो चकबन्दी के सिलसिले में प्रस्ताव है उसमें यह दिया हुआ है, उसके शब्द ये हैं कि उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता इसकी जांच करायी जाय, यह प्रस्ताव में मांग है । तो अनुपयोगिता बताते हुये उसमें क्या-क्या ज्यादतियां होती हैं, किस तरह से वसूली होती है, इन सब चीजों का जिक्र आप कर सकते हैं । इसलिये दो रोज के लिये जब मौका मौजूद है तो तीसरा और भी समय अलग से सदन का लेना मैं अनुचित समझता हूं और उसके लिये मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

अब माननीय गोविन्द सिंह जी, आप क्या कह रहे थे ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपने फरमाया कि जितने भी मोशन्स हैं उन पर आज इस एप्रोप्रिएशन बिल या चकबन्दी के सिलसिले में बहस की जा सकती है। तो बहुत से सदस्य बोलना चाहेंगे और सभी को समय मिलेगा, यह कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष—अगर कामरोको प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो दो ही घंटे बहस के लिये मिलते और विधेयक पर बहस के लिये चार घंटे हैं। तो यदि चार घंटे के अन्दर आपको समय नहीं मिलेगा तो दो घंटे में कैसे मिल जाता ?

श्री गोविन्द सिंह विष्ट—प्रस्तावक को कैसे मिलेगा ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, कामरोको प्रस्तावों के प्रस्तावकों को एप्रोप्रिएशन बिल में विशेष समय ५-५ मिनट का मिल जाय तो ठीक हो।

श्री अध्यक्ष—तो आप अपनी पार्टी की तरफ से नाम भेज दीजिये।

श्री उग्रसेन—वह तो श्रीमन्, ...

श्री अध्यक्ष—अगर आपकी पार्टी वाले बुलाना नहीं चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं

श्री उग्रसेन—आदेश तो आप ही देंगे।

श्री अध्यक्ष—आप भजनलाल जी और मोतीलाल जी से कह दें कि वे अपने भाषणों में आपकी बात का जिक्र कर दें।

५ बजे के बाद सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव

हरिजन कल्याणमंत्री के सभासचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय कल की तरह से एक घंटा और बढ़ा दिया जाय। कल स्टैम्प विधेयक पेश हो गया था और थोड़ा बाकी रह गया था। मैं समझता हूं कि वह जल्दी ही समाप्त हो जायगा। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज शाम के ५ बजे के बाद सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार करने के लिये सदन का समय आज ५ बजे के बाद एक घंटे तक और बढ़ा दिया जाय।

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों वे कृपया 'हां' कहें।

(हां की आवाजें)

जो माननीय सदस्य इसके विपक्ष में हों वे कृपया 'नहीं' कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—नो।

श्री अध्यक्ष—हां की संख्या अधिक है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—डिवीजन सर, (Division, sir)।

श्री अध्यक्ष—(श्री मोतीलाल अवस्थी से) मैं आप से कहना चाहता हूं कि अब आप हिन्दी में कहें नहीं तो मैं आप से कहूंगा कि भाषण भी दें तो अंग्रेजी में दें। आपको अगर हिन्दी नहीं आती है तो अंग्रेजी में ही भाषण दें। उसके लिये मैं आपको इजाजत दे दूंगा। आप बार बार 'नो' कहते हैं, बार बार 'डिवीजन सर' कहते हैं। मुझे आप 'सर' कहते हैं। इस तरह से आप न किया करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैंने, 'श्रीमन्', कहा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आज सदन की बैठक का समय ५ बजे के बाद एक घंटा और बढ़ा दिया जाय जिसमें उत्तर प्रदेश स्टैम्प विधेयक पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नमतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१८५ ,

विपक्ष में—१७ ।)

भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, कल तो नानआफिशियल दिन है ही। उसके बाद २९,३०,३१,१ और २ तक यानी पांच दिन तक सदन की बैठक नहीं होगी। ३ तारीख को सदन बैठेगा। ४ तारीख को फिर छुट्टी है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि ५ तारीख के दिन शनिवार है लेकिन उस दिन सदन बैठ जाय। यों भी माननीय सदस्य यहां पर मौजूद रहेंगे क्योंकि ५ तारीख को कौंसिल की वोटिंग है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि ५ तारीख को यह सदन बैठ जाय। ३ और ५ तारीख को सदन बैठेगा। जो काम होगा वह भी मैं बता देता हूं। एक तो यू० पी० सेल्स टैक्स वैलिडेशन बिल है, दूसरा यू० पी० रिक्वीजिशन आफ मोटर विहिकिल्स (एमरजेन्सी पावर्स) (अमेंडमेंट) बिल है और तीसरा यू० पी० जमींदारी अबालिशन एन्ड लैन्ड रिफार्म्स बिल है जिसमें केवल एक शब्द का ही परिवर्तन है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं थोड़ा सा यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो कमेटी ने तय किया तो उस पर गवर्नमेन्ट को भी स्टिक करना चाहिये। मैं समझता हूं, जब हमने इस बात पर गवर्नमेन्ट का साथ दिया है और गवर्नमेन्ट के साथ वोट दिया है तो उस पर जमना चाहिये। यह बात थी कि उन दो दिनों के लिये सेल्स टैक्स बिल रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। इस तरह से अपने दिये हुये वायदे को सरकार को नहीं भूलना चाहिये, नहीं तो हम यह कहेंगे कि सहयोग देने पर सरकार हम से कुछ फर्क कर जाती है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस अधिवेशन के कार्यक्रम में प्रक्रिया नियमावली में परिवर्तन के लिये विशेषरूप से उल्लेख किया गया था। मैं समझता हूं कि इतना लम्बा अधिवेशन होने के बाद भी प्रक्रिया नियमावली में संशोधन जो उपस्थित हो जाने चाहिये थे उनको फिर स्थगित किया जा रहा है । मालूम होता है कि जुलाई तक स्थगित किया जा रहा है। यह संशोधन बहुत आवश्यक थे। इसके विषय में सेलेक्ट कमेटी भी एक दफा रिपोर्ट दे चुकी है। दोबारा भी उस पर शायद वह विचार कर चुकी है। इसके नियमों में संशोधन होना अत्यन्त आवश्यक था। इसको बारबार टाल देना सदस्यों के लिये सुविधाजनक नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसको प्रोग्राम में रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जो कमेटी उस पर विचार कर रही है अभी उसकी बैठक चल रही है। उसने अपना प्रतिवेदन उपस्थित नहीं किया है। अगर वह उपस्थित कर देती तो उसके ऊपर विचार करने की बात थी। उपस्थित होने के बाद ही उसके ऊपर विचार हो सकता है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने यह नहीं कहा कि ५ तारीख के बाद जुलाई में बैठेंगे। अप्रैल में भी हम लोग बैठ सकते हैं। इसकी सूचना फिर बाद को मैं दे सकूंगा।

*उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

इस विधेयक में वह तमाम रुपया जो इस बजट के डिस्कशन के दौरान में इस सदन ने देना मंजूर किया है वह सब रखा गया है और इजाजत मांगी जा रही है कि उसको कंसोलिडेटेड फंड से निकाल कर खर्च किया जाय।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास इस सम्बन्ध में श्री मोती लाल अवस्थी ने एक संशोधन भेजा है। वह इस प्रकार है कि खंड २ की पंक्ति ५ में अंक २,१६,८५,९७,५०० के स्थान पर २,१४,००,००,००० रख दिये जायं तथा ब्रेकेट के अन्दर शब्दों में २१४ करोड़ रुपये लिख दिये जायं।

संविधान के अनुच्छेद २०४ में, दूसरे भाग में दिया गया है कि—"इस प्रकार किये गये किसी अनुदान की राशि में फेरफार करने अथवा अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में फेरफार करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन ऐसे किसी विधेयक पर राज्य के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित न किया जायेगा तथा कोई संशोधन इस खंड के अधीन, अप्रवेश्य है या नहीं इस बारे में पीठासीन व्यक्ति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

यानी इसका मतलब यह है कि रकम में फेरफार करने का कोई भी संशोधन नहीं लाया जा सकता और यह संशोधन संविधान के अनुसार अवैध है। और इस सम्बन्ध में जो पीठासीन व्यक्ति होगा, उसका निश्चय अंतिम होगा। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह अवैध है और इस संशोधन को प्रस्तुत करने की मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मुझे कुछ मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने फैसला दे दिया है, अब नहीं।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा २ करोड़ १६ लाख के लगभग...

श्री अध्यक्ष—२ अरब।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैं आपका मशकूर हूं इस गलती की सेहत के लिये। २ अरब १६ करोड़ के लगभग रुपया कन्सालिडेटेड फंड से निकालने की मंजूरी मांगी जा रही है। मान्यवर, यह सबको मालूम है कि इस प्रदेश के रहने वालों में से तीन चौथाई की संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी जीविका खेती से चलती है और उनका वास्ता, उनकी भलाई, उनकी बेहबूदी, जो लैंड रेवेन्यू पालिसी है सरकार की जमीन के सिलसिले में उस से है। हमारे प्रदेश में इस बात का दावा किया जाता है कि यहां की सरकारी जमीन संबंधी नीति बड़ी प्रोग्रेसिव रही है। ऐसा भी कहा जाता है कि संभवतः इस देश के किसी दूसरे सूबे में इतनी प्रोग्रेसिव लैंड रेवेन्यू की पालिसी नहीं है जैसी कि इस प्रदेश में है। मैं मान्यवर की इजाजत से यह अर्ज करूंगा कि मोटे तौर पर हमारे यहां दो तरह के किसान हैं। एक भूमिधर हैं और दूसरे सीरदार। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि एक तरह की जमीन की सरकारी मालगुजारी एक तरह की होनी चाहिये। एक एकड़ जमीन, जितनी भी एक किस्म की सूबे में है उसकी मालगुजारी का रेट एक सा होना चाहिये। हमारे प्रदेश में क्या है? अगर वह किसान

*२६ मार्च, १९५८ की कार्यवाही में छपा है।

भूमिधर है तो आमतौर पर उसका लगान सर्किल रेट का आधा है, अगर सीरदार है, और अगर सीरदार हेरीडिटरी टेनेंट हुआ तो लगान आमतौर पर सर्किल रेट का होता है। इसके साथ ही साथ जो अभी हाल में सीरदार बनाये गये हैं, २-३ साल पहले, जो पहले अधिवासी थे, उनका लगान सर्किल रेट का दुगना और कहीं-कहीं उससे भी ज्यादा है। जमीन एक ही तरह की, ए का लगान एक रुपया, बी का लगान दो रुपया, और सी का लगान ४ या ५ रुपया है। इतना बड़ा मतभेद, मान्यवर, किसी प्रदेश की भी लैंड रेवेन्यू पालिसी देखने की जहमत गवारा की जाय, तो नहीं मिलेगा। यह एक ही तरह की जमीन और तीन तरह का लगान, उत्तर प्रदेश की ही खसूसियत है। मैं बड़ी नम्रतापूर्वक कहता हूं कि यह हमारे प्रदेश के लिये कलंक है। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी यह कलंक दूर किया जा सके उतनी ही जल्दी प्रदेश की ७५ प्रतिशत जनता की भलाई होगी।

जमींदारी अबालिशन की एक धारा में यह लिखा हुआ है कि अधिवासी से बने सीरदार का लगान अगर कहीं सर्किल रेट से दुगने से ज्यादा हो तो वे उसको दरख्वास्त देकर कम करा सकते हैं। उसके साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि असिस्टेंट कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं लगान कम कर दे जहां सर्किल रेट के दुगने से ज्यादा हो। यह सरकार की पालिसी है लेकिन मुकदमेबाजी में बरसों लग जाते हैं। माननीय माल मंत्री जी का मैं मशकूर हूंगा कि आज नहीं ६ महीने के बाद भी अगर वे यह बतला सकें कि कितने केसेज में स्वयं कानून की मंशा के बमूजिब असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा ऐसे लगान कम किये गये। हकीकत यह है कि सर्किल रेट के दुगने और कहीं-कहीं ढाई और तीन गुने लगान हैं।

यह सभी को मालूम है कि जमींदारी अबालीशन के बाद, मान्यवर, खातों की तादाद बढ़ गयी। पहले सरकार जब कि एक आदमी से मालगुजारी वसूल करती थी, आज उसको १० आदमियों से ज्यादा स मालगुजारी वसूल करनी पड़ती है। तो खातों की तादाद बढ़ी है। लेकिन रजिस्टर को रखने वालों की, सेहत इन्दराज जिनका फर्ज है, या जो सरकारी स्टाफ इन्दराज में तब्दीली करता है, उसमें कितनी बढ़ोत्तरी की गयी है? एक रजिस्ट्रार कानूनगो बढ़ाया गया है। मैं बहुत इत्मीनान के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी की जमीन का इन्दराज गलत है और उसके लिये मुकदमा दायर कर दिया जाय तो जमींदारी अबोलीशन के पहले जिसका फैसला ६ महीने के कब्ल हो जाया करता था आज डेढ़ और दो बरस में भी नहीं हो पाता है। जाने दीजिये उसमें जो फिजूल खर्ची या जो फिजूल रकम उनको देनी पड़ती है, उसको। आमतौर पर सही इन्दराज के मुकदमों में, सब माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं, कि पहले के मुकाबले में ३-४ गुना समय अधिक लगता है। इससे कितनी दुश्वारियां होती हैं, यह माननीय मंत्री जी स्वयं समझ सकते हैं। जब दो अरब सोलह करोड़ रुपये की रकम मंजूर की जा रही है तो क्या यह उम्मीद करना बहुत बड़ी बात होगी, कि जितने मुकदमे गलत इन्दराज के हैं, वे सही कर दिये जायं और जो ऐसी दरख्वास्तें हैं उनका फैसला ज्यादा से ज्यादा ६ महीने के अन्दर किया जाय।

माननीय मंत्री जी ने एक बार कृपा की थी। एक जमीन एक्वायर की गयी थी लेकिन उसका मुआवजा अदा नहीं किया गया था। उसकी तरफ उन्होंने तवज्जह दी। अभी तीन दिन हुए १९५० के एक्वी जीशन का एक मामला एक साहब मेरे पास छोड़ गये हैं, अब उनको लिख कर गया है कि आप अपना मुआवजा ले जाइये। सेहत इन्दराज के सिलसिले में इसी किस्म का मेरा एक मुकदमा है जो १९५२ से लखनऊ तहसील में पेंडिंग है और वह आज भी चल रहा है। मेरे नाम खेवट इंदराज है लेकिन लेखपाल ने अपने रजिस्टर में नहीं लिखा है, मेरी दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजर रही है, और यह सलूक मेरे साथ है। आप समझ सकते हैं, मान्यवर कि एक साधारण किसान जो बे पढ़ा है, और उनमें से ९५ फीसदी बे पढ़े हैं ही, उनकी क्या दशा होती होगी। मेरी मांग है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जहां इस प्रकार के इन्दराज गलत हों वे सही हों और उसकी दरख्वास्त देने पर ज्यादा से ज्यादा ६ महीने के अन्दर उसे सही कर दिया जाय। पहले यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में इस बात

[श्री त्रिलोकी सिंह]

की गुंजायश थी कि अदालती पंचायतें इसको सही कर सकती हैं। चूंकि हमारे मुल्क में जम्हूरियत है, प्रजातंत्र है, जनता के अधिकारों का बेइन्तहा खयाल उत्तर प्रदेश की सरकार को है, इसलिये अदालती पंचायतों से वह अधिकार छीन लिया गया और वह अधिकार तहसीलदार साहब को दे दिया गया है। तहसीलदार साहब के इजलास में जो हालत होती है, उसका जिक्र मान्यवर, मैं कर चुका हूं।

इसी सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि लगान की वसूलयाबी में भी बड़ी दुश्वारी होती है। अभी आज के दिन, मान्यवर, माननीय माल मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि अमीन को इस बात की इत्तला रहती है कि किसको कितनी छूट हुई। मैं यह अर्ज करूं कि पटवारी जमाबन्दी बनाता है और कब बनाता है, वह कुआर और कार्तिक के महीने में तहसील में बैठकर जमाबन्दी बनाता है, जबकि खरीफ की पड़ताल का वही समय होता है। लेखपाल से रोजनामचा मांगा जाय और उसे देखा जाय, तहसील में रिपोर्ट मांगी जाय, जिस समय कि पड़ताल होने की बात हो। आज तो फसल के मौसम में तहसील में बैठ कर ही जमा बन्दी बनायी जाती है। और वह भी लेखपाल ज्यादा से ज्यादा नवम्बर तक ही तैयार करके दे दिया करता है, ड्यूज वाजिबुल अदा होने के कबल, कि छूट किसको मिले। अब डेढ़ दो महीने पहले ही तैयार कर लेना और यह समझ लेना कि किस खेत में कितनी फसल होगी, गुमान के बाहर की बात है। नियम है कि जब लगान में छूट होगी तो उसकी पर्ची हर काश्तकार को दी जायगी और आज माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि उनके लिये यह असम्भव है। ये अल्फाज माननीय माल मंत्री जी के ही हैं जो उन्होंने इस सदन में इस्तेमाल किये थे कि काश्तकारों को लगान में अगर छूट दी जाय तो हर काश्तकार को पर्ची दी जाय यह असम्भव है। अगर कहीं कोई दैवी प्रकोप हो जाय, कहीं बाढ़ आ जाय, कहीं सूखा, पाला पड़ जाय, और फसलें बरबाद हो जांय, तो जाहिर है कि पूरे सूबे में छूट नहीं देते हैं लेकिन मुझे याद है और माननीय मंत्री जी को भी याद होगा कि सन् १९३१ में जब अरजानी गल्ले के सिलसिले में छूट हुई तो, मान्यवर, उत्तर प्रदेश के १ करोड़ ७ लाख किसानों को छूट की पर्चियां बांटी गयी थीं, उस पुरानी सरकार की तरफ से .....

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—यह कब की बात है ?

श्री त्रिलोकी सिंह—सन् १९३१ में अरजानी गल्ले के सिलसिले में जो छूट दी गयी थी, उसका मैंने जिक्र किया कि उस समय एक एक किसान को छूट की पर्ची बांटी गयी थी। मान्यवर, मैं यह भी अर्ज करूंगा कि सन् ४६ में जब कि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन स्कीम चन्द दिन पहले की अंग्रेजी सरकार की ही थी, उसके मुताबिक एक एक किसान को पर्ची दी गयी थी कि कितना गल्ला किस व्यक्ति को सरकार को देना है। यह उस वक्त हालत थी लेकिन आज जब एक इलाके में, परगने में, तहसील में या जिले में कोई आपत्ति आती है तो उसके लिये कोई पर्ची नहीं दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इसी लखनऊ जिले में, लखनऊ तहसील में सरकार की आंख के नीचे छूट दी गई लेकिन वहां क्या हुआ ? लेखपाल और अमीन ने कहा कि आधा रुपया हमें दो तो हम छूट दिला दें, यह डेढ़ महीने की बात है। मैंने तहसीलदार से शिकायत की और उन्होंने मौके पर जांच करके इस बात को तकरीबन सही पाया कि हां ऐसी बात की गई। यह हालत है, तमाम कानून और कायदे बने हैं और उसके बाद भी पाबन्दी उनकी न हो, यह किसी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि जब आदरणीय सदन सरकार को हर तरह की सहूलियतें देने को तैयार है तो जो नीति इस सदन द्वारा स्वीकृत हो, उसका अक्षरशः पालन होना चाहिये, मुझे दुख है कि जहां तक इस सरकार के कानूनों और अधिकारों का ताल्लुक है उनकी रक्षा तो क्या उनकी अवहेलना की जाती है।

मान्यवर, मैंने इस छूट के सम्बन्ध में यह अर्ज किया कि जब खरीफ की पड़ताल करने का समय होता है तब लेखपाल जमाबन्दी बनाता है। एक और नया तरीका है रेन्डम सेम्पिल सर्वे का। उसमें तहसीलदार साहबान वहां जाकर एक त्रिकोण बनाते हैं और उसके अन्दर की फसल काटकर तौल ली जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दिक्कत है, गांव में पंचायतें हैं, चुने हुये पंच हैं, प्रधान हैं तो यह लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार ही पड़ताल के समय या रेन्डम सेम्पिल सर्वे के समय रहें और क्यों न जो गांव के प्रधान हैं उनको इत्तिला दी जाय। वह भी साथ रहें, वह जनता के चुने हुए आदमी हैं, वह किसी हालत में भी तहसीलदार या सरकारी अहलकारों से कम जिम्मेदार नहीं हैं। क्यों न उनको भी साथ ले कर उनके मशविरे से पहले से नोटिस देकर उनको बुला कर कि आज गांव की पड़ताल होगी या रेन्डिमसम्पिल सर्वे होगा अमुक खेत के इतने टुकड़े का यह काम किया जाय। अगर इस तरह की व्यवस्था की जाय तो पड़ताल के झगड़े मिट जायं। क्योंकि आये दिन इस मामले में विवाद खड़े होते रहते हैं कि कितने आने का नुकसान हुआ और कितनी छूट होनी चाहिये। गौर करने की बात यह है कि फसल हमारी बरबाद होती है, खेत हमारा है, लेखपाल लिख देता है कि १२ आना नुकसान हुआ है या ६ आना नुकसान हुआ है और उससे कोई नहीं पूछता, जिसका नुकसान हुआ, । उससे बिना पूछे नुकसान का अन्दाजा लगाना मुनासिब नहीं है। यह वह स्कीम है कि जो बिना शक्ल देखे हुये मरीज की मर्ज पहचानते हैं और बतलाते हैं कि उसका इलाज क्या है। मैं समझता हूं कि यह गलत बात है और हम चाहते हैं कि सही तौर पर नुकसान का अन्दाजा लगाया जाय तो उसका जिस समय असेसमेंट हो, उस अन्दाजे के लगाने के वक्त जिस का नुकसान हो उसको नोटिस दिया जाय और गांव के प्रधान को नोटिस मौजूद होने का दिया जाय तब अन्दाजा लगाया जाय। लेकिन अफसोस है कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता, मैं बहुत ही नम्र निवेदन करूंगा कि जिस समय तक ऐसा नहीं होगा प्रदेश के किसानों की हालत सुधरने वाली नहीं है।

सस्पेंशन और पोस्पोनमेंट। पोस्पोनमेंट एक नयी रिलीफ निकाली गई है आजकल के माल विभाग से। मैं माननीय माल मंत्री का बहुत मशकूर हूं। वह यहां पर उपस्थित हैं। यह इस सदन की कार्यवाही ६ सितम्बर, १९५७ की है। एक तकरीर के सिलसिले में उन्होंने यह फरमाया, मैं पढ़े देता हूं—२ करोड़ १९ लाख रुपये की मालगुजारी इस नये साल की बैठती है। उसमें ८७ लाख रुपया रेमिट हुआ और ६८ लाख रुपये का रेमिशन अंडर कंसिडरेशन है कि वह आगे के लिये पोस्पोन की जाय या नहीं। बतलाया गया, माननीय माल मंत्री ने उत्तर में कहा, मान्यवर, कि पोस्पोनमेंट उसका होता है कि एलेक्शन आ जाय, प्लेग फैल जाय, चेचक फैल जाय या जैसे रबी की मालगुजारी वाजिबुल अदा हुई १५ मई को, नहीं वसूल हो सकी अगस्त तक, आगे अगस्त में बाढ़ आ जाय, सैलाब आ जाय या किसानों पर मुसीबत आ जाय तो वे पोस्पोन कर देते हैं। यहां वह फरमाते हैं साफ-साफ—८७ लाख रुपये रेमिट हुए, २ करोड़ १९ लाख में, ६८ लाख रुपये का रेमिशन, बाकी, अंडर कंसिडरेशन है कि वह आगे के लिए पोस्पोन की जाय या न की जाय। यहां पर पोस्पोन किस कारण है। जो रबी का लगान है उसका कंसिडरेशन है कि वह पोस्पोन की जाय या न की जाय। और साथ-साथ, मान्यवर, वे यह भी कहते हैं और एक जुमला आगे कि अब इस २ करोड़ १९ लाख में ६४ लाख रुपया बचा जो वसूल किया जा रहा है। ६९ लाख रुपया पिछला पोस्पोन किया था। गौर कीजिए यह पोस्पोनमेंट का सिलसिला, ६९ लाख पिछला पोस्पोन किया था, ६८ लाख इस साल का पोस्पोन होने का विचार है।

जब सिफारिश आयी कि माफ की जाय तो पोसपोन क्या चीज है? यह रबी का लगान है जिसके बारे में जो मुताल्लिक अफसर थे, डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स चाहे वे तहसीलदार हों, चाहे कलेक्टर हों, चाहे डिप्टी कलेक्टर हों, उन्होंने सिफारिश की कि रेमिशन किया जाय या सस्पेंशन किया जाय। सरकार ने कुछ रेमिशन किया, सस्पेंशन कौड़ी का नहीं किया, कुछ पोस्पोन कर दिया। ये दो जो काम हुए हैं उनमें फर्क है और मैं समझता हूं कि यह इस प्रकार

[श्री त्रिलोकी सिंह]

के रहने वाले लाखों आदमियों की जीविका के साथ, उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ है जो बहुत समय तक नहीं चल सकता। यह घोर अनर्थ है कि किसान की जमीन में बरबादी हुई, उसकी फसल खराब हुई, रिपोर्ट आयी कि रेमिशन किया जाय या सस्पेंशन दिया जाय, यहां महीनों उस पर गौर किया गया और गौर करने के बाद हुक्म क्या दिया कि न रेमिट किया जाय न सस्पेंड किया जाय, पोस्पोन किया जाय इसलिये कि इसमें एक फितरत है।

अगर वह सस्पेंड कर देंगे तो रेवेन्यू मेन्युअल का दूसरा कायदा यह कहता है कि सस्पेंड करने के बाद यदि दूसरी फसल खराब हुई तो वह माफ हो जायगा। मान्यवर, माल मंत्री का यह कहना है कि पोस्पोन्ड रेवेन्यू पर यह कायदा नहीं लागू है। जाहिर है कि करोड़ सवा करोड़ की रकम को, पोस्पोन करने का कोई अधिकार किसी सरकार के अधिकारी को जिसमें मालमंत्री भी शामिल हैं, नहीं है और इस प्रकार अधिकारों का दुरुपयोग करना, लाखों और करोड़ों आदमियों के साथ, मैंने जैसा अर्ज किया इस प्रदेश के ७५ फीसदी हैं, उनके अधिकारों की अवहेलना करना है।

और यह कहां की छूट का जिक्र था? उस इलाके की छूट जहां सरकार की रिपोर्ट के अनुसार आज के दस साल पहले प्रदेश की २६ लाख जोतों में से ४८ फीसदी ऐसी जोतें थीं। दो एकड़ से कम जितनी जोतें उत्तर प्रदेश में हैं, हालांकि वह पूर्वी जिलों की मजरुआ आराजी पूरे प्रदेश की एक चौथाई है पर वहां ऐसी जोतों की संख्या ४५ और ४८ फीसदी के बीच में है जिनके पास १ एकड़, पौन एकड़ या आधा एकड़ से कम जमीन है। उनकी फसल में नुकसान होता है, मान्यवर, उनके साथ यह खिलवाड़ की जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि २ अरब १६ करोड़ रुपया क्या आदरणीय सदन इसी काम के लिये मंजूर करता है कि जिनको हम यह अधिकार दें कि उन लोगों की, जिनकी सेवा करने का भार उनके ऊपर है, उनकी सेवा नियमों के अनुसार न कर सकें?

मान्यवर, मैं यह भी अर्ज करूंगा इस इलाके का हाल, बहुत यहां रिलीफ का जिक्र होता है। दुर्भिक्ष की मिनिस्टरी भी माननीय माल मंत्री की मिनिस्टरी है। दुर्भिक्ष हुआ, नुकसान हुआ, यों ही वहां साधारण तौर पर दुर्भिक्ष है, उसके ऊपर फसल की बरबादी। लेकिन क्या टेस्ट वर्क किया गया। फैमिन कोड में टेस्ट शब्द के माने हैं कि इस बात को टेस्ट करो कि दुर्भिक्ष है या नहीं। इसलिये कम मजदूरी दी जाती है। लेकिन यहां टेस्ट वर्क ६, ६ महीने चलते हैं। कहा जाता है कि टेस्ट वर्क के मामले में क्या कमी है। खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये आबपाशी का इलाका बढ़े। इस टेस्ट वर्क के द्वारा कितने कुएं बने? लाखों रुपया खर्च होता है लेकिन कुएं बनवाने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। और अगर कोई कहता है तो उसकी बात को सुनी अनसुनी कर दी जाती है। मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा टेस्ट वर्क हमेशा इस बात के लिये किये जाते हैं कि आया दुर्भिक्ष है या नहीं? और एक बार परेशानी वहां मालूम हो गई तो फौरन डिक्लेयर करना चाहिये उस एरिया को फेमिन एरिया। जिस कानून के अनुसार टेस्ट वर्क शुरू किये जाते हैं उसी कानून के अनुसार यदि बहुत काफी लोग टेस्ट वर्क में आयें तो वहां का एरिया फेमिन एरिया डिक्लेयर करके रिलीफ मेजर्स शुरू किये जाने चाहिये।

रिलीफ मेजर्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोटेक्टिव और दूसरे तात्कालिक। आइन्दा कोई आपत्ति न आये उसके लिये प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं और फौरन ही कोई आपत्ति है उसको दूर करने के लिये तात्कालिक मेजर्स होते हैं। मैं मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि प्रोटेक्टिव वर्क क्या किये गये? सूखा पड़ा तो सिंचाई के लिये क्या साधन प्राप्त कराये गये? जहां कि कल्टीवेटेड एरिया आज भी बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट वर्क्स से सींचा जाता है। अफसोस की बात है जिस इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका ९५ परसेंट जो इर्रीगेशन होता है वह प्राइवेट वर्क्स से होता है। सरकार से कोई वास्ता नहीं। वहां इस इर्रीगेशन फेसिलिटीज को बढ़ाने के लिये, आइन्दा ऐसी कैफियत पैदा न हो, उसके लिये जो एफेरसिट

के वक्त थे, उसमें सरकार ने क्या काम किया ? मैं माननीय मंत्री जी से, मान्यवर, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि उनके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं कि वह उसे जिम्मेदारी के साथ अदा करें, वह स्वयं अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। लेकिन उस उत्तरदायित्व की अदायगी के जो नियम हैं उनको सरकार के, उनका पालन करके हो सकती है। कुछ उससे आगे बढ़ के, अधिक सहूलियत दे करके हो सकती है। न कि नियमों की पाबंदी तंग नजरी से हो।

अब, मान्यवर, मुझे यह कहना है कि हमारे यहां भूमि की विशेष समस्या है। एक तरफ तो छोटे-छोटे किसान हैं दूसरी तरफ बड़े-बड़े किसान हैं। जो छोटे किसान हैं, मान्यवर, उनके भी खेत बिखरे हुए हैं, एक जगह नहीं हैं। मुद्दत से, जमींदारी अबोलिशन रिपोर्ट को पढ़ा जाय, इसी प्रदेश की सरकार की एप्वाइंटेड कमेटी, कांग्रेस की ऐग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा जाय प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा जाय, सीलिंग होनी चाहिये और जिनके पास उस सीलिंग से ज्यादा जमीन है उस जमीन को ले कर ऐसे लोगों को देना चाहिये जिनके पास भूमि नहीं है। जवाब में कहा जाता है कि अगर सारी जमीन ले ली जाय और ३० एकड़ की सीलिंग मान ली जाय तो बाकी जमीन बहुत थोड़े किसानों को दी जा सकती है। उससे सारे प्रदेश की समस्या हल नहीं होती। मैं एक मिसाल पेश करूंगा। हेल्थ एंड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आंकड़े के हैं कि उत्तर प्रदेश में ५० हजार आदमी टी० बी० से पीड़ित हैं लेकिन अस्पतालों में केवल ढाई हजार आदमियों के लिये बेड्स हैं। अगर हेल्थ के मिनिस्टर यह दलील पेश करें कि वह तो ढाई हजार आदमियों का ही इलाज कर सकते हैं और साढ़े ४७ हजार का नहीं कर सकते लिहाजा यह ढाई हजार का इलाज भी बन्द कर दिया जाय। क्या बात है ? जमीन लीजिये, जितनों को हो सके दीजिये। थोड़ों का ही भला होगा। लेकिन ज्यादा की भलाई के चक्कर में थोड़ों की भी भलाई न करना, उसको टालना यह सोशल जस्टिस, न्याय और सेवा की बात नहीं है। बहुत दिनों तक यह टाला नहीं जा सकता।

चकबन्दी हो रही है। उत्तर प्रदेश में १ लाख से कुछ ज्यादा गांव हैं। वह चकबन्दी इस समय ५ हजार से कम गांवों में हुई है। ३ साल से चकबन्दी का काम चल रहा है। कहा जाता है १५ साल में पूरा होगा। गालिबन यह १५ से २५ जरूर होंगे। जैसा कि सरकार के हर काम की रफ्तार से जाहिर है। २५ वर्ष में जब यह चकबन्दी हो चुकेगी तब तक आबादी बढ़ेगी। फिर इसके टुकड़े होंगे। क्योंकि चकबन्दी में कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो होल्डिंग किसी को मिली है उसका फ्रेगमेंटेशन न हो सके अगर उसके वारिस ज्यादा हैं। फिर चकबन्दी करते कौन हैं ? समरी राइट्स हैं उनके बमूजिब सेटिलमेंट कर दें, सेहत इन्दराज कर दें जिस सेहत इन्दराज के लिये तहसीलदार व डिप्टी के इजलास में दो-दो, और तीन-तीन साल दौड़ना पड़ता है। फिर चकबन्दी का अधिकारी सीधे यूनिवर्सिटी से बी० ए० पास करके आता है जिसकी नियुक्ति अस्थायी है और जो यह नहीं जानता कि पालो, मझार, मटियार इत्यादि कौन सी जमीनें हैं और जो गेहूं, जौ के खेत को अगर पास ला कर समझाया न जाय तो पहिचान भी नहीं सकता उसको अधिकार दे दिये गये हैं। कहा जाता है कि उज्रदारी नहीं करते हो। चकबन्दी कोई उत्तर प्रदेश में अकेली नहीं हो रही है। बम्बई और पंजाब में भी हो रही है। पंजाब का दस्तूर, मान्यवर, यह है :

"Enjoins the Government to contact village bodies at each stage in the preparation of consolidation scheme".

यह लाजमी है कि जो वहां के अधिकारी हैं वे हर मौके पर जांय और गांव के लोगों से मशविरा कर लें। इसी तरह से बम्बई का दस्तूर यह है—

"The Village panchayats are to be consulted at the time of valuation, and to see as far as possible every owner gets a holding of the same size and nature as his original holding".

[श्री त्रिलोकी सिंह]

यानी विलेज पंचायत का हर मौके पर मश्विरा लिया जायगा और यथासंभव हर किसान को जितनी जमीन उसके पास पहले थी उसी मालियत की और उसी नौअइयत की उसे दी जायगी। यह उसको मिल जाय। बम्बई में चकबन्दी चल रही है और मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि पहले हमारे यहां के चकबन्दी के कानून में कम से कम एक-तिहाई आदमियों की राय होनी जरूरी थी, अब नहीं जरूरी है। अब तो लखनऊ से हुक्म निकलता है कि अमुक गांव की चकबन्दी होगी। बम्बई के प्रान्त के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि—

"Majority of land-owners may compel the minority to accept, for the benefit of all, the decision taken in favour of the work".

सारे लोगों के हित के लिए मेजारिटी अल्पमत को मजबूर कर सकती है किसी फैसले को मानने के लिए, लेकिन यहां तो बहुमत और अल्पमत का सवाल ही नहीं है, यहां तो सरकारी डंडा चलता है। कोई उज्रदारी नहीं सुनी जा सकती और मानमाने ढंग से मालगुजारी ली जाती है।

मैं यह भी अर्ज करूं कि ऐसी जिम्मेदारी का काम जो कि मालगुजारी, चकबन्दी वगैरह का किया जाता है वह तजुर्बेकार अफसरों के द्वारा होना चाहिये। भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी की शिकायत करो, मैं निकाल दूंगा। यह एक अलग उसूल है कि कोई शिकायत कर दी तो किसी को निकाल बाहर कर दिया गया, जांच भी नहीं, होगी टरमिनेशन आफ सर्विस हो गई।

उधर कलेक्शन के नायब तहसीलदार आरजी हैं, ६ वर्ष हो गये। सन् १९५२ में जमींदारी एबालिश हुई। हो सकता है कि आप ऐसा कानून पास कर दें कि लोग अपनी मालगुजारी स्वयं ले जाकर सरकारी खजाने में जमा कर दें। जब ऐसा होगा तो उनकी नौकरी खत्म कर दी जायगी। उनको परमानेंट न करके इस बात का मौका और लालच दिया जा रहा है कि न जाने क्या होगा, उनको अन्देशा भी है कि हम निकाल न दिये जायं खासकर जबकि माननीय मंत्री जी का यह ऐलान है कि कोई चकबन्दी के खिलाफ शिकायत करे तो हम निकाल देंगे, तो वे खूब पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनको हमेशा यह डर बना रहता है कि न जाने कब कुड़ी कर दिये जायं। यह कहां का उसूल है? मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि इस सदन में उन्होंने ऐसा कहा था और इस पर वह अमल कर रहे हैं। लेकिन जरा उन किसानों से जाकर पूछिये कि उनकी कैसी लूट हो रही है। जिनके पास अच्छी जमीन है उनको खराब दी जा रही है। इस चकबन्दी से राज्य का फायदा नहीं होने वाला है। चकबन्दी का खर्चा भी किसान दें, लेकिन उनका कोई मशविरा नहीं, कोई राय नहीं। मैं बम्बई के बारे में अर्ज करूं,

"Government generally meets a considerable part of the cost and makes grants and loans to cover that part which is met by the parties concerned."

यानी ज्यादातर खर्चा तो सरकार खुद देती है और अगर उसका बोझ किसान पर आता है तो रुपये की अदायगी के लिये सरकार कुछ बतौर रिआयत के कर्ज भी देती है ताकि तुरन्त उसको रुपया न देना पड़े। लेकिन हमारे यहां क्या है, किसान को देना पड़ेगा। जब तक हमारे लैन्ड रेवेन्यू कानून में परिवर्तन नहीं होता है तब तक इस प्रदेश के ७५ फी सदी लोगों की दशा में कोई सुधार नहीं हो सकता।

मैं मुख्तसरन फिर दोहराये देता हूं। पहले लैन्ड होल्डिंग के ऊपर सीलिंग होनी चाहिये। उस सीलिंग से जिसके पास ज्यादा जमीन हो वह लेकर ऐसे लोगों को बांटी जाय जिनके पास जमीन नहीं है। दूसरी बात, जमीन का लगान यकसां होना चाहिये, चाहे वह जमीन भूमिधर जोते, चाहे सीरदार या ऐसा सीरदर जोते जो अभी अधिवासी से सीरदार हुआ हो। यह नाद-नाव रेवेन्यू का जाना चाहिये। कलेक्शन की एजेंसी परमानेंट होनी चाहिये, टेम्पोरेरी

स्टाफ से कभी अच्छा काम नहीं हो सकता। चकबन्दी बिना गांव वालों की मन्शा के नहीं होनी चाहिये चकबन्दी का खर्च सरकार दे। अगर कुल सरकार न देना चाहे तो अधिकांश दे और बाकी लोन ऐडवान्स करके दिया जाय। सेहत इन्दराजात के मुकदमों के लिये ज्यादा से ज्यादा ६ महीने की अवधि कर दी जाय। कहा जा सकता है कि हम अदालतों के लिये ६ महीने कैसे मुकर्रर करें। लकिन मैं अर्ज करूं कि एलेक्शन पेटीशन्स में पहले ३, ४, ५ वर्ष लगते थे, कानून बना दिया गया कि 'ऐज फार ऐज पासिबिल ६ महीने में हो' और नतीजा हम यह देखते हैं कि खटाखट फैसले हो रहे हैं। साल भर के अन्दर ३/४ पेटीशन्स डिसपोज आफ हो गयीं। तो इस तरह का कानून बनाना किसी अदालत के मान को ठेस नहीं पहुंचाना है, न उसके अधिकारों का किसी प्रकार अपहरण है।

दुर्भिक्ष के बारे में सरकार को विवकली रिऐक्ट करना चाहिये। तकलीफ हो नहीं कि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट और सरकार की जो नीति है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिये। जैसे ही कोई अन्देशा हो उसकी रिपोर्ट हो, जांच हो और उसकी जांच के लिये गांव वालों का मश्विरा जरूरी है। बिना गांव वालों के मश्विरे के यह काम नहीं चल सकता और उनके मश्विरे के बाद जो छूट देनी हो, जो मुल्तवी करना है उसका ऐलान होना चाहिये। छूट का पर्चा जो नियम है उसके अनुसार किसानों को देना चाहिये ताकि कोई उनको चरका और धोखा न दे सके। और मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो फ्लड के एरियाज हैं, वहां पर जहां सूखा पड़ रहा हो, जो एरियाज ऐसे हैं कि जरा में ही वहां की हालत खराब होती है वहां के लिय प्रोटेक्टिव वर्क्स बनाने चाहियें, कोई ऐसी योजना तैयार करनी चाहिये कि अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसी आफत आये तो उस आफत की हालत में उनके पास रोजी कमाने का दूसरा जरिया होना चाहिये।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक के अन्तर्गत २,१६,८५,९७,५०० रुपये खर्च करने की योजना है। श्रीमन्, मुझे कहना यह है कि १९५८-५९ का ११२ करोड़ का बजट पेश किया गया है लेकिन खर्चा २,१६,८५,९७,५०० रुपये है। राज्य की जो इतने भारी टक्सशन से आमदनी है वह १०८ करोड़ रुपये है और खर्च उससे दूना हो रहा है। आखिरकार यह दूनी रकम जो खर्च हो रही है वह किस प्रकार से जुटायी जा रही है, उसका जिक्र कर देना भी अपना कर्त्तव्य समझता हूं। श्रीमन्, १० करोड़ राज्य की आय और ४०,२०,३०,४०० रुपये संचित निधि से सरकार ने निकाले हैं। मेरा कहना यह है कि संचित निधि एक ऐसी निधि है जिससे रुपया आड़े समय पर निकालना चाहिये। मान लीजिये, उत्तर प्रदेश पर पाकिस्तान का हमला हो जाय या अकाल पड़ जाय या कोई भीषण स्थिति उत्पन्न हो जाय तो ऐसी दशा में संचित निधि से रुपया निकालना चाहिये न कि मामूली कामों में इसमें से रुपया निकाल कर खर्च कर दें। आखिरकार आप की यह संचित निधि कब तक चलती रहेगी और जब हमारा सारा रुपया संचित निधि का खत्म हो जायगा और कोई संकट पैदा हो गया तो उस समय क्या करेंगे? हमें उसी तरह से चलना चाहिये जितनी हमारी चादर हो और उसे देख कर ही पैर फैलाना चाहिये।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वह बतलायें कि आखिरकार आज संचित निधि में कितनी रकम है जिसको आप हर साल लेते जा रहे हैं। पिछले साल २२ करोड़ रुपया लिया गया था, बाकी ६८ करोड़ रुपया कर्जा लेंगे। इस प्रकार से २ अरब १६ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं आप को बताना चाहता हूं कि कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और कर्ज की फेहरिस्त, स्मृति-पत्र के पृष्ठ १२६, की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। ३१ मार्च, १९५७ को २,३८,७७,११,००० रुपया शेष था। १९५७-५८ में ८६,६६,०९,००० रुपया कर्ज लिया गया और ४५,८८,११,००० रुपया दिया गया। ३१ मार्च, १९५८ को जो शेष रहा वह २,७९,५५,०९,००० रुपया था यानी १९५७ से यह रकम काफी बढ़ गयी। अब १९५८-५९

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भजन लाल]

में १,०४,२३,१५,००० रुपया लिया और ५५,३९,७८,००० रुपया दिया गया। इस तरह से ४८,८३,३७,००० रुपया और देने को पड़ा है। अब १९५८-५९ को शेष रह गया कर्जा ३,२८,३८,४६,००० रुपया। इससे साफ जाहिर है कि हमारा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और हम उसकी अदायगी नहीं कर पा रहे हैं और संचित निधि से जो रुपया लिया जाता है वह ब्याज वगैरह से खर्च हो जाता है। ४० करोड़ रुपया लेते हैं और ३९ करोड़ कर्जा और ब्याज में दे देते हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार अपनी आमदनी में से और ब्याज का रुपया नहीं भुगता पा रही है। अगर हमारी स्थिति यही रही तो आगे चल कर हमारी क्या दशा होगी? यहां पर उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता बैठे हुये हैं, माननीय सदस्यगण, उनसे मैं अर्ज करूंगा कि वे ज्यादा खर्चा न बढ़ायें। ऐसी चादर बनायें कि जिसे ओढ़ कर अपना सिर ढक सकें। मान लीजिये, जब यह रकम खर्च हो जायगी उस समय क्या करेंगे? जो उस समय हम करेंगे वह आज ही क्यों न करें? आज से ही शुरू कर दें तो सकता है कि भविष्य में वह स्थिति न आये। मैं इसलिये संकेत कर रहा हूं ताकि आप संभल जाय और उत्तर प्रदेश को अधःपतन के कूप में न डालें और स्थिति अच्छी बनाये रखें। तभी उत्तर प्रदेश सफलीभूत होगा और इसकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति अच्छी बन सकती है।

श्रीमन, गोरखपुर जिले में हिन्द किसान पंचायत के अध्यक्ष, श्री योगेन्द्र जी, को १८ मार्च, ५८ को गिरफ्तार किया गया इसलिये कि उनके ऊपर मालगुजारी बकाया थी। उनके खाते में ५,६ आदमी साझेदार थे जिससे रंजिश थी। तहसीलदार ने मालगुजारी मांगी तो इन्होंने कहा कि मेरे हिस्से को ले लीजिये और बाकी उन लोगों से लीजिये। वह नहीं माने और उनको गिरफ्तार कर के जेल में बन्द कर दिया गया। तहसील में तीन दिन तक बन्द रखा और २४ घंटे हवालात में बन्द रखकर उनको जेल में भेजा गया। जेल के अन्दर इस तरह की यातना दी गई जिसके सम्बन्ध में उग्रसेन जी, एम० एल० ए०, के पास उन्होंने जेल से पत्र लिखा है। एक पत्र २३ मार्च को माननीय मुख्य मंत्री के पास उन्होंने भेजा है कि इस प्रकार के जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं। इस तरीके से वहां पर मालगुजारी वसूल की जा रही है।

अब मैं अपने जिले की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यों तो, श्रीमन्, मैं चकबन्दी के सम्बन्ध में विशेषरूप से कल कहूंगा लेकिन अब भी कुछ उसकी ओर इशारा कर देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मैंने चकबन्दी के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री जी को कई प्रार्थना-पत्र भेजे हैं जिनमें वहां के काश्तकारों की शिकायतें थीं। वे शिकायतें माननीय माल मंत्री जी के पास सीधी आई हैं। मैंने भी उनको पत्र लिख कर उन शिकायतों के बारे में आगाह किया। यहां से लिख कर भेजा गया कि उनके ऊपर वैभागिक कार्यवाही हो रही है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहां का एक बेचारा काश्तकार बांसलपुर गांव का, जो अजीतमल थाने में पड़ता है, रहने वाला है। उसने एक जमीन १,३०० रुपये में २ एकड़ २, ३ साल हुए मोल ली थी। जिस समय चकबन्दी हो रही थी तो हमारी गवर्नमेंट के ए० सी० ओ० ने वहां के मुखिया और प्रधान से मिल कर अच्छे-अच्छे जो खेत थे उनको उनके खाते में डाल दिया। उस बेचारे काश्तकार को बड़ा दुख हुआ। उस मौके पर मैं स्वयं उस गांव में गया था और मैंने मौके पर जो जांच की तो बिलकुल नक्शे से साफ जाहिर हो गया कि स्थिति क्या है और अधिकारीगण क्या कर रहे हैं। उस को २ एकड़ का तालाब नाप दिया गया। मैं मौके पर गया और तालाब को देखा। मैंने कहा कि यह तालाब जो काश्तकार को दिया गया है क्या उस में सिंघाड़े की बेल लगा कर वह खेती करेगा। वहां इसकी जांच करने के लिये ए० डी० एम० महोदय भी गये। मैं भी वहां पर मौके पर था। वहां पर ५०० आदमी ५० गांवों के इकट्ठा हो गये। खरीफ की फसल का यह इन्तजाम हुआ कि जिन लोगों ने अपने खेत जोते बोये थे वे फसल काटें और उसके बाद जून के गर्मी के महीने में दखल बदल दिये जायंगे, यह निर्णय हो चुका है। इसके बाद, श्रीमन्, होता क्या है कि अभी अभी रबी की फसल जिस समय कटने के लिये हुई तो उस समय वे जब अपने खेत काटने लगे। खेत के काटने पर मुखिया

और प्रधान की पार्टी ने थाने में सूचना दी। ए० डी० एम० की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई लेकिन थाने में सूचना देकर वहां के थानेदार साहब ने जिसने खेत जोता बोया था उस को पकड़ कर बन्द कर दिया। बन्द करने के बाद वहां की स्थिति और भीषण होती गई। उस गांव में आग भी लगाई गई। कुछ आदमी गिरफ्तार भी किये गये। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक आदमी की जवान लड़की घर में रह गई। उस बेचारी लड़की को मारा पीटा दूसरी पार्टी वालों ने। इस सम्बन्ध में काफी झंझट चला। मैंने भी ए० डी० एम० से कहा कि यह क्या बात है। उन्होंने कहा कि उनका कोई आदेश नहीं था। इस प्रकार से चकबन्दी के सम्बन्ध में धांधली चल रही है। इस सम्बन्ध में मैं विशेष नहीं कहूंगा। कल जब समय मिलेगा तो इस पर प्रकाश डालूंगा।

मेरा तो अन्तिम कहना यही है कि हमारे मन्त्रिगण अगर अपने देश को ऊंची श्रेणी पर पहुंचाने का दावा करते हैं और उस दावे में हम और आप सभी शरीक हैं तो हम ऐसा बजट पेश करें और इस प्रकार से हम अपने देश में कुटीर उद्योग-धन्धे चलायें जिससे हमारा देश ऊंची श्रेणी को प्राप्त हो और विश्व में अपना स्थान रख सके, लेकिन इस बजट में हम देखते हैं कि २ अरब १६ करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। मुझको देख कर ताज्जुब हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछूंगा कि वे अपना सदन के सामने यह स्पष्टीकरण कर दें कि आखिरकार संचित निधि में कितना रुपया है जिसे हम खर्च कर रहे हैं और संचित निधि के रुपये को.....

श्री अध्यक्ष— क्या आप भाषण जारी रखेंगे?

श्री भजनलाल— जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आप बाद में भाषण जारी रखियेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री भजनलाल—श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, आज इस प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की समस्या अत्यन्त दयनीय है। जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट ३०, जून १९४५ के आधार पर हमारे प्रदेश में २० एकड़ के ऊपर की जातों का रकबा ६८,८१,०४३ एकड़ है। अगर २० एकड़ के हिसाब से जमीन दी जाय तो १८,०५,०६७ खातेदार होते हैं। २० एकड़ तक जमीन देने पर हमारे पास २१,७६,७०५ एकड़ जमीन शेष रहती है। इसके अलावा हमारे प्रदेश में ९० लाख एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है जो उपजाऊ बनाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश के खेतिहर मजदूरों की संख्या १९५१ की जनगणना के आधार पर ३६,१२,२०२ है। ५ यूनिट के हिसाब से हमारे यहां परिवारों की संख्या ७,२२,४४१ होती है। इनकी समस्या हल करने के लिये ९० लाख एकड़ जमीन को तुड़वाया जाय। इसे तुड़वाने के लिये एक भूमि सेना बनाई जाय जिसका खर्च सरकार बरदाश्त करे। जब उस जमीन में फसल पैदा होने लगे तो उस सेना के लोगों को उस पर मौरूसी हक़ दे दिये जावें। इस प्रकार उनके पेट की सदियों से धधकती हुई ज्वाला शान्त होगी। हमारी अन्न की समस्या भी हल होगी।

दूसरी बात मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं। १९५७ में सोशलिस्ट पार्टी के सत्याग्रह में हम सब लोग जेलों में बन्द थे। उस समय नेहरू जी ने जो बाहर गये हुये थे, वहां से पत्र केन्द्र को भेजा कि हमारे देश में अन्न का उत्पादन कम क्यों हो रहा है। उसके उन्होंने दो ही कारण बताये थे। एक तो यह कि समय पर फसल को पानी नहीं मिलता है और दूसरा यह कि आबपाशी के रेट बढ़े हुये हैं। अभी-अभी फाल्गुन के महीने में इटावा जिले में निवारी रजबहे से फसल को समय से पानी न मिलने से मटर की लाखों मन फसल स्वाहा हो गई।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य का भाषण बजट के सामान्य वादविवाद की तरह से हो रहा है। वे यह भी बतलावें कि इन सब बातों का विनियोग विधेयक से क्या सम्बन्ध है। ऐसा न करने से उनका भाषण बिलकुल असंगत हो रहा है।

श्री भजनलाल—यह बजट २ अरब १६ करोड़ का स्वीकार होने जा रहा है जो इन सारे विभागों से सम्बन्धित है। इसलिये मैं उनकी ओर कुछ संकेत करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—परन्तु यह भी बताते जाइये कि इनका इस विनियोग विधेयक से यह सम्बन्ध है।

श्री भजनलाल—बहुत अच्छा। मैं यह कह रहा था कि सिंचाई के सम्बन्ध में कुछ बांधलियां भी होती हैं, जैसे वक्त पर पानी न मिलना और अधिकारियों की लापरवाही होना। इससे हमारी उपज घटती है। इस कारण मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं कि सरकार को यह रुपया नहीं मिलना चाहिये।

आज जेलों में ठीक तरह से भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गेहूं में कंकड़ होते हैं, दाल ठीक नहीं बनती है, पानी की हौदियों में कनखजूरे पाये जाते हैं। जेलों में लाठी चार्ज होना, जबरदस्ती अंगूठे लगवाया जाना न्याय संगत बातें नहीं हैं। जेलों में हवालातियों के साथ मानवता का बर्ताव होना चाहिये। उनसे समान व्यवहार के रूप में मिलना हो, उनकी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाय और उनसे लिये जाने वाले काम के हिसाब से खर्चा काट कर, उन्हें मजदूरी मिलनी चाहिये। जेलों में गेहूं ठेकेदार के जरिये से आता है। उसमें कूड़ा कबाड़ा या ग़लत तरीक़े का ग़ल्ला सप्लाई किया जाता है जो कैदियों को खाना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि हर जिले में कोआपरेटिव का स्टोर हो जिससे जेल में अच्छा गल्ला सप्लाई होकर कैदियों को अच्छा भोजन मिल सकता है।

श्रीमन्, मैं पुलिस की ओर भी कुछ इशारा करना चाहता हूं। आजकल पहले की बनिस्बत चोरियां, डकैतियां, क़त्ल, रहजनी वग़ैरह बढ़ रही हैं। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पहले के आंकड़ों को देखकर बढ़ोत्तरी के लिये उचित व्यवस्था करने का प्रबन्ध करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—श्री भजनलाल जी, मैं फिर ध्यान दिलाता हूं कि आपका भाषण बिलकुल असंगत हो रहा है। पुलिस के अनुदान के समय ये सारी बातें कही जा चुकी हैं। आप फिर उनके बारे में सुझाव दे रहे हैं, कभी चोरी डकैतियां बढ़ा रहे हैं लेकिन आप ने यह नहीं बताया कि इसका रेवेन्यू से या इस बिल से क्या सम्बन्ध है। अगर आप यह कहते कि पुलिस में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, बहुत अपव्यय हो रहा है, तब तो कोई बात हो सकती थी, लेकिन यह जो आप बहस कर रहे हैं, ये बातें जनरल डिसकशन के समय कहीं जा सकती थीं, पुलिस के अनुदान के समय कही जा सकती थीं।

श्री भजनलाल—इसके सम्बन्ध में मैं यह कह रहा हूं कि यह जो बिल पेश है और यह जो बजट पेश है, उसमें से ही ये सारी रकमें ली जायंगी। इन बातों को कहने का मेरा मतलब यही है कि हमें उतना ही कदम आगे बढ़ाना चाहिये जितनी हमारी चादर हो। आज हर साल बजट की रकम बढ़ती जा रही है, हर साल कर्ज की बढ़ोत्तरी हो रही है। इसलिये मैं इसी ओर इशारा करूंगा कि ज्यादा कर्जा न लिया जाय, संचित निधि का रुपया ज्यादा खर्च न किया जाय। उस को सुरक्षित रखते हुये हम ऐसा कार्य करें कि उत्तर प्रदेश की जनता को सच्चा लाभ पहुंचा सकें, उसको सुख और सुविधा प्रदान कर सकें, उसको शिक्षित कर सकें, उसके सामाजिक जीवन का उत्थान कर सकें। कहीं ऐसा न हो कि २-३-४ साल में संचित निधि समाप्त हो जाय, हमारे पास पैसा न रहे और किसी किस्म का दैवी प्रकोप हो जाय या और कोई बात हो जाय तो उस समय हमें हाथ फैलाना पड़ेगा। हमको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये ताकि हमें दूसरों का मुंह न ताकना पड़े और उतना ही काम हमें करना चाहिये जितना हमारा मुनाफा हो। मैं संबंधित मंत्रिगण से माननीय अधिष्ठाता के द्वारा यही कहूंगा कि हम ऐसे कारनामें करें जिनसे हमारे प्रदेश की दशा न बिगड़े बल्कि दिन प्रति दिन संभलती जाय। इस प्रकार से हम अपने अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जायं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)— अधिष्ठाता महोदय, १९५८-५९ का जो बजट सदन के सामने पेश किया गया था, उस के अन्दर जितने अनुदानों की मांग की गयी थी, सदन ने उन सब को स्वीकार कर लिया और आज एप्रोप्रियेशन बिल के द्वारा सरकार सदन से यह अनुमति चाहती है कि जो धनराशियां स्वीकृत की गयी हैं उनको कन्सोलीडेशन फण्ड से निकालकर खर्च करने की अनुमति दी जाय। ऐसे मौकों पर सदन का यह अधिकार है कि जिन्हें डिबेट के अवसर पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव मंत्रिमंडल को दिये हैं, उनके लिये ऐसी आशा की जाय कि उनके ऊपर सरकार ध्यान देगी। इस समय उसका यह आशा करना स्वाभाविक है कि सदन जो आपको इस धनराशि को खर्च करने की अनुमति देता है, वह आप से कुछ थोड़ी सी आशायें भी करता है।

मैं समझता हूं कि जो अनुदान पास भी हो गया उस के यह मानी नहीं हैं कि उन सब आइटम्स के ऊपर पैसा खर्च ही हो जाय। एक साल का मौका सरकार के सामने है और फाइनेंस डिपार्टमेंट को चाहिये कि वह इन अनुदानों की छानबीन करे क्योंकि मैं जानता हूं कि जो एस्टीमेट्स बनते हैं उनमें हर आइटम पर जितनी केयर होनी चाहिये उतनी नहीं होती है। यह हर साल देखा जाता है कि १-२ बार सप्लीमेंटरी बजट आता है और उनमें भी वे आइटम्स होते हैं जिनको जनरल बजट के पेश होने के समय ही आ जाना चाहिये। यह तथ्य है और माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को माना भी था कि सेविंग्स हुयीं। सेविंग्स इसलिये नहीं हुयीं कि उस आइटम के बारे में ऐक्सपेंडीचर कम हुआ बल्कि सेविंग्स इसलिये हुयी कि काम ही न हो सका। तो इस प्रकार से एस्टीमेट बनाते वक्त हर विभाग को अत्यन्त जागरूक होना चाहिये। मान्यवर, मेरे पास उन आइटम्स की एक लिस्ट है, जिनके ऊपर मैं चाहता हूं कि सरकार अभी खर्च न करे। मगर मैं इस वक्त उस को पढ़ कर हाउस का वक्त नहीं लेना चाहता। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह कामों के लिये प्रायरिटी फिक्स करे। मैं सब से ज्यादा जोर इस बात पर देता हूं कि हर खर्च के अन्दर इकोनामी होनी चाहिये, बचत होनी चाहिये और मुझे इस बात की खुशी है कि इस प्रदेश में तीन-चार साल से एक एकोनामी कमेटी बैठी है और उसने बड़ी मेहनत से काम किया है जिसके लिये मैंने उसे जनरल डिबेट के वक्त भी धन्यवाद दिया था और आज फिर उसके सदस्यों को बधाई देता हूं। मगर मैं आशा करता हूं कि तीन, चार साल के अन्दर इकोनामी कमेटी ने जो मेहनत की है और उसमें जितना भी काम किया है, जो जो सिफारिशें की हैं, उस की एक रिपोर्ट छपनी चाहिये और हमारे सामने आनी चाहिये। सरकार से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह उन तमाम सिफारिशों को इम्पलीमेंट करेगी। हम यह देखते हैं और यह सही बात है कि हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि उस को कम किया जाय और उसके दो तीन तरीके आज मेरे दिमाग में आते हैं। खर्चा कम करने का एक तरीका तो यह है कि जो ऊंची तनख्वाहें हैं उनको कम करें। इस बात को हम कई साल से कहते आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक बात यह कही जाती है कि अगर हमने कुछ आदमियों की तनख्वाह कम भी कर दी और उनको छोटे अफसरों में बांट दी तो उससे उन लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। मान्यवर, हमने यह कभी नहीं कहा कि बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाह कम कर के छोटे कर्मचारियों को बांट दी जाय। मैं तो एक बात कहता हूं कि इस बात को हम भी जानते हैं कि अगर उनकी तनख्वाह कम कर के ४०,५० लाख रुपये की बचत कर भी ली तो उससे हमारे इस बजट पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है लेकिन मेरा खयाल यह है कि अगर बड़े अफसरों की तनख्वाह कम कर देंगे तो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी जो ऊपर और नीचे वालों के बीच में दिखलायी पड़ती है, वह कम हो जायगी और इसका साइकोलाजिकल एफेक्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम मान लें कि चीफ सेक्रेटरी को ३,५०० रुपया मिलता है और एक चपरासी को ५० रुपया मिलता है, तो यहां डिस्पैरिटी १ और ७० की है, जब कि चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह घटा कर २,००० रु० कर देंगे तो डिस्पैरिटी १ और ७० से घट कर १ और ४० हो जायगी। इसका साइकोलाजिकल असर हमारे प्रदेश पर पड़ेगा और एक नयी भावना जागृत होगी। इसलिये मैंने उस पर जोर दिया है। यह कहा जाता है कि यह आल-इंडिया

[श्री नवल किशोर]

सर्विस की बात है, यह सही है कि ये लोग गवर्नमेंट आफ इंडिया के अंडर हैं जिससे हमारे सामने बड़ी भारी कठिनाई है। मैं जानता नहीं हूं और यह समुचित भी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी के ऊपर यहां खड़े हो कर कोई टिप्पणी करूं। लेकिन, मान्यवर, आप के द्वारा और इस हाउस के द्वारा गवर्नमेंट आफ इंडिया से इस बात की दरख्वास्त करना चाहता हूं कि या तो अपने यहां की पे स्केल को कम करें या उनका यह फर्ज है कि स्टेट्स को काफी पैसे से सबसिडाइज करें ताकि वे अपने यहां की पे स्केल को उनके स्टैंडर्ड तक पहुंचा सकें। इस बात में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक ही क्वालिफिकेशन के आदमी को गवर्नमेंट आफ इंडिया के अन्दर ज्यादा पे मिले और स्टेट वालों को कम मिले। इससे स्टेट्स के अन्दर असन्तोष पैदा होता है।

ब्यूरोक्रेसी जैसे यहां स्ट्रांग है, वैसे ही केन्द्र में भी वह स्ट्रांग है, और उनके काम करने का एक अजीब तरीका है। आज कल हर विभाग इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसका केडर आल-इंडिया सर्विस का हो। चाहे इनफार्मेशन हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, सभी इस तरह की कोशिश में हैं। राज्य सरकार को चाहिये कि वह इस तरह के प्रपोजल्स का अपोज करे क्योंकि यही एक तरीका है कि तनख्वाह बढ़ने की आशा में लोग स्टेट से सेंटर में जाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी यह अपील गवर्नमेंट आफ इंडिया तक पहुंचा दी जाय।

एक बात मैंने पिछले साल यह भी देखी और हमको मालूम हुआ कि जितने असिस्टेन्ट सेक्रेटरी थे उनको अण्डर सेक्रेटरी बना दिया गया और इस साल जतने पी० सी० एस० अण्डर सेक्रेटरी थे उनको ओवर नाइट डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया गया। मैं नहीं समझता कि यह कोई अच्छा कदम इकनामी की तरफ उठाया गया है। हो सकता था कि दो, चार या एक, दो कोई सीनियर अन्डर सेक्रेटरी हों उन को वह पद दे दिया जाता लेकिन सब को एक दम से बना दिया गया, इस का मतलब मैंने अपने दिमाग में यह निकाला कि इस बात की कोशिश है कि चूंकि अन्डर सेक्रेटरी के लिये टेलीफोन की सुविधा नहीं है, वह उनको मिल जाय और ५० रुपये का इन्क्रीमेंट दिया जाय, ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं कि जिनसे डिसकंटेंटमेंट फैलता है और अगर यह चीजें न हों तभी एक हेल्दी वातावरण पैदा हो सकता है। मैंने यह भी सुना है कि जो लोग डी० पी० ओज कहलाते थे उनको भी ए० डी० एम० कर दिया गया, केवल नाम का ही बदलाव हो तो आप उन्हें गवर्नर जनरल कह दें कोई एतराज नहीं है या आप उन्हें डी० एम० कह दीजिये लेकिन जो बड़े-बड़े नाम हैं, बड़े-बड़े पद हैं उनके साथ बड़े-बड़े पे-स्केल्स भी चलते हैं वे जरूरी नहीं हैं, जो काम डी० पी० आज० कर सकते हैं कोई वजह नहीं थी कि उनकी जगह ए० डी० एम० रखे जायं और एक अविक बोझ और खर्च बढ़ाया जाय। मैं सेक्रेटेरियट की बात जानता हूं कि यहां एक पे-कमेटी बैठी और बहुत से स्केल और पद बने और रिवाइज हुए और मैं दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कह सकता हूं कि यू०पी० सेक्रेटेरिएट के जो पे-स्केल्स हैं वे सारे देश में हाईएस्ट पे-स्केल्स हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया को छोड़ कर। मैं यह नहीं कहता कि एक बार जो पे-स्केल्स दे दिये गये उनको कट किया जाय क्योंकि उससे तो मायूसी पैदा होगी लेकिन मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये सब बातें सोचने की हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहां आ० एस० डीज०, ऐडवाइजर्स और सात-सात, आठ-आठ तरह के केडर्स हैं सेक्रेटरीज के, मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारे यहां ऐडमिनिस्ट्रेशन में सादगी आनी चाहिये, कोई जरूरी नहीं है कि एक कागज सात-आठ जगह जाय, उस से डिले भी होती है और रेडटेपिज्म भी बढ़ता है। इसके बाद मैं, श्रीमन्, आप के द्वारा दो, तीन बातें मंत्रिमण्डल से सेक्रेटेरिएट के बारे में और कहूंगा।

सेक्रेटेरिएट के अफसरान के बारे में यह कानून है कि तीन, चार या पांच साल की स्टैंडिंग के बाद यहां से अफसरों का ट्रान्सफर जिले को हो जाना चाहिये लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार ने इधर कुछ ध्यान भी दिया है मगर मेरी इत्तला है कि यहां काफी तादाद में ऐसे अफसरान आज भी हैं जिनको सात, आठ या १२ साल तक का समय सेक्रेटेरिएट में हो गया है। मेरा खयाल है

कि इससे एक से खतरा यह पैदा होता है कि सेक्रेटेरिएट में क्लिक्स पैदा हो जाते हैं और कुछ पाकेट्स आफ इन्फ्लुएन्स बन जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और कोशिश करे कि जो लोग अधिक समय से सेक्रेटेरिएट में हैं उन को हटा कर जिलों को भेजे और उनकी जगह दूसरे लोगों को यहां काम करने का मौका दें।

स्पेशल पे और कम्पेनसेटरी अलाउन्स की बात भी एक जमाने से उठायी जाती रही है। मैं नहीं समझता कि इसकी क्या जरूरत है। कवाल टाउन्स में सरकार ने जिलों के एलाउन्स कम किये हैं मगर आज भी काफी संख्या ऐसे अफसरान की है जिनको ये दोनों भत्ते दिये जाते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सेक्रेटेरिएट में ११ बजे से काम शुरू होता है और ५ बजे खत्म हो जाता है, कुल ६ घंटे का काम है और मेरा यह भी खयाल है कि अगर ११ बजे आप टेलीफोन करें तो आधे विभागों के डिपार्टमेंटल हेड्स सेक्रेटेरिएट में नहीं पहुंचते और आने के बाद १ बजे फिर उठ जाते हैं और उसके बाद फिर ३, साढ़े ३ बजे आते हैं और फिर ५ बजे चले जाते हैं, इस तरह से तीन या साढ़े तीन घंटे काम करते हैं। यह हालत है काम की जो मैंने अभी आप के सामने रखी।

एक बात मैं यह भी कहूंगा कि सभी लोग एकोनामी की बात करते हैं, सब चाहते हैं कि एकोनामी हो और मैं चाहता हूं कि "एकोनामी शुड बिकम एन आर्टिकिल आफ फेथ विद एवरीबडी" लेकिन मुझे दुःख है कि हमारी चेष्टा इस दिशा में कुछ हाफ हार्टेड सी होती है। हमें ऐसे तरीके अख्तियार करने चाहिये जिन से हम हर दिशा में बचत कर सकें। मैं अब भी विश्वास करता हूं कि हर इन्सान अगर फ्राम टाप टू बाटम इस बात की कोशिश करे कि हमको एकोनामी करना है और ड्रास्टिकली एकोनामी करना है तो आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ११२ करोड़ का जो हमारा बजट है उसमें छः सात करोड़ की एकोनामी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और कोई वजह नहीं है कि उस को हम न करें।

एक बात इसमें यह भी है जिससे कि हमारा बोझ बढ़ता है। आये दिन नयी-नयी पोस्ट्स पैदा होती जाती हैं। आपस में कोआर्डिनेशन नहीं है। डिपार्टमेंटलिज्म भी है। मैं केवल एक ही एग्जाम्पिल इस सम्बन्ध में देना चाहता हूं। स्माल सेविंग्स का एक ड्राइव शुरू हुआ। इतना बड़ा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं, हेडक्वार्टर पर काफी आदमी हैं लेकिन हमने देखा कि स्माल सेविंग्स का काम करने के लिये एक नया डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया। लिहाजा तमाम अफसरान पैदा हो गए। अगर कोआर्डिनेशन की बात होती तो जो ए० डी० ओज० और वी० एल० डब्ल्यूज० थे वे इस काम को भी कर सकते थे। मैंने यह सिर्फ एक एग्जाम्पिल दी नान-कोआर्डिनेशन की। इस सम्बन्ध में अगर इन्क्रीचमेंट न हो तो एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारे जो भिन्न-भिन्न मन्त्री लोग हैं उनके पास जो पोर्टफोलिओज हैं अगर उनका भी कोई एक सही बेसिस बनायी जाय तो मैं समझता हूं कि उनके अन्दर भी काफी कोआर्डिनेशन हो सकता है और सेविंग भी कुछ हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं आप से अर्ज करूं जैसे एजूकेशन की बात है, मेरी अपनी फीलिंग यह है कि एजूकेशन चाहे टेक्निकल हो चाहे जनरल हो, एक जगह होना चाहिए। ऐग्रीकल्चर और रेवेन्यू एक जगह होना चाहिये। इंडस्ट्री हेवी हो, चाहे काटेज हो, एक जगह होनी चाहिये। पावर और इर्रीगेशन एक जगह होना चाहिए। मैं यह कोई हार्ड ऐंड फास्ट रूल की बात नहीं कर रहा हूं और कोई भी इसका मंत्री हो इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं यह देखता हूं कि एक-एक सेक्रेटरी अटैच्ड है चार-चार, पांच-पांच मिनिस्टर्स से। इसमें भी उसको काफी दिक्कत पड़ती है और काफी दौड़ धूप उसको करनी पड़ती है। अगर ऐसा कर सकें तो उस के अन्दर भी बहुत काफी एकोनामी हो जायगी।

एक चीज और है। यह जो इंजीनियरिंग विभाग है जो करोड़ों रुपया खर्च करता है, इसमें खास तौर से हम यह देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हुई, करोड़ों रुपया इसके द्वारा खर्च हुआ। दूसरी चालू है। इसके बाद तीसरी भी होगी, काफी ज्यादा परसेंटेज हमारे बजट का या कहिए देश के नवनिर्माण के खर्चों का सम्बन्ध हमारे इंजीनियर्स से है। इंजीनियरिंग विभाग का तात्पर्य चाहे इर्रीगेशन का हो, चाहे पी० डब्ल्यू० डी० का हो चाहे हाइडेल का हो, उनसे है और अगर उनके अन्दर सही एस्टीमेट्स न हों, काम टाइम के अन्दर ठीक तौर से खत्म न

[श्री नवल किशोर]

हो तो इससे काफी पैसे की बरबादी भी होती है और जो सरकार की आमदनी का एक साधन है उसमें भी देरी होती है। अब तक का हमारा अनुभव यह रहा है कि हमारे इंजीनियरिंग विभाग टाइम शिड्यूल को और एस्टीमेट्स को ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पाते। मैंने अपनी खुशी का इजहार एक बार और किया था और आज फिर कर रहा हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने जहां यह देखा कि एस्टीमेट से ऊपर खर्चा हुआ उन्होंने एक कदम उठाया, उन बातों की इन्क्वायरी की उसने। मैं जानता नहीं कि उसका क्या अन्जाम हुआ, क्या उसके अन्दर फैक्ट सामने आये। मगर उन्होंने इन्क्वायरी की और मैं समझता हूं कि भविष्य में चल कर उस का एक अच्छा असर होने वाला है। और भी हमारे सामने विभाग इस तरह के हैं। उनको भी चाहिये कि अगर कोई विभाग ऐसा है कि जिसके अन्दर एस्टीमेट से ज्यादा खर्चा होता है तो उनका फर्ज हो जाता है कि वे उस की इन्क्वायरी करें ताकि अफसरान इस प्वाइंट के ऊपर एलर्ट रहें।

मुझे एक अपील इंजीनियर साहबान से इस बात की करनी है कि जहां इतनी कान्फरेंसेज उनकी होती हैं और उनमें बड़ी-बड़ी बातें पे-स्केल वगैरह की होती हैं वहां कुछ ड्यूटीज पर भी जोर दिया जाय, कामन इंटेग्रिटी पर भी जोर दिया जाय और मेरी अपील उनसे यह भी है कि देश का जो नवनिर्माण हो रहा है उसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व इस प्रदेश और देश के इंजीनियरों के ऊपर है। उनको इस तरफ जागरूक होना चाहिये क्योंकि आने वाली जेनरेशन का जो जजमेंट होगा, उस की बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारे इस देश और प्रदेश के इंजीनियर्स पर होगी। मैं उनके सम्बन्ध, में श्रीमन्, इतना ही कहना चाहता हूं और उससे ज्यादा कुछ कहने वाली बात, मैं समझता हूं, इस मौके पर ठीक नहीं होगी।

हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटीज हैं। मैं समझता हूं कि अगर सरकार उन कमेटीज को थोड़ा सा ऐक्टीवाइज कर दे तो सरकार को बहुत फ़ायदा हो सकता है। हमारे यहां नियम है कि कम से कम साल में दो बार इन कमेटीज की मीटिंग होनी चाहिये। मुझे शिकायत है इस बात की कि बहुत से विभाग हैं जहां एक भी मीटिंग नहीं होती। तो उनकी मीटिंग्स होनी चाहिये। वो ही बातें हो सकती हैं। अगर हम समझते हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज बेकार हैं तो उनको रखने का कोई शौक नहीं, उनको डिजाल्व कर देना चाहिये; और अगर उनकी यूटिलिटी है तो जो उनकी अटमोस्ट यूटिलिटी हो सकती है उनसे उतना फायदा उठाना चाहिये।

इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं और खास तौर से जब हमारे वित्त तथा उद्योग मंत्री दिल्ली जा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट आफ इंडिया में और प्लानिंग कमीशन में बैठने का मौका होगा। वह यह कि हमारी इंडस्ट्रीज में पब्लिक सेक्टर में बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं। और सेकेन्ड फ़ाइव ईयर प्लान में एक या दो इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में आप दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर को आप अधिक बढ़ायें, तब बहुत अच्छी बात होगी। मैं यह चाहता हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज आप देते हैं उस के अन्दर उन इंडस्ट्रीज का लोकेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया और प्लानिंग कमीशन से हो जाय तो बहुत सी हमारी दिक्कतें हल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपने अलुमिनियम इंडस्ट्री बिरला ब्रादर्स को दी। अगर केन्द्रीय सरकार यह तय करती कि फैक्टरी यू० पी० में ही लगानी पड़ेगी तो अच्छा होता क्योंकि हर स्टेट अपने अपने यहां चाहती है कि उस के यहां ज्यादा इंडस्ट्रीज खुल जायं और हर स्टेट बेस्ट टर्म्स आफर करती है। नतीजा यह होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपने टर्म्स डिक्टेट करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट यह तय कर दे कि उनको यह फैक्टरी यू० पी० में या अन्य प्रदेश में ही इंस्टाल करनी है तो गवर्नमेंट अपने टर्म्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स को डिक्टेट कर सकती है।

काटेज इंडस्ट्रीज के बारे में हमारे यहां कुछ हुआ है। आगे भी होगा। एक बात मैंने महसूस की, वह यह कि जो आपके एग्जीक्यूटर्स हैं उनको भी आपकी पालिसीज में लिविंग फेथ होना चाहिये, काम में आप का फेथ होना चाहिये, आप की स्कीम्स में फेथ होना चाहिये, आपके प्रोजेक्ट्स में फेथ होना चाहिये। मेरा अनुभव है कि जब हम विलेज इंडस्ट्री और काटेज इंडस्ट्री

की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इनके वास्ते मार्केट नहीं मिलता। मेरा विश्वास है कि जिनके हाथ में इसको प्रोपैगेट और ऐग्जीक्यूट करने का काम दिया है उनमें से कोई भी वह चीज नहीं खरीदता जो विलेज इंडस्ट्री या काटेज इंडस्ट्री के जरिये बनती है। यह मेरा ऐक्सपीरियंस है, मैं एक कांफ्रेन्स में गया था, खादी की बात चल रही थी। डे साहब जो सामुदायिक विकास मंत्रालय के मंत्री हैं वह उस के चेयरमैन थे। खादी की बात चली कि इसको प्रोपेगेट किया जाय। मैंने एक सवाल पूछा कि यहां पर जितने भी डेवलपमेंट अफसर आये हैं क्या उनमें से किसी के पास भी तीन आने का खादी का रूमाल है। जो किसी के पास भी नहीं था, मैंने मिसाल दी। हमारा उन स्कीमों पर विश्वास नहीं। हम बात करते हैं खादी की, लेकिन खादी का कपड़ा पहन नहीं सकते। तो इसका असर दूसरों पर क्या पड़ता है?

दो बातें और कहना चाहता हूं। एक तो गाड़ियों के विदड्राल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। या तो मुझको यह वहम हो गया है, क्योंकि इसके लिये मैं बार-बार कह चुका हूं और आज फिर दुबारा जोर के साथ कहना चाहता हूं। मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उसने इस आशय का जी० ओ० निकाला कि जितनी स्टाफ कारें हैं, सरकारी गाड़ियां हैं उनको वापस किया जाय। लेकिन उस पर पूरे तौर से अमल नहीं हुआ। आप उन गाड़ियों को शीघ्र ही वापस लीजिये। और दूसरी बात जो आप ने १२ आना फ़ी मील भत्ता अफसरों के लिये रखा है वह बहुत ज्यादा है। यदि यह इत्तला सही है कि कोई कमेटी इस बात की जांच के लिये बैठी है कि इन गाड़ियों को वापस लिया जाय या वापस कर दिया जाय तो मुझे अन्देशा है कि १२ आ० फी मील का भत्ता सबसे बड़ी दलील होगी इस फेवर में कि १२आ० देने के मुकाबले में तो सरकारी गाड़ियां दे देना ज्यादा बेहतर होगा। तो १२ आ० को कम किया जाय। जब आप का रोडवेज डिपार्टमेंट १० आ० फी मील पर अपनी गाड़ियां देता है तो कोई वजह नहीं है कि १२ आ० फी मील के हिसाब से हम आफिसरान को दें।

हर साल पहाड़ जाने की बात आती है। इस बात से तो मैं भी इत्तिफाक नहीं करता कि गवर्नमेंट पहाड़ न जाय तो कोई बहुत बड़ी हमारी सेविंग हो जायगी, लेकिन जैसा शुरू में कहा इसके पीछे एक भावना है। अगर हम यह तय कर लें कि नैनीताल नहीं जायंगे तो इतना जरूर है कि लोगों पर इस बात का असर पड़ेगा कि वाकई एकोनामी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जवाब में एक बात कही जा सकती है कि जो नैनीताल या पहाड़ के भाई हैं उनको थोड़ा बहुत फायदा पहुंचता है। मेरी कतई मंशा नहीं है कि लोग पहाड़ पर न जायं, जितने जाते हैं उतने जायं लेकिन उस का कोई १० गुना ज्यादा बोझ हमारे स्टेट एक्सचेकर पर नहीं पड़ना चाहिये। लोगों के जाने के ऊपर कोई बन्दिश नहीं है। मगर अपने खर्चे से जायं।

एक बात अखिर में दोबारा फिर कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। वह बात है वारंट आफ प्रिसिडेंस की। मैंने इस बात को जनरल डिबेट के वक्त भी कहा था और मैं दोबारा बड़ी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी स्टेट के लिये वारंट आफ प्रिसिडेंस बनना चाहिये। एक छोटी सी बात है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातें एक ऐसी खाईं आपस में पैदा कर देती हैं, मनमुटाव पैदा कर देती हैं जिससे एटमासफियर अच्छा होने के बजाय थोड़ा बिगड़ता ही है। तो मैं निहायत अदब के साथ सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मेरा जो प्रस्ताव है वारंट आफ प्रिसिडेंस का उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। जन-प्रतिनिधियों का मान होना आवश्यक है। मैं यह आशा करता हूं कि ये चन्द बातें जो मैंने मंत्रिमण्डल के सामने रखी हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा और मैं तो यह भी आशा करता हूं कि वह इसको स्वीकार करेगा। इन शब्दों के साथ जो एप्रोप्रियेशन बिल माननीय वित्त मंत्री जी ने आज पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, जो यह एप्रोप्रियेशन बिल आज आया है उसका विरोध करने की दृष्टि से मैं खड़ा हुआ हूं। यों तो बजट के अन्दर करीब-करीब सब बातें इस पक्ष से और उस पक्ष से भी कही गयीं परन्तु उस समय के वादविवाद में ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो लोगों को अप्रिय लगी हों, परन्तु आज जब हम

[राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे]

बजट को पास करने जा रहे हैं तो आवश्यकता है कि हम विचार कर लें कि आखिर विरोधी दलों की ओर से जो बातें कही गयीं उन बातों के अन्दर भी कुछ सार, कुछ तत्व और स्ट्रांगली होल्ड ओपीनियन्स हैं या नहीं। मैं उन्हीं बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा।

हम लोगों ने बार-बार कहा है कि बजट अनुदानों को स्वीकार करने में हम लोगों को आपत्ति नहीं है, परन्तु जो भी अनुदान होते हैं उनका उचित उपयोग होना चाहिये। जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, उनमें यही बात होती है कि जितनी सख्ती के साथ और औचित्य के साथ खर्च होना चाहिये था उतना सरकार ने नहीं किया, बल्कि बहुत बार फिजूलखर्ची भी हो जाती है और जब सरकार का ध्यान उस फिजूलखर्ची की ओर आकृष्ट किया जाता है या शासन की जो दुर्व्यवस्था है उसकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो सरकार की ओर से उपेक्षा होती है। यह एक बहुत बड़ी शिकायत इस पक्ष वालों और उस पक्ष वालों ने बराबर की है। चौधरी साहब ने कहा है कि माल विभाग में जो ज्यादती हो उसकी हमको सूचना दो। सही है, मैं इस बात के लिए उनको बधाई देता हूं और मैंने लिख कर बधाई भेजी और सूचना के रूप में वसूली के सम्बन्ध में शिकायतें भी दीं और मुझे विश्वास है कि चौधरी साहब उस ओर ध्यान देंगे और उनकी जांच करवा देंगे।

मैं एक ही उदाहरण वसूली की जांच के बारे में फिर देता हूं, पूर्व में मैंने कहा था कि माननीय गेंदा सिंह जी के गांव में उनके मकान के सामने आदमी को पकड़ कर बांधा गया और मारा गया। अब इसकी जांच, मैं आशा करता हूं, चौधरी साहब करवायेंगे और उसके बाद जो उचित दंड होगा वह दिया जायगा। तो, श्रीमन्, इस प्रकार का बार-बार जो शासन के अन्दर औचित्य होता है उसका कारण क्या है, यह भी थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। मैंने कई बार चौधरी साहब से निवेदन किया कि आज की स्थिति में जो औचित्य हो रहा है उसका भी एक ही कारण है कि सरकार के नियम बने हुए हैं कि तरक्की और तनख्वाह वसूली के परसेंटेज पर आधारित है। बोर्ड आफ रेवेन्यू से कलेक्टर से प्रश्न होता है कि तुम्हारा परसेंटेज क्यों इतना कम है, उसे ठीक करो, तो स्वभावतः अगर उसको नौकरी करनी है तो परसेंटेज बढ़ाने के लिए वह अपने नीचे के अधिकारी को कड़ा करेगा। तो वह तहसीलदार को कड़ा करता है और ला आफ ईक्वलाइजेशन एंड बैलेंसेज के अनुसार तहसीलदार अपने नीचे के कर्मचारी से सख्ती से रुपया वसूल करने को कहता है और इस प्रकार सख्ती का व्यवहार हुआ करता है। मेरा निवेदन है कि कम से कम आज की स्थिति में जबकि उस पक्ष के लोग भी मानते हैं कि आज प्रान्त में बहुत स्थानों पर दारिद्र्य है और प्रकृति के कोप के कारण जो कृषि खराब हो रही है उसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, उसको देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि आज इस नियम की कड़ाई को ढीला किया जाय और जो आज स्केयरसिटी एरियाज हैं, जिनके बारे में सब लोग मानते हैं उनके अन्दर वसूली की इस तरह कड़ाई न हो। साथ ही जो परसेंटेज का मापदंड रखा गया है लोगों की सर्विसेज और कैरेक्टर रोल में एंट्री के बारे में, तनख्वाहों के बारे में, उसको छोड़ देने की आवश्यकता है। तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करके आज अपना मत सदन में चौधरी साहब हम लोगों को दें।

श्रीमन्, मैंने चौधरी साहब को दो पत्र, १३ फरवरी, १९५८ और ६ फरवरी, १९५८ को लिखे थे। उस समय वह दौरे पर जा रहे थे—शायद गोरखपुर और गोंडा की ओर—और टेस्ट वर्क्स के बारे में जो मैंने अपने कानों से सुना था उसका वर्णन भेजा था। गोरखपुर में जो पिपराइच ऐसा टेस्टवर्क एक है, ९ मील शहर से, मैं भी वहां गया था। वहां जो काम कर रहे थे उनके ऊपर एक आतंक सा छाया हुआ था। वे खुलकर अपनी सारी कठिनाइयों को कहने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से अकेले में एक स्त्री ने मुझसे कहा कि यहां पर स्त्रियों को अगर कार्य दिया गया तो दिन में या रात में उनकी मर्यादा और उनके

वाभिमान की रक्षा हो नहीं सकती। मैं उसका ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, मैंने लिख कर भेजा ा, लेकिन अगर टेस्ट वर्क में इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है और स्त्रियों को उनकी मजदूरी देने के लिए ८-९-१० बजे रात तक रोका जाता है और दुर्व्यवहार किया जाता है, तो यह बड़े दुःख और लज्जा की बात है और मुझे आशा है कि चौधरी साहब ने उस ओर ध्यान दिया होगा।

दूसरा चीज मुझे यह मिला कि ठेकेदारी की पद्धति वहां भी है। ठेकेदारी की पद्धति के अन्दर कितना भ्रष्टाचार होता है यह हम सब जानते हैं। आज पी० डब्ल्यू० डी० का भ्रष्टाचार मशहूर है कि जगत विख्यात हो गया है, जिसको अंग्रेजी में "प्लंडर विदाउट डेंजर" डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसमें मूल में एक ही बात है---ठेकेदारी की पद्धति है और टेस्ट वर्क जो कि एक रिलीफ वर्क है जिसमें लोगों को खाना देने की दृष्टि से कार्य कराया जाता है, अगर उसके अन्दर ठेकेदारी हो जाय और कहा जाय कि तुम्हारी २०-२५ मजदूर लाने की जिम्मेदारी है और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी होगी तो ठेके में आप जानते हैं कि किस प्रकार भ्रष्टाचार होता है वैसा ही भ्रष्टाचार पिपराइच टेस्ट वर्क में हो रहा है। वहां पर काम करने वाले लोगों ने तो मुझ से यह भी जिक्र किया कि हमारा मेट एक आना हमारी मजदूरी में से रोज काटता है। तो इस प्रकार रेवेन्यू विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अन्दर जो इस प्रकार का भ्रष्ट रूप आ गया है उसकी ओर मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब का ध्यान आकृष्ट हो और उसको वह ठीक करें।

श्रीमन्, माल विभाग के अन्दर आज जो स्केयरसिटी एरिया है उसके अन्दर बड़ा मतभेद है सरकारी पक्ष में और इस पक्ष में कि कितनी हानि हुई। अभी हमारे स्टेट फूड मिनिस्टर ने प्रेस कान्फ्रेंस में स्टेटमेंट देते हुये हानि का विवरण देते हुये बताया कि गाजीपुर में लेट पैडी की ११ आने हानि हुई, बलिया में १२ आने, आजमगढ़ में ११ आने, जौनपुर में ११ आने, देवरिया में ११ आने, गोरखपुर में १२ आने और बस्ती में १० आने हानि हुई। इतना यह सरकार स्वयं मान रही है। अगर इतनी क्षति हुई तो जहां तक मेरा ज्ञान है रेवेन्यू मैनुअल का चौधरी साहब को पूर्ण ज्ञान है, उसके अनुसार उसी मापदंड के अनुसार उनकी पालगुजारी में भी छूट होनी चाहिये और मैं समझता हूं कि इतनी हानि में तो करीब-करीब १६ आने छूट होनी चाहिये। अगर मैंने गलत कहा हो तो वे मुझे ठीक कर दें।

श्री चरणसिंह---लेट पैडी खरीफ की फसलों में से एक है। मैं बाद में कह दूंगा।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---श्रीमन्, जहां तक मैं चौधरी साहब की बात समझ पाया हूं उनका यह कहना है कि लेड पैडी एक फसल है और एक अर्ली पैडी है। लेकिन सवाल यह है कि इन दिनों लेट पैडी ज्यादा है, अर्ली पैडी कम है और जहां भी लेट पैडी है क्या वहां इसके अनुरूप छूट दी गयी। इतना ही नहीं, मैं रेवेन्यू मैनुअल की दफा १८५ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। उसमें १०३ पेज पर लिखा है---

"The important hing is this that the Land Reforms Commissioner should pass orders as quickly as possible in order that the relief proposaes should be given wide publicity as soon as possible."

श्रीमन्, 'वाइड पब्लिसिटी' शब्द को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहूंगा कि जो भी छूट सरकार की ओर से दी गयी क्या उसकी वाइड पब्लिसिटी हुई। श्रीमन्, बार-बार सुनने में आया और अभी मेरा ध्यान गया कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी जिस समय बोल रहे थे तो उन्होंने स्वयं कहा कि लेखपाल ने उनके किसी गांव के आदमी से कहा कि इतना रुपया दो तो तुम को छूट की पुर्जी दें। इस प्रकार की घटना क्यों हुई? इसका एक ही कारण है। हर किसान को उसके हर खाते पर कितनी छूट मिली उसकी जो वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। हो सकता है कि उधर से कहा गया कि पुर्जी बांटना कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि मैंने गलत सुना हो। तो वाइड पब्लिसिटी शब्द के माने यह हैं कि

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

छूट की पुर्जी किसान को देनी चाहिये और उसको जानकारी कराने के लिये जो भी साधन हों उन सबका उपयोग करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दूं कि इस विषय में हर एक गांव के प्रधान के पास क्यों नहीं फेहरिस्त भिजवा देते जिसमें खातेवार लिखा हो कि हर किसान को हर खाते में कितनी छूट मिली है। तो यह भी एक वाइड पब्लिसिटी का रास्ता होगा क्योंकि जब तक इस बात की पब्लिसिटी नहीं होगी और किसान नहीं जान पायेगा कि उसको कितनी छूट मिली है तो एक्सप्लाइट करने में तथा उसको धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में किसी लेखपाल या अन्य इसी तरह के छोटे कर्मचारियों को कितनी आसानी हो जायगी। इसलिये जो मैनुअल का आर्डर है और जिसको मैंने अभी पढ़ कर सुनाया है उसमें भी वाइड पब्लिसिटी का जिक्र है। अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके माल विभाग ने उस आदेश का पालन किया है या नहीं किया है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस आदेश का पालन माल विभाग की ओर से जितना होना चाहिये था वह नहीं हुआ है और उसके पालन होने के अभाव के परिणामस्वरूप बहुत सी गड़बड़ियां और ज्यादतियां आजकल खड़ी हो गई हैं क्योंकि, श्रीमन्, इतना तो सभी लोग जानते हैं कि आज कल हमारे गांवों में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और बिलकुल अपढ़ हैं। यह भी नितान्त सत्य है कि गांवों में हर कोई अखबार नहीं पढ़ता है और न सुनता है। इसी कारण से जो आज गड़बड़ियां और ज्यादतियां हो रही हैं ये उनकी अज्ञानता के परिणामस्वरूप हो रही हैं। अगर हमारी सरकार ने दफा ८५ के आदेश का पालन नहीं किया है तो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सरकार स्वयं के बनाये हुये कानूनों का अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे पालन करती है और जब चाहे तोड़ती है और अगर वह कानूनों को तोड़ेगी तो इसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी कि सरकार अपने बनाये हुये कानूनों को तोड़ती है और जब सरकार ही अपने बनाये हुये कानूनों का पालन नहीं करेगी तो दूसरे उनका पालन करें, दूसरों के अन्दर सम्मान हो, कानूनों के बारे में उनका अपनत्व हो, यह कतई सम्भव नहीं है। मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब इसके ऊपर पूर्ण रूपेण प्रकाश डालने की कृपा करें।

श्रीमन्, मैं माल विभाग के संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं। श्रीमन्, यह जमींदारी एबालोशन ऐक्ट, १९५० है। इसमें दिया हुआ है कि:—

"Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may on the occurrence of an agricultural calamity affecting the crops, of any village or part of a village, permit or suspend for any period the whole or any part of the revenue of any holding affected by such calamity."

माना मैंने कि यह राज्य को अधिकार है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य इसका अनुवाद हिन्दी में कर दें तो अच्छा होगा।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं आपकी आज्ञा से इसका अनुवाद करने की कोशिश करूंगा लेकिन यह हो सकता है कि वह सही न हो। इसीलिये मैंने अंग्रेजी में पढ़ दिया है। इस कानून के अन्दर सरकार को यह अधिकार होगा कि प्रकृति का प्रकोप हो तो उनकी कितनी क्षति और किस प्रकार की हुई, उसके अनुरूप सम्पूर्ण गांव को या उसके किसी एक अंग को जितनी मालगुजारी में छूट देना है, वह सरकार दे सकती है। श्रीमन्, जो लाभ किसान को २६८ से होना चाहिये था उसको आपने २७० (२) से निगेट कर दिया है।

"No suit or application shall lie for the recovery of any sum the payment of which has been remitted under section 268, or during the period of suspension, of any sum the payment of which has been suspended under the provision of that section."

अब, श्रीमन्, विचार करें सरकार छूट देती है और वह दे सकती है, उसे अधिकार है, लेकिन वह किसानों को तो बताये कि उनको कितनी छूट दी गई। उनकी अज्ञानता से लाभ उठा कर अगर अमीन ने वह रकम वसूल कर ली, अब वह क्या करें क्योंकि कचेहरी में जाने का उसे अधिकार नहीं है, उसको रुपया वापस पाने का अधिकार नहीं है ? आप यह कह सकते हैं कि जब अगली किस्त वसूल की जायगी तो हम मुजरा कर देंगे तो, श्रीमन्, जब अगली किस्त वसूल होगी तो मुजरा करेंगे, लेकिन उसे पता नहीं कि कितनी रकम मुजरा होनी चाहिये। अभी मैंने सुना कि माननीय ऊदल जी कह रहे हैं कि यहां लगान इसी प्रकार से वसूल हुआ, जो छूट मिली वह भी वसूल हो गई। एक तरफ तो छूट मिलने का अधिकार दिया गया है और दूसरी तरफ कानून बनाकर उस छूट के अधिकार को वापस ले लिया गया है।

मैं आपकी आज्ञा से आपके सामने इंग्लैंड का एक उदाहरण पेश करता हूं कि वहां पर कानून का पालन कितना प्राम्पटली किया जाता है। मेरे एक मित्र वहां पर एक हास्पिटल में डाक्टरी का काम करते थे। वह वहां पर पढ़ते थे और ट्रेनिंग भी ले रहे थे। वहां पर उनको हर हफ्ते इन्कम टैक्स इन एडवान्स लगाकर तनख्वाह मिलती थी। हर हफ्ते उतना इन्कम टैक्स का रुपया काट कर लिफाफा तनख्वाह का उनको दे दिया जाता था। जब उनका पीरियड खत्म होने को आया तो अपनी विशेष कुशाग्रबुद्धि के कारण उन्होंने एक हफ्ते पहले ही अपनी ट्रेनिंग को समाप्त कर लिया और हास्पिटल को नोटिस दे दी। चूंकि इन्कम टैक्स इन एडवान्स कटता था तो उस हफ्ते की तनख्वाह जो उनको मिली तो जितनी तनख्वाह उनको हर हफ्ते मिलती थी उससे उस लिफाफे में कुछ ज्यादा रुपया था। उनको देख कर ताज्जुब हुआ। उनको इन्कम टैक्स काट कर जो तनख्वाह मिलती थी उससे ज्यादा एमाउन्ट उस लिफाफे में उनको मिला था। साथ ही उसमें एक स्लिप भी रखी हुयी थी जिसमें यह लिखा था कि चूंकि आपकी सर्विसेज एक हफ्ते पहले टर्मीनेट हो गयीं जो आपकी पे से इन्कम टैक्स कट चुका है वह कुछ एक्सेस हो गया तो वह एक्सेस एमाउन्ट वापस किया जा रहा है। वहां पर किस तरह से स्पष्ट कानून का पालन होता है ? यहां पर छूट भी हो जाय और उसको फिर वसूल भी कर लिया जाय और बल्कि अधिक वसूल हो जाता है तो कोई बात नहीं। सरकार से पाने के लिये किसानों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह कौन सा न्याय है ? किस न्याय के सिद्धान्त पर यह बात आधारित है ? आदमी हत्या करता है तो वह फांसी का दंड पाता है परन्तु फिर भी उसको अपील करने का अधिकार रहता है। उसको न्याय पाने के लिये सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है और उसके बाद राष्ट्रपति से भी मरसी अपील करने का अधिकार रहता है परन्तु हमारे किसान को लगान की छूट मिले और अज्ञान से वह वसूल भी हो जाय तो उसको वापस पाने के लिये किसान को कोई अधिकार नहीं। यह गुन्जायश किसी कानून में नहीं रखी गई है। मुझे दुख है कि माननीय माल मन्त्री जी यहां से उठकर चले गये, परन्तु मुझे आशा है कि आपके द्वारा ये बातें उनके कानों तक पहुंचेंगी। इस प्रकार से जो कानून में विरोधाभास है जिसके कारण बहुत बार किसानों की हानि होती है उस कानून की आड़ लेकर स्थानीय कर्मचारी किसानों को हानि पहुंचाते हैं। क्योंकि कोई घूस नहीं देता है तो कर्मचारी बताने नहीं आते हैं कितनी छूट हुई है या कितना एक्सेस हुआ है। यह भी वे बताने नहीं आते हैं कि इस प्रकार से कितने पेमेन्ट की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि माल विभाग इस ओर ध्यान देगा और ध्यान देकर मेरे कहने से उस पर विचार करके इसको बदलने का प्रयास करेगा।

तीसरी बात यह है कि माल विभाग के अन्दर मूलभूत लगान का प्रश्न है। लगान कैसे लगा और उसके पीछे क्या सिद्धान्त था और किस आधार पर यह लगा इसके ऊपर मैं नहीं जाता हूं। परन्तु आज जो वास्तविक आर्थिक दृष्टिकोण होना चाहिये वह आज दृष्टिकोण माल विभाग का नहीं है। श्रीमन्, लगान भी जैसा कि आदमियों की आमदनी पर इन्कम टैक्स है उसी प्रकार से कृषि की आमदनी पर यह लगान टैक्स है। तो उस टैक्स के कैलकुलेशन के अन्दर जो सिद्धान्त है उसमें किसान की मजदूरी भी जोड़ना चाहिये। आज किसान के लगान के अन्दर यह बात नहीं जोड़ी गई है कि किसान की मजदूरी कितनी

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

उसके अन्दर है। आज लगान फसल के ऊपर है। इतना सर्किल रेट वहां पर है, बस इसी पर लगान लगा है। परन्तु खेत के अन्दर किसान ने जितना परिश्रम किया, उस परिश्रम का क्या मूल्य है आज इसकी गिनती कोई किसी तरह से आपके कानून के अन्दर नहीं है। हमारे देश में किसान का जो जीवन स्तर है वह बहुत नीचा है। हमेशा उसको प्रकृति प्रकोप का सामना करना पड़ता है जिससे वह भुखमरी का शिकार रहता है। उसके पास कोई उद्योगधंधे का कार्य भी नहीं है जिससे वह प्राकृतिक प्रकोप से अपनी रक्षा कर सके और प्रकृति के प्रकोप के धक्के से अपने आधे पेट को भुखमरी को बचा सके। इस दृष्टि से भी लगान कैलकुलेट करने के लिये भी, जिसे मैं कहूं दृष्टिकोण, विचार में नहीं रखा गया है।

तीसरे, श्रीमन्, आज हमें यह भी देखना होगा कि किसान कितना पुट इन करता है। उसके भी इंस्ट्रूमेंट आफ प्रोडक्शन है, हल है, बैल है, बीज और खाद वह लगाता है अपनी खेती में। जिस तरह से आप फैक्ट्रीज के लिये डेप्रीसियेशन चार्जेज लगाते हैं, वैसा आप लगान निश्चित करते समय क्यों नहीं सोचते? आखिर उसका हल भी घिसता है, उसके बैलों की भी एक निश्चित जिन्दगी होती है, हाथ का फल्क्चुयेशन होता है, तो यह डेप्रीसियेशन चार्जेज निकालने के बाद ही लगान कैलकुलेट होना चाहिये था। आज अन्साइन्टिफिक ढंग से अपने-यहां लगान लगाया गया है। जिस समय कांग्रेस स्वयं सत्तारूढ़ नहीं थी उस समय एक एग्रीकल्चर कमीशन बैठा था और उसी का डाक्टर राधाकमल का एक कोटेशन मैंने पेश किया था। हो सकता है कि कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के पहले और सत्तारूढ़ होने के बाद के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया हो। परन्तु मैं पुरानी बात याद दिलाता हूं और जानना चाहता हूं कि वह उसको क्यों भूल गये। तो मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें और जो मूलभूत प्रश्न है लगान का इस पर पुनः विचार हो और उसके बाद साइन्टिफिक ढंग से कैलकुलेट करके लगान लगाया जाय। आज का लगान अनसाइन्टिफिक होने के कारण ज्यादा है। माल मंत्री जी बहुत बार आंकड़े देते हैं कि लगान १-१० या १-१२ पड़ता है, लेकिन माल मंत्री जी यह भूल जाते हैं कि रूरल एरिया में कंज्यूमर्स का जो कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स है वह १४४ हो गया है और इसका अर्थ यह है कि किसान को जो सामग्री खरीदनी पड़ती है उसका दाम अत्यधिक हो गया है। आज जब चैत में उसके पास गल्ला होता है तो उसे औने पौने दाम पर देना पड़ता है और जब खरीदना पड़ता है तो डयोढ़े और दूने दाम पर उसे खरीदना पड़ता है। माल मंत्री जी यह कह सकते हैं कि किसान तो खुद गल्ला पैदा करता है। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि ८० फी सदी किसान ऐसे हैं कि जो भादों आते-आते गल्ला खरीद कर खाते हैं। बहुत थोड़े किसान ऐसे हो सकते हैं कि जो गल्ला स्टाक कर के रखते हों। साधारण किसान को लेकर ही खाना पड़ता है और देहात में यूं ही कहते हैं कि सावन और माघ में अकाल सा फैला रहता है, किसान चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको उसका सामना करना पड़ता है। तो ऐसे किसानों की संख्या इस प्रान्त में ज्यादा है कि जिनको ४ या ५ महीने खाना खरीद कर खाना पड़ता है और जब उनको महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है तो रिलेशन में उसका दाम क्या हो सकता है इसको माल मंत्री जी स्वयं सोचें। इसलिये यह आवश्यक है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाय और लगान कम से कम आधा घटाया जाय।

दूसरी बात मैं चकबन्दी के बारे में कहूंगा। चकबन्दी के बारे में इधर से भी कहा गया है और उधर से भी, और मैंने बार बार कहा है कि चकबन्दी के सिद्धान्त से किसान को मतभेद नहीं हो सकता। यह अच्छा है, लेकिन एप्लीकेशन में गड़बड़ी हो जाती है। यह मैं नहीं कहता कि यह गड़बड़ी एक या दो आदमी करते हैं, वह तो आदमी की इंडिविजुएलिटी पर निर्भर रहता है। तो मैं यह चाहता हूं कि इसमें एक छोटा सा परिवर्तन माननीय माल मंत्री जी मान लें। वह यह है कि जब तक गांव में ७८ प्रति शत आदमी ऐग्री न कर जायं कि यह सही है, वह लागू न की जाय। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि ८०, ९० प्रतिशत आदमी ऐसे हैं कि जिन्होंने जब चक उनके सामने रखे गये तो कहा कि वे उनसे सहमत हैं। जब

८०–९० प्रतिशत लोग इससे सहमत हैं तो उसको कानून का रूप देने में क्या आपत्ति है ? मैं चाहूंगा कि वे इस विषय में भी प्रकाश डालें क्योंकि चकबन्दी जिनके हित के लिये हो रही है, उनके दृष्टिकोण को भी देखने की आवश्यकता है। अगर उनका दृष्टिकोण न जाना गया और उनका सहयोग न लिया गया तो गड़बड़ी होगी। मनुष्य का यह स्वभाव है कि अगर उसके हित की भी बात हो लेकिन अगर उसमें उसकी सहमति नहीं है, तो वह उससे विमुख सा हो जाता है और इस प्रकार विमुखता बहुत बार दिखायी देती है। इसलिये उनका सहयोग हो सके, वे अपने हित को समझ सकें, उनकी राय मालूम हो सके, अगर चकबन्दी के नियमों में आप इस बात का समावेश कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी।

मुझे केवल दो बातें और कहनी हैं। मैंने सदन का काफी समय ले लिया है, मैं आभारी हूं सदन का। जहां तक विद्युत विभाग का संबंध है, खटीमा के बारे में हमें नहीं बताया गया कि उसके रिवाइज्ड ऐस्टीमेट्स क्या हैं, कितना खर्चा उसके ऊपर हो चुका है, पहले उसके कितने ऐस्टीमेट्स बने थे। केवल समाचार-पत्रों से ही उसके बारे में कुछ मालूम हो जाता है। हमें यह नहीं बताया गया सरकार की तरफ से कि खटीमा का एवरेज पर किलो-वाट बिजली का प्रोडक्शन क्या है और वह दूसरे सूबों के बिजली के प्रोडक्शन से कम क्यों है। यदि हां, तो क्या माननीय विद्युत मंत्री जी यह मानने के लिये तैयार हैं कि उनके अधिकारी इनकांपीटेंट है और इसमें असफल रहे हैं ? इसके बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं, इस सारे बजट में इस बात का कोई वर्णन नहीं है। अगर इस बिजली के मामले में हम फेल होते हैं तो हमारी जो अधिक अन्न उपजाओ योजना है उसमें भी असफल रहेंगे। हमारे ट्यूबवेल्स का जो प्रोग्राम है, इंडस्ट्रिलाइजेशन का प्रोग्राम है, काटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का जहां तक सवाल है, वे सब ही बिजली पर आधारित हैं, इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, फिर भी अगर हम उसमें असफल रहे तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि उसका कारण क्या है।

श्रीमन्, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री जी मेरी एक बात को गलत साबित कर दें और मैं चाहता हूं कि वह गलत साबित हो। गोरखपुर के पावर स्टेशन के लिये जब टरबाइन खरीदे जाने लगे तो नागपुर की किसी कम्पनी का भी उसमें आफर था। उससे बिजली विभाग ने ७ प्रतिशत की मांग की, कमीशन के नाम पर। सुना जाता है कि यह बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग में जब यह बिजली विभाग की मांग रखी गयी तो उसकी मिनिट्स में भी यह चीज आयी। मैं चाहूंगा कि विद्युत मंत्री मेरी इस बात को गलत साबित करें लेकिन अगर यह बात सत्य है तो बड़े दुख की बात है और उसके लिये अधिकारियों के प्रति, जो इसके लिये जिम्मेदार हों, कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं आपके जरिये से माननीय राजा साहब से यह दरख्वास्त करता हूं कि वह आहिस्ता रफ्तार से इस बात को फिर से बयान करें, क्योंकि पूरे तौर से मैं उनको समझ नहीं सका, उनके जोरखोर की वजह से। इसलिये इस बात को वे आहिस्ता-आहिस्ता मुझे समझाने की कोशिश करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मुझे बड़ा दुख है कि हाफिज जी मेरी बात को समझ नहीं पाये। मैं उसको फिर दोहरा देता हूं और आहिस्ता आहिस्ता दोहरा देता हूं। गोरखपुर में जो थरमल स्टेशन बना, उसके लिये टरबाइन्स की आवश्यकता थी और ये टरबाइन्स नागपुर की किसी बिजली कम्पनी से खरीदने की बातचीत हो रही थी। जब उस कम्पनी का कोई आदमी उत्तर प्रदेश आया तो यहां के सरकारी अधिकारियों ने उससे ७ प्रतिशत की मांग की। यह बात उनके रेप्रेजेंटेटिव ने जब बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नागपुर में हुई, तो उसमें रखी और इस विषय पर विवाद हुआ और यह भी कहा जाता है कि यह बात बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मिनिट्स बुक में भी आ गयी है। मैं चाहता हूं कि इस बात को माननीय विद्युत मंत्री जी गलत साबित करें तो मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा। लेकिन, श्रीमन्, अगर यह सच है तो मैं चाहूंगा कि इसकी जांच हो और इस प्रकार की बातों को दबाने के लिये, जो लोग जिम्मेदार हों, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठावें। आशा है कि आपने सुन लिया होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह बात जो आपने बयान की है, यह कब की है ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---गोरखपुर का थर्मल पावर स्टेशन जो बना है जिसका आपने हाल ही में उद्घाटन किया है, उसके लिये टरबाइन जिस वक्त खरीदा जा रहा था, उस वक्त की यह घटना है ।

तो, श्रीमन्, मैं कह रहा था कि एक ओर इस प्रकार की घटना हो, दूसरी ओर मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात पर भी प्रकाश डालें कि क्या उत्तर प्रदेश के जो इलेक्ट्रिकल चीफ इंजीनियर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन चीफ इंजीनियर होने योग्य है या नहीं है । जो डिपार्टमेंट के आफिसर्स ऊंचे स्तर पर एम्पलायड हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन उस पद के लिये उपयुक्त है या नहीं है क्योंकि लोगों को बहुत बार ऐसा लगा कि इस सरकार के अन्दर बहुत स्थानों पर ऐसे लोग रखे गये हैं जो उस पद के लिये उपयुक्त नहीं हैं । पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी, जो वास्तव में माना जाता है कि मनुष्य की योग्यता और अयोग्यता के बारे में निष्पक्ष रूप से जांच करके रिपोर्ट देता है, बहुत से लोगों की योग्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट मत दिया है कि ये इन स्थानों के लिये अयोग्य हैं, परन्तु फिर भी बहुत से विभागों में ऐसे लोग आज भी उपस्थित हैं । तो अयोग्य लोगों को रख कर आप कैसे आशा करते हैं कि आपका कार्य सुचारू रूप से, सफल रूप से और ठीक रूप से चल सकता है ? इसलिये, श्रीमन्, यह आवश्यक है कि माननीय मंत्री महोदय बिजली विभाग के अन्दर इस बात की स्पष्ट जांच करें और यह भी विचार करें कि बिजली विभाग का फेल्योर क्यों हुआ है क्योंकि, श्रीमन्, जैसा कि बार बार कहा गया है कि इस प्रान्त के पूर्वांचल में ट्यूबवेल फेल्योर रहे, और उस फेल्योर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिजली विभाग पर रही । बिजली आयी नहीं, तार खींच गये, खम्भे खींच गये लेकिन बिजली अवश्य आयी नहीं जिससे ट्यूबवेल्स नहीं चले और डिजल इंजन को वहां से हटा दिया गया । जब समय पर पानी की आवश्यकता हुई तो ट्यूबवेल्स चल नहीं सके । अब आप सोचें कि आज के समाज की रचना जो साइंटिफिक रचना होती है, उसके वास्ते आज पावर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । आर्थिक योजना की दृष्टि से भी देखें तो चाहे कृषि की योजना हो, चाहे उद्योग हो, सारी योजना पावर के ऊपर ही आधारित होगी और पावर अगर फेल्योर होता है तो सारी योजनाएं असफल होती हैं । इसलिये जहां तक बिजली विभाग का सम्बन्ध है, यह बहुत ज्यादा लोगों की धारणा हो रही है कि आज बिजली विभाग अपने कार्य में असफल है । एक उदाहरण, श्रीमन्, मैं दे दूं । इस सदन के अन्दर डी० सी० वोल्टेज है, यहां कितना हाई फ्लक्चुएशन आफ वोल्टेज होता है । श्रीमन्, दारुलशफा का आपको भी अनुभव होगा कि वहां कितना फ्लक्चुएशन आफ वोल्टेज होता है कि लिफ्ट अगर चले तो वह बीच में ही श्मशान घाट की तरह से बन्द हो जाती है और खड़ी हो जाती है । कारण पूछने पर कहा जाता है कि पावर नहीं है । कभी पावर का लो वोल्टेज हो जाता है । इस तरह से हम देखते हैं कि बिजली कम्पनी अपने काम में पूर्ण रूपेण असफल रही है । मैं जानना चाहूंगा कि आज तक माननीय मंत्री जी ने कभी किसी बिजली कम्पनी को हाई फ्लेक्चुएशन आफ वोल्टेज के लिये प्रोसिक्यूशन किया है । सरकार को चाहिये कि वह ऐसी बिजली कम्पनी का प्रोसीक्यूशन करावे जो लो वोल्टेज डेलिवर करती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि है बिचुअली लो वोल्टेज डेलिवर करने के कारण आपने अपने जमाने में कितनी कम्पनियों का प्रासिक्यूशन कराया । यह कोई छोटा उद्योग नहीं है, यह तो एक बड़े स्टेट कन्सर्न की बात मैं कह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता---मैं माननीय सदस्य को रोकता नहीं हूं लेकिन मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उनके बाद और भी पार्टियों के सदस्य बोलने वाले हैं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं आप की बात को ध्यान में रख कर केवल ५ मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब से आप ने कैसा को अपने हाथ में लिया है तब से आज तक वहां का प्रोडक्शन बढ़ा है, किलोवाट्स बढ़े हैं, आप के कनेक्शन्स बढ़े हैं, आप की एफीशियेंसी भी बढ़ी है, आप का मुनाफा भी बढ़ा है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके

बाद वहां के श्रमिकों का मुनाफा भी बढ़ाया गया, उनको अधिक बोनस भी दिया गया, कोई वेजेज उनकी बढ़ाई गईं। जिस मात्रा में वहां पर काम का विस्तार हुआ, जिस मात्रा में मुनाफा बढ़ा उस मात्रा में जो उनकी वेजेज बढ़नी चाहिये थीं बोनस उनको मिलना चाहिये था वह दिया गया? मैं कह सकता हूं कि आपने उनको यह मुनाफा और वे वेजेज जो उस मुनाफे के अनुपात में देना चाहिये था नहीं दिया है। इन सब बातों के साथ में फिर निवेदन करूंगा कि हमारे प्रान्त की जो वास्तव में रीढ़ है एक ओर कृषि और दूसरी ओर डेवलपमेंट के लिये बिजली, इन विभागों के अन्दर जो कमियां हैं उनकी ओर मैं चाहूंगा कि यह सरकार पूर्णरूप से ध्यान दे और उनको ठीक करने का पूर्ण प्रयास करे। इन शब्दों के साथ मैं इस एप्रोप्रियेशन बिल का समर्थ विरोध करता हूं।

*श्री चरणसिंह—अधिठाता महोदय, मैं अपने विरोधी दल के मित्रों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने आज यह तय किया कि माल विभाग पर ज्यादा कृपा की जायगी। हालांकि मुझे एक अफसोस बना हुआ है कि कई लोग, न मालूम किन कारणों से बोल नहीं पाये हैं, शायद वक्त न मिला हो, पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिन लोगों के जो खयालात हैं जो जजबात हैं, या नुक्ताचीनियां थीं या जो गर्मी थी वह सब आज निकल जाती और यदि वह आज नहीं निकली है और फिर कभी निकले तो उसका भी स्वागत करूंगा। मैं उससे बचना नहीं चाहता। इसका कारण यह है कि जितना डिबेट, जितनी नुक्ताचीनी और जितना विवाद हो उसके बाद मुझे गवर्नमेंट का पक्ष रखने में सहूलियत होती है। अखबारों में जो रोज नुक्ताचीनियां निकलती हैं, मेरी सामर्थ्य की बात नहीं है कि मैं उनका जवाब दे सकूं, अधिकतर जिम्मेदार लोगों की तरफ से ऐसी बात कही जाती हैं और लेख लिखे जाते हैं और अपनी समझ से तो वे बहुत विद्वत्तापूर्ण लेख लिखे जाते हैं जिनमें मेरे विभाग की नुक्ताचीनी की जाती है। मैं यह नहीं कहता कि गलत नुक्ताचीनियां की जाती हैं या वह आधाररहित होती हैं, लेकिन यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उनमें से जो अधिकतर हैं, ९० प्रतिशत आधाररहित होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि ये जो आधाररहित नुक्ताचीनियां की जाती हैं वे किसी बदनीयती पर मबनी हैं, बल्कि नावाकफियत की बिना पर वे नुक्ताचीनी की जाती हैं। मैं चूंकि बाहर प्रेस में उन बातों का उत्तर में नहीं दे सकता इसलिये मैं स्वागत करता हूं कि मुझे मौक़ा मिला गवर्नमेंट का केस रखने का। वह इसलिये, कि जितने मेरे माननीय मित्र उधर बैठते हैं, जितना उनको दर्द हो सकता है अपनी जनता के लिए और लोगों के कष्ट मिटाने की योजनायें बनाने का और इस तरह के आदेश निकालने का और उन योजनाओं और आदेशों पर अमल करवाने का, अधिष्ठाता महोदय, हम में से जितने इधर बैठते हैं उनमें से किसी एक की इच्छा, एक का भी इरादा मेरे ऊपर उधर के जो मित्र बैठे हुए हैं उनसे किसी तरह कम नहीं है और जब कम नहीं है और ऐसी हालत में इन्सान के लिए जितना मुमकिन हो सकता है उतना इधर से करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी होगी कि मुझे मौका मिले इस बात का कि कुछ थोड़ी सी गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश कर सकूं।

एक बात को गलत कह देना आसान है लेकिन उसका जवाब देने के लिये बहुत समय की जरूरत होती है। अब भी जितनी बातें कही गयी हैं मैं उनका जवाब शायद इतनी जल्दी में नहीं दे सकूंगा और न उस तरीके से आंकड़ों के साथ और रेवेन्यू मैन्युअल के पैरों के उद्धरण के साथ दे सकूंगा क्योंकि उतना समय मुझे नहीं मिलेगा और न मैं उतनी तैयारी ही कर पाया हूं कुछ कारणों से। लेकिन फिर भी तैयारी करने की बात कोई ऐसी नहीं है क्योंकि वे बातें रोज भुगतनी होती हैं, रोज सुननी होती हैं। इसलिए अगर मैं बिना किसी रेवेन्यू मैन्युअल के हवाले के, बिना जमींदारी एबालीशन रूल्स के हवाले के, कहूंगा तो उसका मतलब यह नहीं होगा कि उनका हवाला नहीं है और उसके पीछे लीगल कवर नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जिसको फ्रंटल अटैक कहते हैं, दुश्मन पर सीधा अटैक . . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह--दुश्मन नहीं, मुखालिफ।

श्री चरणसिंह--वह एक ही बात है। फ्रंटल धावा उन्होंने किया। तीन चार रोज हुए जब कि इटावे की कंसालिडेशन के सिलसिले में एक ऐजर्नमेंट मोशन श्री भजनलाल जी की तरफ से आया था, तभी मुझे कुछ आभास मिला था कि जिस रोज मैं गैरहाजिर था उस रोज इस बात का इरादा जाहिर किया गया था कि एप्रोप्रिएशन बिल पर जो बहस होगी वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक ही महदूद होगी जहां तक मेरे उन मित्रों का ताल्लुक है। खैर, कल मुझे यह इत्तला मिली कि यह तैयारी हुई है। तो, अधिष्ठाता महोदय, मैं यह उम्मीद कर रहा था कि जब इतनी तैयारी हुई है, षड्यन्त्र तो मैं कहता नहीं हूं, परस्पर विचार विनिमय हुए हैं बाहर भी और बाहर वक्त नहीं मिला तो यहां भी, तो मैं यह समझता था कि आज बहुत जबर्दस्त बातें कही जायंगी जिनसे कि मेरा इंस्ट्रक्शन होगा क्योंकि, अधिष्ठाता महोदय, जब विरोधी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई बात कही जाय तो मैं वाकई ईमानदारी से यह कोशिश करता हूं कि कोई नया सुझाव तो नहीं आ रहा है, ताकि उस सुझाव पर मैं अमल कर सकूं या कोई ऐसी बात तो वाकई नहीं की जा रही है कि हमारी तरफ से जानबूझ कर कोई गलती की जा रही है तो मुझे माफ करेंगे माननीय त्रिलोकी सिंह जी और माननीय यादवेन्द्रदत्त जी अगर मैं यह कहूं कि मैं मायूस हुआ। वही रोजाना की बात, एकतरफा बात जो कि बड़ी अच्छी लग सकती है और जो दूसरा पहलू है जिसको लेकर सुझाव दिया जा सकता है कि कौन सी बात मुमकिन हो सकती है, वह बात बिल्कुल नहीं बल्कि परस्पर विरोधी बातें। एक बात कही गई कि तीन-चौथाई हमारे यहां की जनता खेती करती है। खैर, एक बहुत छोटी सी बात होगी और मैं कहूं कि यह ऐग्जेजरेटेड बात है।

श्री त्रिलोकी सिंह--उनकी गुजर बसर खेती पर है, यह मैंने कहा।

श्री चरणसिंह--आपने मालगुजारी के सिलसिले में कहा और यह कहा कि वे लोग लैन्ड रेवेन्यू देते हैं। गुजर बसर तो शायद उससे भी ज्यादा की होती है। लेकिन आप ने कहा कि इतने आदमी मालगुजारी देते हैं क्योंकि उनके पास जमीन है। खैर, मैंने कहा कि वह बहुत छोटी सी बात है। मान लो ५० परसेंट देते हैं जब भी वह रकम वहीं की वहीं है। लेकिन अगर कोई गलती है तो वह गलती है, परेशानी होती है, चाहे १० परसेंट, २० परसेंट या ७५ परसेंट के साथ होती हो। उसमें कोई फर्क नहीं। कुछ ऐसा मालूम होता था उसी बात से, जिस फिकरे से आक्रमण शुरू हुआ उसमें ही इतना ऐग्जेजरेशन है कि उससे मालूम होता है कि हर चीज मुकाबिले के साथ कहने की कोशिश की गई। साढ़े ६७ परसेंट कल्टीवेटर्स हैं, ७५ परसेंट नहीं।

दूसरी बात फौरन् यह कही गई कि लैंड रेवेन्यू पालिसी के मुताल्लिक दावा किया जाता है इस स्टेट की तरफ से कि वह बेहतरीन है। अधिष्ठाता महोदय, आज भी अक्सर यह तो कहा जाता है कि लैन्ड रिफार्म मेजर्स हमारे ऐसे हैं कि जो बहुत से मामलों में, बहुत से सूबों से आगे हैं और जिस पर कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि गर्व की बत है और जो नुक्ताचीनी की जाती है वह इस बात को नजरअन्दाज कर के की जाती है कि कितना काम हुआ है। लेकिन लैंड रेवेन्यू पौलिसी का कभी दावा नहीं किया था, हालांकि लैन्ड रेवेन्यू पालिसी भी बहुत अच्छी है।

अब क्या बात कही जाती है कि मालगुजारी भूमिधर कम देता है, सीरदार ज्यादा देता है और सीरदार भी एक सी किस्म की जमीन को मुख्तलिफ रेट्स देता है। अधिष्ठाता महोदय, यह बात सही है,। हमको जो भूमिधर मालगुजारी देता है तो भूमिधर वे लोग हैं जिन्होंने १० गुना अपने लगान का दे दिया था, उनकी मालगुजारी उनके लगान की आधी कर दी गई। वे एडवान्स पेमेंट कर चुके हैं। वह तो इधर उतनी ही मालगुजारी दे रहे हैं जितनी सीरदार दे रहा है क्योंकि वे १० गुना अपने लगान का दे चुके, इसलिये उनकी मालगुजारी आधी कर दी गई।

अब यह कहा जा सकता है कि जो ऐक्स-इंटरमीडियरीज हैं, भूतपूर्व मध्यवर्ती हैं उनकी मालगुजारी इतनी कम क्यों, मालगुजारी क्यों न सब सीरदारों और भूमिधरों की बराबर कर दी जाय। ठीक है, एक दलील हो सकती है। लेकिन फिर साथ ही यह कहा जा सकता है कि आखिर जो मालगुजारी भूमिधर देरहा है २ रु० फी एकड़, यही क्यों और क्यों न १ रु० कर दी जाय। इस प्रकार की दलील का तो कोई अन्त होगा नहीं। मैं उल्टे यह कह सकता हूं कि जो लोग पहले मालगुजारी दे रहे थे और उनको भूमिधर बना दिया और पुरानी ही मालगुजारी चल रही है इनकी क्यों न बढ़ा दी जाय डबल दी सर्किल रेट। साहब, सर्किल रेट सन् १९३५-३६ के आस-पास तय हुआ था और उस वक्त के जो भाव थे फूड ग्रेन्स के उनके हिसाब से तय हुआ था। बल्कि १९०१ के उससे भी लो रेट्स थे, उनसे भी कुछ परेशानी हुई और उस वक्त जो एक एकड़ की प्रोडक्टिविटी मानी जाती थी उसका एक बटे पांच circle rate तय हुआ। अधिष्ठाता महोदय, अगर मालगुजारी काइन्ड में ली जाती तो यह कहा जाता था कि हम सन् १९३७ में जो मालगुजारी ले रहे हैं वही आज ले रहे हैं और उसके गालिबन आगे बढ़ने के आर्गूमेन्ट्स बाद को चलते। लेकिन मालगुजारी सन् १९३७ में तय हुई, कैश में, उस वक्त की शरह के अनुसार और शरह तब से हो गई चौगुनी तो आज मालगुजारी जो १ एकड़ की प्रोडक्टिविटी है उसका एक बटे बीस है। वह जो कही थी वह कोई बेकुअम में नहीं कही थी, उस वक्त की परिस्थितियों में कही थी। इन्सान जितने काम करता है उस वक्त की परिस्थितियों में कहता है और करता है। एब्सोल्यूट चीजें नहीं कहता। रिलेवेन्ट चीजें कहता है। जब सन् ३१ शुरू हुआ तो डेप्रिसियेशन शुरू हुआ। जमींदारों की जमींदारियां बिकनी शुरू हो गयीं। ढाई रुपये मन का गेहूं हो गया। ३ आने और २ आने मन गन्ना हो गया। कराची में कांग्रेस ने यह रिजोल्यूशन पास किया कि लगान घटना चाहिए। जो उस वक्त का सार्वजनिक कार्यकर्ता था उसको यह रिजोल्यूशन पास करना चाहिये था उस वक्त की परिस्थितियों में। लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, आज की परिस्थिति में हर जनहित के काम करने वाले आदमी को अगर वह मुल्क की तरक्की चाहता है तो यह मतालबा नहीं करना चाहिये कि मालगुजारी घटनी चाहिये।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---सन् १९३७ के बाद टैक्सेज कितने बढ़े हैं?

श्री चरणसिंह---वह दूसरी बात है। उसका भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन इस वक्त लैन्ड रेवेन्यू का जवाब दे रहा हूं, वह बात रह जायगी।

श्री त्रिलोकी सिंह---फूड ग्रेन्स में १०० रुपये फी एकड़ से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है। हिसाब लगा कर देखा जाय तो १/९ या १/१० सर्किल रेट आता है बजाय १/५ के जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया।

श्री चरणसिंह---प्रोडक्शन का आज कल के रेट से पर एकड़ क्या एवरेज पड़ेगा?

श्री त्रिलोकी सिंह---अलग-अलग क्राप्स का अलग एवरेज होगा।

श्री चरणसिंह---सर्किल रेट तो अलग-अलग नहीं है।

श्री त्रिलोकी सिंह--- यही तो कह रहा हूं....

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य इस तरह बीच में इंटरप्ट न करें।

श्री चरणसिंह---मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कहूंगा कि प्रोडक्टिविटी सन् ३७ में चाहे जो रही हो लेकिन वह उसकी १/४ नहीं हो गई है। सन् ३७ में सर्किल रेट तय हुआ १/५ प्रोडक्टिविटी का। अगर प्रोडक्टिविटी घटी होगी तो २५ पर सेंट घटी होगी न कि ४ गुनी। यूनीफार्म करने की बात कही गयी तो इसके लिये सेटिलमेंट करना होगा। लेकिन हमने सीरदार का रेंट वह माना है जो काश्तकार जमींदार को लगान दिया करता था। अगर जमींदार के लगान को देखा जाय तो एक ही किस्म की जमीन के लिये दो मुख्तलिफ जमींदार

[श्री चरणसिंह]

मुख्तलिफ रेट लिया करते थे। इसलिये बहुत फर्क है। यह मुझे तसलीम है। जहां तक डबुल दि सर्किल रेट लगान का सम्बन्ध है वह सन् ४२-४३ में मुमकिन है हुआ हो १०-२० हजार एकड़ जमीन पर, ज्यादा हायर रेट पर जमीन वह उठायी गयी हो, लेकिन १९४२ के पहले डबल दि सर्किल रेट लगान कहीं था ही नहीं। फिर यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में यह दिया हुआ है कि डबल दि सर्किल रेट से ज्यादा लगान है तो काश्तकार दरख्वास्त दे कर उस लगान को घटवा सकता है। काश्तकार ने न घटवाया हो तो उस केस में उसका लगान बढ़ा रह गया होगा। एस० डी० ओ० उसे घटा सकता है। अगर एस० डी० ओ० को फुर्सत नहीं है तो किसान दरख्वास्त दे कर उसे घटवा सकता है। त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि एस० डी० ओ० ने कितने केसेज में स्वयं कार्यवाही की ? तो इस तरह की इत्तला मैंने मांगी नहीं, क्योंकि इस तरह से तो बहुत काम बढ़ जायगा, लेकिन इतना उनके दिल की तसल्ली के लिये बताना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे किसान हैं, अधिवासी, शिकमी, बिला तस्फिया लगान जब सीरदार बनाये गये तो हमने यह इंस्ट्रक्शंस जारी किये कि उसमें लाजमी कर दिया हर एक का लगान काटना। करीब ५७,५९,००० नाम दर्ज थे अधिवासियों के। इतने अधिवासी नहीं थे। जमींदारी एबालिशन कमेटी रिपोर्ट में मिस-इंटरप्रिटेशन किया जाता है। वे तो इतने नाम थे, इतने आदमी नहीं थे, क्योंकि एक-एक आदमी के पास ४-४ होल्डिंग्स हो सकती थीं। तो आप की इजाजत से अर्ज कर रहा हूं कि ये थे छोटे-छोटे किसान जो सब से ज्यादा तबाह हुए थे। उनके लिये हमने इंस्ट्रक्शन्स जारी किये कि एस० डी० ओ० जब लैन्ड होल्डर्स का मुआवजा तय करेगा जो नोटिस जारी करेगा तो सुओ मोटो कार्यवाही करेगा। तो वह वास्तव में वह १९,००,००० के करीब छोटे-छोटे किसान थे। अगर कहीं उनका लगान तिगुना था सर्किल रेट का तो उन्होंने घटाया। अधिष्ठाता महोदय, अब कहा जाता है कि उसे यूनिफार्म होना चाहिये। यूनिफार्म दो तरीकों से हो सकता है। एक तो यह कि जिनका भूमिधरी से ज्यादा लगान है, हाफ दि सर्किल रेट है, वह सर्किल रेट कर दिया जाय। एक यह है कि क्योंकि आज शरह ३ गुनी हो गयी है तो सर्किल रेट का ३ गुना तक उसका लगान कर दिया जाय। तभी तो यूनिफार्मिटी हो सकती है और बन्दोबस्त के जो उसूल हैं उसके मुताबिक हो जायंगे। अभी एक स्टेट है बड़ी प्रोग्रेसिव, उसके लिये कहा कि उन्होंने जो रेट मुकर्रर किया अपने यहां १९५७ में और जो बिल पेश किया उससे फिर भी रेट ज्यादा नहीं होगा और हमारी मालगुजारी ५० करोड़ हो जायगी। मैं पहले भी बता चुका था। जो आज प्रोडक्टिविटी है, १/४ से १/६ तक वेट लैंड्स हैं उनकी मालगुजारी, जो आज पैदावार होती है और उसका १/८ भी मानलो तो हमारे यहां १/२० है। १/१५ मान लो, १/१२ मान लो। तो फिर अधिष्ठाता महोदय, जो प्रोग्रेसिविज्म, रेवोल्यूशनिज्म, और इनकलाब का नाम लिया जाता है और जब यहां आ कर ऐसी बातें कहते हैं तो मालूम होता है कि लफ्जों के माने शायद कुछ और हो गये हैं, डिक्शनरी कुछ दूसरी लिखी जानी चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, उस रोज मलिखान सिंह जी ने टैक्सेशन कमीशन की रिपोर्ट दिखा दी कि और जगह मालगुजारी की दर कम है। मैं उस रोज जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला था। अधिष्ठाता महोदय, मालगुजारी की दर जब निकाली जायगी तो पर एकड़ निकाली जायगी या पर मैन ? मोटी सी बात है कि पर मैन निकाली जायगी। मान लो दो सूबों में जमीन का रकबा यकसां है और आबादी भी ठीक बराबर। लेकिन एक जगह खेती करने वालों की तादाद ३५ फीसदी है और दूसरी जगह ८० फीसदी है। तो क्योंकि रकबा यकसां है और आबादी एक है, पर कैपिटा दोनों की मालगुजारी एक हो गयी, लेकिन पर कल्टीवेटर मालगुजारी में फर्क पड़ गया। फिर, हमने दो एक्जम्शन्स किये। एक यह कि रकबा यकसां है और आबादी एक सी है। कौन सी दो स्टेट्स हमारे मुल्क के अन्दर ऐसी हैं जिनमें रकबा और आबादी एक सी हो ?

श्री मलिखान सिंह--ठीक है आप का कहना।

श्री चरण सिंह—अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, फिर आप का यह कम्पेरिजन गलत है। क्योंकि दो स्टेट्स ऐसी हैं नहीं लिहाजा दिस कम्पेरिजन डज नाट होल्ड गुड। जमीन पर बर्डन की जो बात है वह तो तब ठीक होती जब पर एकड़ निकलता, तो पर एकड़ इसमें नहीं निकला है।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र इसको सुन लें और मेरे आर्गूमेंट्स में कोई फ़ैलेसी हो तब तो उस बात को दोहरायें वर्ना केवल यह कि बकरी के तीन टांगें होती हैं तब तो दूसरी बात है, लेकिन असल में बकरी के चार टांगें होती हैं। यह बात कही गयी कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा लैंड रेवन्यू २.८९ है। ठीक है, और कहा गया कि आसाम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, इन सब की मालगुजारी उत्तर प्रदेश के मुकाबले में कम है। बात बिलकुल ठीक है। जो ए-क्लास स्टेट्स हैं उन सब की मालगुजारी हमसे कम है सिवाय मध्य भारत और सौराष्ट्र के, जो बी-क्लास स्टेट्स हैं जहां ४.० और ६.५९ पर कैपिटा मालगुजारी है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के जरिये से ट्रेजरी बेन्चेज से, जिनमें शामिल रहने का मुझे फ़ख्र है, ज्यादा दरख्वास्त करूंगा क्योंकि उन्हें भी जब उधर से बहुत कहा जाता है तो कभी-कभी शुबहा हो जाता है जरा गर्दन झुका कर चलो, वाकई हमारे यहां मालगुजारी की दर ज्यादा है। तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये कब की फ़िगर्स हैं? ये उस वक्त की हैं जब जमींदारी एबालिशन नहीं हुआ था। ये जितनी ए-क्लास स्टेट्स हैं उनमें जमींदारी एबालिशन नहीं हुआ। हमारे यहां सन् ५२ में हो चुका। ये १९५३–५४ की फ़िगर हैं। लिहाजा हमारी जो आज मालगुजारी है उसका इन्सीडेन्स उस इन्सीडेन्स से बढ़ा हुआ दीखता है। टोटल मालगुजारी सन् १९५३–५४ में कितनी थी? १८ करोड़ ९२ लाख रुपये, यही फ़िगर थी। मालगुजारी तो ७ करोड़ २ लाख थी। और दूसरी जगह की मालगुजारी २ करोड़ १० लाख, २ करोड़ ११ लाख, २ करोड़ १३ लाख रुपये। यह वह मालगुजारी है जो मध्यवर्ती दे रहे थे क्योंकि जमींदारी एबालिशन नहीं हुआ था। हमारे यहां लैंड रेवेन्यू वह है जो आज किसान सीधे गवर्नमेंट को देता है क्योंकि सन् १९५२ में एबालिशन हो चुका था। लिहाजा यह बहुत बड़ी फ़ैलेसी है और जहां जमींदारी एबालिशन हो गया वहां हमसे बढ़ गयी। सौराष्ट्र में क्या हुआ? वहां ६.५९ हो गयी, मध्य भारत में भी ४.०६ हो गयी, हमारे यहां २.८९ ही है। तीन स्टेट्स में एबालिशन हुआ और तीनों में हमारी सब से कम थी, ४० परसेंट से भी कम, सौराष्ट्र के मुकाबले में, और ५० परसेंट के करीब मध्य भारत के मुकाबले में। और जहां जमींदारी खत्म नहीं हुई उससे कोई कम्पेरिजन बैठता नहीं। लिहाजा किसी आदमी को कभी यह ख्याल नहीं करना चाहिये कि हमारे सूबे में पर कैपिटा मालगुजारी का बर्डन ज्यादा है और सारे हिन्दुस्तान में सब स्टेटों से हमारे यहां ज्यादा कल्टीवेटर्स हैं और जगहों पर कम हैं। खैर, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूं। पर-एकड़ की तो मालूम नहीं है लेकिन पर कैपिटा प्रतिशत हमारे यहां सबसे कम है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी समय का भी ध्यान रखें।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं जानता था और साढ़े चार बजे तक बोलने का इरादा रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता—अभी तो आप बोलेंगे फिर माननीय वित्त मंत्री जी बोलेंगे।

श्री चरण सिंह—साढ़े चार बजे तक मुझे आप इजाजत दे दीजिये। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। खामोशी के माने नीम रजा है।

श्री अधिष्ठाता—(श्री गेंदा सिंह से) आप को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, हम चाहते हैं कि हमें भी आप बोलने का मौका दे दें ताकि वह जो भड़ास सुनना चाहते थे वह भड़ास तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको सुननी चाहिये।

श्री चरणसिंह—श्रीमन्, मैं कब कह रहा था? मैं तो आचार्य दीपंकर जी के लिये कह रहा था।

श्रीमन्, एक बात कही जाती है कि केसेज बहुत से पेंडिंग हैं, तो क्या इसके लिये स्टाफ बढ़ा दिया जाय? यह तो ट्रांजीशनल फेज है। मैं कहता हूं कि ३४ लाख करेक्शन्स हुये। दस-बारह लाख तो स्पाट पर ही ठीक कर दिये गये और बाकी अदालत में हुये। ४२ लाख अधिवासियों की वजह से यह सब हुआ क्योंकि ५८ लाख अधिवासी थे जिनके खातों की तादाद ४२ लाख थी और हर खाते वाले को एस० डी० ओ० को या तहसीलदार को नोटिस देना पड़ा। अगर उज्रदारी कर दो तो सूट रजिस्टर हो गया। क्या मेरे मित्रों के कहने का मतलब यह है? मैं समझता हूं कि नहीं होगा कि इसके लिये नई जुडीशियरी भर्ती की जाय और जब काम खत्म हो जाय तो उनको घर वापस कर दिया जाय। ट्रांजिशनल पीरियड में अवश्य यह बात होती है कि उसी स्टाफ पर बोझा रहता है। नीचे से हमने लोगों को प्रोमोट किया है। ३१ दिसम्बर तक ५७ प्रतिशत केसेज खत्म हो गये थे। अब केवल तीन ही जिले रह गये हैं—फैजाबाद, जौनपुर, शाहजहांपुर, जहां हमने एडीशनल स्टाफ दे दिया है। अब कमियां हैं और लोगों को कई बार आना पड़ा है, लेकिन मैंने मजबूरी भी अर्ज कर दी है। आखिर एरियर्स हैं और लोगों को आना पड़ता है तो क्या मुझे नहीं सूझता? क्या लैंड रिफार्म कमिश्नर की आंखें बंद थीं? मैं जब जाता हूं तो आफिसर्स की मीटिंग करता हूं और जो उनके सुझाव आते हैं तो फौरन उन पर ध्यान देता हूं। यहां आकर ला में या रूल में जैसी भी जरूरत होती है तरमीम करता हूं। जब दुनियां के काम गवर्नमेन्ट की तरफ से होते हैं तो क्या यह मामूली सी बात हमारे नोटिस में न आती? यह नहीं है कि हार्टलेसनेस या कैलसनेस या नाकाबलियत के साथ काम हो रहा है। हां, जितनी काबलियत से माननीय मित्र चाहते हैं उतनी काबलियत से न हो सकता होगा।

अधिष्ठाता महोदय, एक बात यह कही गई कि अदालत पंचायतों को करेक्शन करने की पावर्स थीं। उनमें हमने तरमीम कर दी है इन शिकायतों के आने पर कि अदालत पंचायतों में बहुत एरियर्स हो गये हैं। लाखों केसेज म्यूटेशन की वजह से पैदा हो गये हैं। उसी समय ३४ लाख करेक्शन्स का भी सवाल था और यह ड्राइव चल रहा था। हमने ला में अमेंडमेंट किया कि यह पावर्स तहसीलदार को दी जायं।

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुल्तान आलम खां पीठासीन हुये।)

अधिष्ठाता महोदय, यह कहा जाता है कि पड़ताल जनवरी में होती है और १५ नवम्बर से वसूली शुरू हो जाती है। तो आपका जो कलेक्शन अमीन है उसको बताने का मौका ही कब मिलता है कि फलां किसान की कितनी रिलीफ होनी चाहिये। अगर मैं सही समझता हूं तो माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यही कहा था कि १५ जनवरी या जाड़े के दिनों में पड़ताल होती है।

श्री त्रिलोकी सिंह—मैंने यह कहा था कि १५ सितम्बर से खरीफ की पड़ताल होती है और उसी जमाने में लेखपाल जमाबन्दी के लिये तहसील में हाजिर रहते हैं।

श्री चरण सिंह—मैंने जनवरी का नाम सुना था या कुछ जाड़ों की बात कही थी। १५ अगस्त से ३० सितम्बर तक खरीफ की पड़ताल होती है और तभी वह जमाबन्दी तैयार करते हैं या उसके कुछ दिनों के बाद। १५ अगस्त से जो खरीफ की पड़ताल होती है उस वक्त फसल की जो हालत होती है वह हालत रेवेन्यू स्टाफ को मालूम होती है और खरीफ की मालगुजारी १५ नवम्बर से वसूल होती है। जमाबन्दी की लेखपाल और कानूनगो ३ कापी तैयार करते हैं। एक कलेक्शन अमीन को देते हैं। एक तहसील में देते हैं और एक कापी कहीं और जगह रहती है। फिर तहसील में पड़ताल के मुताबिक इन्दराज किये जाते हैं कि इस किसान की इतनी माफी है और इस किसान की इतनी माफी है, लेकिन यह प्रीलिमिनरी है। यह फाइनल

होती है २ महीने के बाद। फाइनल होने पर २,४ परसेंट का इधर-उधर फर्क पड़ता है। कलेक्टर जो प्रोपोजल भेजता है आमतौर पर वही मंजूर हो जाते हैं। जो २,४ परसेंट का फर्क हुआ तो वह फर्क करेक्ट हो जाता है और वह अगली फसल में कमी बेशी वसूल की जाती है, लेकिन जाड़ों में पड़ताल की जाती है रबी के लिये और रबी की वसूलयाबी होती है १५ अप्रैल से और कुछ जगह पर १५ मई से। इसलिये इतना टाइम पड़ताल के बाद होता है कि जो लास फसल का होता है वह जमाबन्दी में दिखाया जा सकता है।

श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)—१५ अगस्त से कौन सी फसल की वसूली की जाती है ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो इसका जवाब दे देंगे।

श्री चरणसिंह—मैंने कहा कि १५ अगस्त से पड़ताल शुरू होती है। त्रिलोकी सिंह जी ने फरमाया कि रिलीफ की पर्चियां तकसीम क्यों नहीं की जा सकीं जबकि १९३१-३२ में हो गई थी और १९४६-४७ में तकसीम हो गई थीं। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां जब १९३१-३२ में डिप्रेशन हो गया तो परमानेन्ट रिडक्शन रेन्ट में किया गया। उसके लिये ८-१० जिलों में जितना सेटिलमेन्ट का स्टाफ काम कर रहा था वह सब जिलों में तकसीम कर दिया गया केवल इन पर्चियों को तैयार करने के लिये। एडीशनल स्टाफ भी उस वक्त दिया गया। उस वक्त पटवारियों की संख्या आज से ड्योढ़ी थी। आज १८ हजार है उस वक्त २८ हजार थी। कई जिलों में सेटिलमेन्ट के स्टाफ को काम रोक कर इस काम में लगाया गया। एडीशनल स्टाफ भी लगा। मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी से कहा कि कोई पुरानी फाइल मिल जाय तो देख लिया जाय कि कितना कैसे काम हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं याददाश्त से कहता हूं, फाइल मिलना तो मुश्किल है। यहां पर फूडग्रेन्स ड्राइव में कितना खर्च हुआ उससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्च होगा। जब १८ फरवरी को यहां से भेजा उसके बाद भी वह दिया है। हर एक आदमी का लगान कितना है यह हिसाब लगाकर हम नहीं देते। कितना मुआफी काट कर नेट रहता है यही उनको बताते हैं। जब कि यहां पर जेड० ए०एफ० की ड्राइव थी उस वक्त काश्तकार इतने नहीं थे क्योंकि शिकमी को परची नहीं देते थे। अब तो सारे शिकमी भी काश्तकार हो गये। तो काश्तकारों की तादाद बढ़ गयी। उस समय काश्तकारों की तादाद कम थी और एडीशनल स्टाफ दिया जाता था। अधिष्ठाता महोदय, अब जो इधर में ५,७ साल से मुसीबत आ रही है वह एक वास्ट स्केल पर है। मालगुजारी तो हम को वसूल करना है १५ नवम्बर से और हमसे उम्मीद यह की जाती है कि १५ अगस्त से ३० सितम्बर तक हम जो पड़ताल करते हैं, उसके बाद अक्तूबर के मिडिल तक पर्चियां तैयार होकर, हिसाब हो कर, इंदराज होकर तकसीम कर दी जायं और दस्तखत होकर आ जायं मैंने इसके लिये कहा था कि फिजिकली इंपासिबिल है। उस वक्त रेवेन्यू मैनुअल के हिसाब से जो पर्चियां दी जाती थीं वह रेवेन्यू पेयर्स को दी जाती थीं, जमींदारों से जो माल-गुजारी ली जाती थी उनको.....

श्री गेंदासिंह—लैंड लार्ड की क्या बात थी ?

श्री चरणसिंह—लैंड लार्ड की तादाद थी वह कि जिनको पट्टीदार मालगुजारी देते थे। यह जो पट्टीदार अपनी-अपनी अलग-अलग मालगुजारी दाखिल करते थे यह रेयर केसेज हैं। यूं ९० परसेंट मालगुजारी वसूल होती थी थ्रू नम्बरदार। तो नम्बरदारों के जरिये जहां मालगुजारी वसूल होती थी वहां रेमिशन स्लिप्स नहीं दी जाती थीं।

श्री त्रिलोकीसिंह—हर काश्तकार को सन् १९३१ में छूट की पर्ची मिली थी। अगर माननीय माल मंत्री जी को एतराज हो तो मैं उनकी सेवा में पर्ची हाजिर कर सकता हूं।

श्री चरणसिंह—वह तो मान रहा हूं। वह तो परमानेन्ट रिडक्शन हुआ था। लेकिन.....

श्री अधिष्ठाता—अगर आप आपस में बातें न करें तो अच्छा है।

श्री चरणसिंह—मैं आपके जरिये उनको याद दिलाना चाहता हूं....

श्री त्रिलोकीसिंह—इत्तला के लिये क्वेश्चन करना मेरा फर्ज है ऐण्ड आई एम राइट.....

श्री अधिष्ठाता—क्वेश्चन का हक आपका है, लेकिन बीच में अगर जरूरत हो तो आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज करिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम १५८ की ओर दिलाना चाहता हूं, जो इस प्रकार है—

"The procedure in the Assembly in respect of a Bill to provide for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the State shall be the same as for other Bills."

और इस बिल के संबंध में नियम ११९ में यह है—

"The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments with regard to the effect of amendments made in the Bill. In making his speech a member shall not refer to the details of the Bill further than is necessary for the purpose of his argument."

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय मंत्री जी बहुत डिटेल में जा रहे हैं और एप्रोप्रियेशन बिल में इतने डिटेल में वह नहीं जा सकते। इसलिये यह प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, आज सुबह यह सवाल उठाया गया था और स्पीकर महोदय मावलंकर साहब की रूलिंग की बिना पर यह रूलिंग दे चुके हैं कि सब तरह की बात कही जा सकती है। आज सुबह ही उन्होंने रूलिंग दी है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय मंत्री जी पौन घंटे बोल चुके हैं और बराबर रेवेन्यू विभाग के बारे में ही बोल रहे हैं। तो एक ही विभाग पर इतनी लम्बी बहस करने के पात्र माननीय मन्त्री जी नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य को याद होगा कि माननीय स्पीकर साहब ने आज सुबह ही अपनी राय का इजहार किया था और रूलिंग दी थी और उन्होंने बहुत वजाहत के साथ यह बतला दिया था कि टैक्सेशन के अलावा और तमाम बातों पर बहस की जा सकती है और मैं समझता हूं कि वैसे भी यह सवाल बहुत देर से उठाया गया है। माननीय मंत्री जी की तकरीर खत्म हो चुकी है और थोड़ी सी बाकी है, इसलिये थोड़ा सब्र से काम लीजिये।

श्री चरणसिंह—मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस समय माननीय त्रिलोकी सिंह जी तकरार कर रहे थे, जहां तक मुझे याद है, मैं बिलकुल खामोश रहा बावजूद एक नहीं, अनेक मिसस्टेटमेंटों के और मैं मिसस्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा था कि नहीं दिया जाया करता था। वह एक एक्सेप्शनल बात थी। सिवाय मैंने दुबे जी से एक सवाल करने के और कुछ नहीं कहा था।

श्री अधिष्ठाता—अगर आपस में सवाल-जवाब न होते तो ज्यादा अच्छा था।

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जमींदारों को रेमिशन स्लिप इसलिये नहीं दी जाती थीं कि उनसे मालगुजारी गवर्नमेंट वसूल करती थी और गवर्नमेंट के अफसरान गलत या ज्यादा रकम वसूल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। लेकिन काश्तकारों को यों रेमिशन स्लिप दी जाती थी कि उनको

यह मालूम हो कि वे रेन्ट में रेमिशन के हकदार हैं। अब मालगुजारी गवर्नमेंट को सीधे दी जाती है, इसलिये ज्यादा देने का सवाल नहीं उठता है। इसलिये १८६ इन्सट्रक्शन के मुताबिक भी कानूनन लाजमी नहीं है कि उनको दी जाय।

एक साहब कह रहे थे कि हमारे स्कूल की और विधान सभा की मीटिन्ग में फर्क होता है। खैर, मैं क्या कहूं।

यह जो कहा जाता है कि सभापति को, जिस समय डैमेज का असेसमेन्ट हो, उनको रेवेन्यू स्टाफ को साथ लेकर जाना चाहिये, टैक्स के असेसमेन्ट में प्राइवेट आदमी रहे, जिस पर टैक्स लग रहा हो, यह हमने आज नई बात सुनी है। क्या उससे इतने ऊंचे कैरेक्टर की आशा की जाय कि अपने ऊपर मालगुजारी लगती होगी तो उसमें अगर नुकसान २ आने होगा तो २ आने ही दिखलायेगा, ढाई आने दिखलाने की कोशिश नहीं करेगा, या ज्यादा दिखलाने की कोशिश नहीं करेगा, जरा बात समझ में बैठती नहीं है या जिन लोगों ने उसके खिलाफ राय दी हो उनके साथ भी वह उतना ही निष्पक्ष होकर बर्ताव करेगा जितना उनके साथ जिन्होंने उसके फेवर में राय दी हो, यह बात घट में उतरती नहीं। पहले भी कहा गया था कि रेमिशन वगैरह का असेसमेन्ट गांव सभापति के मश्विरे से हो, उस समय भी बहुत बहस के बाद यह बात नामंजूर की गई थी। यह प्रैक्टिकेबिल नहीं है।

एक बात और है। पोसपोनमैन्ट के मानी हैं स्थगन, और सस्पैन्शन के मानी हैं निलम्बन। कहा गया कि ६ सितम्बर को मैंने ऐसा कहा था। वह स्पीच मैंने करेक्ट भी नहीं की। ससपैन्शन की जगह मुझसे पोसपोनमेन्ट निकल गया अगर्चे उसके आगे ही सस्पैन्शन था। तो उसकी बिना पर कोई दलील नहीं हो सकती।

कहा गया कि २६ लाख या साढ़े २१ परसेन्ट आधे एकड़ से कम के किसान थे १९४५ में, या एक साहब ने कहा था कि २ एकड़ तक के ५५ परसेन्ट किसान थे। टेबिल नं० ५, पेज ६, जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट, वाल्यूम २ के बेसिस पर कहा जाता है। कई बार मैंने यहां और आर्टिकिल के जरिये भी समझाने की कोशिश की है कि ये परसन्स नहीं हैं। १ करोड़ २३ लाख किसान थे सन् ४५ में और एक परिवार में ५ आदमी मानकर क्या ६ करोड़ १५ लाख किसान १९४५ में थे जो कि सन् १९५१ में कुल आबादी थी? ५५ परसेन्ट होल्डिन्ग्स २ एकड़ से कम हैं, ५५ परसेन्ट होल्डर्स नहीं हैं। कुछ ऐसी ही गलती हमारे लीडरों ने कांग्रेस अग्रेरियन रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट में सन् १९३२ में की थी। होल्डिन्ग्स परसेन्ट और फेमिलीज में बड़े-बड़े इकानामिस्ट्स गलती करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी किसानों की कैसे हो सकती है? यह असल में होल्डिन्ग्स की तादाद है, होल्डर्स की नहीं है।

यह कहा गया कि टेस्ट वर्क्स के जरिये कुंवें नहीं बनवाये गये और फेमीन डिक्लेयर नहीं किया गया। मैंने अर्ज किया था कि इस देश में अब फेमिन नहीं पड़ेगा, न आज और न १० वर्ष के बाद। अकाल जब पड़ता था जब कि मीन्स आफ ट्रान्सपोर्ट ठीक नहीं थे, मुल्क के एक हिस्से में पैदावार हो और दूसरे हिस्से में न पहुंचाई जा सके, या दूसरे मुल्कों से न मंगाई जा सके। लेकिन आज जब अपनी गवर्नमेंट हो गई है और मुल्क में और बाहरी कम्युनिकेशन्स इतने डेवलप हो गये हैं तो दूसरे मुल्कों से हम मंगवायेंगे चाहे कर्जे पर या कीमत पर। वे भेजेंगे। इसलिये फेमीन डिक्लेयर करने का सवाल नहीं पैदा होता है। फेमीन कोड आउट आफ डेट है। फेमीन का मतलब है कि लोग बाग अपने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ भागें, और भी कई अलामातें होती हैं। गवर्नमेंट अपनी ग्रुएल किचन्स खिचड़ी—वगैरह की खोलती है और लोगों को खिलाती है। साथ ही वेजेज के लिये कहा गया, हम नार्मल वेजेज नहीं दे रहे हैं, केवल ६ आने या ८ आने के दे रहे हैं। अगर ज्यादा वेजेज बढ़ाई जावें तो फिर टेस्ट वर्क का काम नहीं है।

सीलिन्ग का मेरे मित्रों का पुराना विषय है। वही दलीलें बार-बार दी जाती हैं और मैं भी उनका उत्तर कई बार दे चुका हूं। उनमें से एक का जवाब यह है कि क्यों न यह कर दिया जाय, चलो १ लाख का ही फायदा होगा? लेकिन किनको होगा? अगर सवा ६ एकड़

[श्री चरणसिंह]

की हम इकानामिक होल्डिंग मान लेते हैं तो ९० लाख पीजेन्ट फेमिलीज में जमीन किसे दी जायगी ? दूसरी बात यह है कि अगर अनइकानामिक होल्डर को दी जायगी, तो जिसके पास ४ एकड़ है उसे २ एकड़ दी जायगी जिसमें इकानामिक होने में थोड़ी ही कसर है या आधा देकर साढ़े पांच एकड़ कर देंगे । फिर मुआवजे और डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है । केरल तो बिल बनाने जा रहा है । ऐक्ट का पास करना बहुत आसान है । कांग्रेस गवर्नमेंट ने सीलिन्ग की, लेकिन उसका इम्पलीमेन्टेशन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अनुसार ३ साल के अन्दर हो जाना चाहिये, मगर उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं । अधिष्ठाता महोदय, मैं खुद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के हक में हूं । आज नहीं सन् १९४६ के पहले से । प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन है, रूलिंग पार्टी की यही पालिसी है, ये सब बातों के होते हुए भी यह कहा जाता है कि इस तरह की पालिसी और रिकमेंडेशन किसी जगह नहीं है । देखना यह है कि अगर जमीन का बटवारा किया जाता है तो हमारी जो प्राब्लम है वह हल भी होती हैं या नहीं, या और ज्यादा प्राब्लम्स हमारे सामने तो उसकी वजह से नहीं आ जायेंगी । अब अगर प्लानिंग कमीशन के अनुसार लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर भी दिया जाय तो हमारे सामने और भी सवाल आयेंगे । किसको दी जाय ? कितनी दी जाय ? लोगों को मुआवजा कहां से दिया जाय ? जिस आदमी की जमीन है, जिसमें से वह टुकड़ा तोड़ा जा रहा है उससे कौन सी जमीन ली जाय ? जो बढ़िया है वह ली जाय या जो घटिया है, वह ली जाय ? इसकी ज्वायस जो होगी वह किसकी होगी ?

(इस समय ४ बज कर २७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

अब सवाल आता है अधिक से अधिक कितनी जमीन लें । मान लीजिये ५० एकड़ अधिक से अधिक रखें तो क्यों नहीं ३० एकड़ और क्यों नहीं २० एकड़ ? अब दी कितनी-कितनी जाय ? मान लीजिये ५-५ एकड़ भी दी गयी तो कुछ लोगों के पास २० एकड़ भी होगी । तो फिर भी यह डिसपेरिटी रहेगी ही । तो यह भी क्यों रहे ? सब लोगों के पास बराबर ही क्यों न रहे ? फिर कलेक्टिव फार्मिंग की बात आये तो अगर वे राजी हों तो सही वरना खैर..... तो ये प्राब्लम्स पैदा होती हैं । इस लिये अगर जमीन हो तो हम उसको बांटने के लिये तैयार हैं और उसके लिये हमारी रिकमेंडेशन्स हैं । अगर बहुत सी लार्ज होल्डिंग्स हों तो मैं पहला आदमी हूंगा जो यह कहेगा कि लैंड को तकसीम कर दिया जाय । हमारे यहां तो जमीन आल-रेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है । जहां दूसरे सूबों में काश्तकारों को राइट दिये गये हैं वहां जमींदारों को भी राइट आफ रिजम्पशन दिया गया है । राइट आफ रिजम्पशन दो स्टेट्स में दिया गया है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ५८-५८ प्रतिशत तक दिया गया है । तो वहां पर बेदखली भी हुई है और रिडिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है, लेकिन हमारे यहां एक किसान को भी बेदखल नहीं किया गया । हमारे यहां तो जिनका नाम भी था उनमें से भी ८५-९० प्रतिशत को बेदखल नहीं होने दिया । राइट आफ रिजम्पशन एक आदमी को भी नहीं दिया । तो यह कहना कि पहले बेदखल करें और फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन करें, यह दोनों चीजें कांट्रेडिक्टरी हैं ।

अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आने से पहले मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने माननीय त्रिलोकीसिंह की स्पीच को बड़े गौर से सुना, क्योंकि परमात्मा करे कोई दिन आये और वे आकर यहां बैठें । आज की केबिनेट में मेरा दसवां नम्बर है काबलियत के लिहाज से । लिहाजा जब वे आयेंगे तो माननीय सम्पूर्णानन्द जी की जगह बैठेंगे । तो जो आदमी माननीय सम्पूर्णानन्द जी की जगह लेने वाला है उसका मैं उतना ही अदब करता हूं जितना कि डाक्टर साहब का । इसलिये मैं सोच रहा था कि उनसे कुछ सीखूं । लेकिन मुझे निराशा हुई । उन्होंने परस्पर विरोधी बातें कहीं । मैं कह नहीं सकता उन्होंने न जाने क्या क्या जेम्स यहां बखेरे । कहते हैं कि आपकी जो कंसालीडेशन की रफ्तार है इससे आप २५ साल में जाकर कर पायेंगे, गो हमारा अन्दाज तो १५ साल का है । तो उस चकबन्दी के सिलसिले में आगे उन्होंने कहा कि उसके स्टाफ को आपने सरसरी अख्तियारात दे रखे हैं, इससे यह मालूम होता है कि स्टाफ को सरसरी अख्तियारात न देने चाहिये थे । उसके अख्तियारात रेवेन्यू कोर्ट को होने चाहिये थे ।

श्री त्रिलोकीसिंह---परमानेंट स्टाफ होना चाहिये ।

श्री चरणसिंह---बेकरार न होइये ।

आपका मतलब है कि समरी पावर न हो, रेगुलर प्रोसीजर हो । स्टाफ की बात तो मैं बाद में कहूंगा । जब रेगुलर प्रोसीजर होगा तो हर किसान को सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अख्तियार होगा । फिर तो दस-दस साल लगेंगे । मैं यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता है । हो सकता है कि जब माननीय त्रिलोकीसिंह यहां आयें तो कंसोलिडेशन की पावर रेगुलर कोर्ट को दे दें । लेकिन आज तक हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त न या किसी मुल्क ने । जहां कि कंसोलिडेशन हुआ है, रेगुलर कोर्ट को पावर नहीं दी है । अगर यह हो जाय तब तो २५ साल के बजाय २५० वर्ष लगेंगे । ये बातें परस्पर विरोधी हैं ।

दूसरी बात यह कही गयी कि अनट्रेन्ड आदमी भर्ती किये गये हैं, उनकी जगह पर ट्रेंड आदमी आने चाहिये । जहां तक ट्रेंड स्टाफ की बात है, १,२०० तहसीलदार हमारे पास हैं जिनमें से ५०० तहसीलदार कांसालिडेशन में लगे हुए हैं और व सूबे की २७ तहसीलों में काम कर रहे हैं । फिर वे आयेंगे कहां से, लिहाजा नयी भर्ती करनी पड़ेगी । आपने यह भी कहा कि ट्रेनिंग का समय साढ़े ४ महीने से बढ़ाकर ६ महीने का कर दिया जाय । इस बात को मानता हूं । लेकिन जहां तक ट्रेंड आदमियों की बात है, रेगुलर रेवेन्यू वर्कर कहां से आवें ? जितनों को हमने अपने यहां लगाया है वे एक तिहाई, एक चौथाई हैं । हमारे यहां १,५०० नायब तहसीलदार काम कर रहे हैं, फिर उनके लिये कोई न कोई काम तो होना ही चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो कहा जाता है कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, हर मेम्बर को यह अख्तियार दे दिया गया है कि वह खुद तहकीकात करके और खुदा को हाजिर-नाजिर मान कर अपनी आत्मा की आवाज से अगर यह गवर्नमेंट को कह देता है कि यह आदमी रिश्वत लेता है और गिल्टी है तो रेवेन्यू मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि उसको हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि यह आदमी गिल्टी है और उसके मुताबिक अमल भी किया गया । अध्यक्ष महोदय, चाहे माननीय त्रिलोकी सिंह को अपने मुताल्लिक और अपने साथियों के मुताल्लिक विश्वास न हो, लेकिन मुझे उन पर विश्वास है और मैं खुशी से साथ यह एलान करता हूं कि तीन-चार मेम्बरों ने हमसे कहा कि हमने तहकीकात कर ली और जितने मामले थे, जिन पर मैंने ऐक्शन लिया, सिर्फ एक को छोड़ कर सब सही थे, उन लोगों ने बड़ी रिस्पांसिबिलिटी के साथ काम किया था । राजा यादवेंद्रदत्त जी दुबे यहां चाहे जो कुछ कहें, माननीय त्रिलोकी सिंह भी यहां चाहे जो कुछ कहें, लेकिन जब उनके ऊपर मैंने एक बर्डन डाला कि मोहनलालगंज जो आपके जिले में पड़ता है, वहां के भ्रष्टाचार क सम्बन्ध में मुझे कोई चिट्ठी लिखें, तो उन्होंने मुझे आज तक इस सम्बन्ध में चिट्ठी नहीं लिखा, इसका मतलब यह है कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है । वैसे पब्लिक मीटिंग में वहां भी कहा जाता होगा कि भ्रष्टाचार है, जैसे कि यहां विधान सभा में भी होता है । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं होती है और जब कोई कार्यवाही की जाती है तो कहा जाता है कि यह क्यों किया ? न सीधे लेटें, न उल्टे, किस करवट लेटें, यह तो बतलाइये । इस तरह का रिऐक्शन आपको ही मुबारक हो ।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि बाम्बे गवर्नमेन्ट इसकी काफी कास्ट बर्दाश्त करती है, साढ़े ५,६ रुपये फी एकड़ खर्च वहां है । हमारे यहां भी पौने ४ रुपये फी एकड़ खर्च है जिसमें से डेढ़ रुपया फी एकड़ इन्सटालमेन्ट के जरिये लेने का प्रस्ताव हम कैबिनेट में ले जाकर तय कराने वाले हैं । यह सरकार भी २ रुपया प्रति एकड़ खर्च करती है । गवर्नमेन्ट के खर्च करने का मतलब यह है कि जनता का पैसा सरकार खर्च करती है । अपने पास से खर्च करने का क्या मतलब है ? अगर हम सीधे उनसे वसूल न करें तो कहां से पैसा आयेगा ? क्या वह कहीं आसमान से आयेगा ? जो साढ़े ६७ प्रतिशत किसान हैं अधिकतर

[श्री चरणसिंह]

उन से ही आयेगा। इसलिये ऐसी बातें किसानों को बहकाने के लिये ही की जाती हैं, लेकिन उनमें विवेक पैदा हो रहा है कि कौन भले के लिये कह रहा है और कौन प्रोपेगेन्डा के लिये कहता है ।

एक बात यह भी कही गई कि यह जो कलेक्शन एजेंसी है वह स्थायी होनी चाहिये। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अभी इस को कायम हुये केवल ५ वर्ष हुये हैं और अगर उसको हम स्थायी कर दें और साल दो साल में इस नतीजे पर पहुंचें कि कोई और कलेक्शन का अच्छा तरीका हो सकता है तो हमारे सामने दिक्कत होगी। अभी यह मामला जेरेगौर है और इसीलिये हमने अभी ऐसा नहीं किया है, एक यही हरडिल है जो हमें रोक रहा है।

दुबे जी ने यह भी कहा कि बड़ा भ्रष्टाचार और अन्याय हो रहा है। मुझे दुबे जी के साथ बड़ी हमदर्दी है। वजह यह है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई अनपार्लियामेंटरी बात तो नहीं हो रही है। उन्होंने गोरखपुर में स्त्रियों की इज्जत वगैरह की बात कही--मैंने उसी रोज कलक्टर से वह बात कही क्योंकि उनके नोटिस में वह बात नहीं थी, लेकिन उसका जिक्र कर के यहां पर एक जनरलाइजेशन किया गया जैसे कि अभी एक कारेसपांडेंट ने मुरादाबाद से लिख दिया। मैंने उस पर कलक्टर को कहा कि जरा उन से कन्टैक्ट करके मालूम करो कि कैसे लिख दिया। उसने कहा कि मैंने तो केवल इम्प्रेशन पर ही लिख दिया था, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन सवाल यह है कि पढ़ने वालों का इम्प्रेशन उससे क्या बनता है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री चरणसिंह—मैं ईल्ड नहीं करता ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने जो पत्र लिखा था उस में मैंने पूरा जिक्र नहीं किया था, केवल इस तरफ मैंने ध्यान आकृष्ट किया था कि इसकी इन्क्वायरी की जाय ।

श्री चरणसिंह—वह तो हो रही है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं केवल २ मिनट और लूंगा। कई रोज से यह जिक्र होता रहा है कि मालगुजारी की वसूलयाबी में बड़ी ज्यादती हो रही है। मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि हमारे यहां जो साढ़े ६७ प्रतिशत किसान हैं और जो ९० लाख फेमिलीज हैं, अलग-अलग उनके खाते हैं और हजारों राज कर्मचारी उनसे मालगुजारी वसूल कर रहे हैं, उन से कभी कोई गलती होती ही न होगी। जरूर होती होगी। अभी उस रोज इसी बात पर मैंने उन चार माननीय सदस्यों को पत्र लिखे, श्री मदन पांडेय को, श्री राजनारायण को, श्री दुबे को और श्री झारखंडे राय जी को कि आप के पास जो मिसालें हैं मालगुजारी में वसूली की ज्यादतियों की उन की आप ने तहकीकात कर ली होगी और जिन की बिना पर आपने अपनी तकरीरें की हैं वह कृपा कर के मेरे पास भेज दें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक मित्र ने तो उस का जवाब ही नहीं दिया, दूसरे मित्र ने दिया तो २ मिसालें दीं। एक मिसाल तो वही थी देवरिया की जो दूसरे मित्र लिख चुके थे और दूसरी मिसाल वह थी जो तकरीर करने के बाद की थी और तकरीर करने के बाद उनके पास आई थी, उसकी बिना भी तकरीर के वक्त नहीं थी। तो उन की जो तकरीर हुई थी वह उसी इत्तला पर हो रही थी जिस पर श्री राजनारायण जी की तकरीर हो चुकी थी। यह दूसरे की हकीकत रही। अब एक साहब और हैं, उनकी केवल ५ मिसालें हैं, दूसरे साहब की गोरखपुर की तरफ से उसमें भी गालिबन चार या पांच मिसालें हैं। तो पांच और पांच दस और पांच पन्द्रह और पांच बीस और पांच पचीस मान लो। हालांकि २५ शिकायतें मेरे पास आयी नहीं, लेकिन फार आर्गूमेन्ट सेक मैं २५ मान लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर ९० लाख किसानों में से २५ जगह गलती

हो गई और मैं यह मान लेता हूं कि वह बातें जो मेरे मित्रों ने लिखी हैं उनमें से शायद ही कोई उनकी जाती इल्म में हो, लेकिन फर्ज कर लीजिये कि २५ सही हैं तो क्या यह केस इस बात के लिये है कि अत्याचार हो रहा है ? अन्याय हो रहा है ? यह केस तो इस बात का है कि मेरी नोटिस में वह चीज लायी जाय और तत्काल कार्यवाही अगर मैं न करूं तो नो कान्फिडेंस का मोशन मुझ पर लाया जाय। लेकिन उसको जनरलाइज करके वह बातें कही जायं, अध्यक्ष महोदय, मैं खूब समझता हूं कि वह क्यों कही जा रही हैं ? एक मित्र मेम्बर हैं पार्लियामेंट के गोरखपुर डिवीजन के, मैंने उनको पत्र लिखा और यही मैंने लिखा जो मैंने अर्ज किया. . .

श्री अध्यक्ष—आप ऐसे ग्राउन्ड्स में जा रहे हैं जो कि खतरे से खाली नहीं हैं ।

श्री चरणसिंह—मैं तो चाहता हूं। मैं तो खतरा इनवाइट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सही बात कह रहा हूं कि यह क्यों हो रहा है। आखिर मुहकमा माल पर यह कृपा कटाक्ष क्यों है ? वह केवल इसलिये है अध्यक्ष महोदय, कि साढ़े ६७ परसेंट वोटर्स किसान हैं। एक बात और भी है, वह यह कि हमारी सबकी कमजोरी है कि हम अपने आपको परपेचुएट करना चाहते हैं .....

श्री अध्यक्ष—वही मैं कह रहा था।

श्री चरणसिंह—लिहाजा पांच साल के बाद भी चुनकर आना चाहते हैं और हो सके तो बड़ी ताकत के साथ। तो एक तो यह समझ में आने वाली कमजोरी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करता हूं कि यह समझ में आने वाली कमजोरी तो है, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ? लोग पुअर हैं, मिजेरेबिल हैं, कंट्री ही पुअर है, फिर हमारा सूबा तो और भी वरीड स्टेट है। इसका डवलपमेन्ट करना है। इसके फंड्स कहां से आयेंगे ? अगर कर्ज भी लेंगे तो कहां से लेंगे ? अल्टीमेटली वह रुपया उन्हीं पुअर और मिजरेबिल लोगों से आयेगा ताकि उनकी बोनस में कुछ चिकनाई आ जाय। अब कुछ कंट्रीज में तो डिक्टेटरशिप चला। वहां उन्होंने लोगों को खूब चूसा। अगर फेमिन भी हो जाय, जरखेज से जरखेज इलाके के लाखों आदमी मर जायं मगर व्याख्यान नहीं दे सकते थे, जबान नहीं खोल सकते थे, दूसरी पार्टी एलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती थी, उस तरह से उन्होंने मुल्क को डेवलप किया। हमने डिक्टेटरशिप का जरिया नहीं चुना, हमने डेमोक्रेसी के जरिये मुल्क को डेवलप करना तय किया। तो डेमोक्रेटिक मेथड से चलेंगे तो हर तरह की फ्रीडम है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने दोस्तों से कि क्या उस फ्रीडम का हम यह फायदा उठायेंगे कि टैक्स का देना हर इन्सान को बुरा लगता है लिहाजा टैक्स न दिया जाय, परमानेन्ट एग्जेम्प्शन कर दिया जाय, हर फसल की मालगुजारी माफ कर दी जाय, छोटों बड़ों का कोई लिहाज न किया जाय, जो टैक्स देने वाले हैं उन्हीं से तय किया जाय कि कितना वह देना चाहते हैं ? यह मालगुजारी वसूल होना बन्द हो जाय ? लेकिन फिर होगा क्या ? जो भी पार्टी इस तरह से पावर में आयेगी, वह लोगों के ऐसपिरेशंस को इतना एराउज कर देगी कि वही पार्टी डिक्टेटर हो जायगी। फिर डेमोक्रेसी कामयाब हो नहीं सकती। कुछ चीजें सैक्रेड होती हैं। यह टैक्स बिलकुल न लगे, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट या लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट से निकाल दिया जाय, यह सब, यह तो हो सकता है, एक जनरल बात हुई; लेकिन उसके रिअलाइजेशन की बाबत कि ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है, इस तरह से आप लोगों को भड़का रहे हैं, लोग वाकई वरीड हैं, टैक्स देने लायक शायद ही एक परसेंट या दो परसेंट आदमी होंगे, लेकिन वह रुपया आयेगा तो कहां से ? तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि इसके पीछे राज है जो रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के ऊपर इतनी मेहरबानी की जा रही है।

इन शब्दों के साथ, मैंने जैसा शुरू में निवेदन किया था, तब आप तशरीफ नहीं रखते थे, अपने मित्रों को धन्यवाद दिया था कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं दो बात कह सकूं इस निहायत बेकार महकमे के बारे में, मुझे खुशी है कि मैं भी अपने विचार उनकी बातें सुन कर व्यक्त कर सका ।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे १० मिनट का वक्त चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आज ६ बजे तक हाउस बैठेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी माननीय वित्त मंत्री जी को अपनी बात कहने में। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जिससे झगड़े की बात पैदा हो और माननीय राजस्व मंत्री जी को दिक्कत हो उसका जवाब देने में ।

श्री अध्यक्ष---(वित्त मंत्री जी से) आपको कोई आपत्ति है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---एक बात तो यही हो सकती है कि यहां जो कुछ ऐसी बातें कही गई हैं उनके मुताल्लिक थोड़ा में कुछ अर्ज कर सकूं। तो अगर आइन्दा वक्त मिलने वाला है, कम करके . . . . ।

श्री अध्यक्ष---उसमें कुछ कम कर दिया जायगा ।

किसी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ?

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की सेवा में इसी सदन का बनाया हुआ कानून . . . ।

श्री चरणसिंह---मैंने अपने इधर के दोस्तों से कहा था कि रेवेन्यू पर नहीं बोलेंगे वह बोले नहीं। शास्त्रार्थ में यह होता है कि जो आदमी जितनी बार एक तरफ से बोलता है उतनी ही बार दूसरी तरफ से भी बोलता है। तो जो बातें मैं कह चुका हूं उनके मुताल्लिक कोई बात कहना या कोई नई बात कहना . . . . . .

श्री अध्यक्ष---अगर कोई ऐसी बात आयेगी तो ५ मिनट का मौका मैं आपको भी दे दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अगर कोई नई बात आयेगी तो हमको भी मौका मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि डिबेट में हर सदस्य को बोलने का हक है और आखिर में जिस विभाग के मंत्री के विभाग पर विवाद हो जाता है उसको बोलने का अख्तियार रहता है। मंत्री जी तो बोल चुके थे। लेकिन जब मैंने देखा कि गेंदा सिंह जी खास तौर पर कुछ बात कहना चाहते हैं इस कारण मैंने उनको बोलने की खास अनुमति दे दी। इसीलिये मैंने मंत्री जी को भी कह दिया कि उन्हें फिर ५ मिनट दे दूंगा उठाए प्रश्नों का जवाब देने के लिये ।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट, १९५० की धारा २६८ और २६९ की तरफ दिलाऊंगा। धारा २६८ में कहीं भी पोस्टपोन शब्द नहीं आया है। अगर २६८ के ही अनुसार मालगुजारी सस्पेंड की जा सकती है और रेमिट की जा सकती है या किसी प्रकार की छूट, रिलीफ दी जा सकती है नैचुरल कैलेमिटी में, वह मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में पढ़ देता हूं।

"268 (1) Notwithstanding anything contained in this Act, The State Government may, on the occurrence of an agricultural calamity affecting the crops of any village or part of a village, remit or suspend for any period the whole or any part of the revenue of any holding affected by such clamity.

(2) Whenever the State Government takes action under sub-section (1), it may remit or suspend the whole or any part of the rent payable by an *asami* in occupation of such land."

हमारा कहना यही है अध्यक्ष महोदय, कि गवर्नमेन्ट को या किसी मनुष्य को यह पावर नहीं है कि जो कुछ भी हमने लेजिस्लेशन में अख्तियार नहीं दिये हैं उनके अलावा कोई कार्यवाही करे। तो इसमें सिर्फ सस्पेंशन और रेमिशन की गुंजायश है। पोस्टपोनमेंट की जो गुंजायश उन्होंने की, मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेन्ट ने इसलिये की कि इस कानून से बचने के लिये उसने एक दूसरा शब्द गढ़ा और किसानों के ऊपर जुल्म करने की बात सोची है और वह जुल्म है।

अब मैं इस रेवेन्यू मैनुअल में, जो उन्होंने मेहरबानी करके यह कहा कि १८६ में, यह तो बहुत पुरानी बात है जिस समय लैन्ड लार्ड थे, उस वक्त जो लोग पट्टीदारी खानदान के थे उसमें लम्बरदार जो मालगुजारी अदा करता था वहां परची बांटने की बात थी। अब मैं उनकी सेवा में यह बात रख दूं कि इस वाल्यूम को वे देख लें। ५६ में यह छपा है और रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री जहूरुल हसन का इसमें फार्वर्डिंग नोट है।

"Since the last addition of the Manual of Orders of the Government of Uttar Pradesh in Revenue Department has exhausted, it has become necessary to bring out a new edition. During the last eight years there have been revolutionary changes in Revenue Laws and administration. This calls for a wholesale revision of the Manual. Chapters I-B, VIII, XXIX-A, XXXV, XXXVII, etc. have accordingly been revised. The rest of the reivsed Chapters will issue as and when they are finalized.

५६ में जब यह बात तय हो गयी कि पर्ची हमको देनी है तो मैं समझता हूं कि यह बात हाउस में उठनी नहीं चाहिये कि मैं कोई असत्य बात कह रहा हूं या राजस्व मंत्री जी कोई असत्य बात कह रहे हैं। मैं उनको जांच करने को कहूंगा। मैं माननीय नेता विरोधी दल और अपनी याददाश्त पर भी जोर डालना चाहता हूं कि स्लिप बांटने का काम १९३१-३२ में ही नहीं हुआ, यह काम उसके बाद भी १९४६ तक हुआ, लेकिन अब यह काम बन्द कर दिया गया। मंत्री महोदय फिर इसकी जांच करायें और देखें कि यह बात सही है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ग्लेअरिंग बातों की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जमींदारी एबोलिशन हुआ, यह एक बहुत बड़ा काम इस सूबे में हुआ। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री तथा माननीय सदन को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिये कि बंगाल मद्रास, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा व आसाम में भी जमींदारी एबालिशन हुआ। यह इकानामिक रिव्यू, आल इन्डिया कांग्रेस का आर्गन है, उसकी सन् ५३ की कापी से मैं कुछ आंकड़े उनकी सेवा में रखना चाहता हूं। आसाम में १६,७२,००० एकड़ पर से जमींदारी खत्म हुयी और उन्होंने ५ करोड़ के करीब कम्पेनसेशन दिया। उड़ीसा में १ करोड़ एकड़ पर से जमींदारी एबालिश हुयी और उन्होंने १० करोड़ ५ लाख रुपया कम्पेनसेशन दिया। मध्य प्रदेश में ३,९४,४०,००० एकड़ पर से जमींदारी खत्म हुयी और उन्होंने ६८ करोड़ ५ लाख रुपया कम्पेनसेशन दिया और यहां ५,२५,००,००० एकड़ पर से जमींदारी एबालिश हुयी और आपने १ अरब ४० करोड़ रुपया कम्पेनसेशन का दिया। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा लेकिन किसान ने कोई कसूर नहीं किया, अध्यक्ष महोदय, चाहे वह उत्तर प्रदेश में बसता हो या मध्य प्रदेश में, चाहे बंगाल में बसता हो या पंजाब में, कि उस पर बोझा पड़े। मध्य प्रदेश में होता तो उस पर जमीन का मालिक बनने का इतना बोझा नहीं पड़ता जितना कि यू०पी० में होने से पड़ा। तो यह बात मैं जरूर चाहता हूं कि मंत्री महोदय याद रखें और ज्वाइंट रिसपांसिबिटिली को ध्यान में रख कर भी याद रखें कि किसान पर बोझा अधिक इकानामिकली नहीं पड़ना चाहिये। इसमें देश का भी और उनका भी कल्याण होगा।

फूड मिनिस्टर ने पूर्वी जिलों का दौरा किया और फिर २८ नवम्बर, १९५७ को प्रेस कांफ्रेंस की। इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट की कापी इस वक्त मेरे पास है। इसमें मैं देखता हूं कि गाजीपुर,

[श्री गेंदासिंह]

बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया का जिक्र है। इन सब जगहों पर इसमें लिखा है कि लेट पैडी १२ आने खराब हुई। खरीफ की फसल में मक्का, ज्वार और बाजरा तीनों के बारे में लिखा है कि ये सब ८ आने बरबाद हुई। अरली पैडी में ४ आने, ८ आने, ६ आने, इस तरह से उसकी बरबादी है। सारा हिसाब जोड़ना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बलिया, देवरिया और गोरखपुर, इन तीन जिलों के बारे में कौन हिसाब लगाया है जिससे इनकी मालगुजारी जो ३ लाख, २ लाख और ३,८७,००० माफ हुई है उसका क्या कारण है ?

उन जिलों में खरीफ की फसल कितनी बोयी जाती है, जरा आप सुन लें। देवरिया में ४,२२,३७४ एकड़—एक वर्ष के मैंने आंकड़े लिये हैं, इसी के इर्द-गिर्द इस साल भी होगा। गोरखपुर में ५,५५,६५३ एकड़ खरीफ बोयी जाती है। खरीफ की फसल बरबाद हुई और मालगुजारी जिस हिसाब से माफ की है वह जरा हिसाब करके देखें। मैं कहता हूं कि फूड मिनिस्टर साहब के बयान से और उनके बयान से जमीन और आसमान का फर्क आयेगा।

उन्होंने यह कहा कि मालगुजारी की वसूली में हम सारे लोग जनरलाइज कर रहे हैं। मेरी जानकारी है और मैं वैसे खुद जाता नहीं हूं, क्योंकि जाता हूं और जो कुछ सुनता हूं उसको सुनकर के उनकी मदद नहीं कर सकता और जो उनके सचमुच अधिकार हैं उनको दिला नहीं सकता। दो दिन गया था। एक दिन तो एक गांव में और भिन्न-भिन्न जगहों की खबरें मिलीं। एक दिन की बात है जिस दिन गया था, ४ तारीख को, दूसरा कलेक्शन अमीन हमारे गांव में भेजा गया और उन्होंने बुलाकर कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उसमें से एक आदमी की कमर में रस्सा लगवाया, मेरे दरवाजे पर लगवाया। मेरे दरवाजे पर लगवाया, यह विश्वास करने लायक नहीं था। मैंने उसको बुलाया, उससे पूछा तो उसने बतलाया कि हां, आठ रुपया लिया तब छोड़ा। "हम बैठ जब गये तो हमें साफा लगा लिया कमर में।" जब पूछा कि कितनी देर लगाया तो उसने बतलाया कि एक घंटा लगाया। बात क्या हुई ? तो मालूम हुआ कि ८ रुपया लिया तो छोड़ दिया। ८ रुपये की रसीद दी, यह सही है, कोई जनरलाइज करने की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर राजस्व मंत्री सत्य को सचमुच परखना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं आप से हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर छोड़ दिया जाय जांच कराने का काम। आपकी तबियत खराब है, लेकिन जिस प्रतिनिधि को, एक या दो आदमियों को आप चाहें इसके लिये उस गांव में भेज दिया जाय और अगर ऐसे काम न हुये हों, यह बात साबित हो जाय तो हमारा और राजस्व मंत्री का फैसला हो जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय माल मंत्री।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। मैं उनका नाम पुकार चुका हूं, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—सुबह मुझे १० मिनट का समय मिलना चाहिये था, मेरा एडजर्नमेन्ट मोशन था। इसके अलावा जो अब दूसरा बिल आने वाला है, जिस पर मेरा फर्स्ट अमेन्डमेंट है उसमें से मेरा १० मिनट का समय काट लिया जाय, या मैं उस पर बोलूंगा ही नहीं। मैं अमेन्डमेंट भी वापस लेने के लिये तैयार हूं, लेकिन उधर का टाइम मुझे इधर दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप दिन भर कहां रहे ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—दिन में मैं कई मर्तबा आया।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब इस समय मौका नहीं दिया जा सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियमावली के रूल १५८ के सेक्शन २ के अधीन, जो कि ऐप्रोप्रियेशन बिल के बारे में है कि,

"The Speaker may suspend the operation of any rule for the timely passing of such Bills."

तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि टाइमली पासिंग आफ बिल का ५ बजे का समय निकल चुका है और ५ बजे के बाद पास होने के लिये आपने कोई रूल सस्पेंड नहीं किया, जब कि पहले पास हो चुका है कि ५ बजे के बाद दूसरे बिल पर बहस की जाय। तो बगैर किसी रूल के सस्पेंड किये हुये आगे नहीं चला जा सकता।

श्री अध्यक्ष—नियम में यह दिया है कि विनियोग विधेयक समय के अन्दर पारित करने के लिये मैं किसी नियम को सस्पेंड कर सकता हूं। यह कोई जरूरी बात नहीं है कि "मैं इस नियम को सस्पेंड करता हूं" यह कहूं। मैंने नियम सस्पेंड किया, इसीलिये मैंने कुछ सदस्यों को बोलने की अनुमति दे कर यह कह दिया कि १० मिनट का टाइम जो उन्हें दिया गया उसे बाद की बहस में से काटा जावेगा। इसका मतलब ही यह था कि मैंने यह नहीं माना कि ५ बजे कल कार्यवाही खत्म होना चाहिये। अब बहस ५ बजे के बाद भी चलेगी। इसका मतलब यही है कि मैंने ५ बजे तक के बैठक होने का रूल सस्पेंड किया है।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है मेरे माननीय मित्र ने चार बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। एक तो धारा २६८ जमींदारी एबालिशन एंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की ओर।

श्री अध्यक्ष—५ ही मिनट में आप जवाब दें।

श्री चरणसिंह—पौने पांच मिनट में खत्म करूंगा। मैं कानूनी जवाब ही दे रहा हूं क्योंकि कानून की दुहाई उधर से बहुत दी जा रही है। तो उस दफ़ा में लिखा है कि अमुक अमुक सूरतों में मालगुजारी रेमिट और सस्पेंड की जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट पोस्टपोन नहीं कर सकती। अगर मेरे दोस्त किसी बड़े वकील की यह ओपिनियन दिला देंगे कि गवर्नमेंट अपने ड्यूज को पोस्टपोन नहीं कर सकती तो फिर या तो मैं इस ऐक्ट को तरमीम कराऊंगा या उस आर्डर को तरमीम करूंगा। लेकिन मोटी सी बात है कि अपने रियलाइजेबिल ड्यूज को अगर गवर्नमेंट पोस्टपोन कर दे तो यह उसके अख्तियार से बाहर की बात नहीं है। मिसाल के लिये ए० आई० टी० ऐक्ट को ले लीजिये। उसमें भी यही है कि रियलाइजेबिल एमाउंट की वसूली पोस्टपोन की जा सकती है। सेल्स टैक्स ऐक्ट में भी यही है हालांकि इनमें कहीं यह लिखा नहीं है। रेमिशन करने की बात दूसरी है। अगर रेमिशन करने की बात भी न लिखते तब भी रेमिट कर सकते थे, लेकिन अपने अफसरों और पब्लिक को गाइडेन्स के लिये यह लफ्ज लिख दिया। लिहाजा इल्लीगल नहीं है। सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, मैं साफ कहता हूं कि किसी बड़े वकील से लिखा कर लाइये।

श्री गेंदासिंह—सारा मामला किसी वकील के सुपुर्द कर दिया . . .

श्री चरणसिंह—हमारे लीगल रिमेम्बरेंसर हैं, हमने उनकी राय ले ली है। अब जो आदमी चैलेंज करते हैं वे लायें आडिटर जनरल की रिपोर्ट को।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही जाती है कि किसान के साथ अन्याय करने के लिये गवर्नमेंट ने पोस्टपोनमेंट का नियम बना दिया है। मैंने अपने रेवेन्यू सेक्रेटरी से पूछा तो नहीं है, लेकिन यह एक पुरानी प्रैक्टिस है कि रियलाइजेबिल रेवन्यू अगर किसी वजह से रियलाइज न हो तो पोस्टपोन कर दिया जाय। यह जो उनको मुगालता हो गया है कि किसान के साथ सारी हकतलफी करने का ठेका उन्होंने ले लिया है और हम लोग सिर्फ जोर जुल्म ही उसके साथ करते हैं यह सही नहीं है।

[श्री चरणसिंह]

दूसरी बात यह कही गई कि जहूरुल हसन साहब की तरफ़ से यह छपा है। मैं कब कह रहा हूं कि यह फ़र्जी है? लेकिन यह रूल्स भी नहीं हैं। मैं बिना लीगल रिमेम्बरेन्सर को पूछे हुये कह सकता हूं कि रूल १८६ स्क्रैप हो चुका है। जिस तरह के वे आर्डर्स हैं इसी तरह के ये आर्डर्स हैं। दूसरी बात यह कि आपने तो सिर्फ यह पढ़ा कि यह जहूरुल हसन साहब की ओर से लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस रूल में है क्या? उसमें तो यह है कि रेन्ट पेयर्स को स्लिप दी जाती थी, जमींदारों को नहीं दी जाती थी एक्सेप्ट इन वेरी स्पेशल सरकमस्टेंसेज। यानी गवर्नमेन्ट जहां उनसे सीधे मालगुजारी वसूल करती थी उनको स्लिप नहीं देती थी। जमींदार धोखा न दे सकें इसलिये काश्तकारों को वह दी जाती थी।

तीसरी बात यह है, मैं अर्ज कर दूं कि आपने जो पढ़ा कि This calls for the wholesale revision जो रिवाइज हो चुका है उसमें चैप्टर ६ नहीं है। इसलिये पोस्टपोनमेंट करना इल्लीगल नहीं है और पर्चियां देना कानूनन लाजमी नहीं है। पहले तो दी जाती थीं तो अब वह हालत एकजिस्ट नहीं करती।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ५ मिनट हो चुके हैं।

श्री चरणसिंह—उस घड़ी से हुये हैं। एक मिनट और दे दिया जाय।

चौथी बात यह है कि मालगुजारी के रेट के बारे में और सूबों में तय हो चुका था। बिहार में नहीं हुआ था और मद्रास जो इतना बड़ा है उसके बहुत छोटे से हिस्से में हुआ था और उसकी केवल १७ करोड़ रुपये मालगुजारी आती थी। किसानों का बोझा बढ़ गया भाव बढ़ने से। यह बात समझ में नहीं आई। भाव बढ़ने से तो किसानों का फायदा होता है। वह लूज नहीं करता है। हां, मिडिल क्लास वाला लूज करता है जिसकी आमदनी फिक्स होती है।

पांचवीं बात यह है कि एक आदमी आप के दरवाजे पर बांधा गया, मैंने कब कहा कि मैं यकीन नहीं करता हूं। मैं यकीन करता हूं कि जरूर ऐसा हुआ होगा। मैंने तहकीकात के लिये मामला भेज रखा है। मेरी शिकायत तो यह है कि बजाय मुझे लिखने के जो यह जनरलाइज किया जाता है, मैं इस से प्रोटस्ट करता हूं। मैं तो कहता हूं कि २५ अमीनों ने ऐसा किया होगा, गिरफ्तारी है तो अटैचमेंट और कुर्की भी होगी। अब रहा यह कि रस्सी डाली, तो यह कर दिया जाय कि जो लोग रजाबन्दी से दे दें तब तो ठीक है वरना कोअर्शन इस्तेमाल न होगा, तब तो मैं छोड़ दूंगा, मैं तहकीकात करा रहा हूं। मुझे सूचना दी गई, मैंने कब इनकार किया है। मैं उनको कब गलत बयानी करने वाला मानता हूं। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। वह चाहे मेरे मुताल्लिक कुछ भी खयाल करते हों।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाब स्पीकर साहब, मैंने जो और बातें रेवेन्यू के अलावा सुनीं उनमें एक बिजली की कमी की बाबत थी। मैं उसका जवाब दूसरी स्टेटों से मुकाबला कर के दे चुका हूं। इसलिये मैं इसको दुबारा दोहराना नहीं चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि यह कहा गया कि 'केसा' अपने वर्कर्स को बोनस नहीं दे रहा है। इसकी पोजीशन यह है कि अव्वल तो यह गलत है कि बोनस नहीं दिया जाता है और उस हालत में दिया जाता है जब कि उनको दिया जाना नहीं चाहिये। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग यह है कि जो गवर्नमेंट कंसर्न्स हैं, उनके अन्दर जो वर्कर्स हैं उनको बोनस नहीं मिलना चाहिये। जो वर्कर्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको मिलना चाहिये।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—वर्कर्स को फायदा क्या हुआ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसमें फायदे और नुकसान का सवाल नहीं है। मैं तो आपको पोजिशन बतला रहा हूं। आपकी सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला किया कि सरकार के हाथ में जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें जो वर्कर्स हैं उनको बोनस नहीं मिलना चाहिये।

में बयान कर सकता हूं, लेकिन वक्त नहीं है। बावजूद इस रूलिंग के भी मैं उनको बोनस दे रहा हूं और हर साल देता हूं और जितना पिछली दफा दिया उससे भी ज्यादा दिया है। यह शिकायत उस तरीके की शिकायत नहीं हो सकती।

एक बात सूखा पड़ने की कही गयी कि वहां पूर्वी अंजला की तरफ ट्यूबवेल नहीं चल सके। दो दफा इसका जवाब मैं इस हाउस में दे चुका हूं और वजह भी बतला चुका हूं। कुछ दिन के वास्ते एक पावर स्टेशन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी उसको दूर करने में जो वक्त लगा उतने दिन तक वहां पानी जरूर रुका रहा लेकिन उसके बाद पानी मिलने लगा। यह वाकया ऐसा है कि जो दुनिया में हमेशा होता रहता है जिसकी वजह से ऐसा हुआ।

दूसरी बात यह कही गई कि हाइडल के इंजीनियर क्वालीफाइड नहीं हैं। मालूम नहीं कि यह कहां की बात है और किस तरह से मालूम हुआ कि ऐसा है। जब अंग्रेजों का जमाना था और यह हाइडल कायम हुआ था उस जमाने में थोड़े से अर्से तक सुनते थे कि फलां इंजीनियर जो है वह बिलकुल अनक्वालीफाइड है। उसको अंग्रेजों ने रखा था। अब जब से हमारे पास यह आया है हर साल क्वालीफाइड आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन की मारफत आते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी शक किया जाता है, लेकिन मैं तो कभी नहीं कहता कि कोई शक की बात है। उनके सामने उम्मीदवार जाते हैं। वह जांचते हैं और जांचकर अपना फैसला देते हैं कि यह नौकरी के काबिल है। उसको हम यहां रखते हैं। जो क्वालीफिकेशन गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक है उसके मुताबिक ही रखे जाते हैं। मैं नहीं जानता कि यह नई शिकायत कहां से आई। पूरे डिपार्टमेंट को ले लीजिये उसमें कुछ अनक्वालीफाइड भी हैं। हर महकमे में इस तरह से रहते हैं। उसमें कुछ ऐसा होता है कि थोड़ी तनख्वाह देकर या कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो वह ट्रेनिंग देकर उनको रख लेते हैं। इससे दोनों का फायदा रहता है।

एक बात यहां पर यह कही गई कि नागपुर से एक प्लांट खरीदा गया। उसकी खरीदारी में जो हाइडल के आफिसर्स थे वे जो बेचने वाले थे उनसे ७ परसेंट का कमीशन खाना चाहते थे। हजूर की इजाजत से मैं यह अर्ज करूंगा कि मेरे पास इसकी शहादत इतनी बड़ी है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह जो हाइडल का डिपार्टमेंट है यह कभी इस मामले में बदनाम नहीं हुआ कि इसके अन्दर करप्शन है। इस सदन में सालहा साल जितने जनरल डिस्कशन हुए हैं और करप्शन के ऊपर जो बहस हुई है उनमें किसी बहस में हाइडिल के बारे में यह शिकायत नहीं आई कि इसमें करप्शन है। वाकया यह है कि उस काम को मैंने पर्सनली किया। अगर कोई ७ परसेंट का लेने वाला हो सकता है तो वह मैं हो सकता हूं। वहां नागपुर वालों के पास एक प्लांट था। उन्होंने पावर स्टेशन लगाने का इरादा छोड़ दिया था। मुझको मालूम हुआ तो मैंने अपने यहां लगाने के वास्ते उसको खरीदना चाहा और दो आदमियों को उसको देखने के लिये भेजा कि वाक़ई वह लगाने के काबिल है या नहीं। उनमें से एक आदमी हाइडल का था। एक साहब और थे जिनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं है। उस समय शायद १९५३–५४ में उस शख्स ने ही उस का पता दिया था। जब उस प्लांट की कीमत का फैसला हुआ तो उस शख्स ने कुछ परसन्टेज कमीशन मांगा। वह बाहर का शख्स था। जो कीमत गवर्नमेंट दे रही थी उस में से वह प्लांट वालों से लेना चाहता था। इसकी खबर उन्होंने मुझको दी। चुनांचे वह परसन्टेज का किस्सा मेरे पास आया। चूंकि हम कीमत अदा करने वाले थे इसलिये उन्होंने उसको रिजेक्ट किया चूंकि परसन्टेज देना पड़ता था और वह भी हमारे पास आये तो मैंने उस किस्से को तय किया। मैंने यह फैसला किया कि तुम को कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो परसन्टेज का किस्सा इसके मुताल्लिक था और किसी किस्म की शिकायत हाइडिल में तो सुनने में नहीं आयी।

इस के बाद कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनके बारे में एक-एक लफ्ज में मैं अर्ज करना चाहता हूं। इकानामी कमेटी की रिपोर्ट छपने के बारे में कहा गया कि क्यों नहीं छापी जाती है। वह कमेटी बैठी हुई है और उसका काम खत्म हो रहा है। काम खत्म होने के बाद वह रिपोर्ट छाप दी जायगी।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

ऊंची तनख्वाहों को कम करने की बात आज फिर यहां सुनी। पहले भी इस हाउस में उसके जवाब में कहा गया है कि कुल ३०० आदमी हैं कि जो एक हजार रुपये से ज्यादा पाते हैं। तो उनसे कितना रुपया मिलेगा? इसकी निस्बत कहा जाता है कि हम रुपये की वजह से नहीं कहते बल्कि डिस्पेरिटी को दूर करने के वास्ते कहते हैं। मैंने इस बात को सोचा और मुझे हैरत हुई। एक आदमी जो १०० रुपया तनख्वाह पाता है अगर उसको मालूम हो जाय कि फलां आदमी जो २ हजार रुपये तनख्वाह पाता है, उसकी तनख्वाह में से ५० रुपये या २०० रुपये कम कर दिये गये तो उसको क्या कंसोलेशन हो सकता है। थोड़ी तनख्वाह जो पा रहे हैं उनको इस बात से कोई फायदा न होगा, उनको फायदा तो उनकी तनख्वाह बढ़ने से होगा। तो डिस्पेरिटी दूर करने की बात मुझे इस दलील में समझ में नहीं आयी और इसलिये मैंने जरूरी नहीं समझा कि किसी किस्म का मशविरा सरकार को इस बारे में दूं कि ऊंची तनख्वाहें घटा दी जायं। यह कहा गया कि उनका रेश्यो जो है वह कम हो जायगा, १/१० से घट कर १/९ या १/८ हो जायगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इससे उस गरीब को क्या फायदा होगा?

दूसरी बात यह कही गयी कि दो अरब का खर्चा रखा गया है और एक अरब की आमदनी थी तो इसकी निस्बत में तफसील से क्या कह सकता हूं, यह बतलाता हूं कि वाल्यूम २ जो है उसके पेज २ और पेज ४ पर रकमें लिखी हुई हैं और उनसे वह टोटल उनको मिल सकता है, जो इस बिल में पेश किया गया है। उसके अन्दर वह रखा गया है और उसमें किस हद तक वह रकम एक अरब कुछ करोड़ से आगे और बढ़ी है, उसकी तफसील उसमें लिखी है लोन्स के हेड के अन्दर। उस से वह रकम पूरी हो जायगी। इसके अलावा और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

आखिर में मैं एक बात अफसरों के मुताल्लिक कहने के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। उनकी निस्बत इस सदन के मेम्बरान में यह खयाल पैदा हुआ मालूम होता है कि उनको एक लाइसेंस है कि जिसकी बाबत जो चाहें कह दें बगैर इस बात को सोचे हुये कि उनको पूरे तौर पर उस बात की तहकीक भी है अपनी जगह पर या नहीं। वह भले ही किसी गासिप की बिना पर हो बाजार की या और तरीके से मालूम हुई हो, उसे वह इस सदन में आकर बयान कर देते हैं और इसके लिये वह प्रिविलेज्ड हैं और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इस से मुझे खतरा हुआ और पहले भी हो रहा था। कि यह खयाल जो मेम्बरान के दिलों में गलत तौर पर जम गया है इसकी तरदीद हो जानी चाहिये। मैं थोड़ा सा मशविरा आपकी खिदमत में आपके जरिये से पेश करता हूं जिस से पता चल जायगा कि यह जो प्रिविलेज है यह प्रिविलेज इतना एब्सोल्यूट नहीं है कि यहां आकर जिस किसी को जो चाहें कह लें। किसी आदमी को बिहाइन्ड दि बैंक, जो शख्स यहां मौजूद नहीं है, जो मन में आये कहें और यहां कुछ न हो सकता हो यह सही नहीं है, और वह इस मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में लिखा हुआ है, जो प्रिविलेज हाउस को है उसकी बाबत याद दिलाकर मैं इसमें से आपकी इजाजत से पढ़कर सुना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—किसी ने प्रिविलेज का सवाल तो उठाया नहीं है। आप अपनी राय दे दीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं अपनी राय दे रहा हूं और माननीय मेम्बरान का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। वे चाहें जिस नतीजे पर पहुंचें, यह उनको अधिकार है, लेकिन मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, उनको बता देता हूं। उसमें लिखा हुआ है—

"The Speaker having claimed and statutory recognition having been granted to the privilege of freedon of speech, it becomes the duty of each Member to refrain from any course of action prejudical to the privilege which he enjoys."

एक तरफ तो यह दिया हुआ है। दूसरी तरफ यह भी दिया हुआ है। आन्सन, वाल्यूम १ (पार्लियामेंट) का हवाला देते हुये यह लिखा गया है—

"The cases in which Members have been called to account and punished for offensive words spoken before the House are too numerous to mention (u). Some have been admonished, others imprisoned, and in the Commons some have been expelled (a)."

यह इसी किताब में लिखा हुआ है। एक तरफ तो यह लिखा हुआ है कि हाउस को प्रिविलेजेज हैं, लेकिन यह भी लिखा हुआ है कि यह लाइसेंस नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि इसको लाइसेंस की तौर पर नहीं समझना चाहिये कि हम यहां आकर चाहें जो कुछ कहें। इसमें कहा गया है कि लोगों को इसके लिये पनिश किया गया है।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब है कि हाउस ने सदस्यों को पनिश किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, हाउस ने बहुत से केसेज में मेम्बरान को पनिश किया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३ तथा अनुसूची

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग २,१६,८५,९७,५०० रु० (दो सौ सोलह करोड़ पचासी लाख सत्तानबे हजार पांच सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५८-५९ के लिये २,१६,८५,९७,५०० रु० का दिया जाना।

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं :

विनियोग।

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
१	कृषि आयकर की उगाही पर व्यय।	३,१४,९००	..	३,१४,९००
२	मालगुजारी ..	५,६८,७२,५००	६,०००	५,६८,७८,५००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
३	राज्य आबकारी ..	१,१९,१०,३००	..	१,१९,१०,३००
४	स्टाम्प ..	६,७६,४००	..	६,७६,४००
५	वन ..	२,३१,२२,९००	२८,४००	२,३१,५१,३००
६	रजिस्ट्री ..	१६,०१,२००	..	१६,०१,२००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण परिव्यय ..	१,४९,३२,९००	..	१,४९,३२,९००
८	अन्य-कर और शुल्क के कारण परिव्यय ..	४८,२०,१००	१०,०००	४८,३०,१००
९	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई-कार्य ..	४,१८,६९,१००	..	४,१८,६९,१००
१०	सिंचाई अधिष्ठान पर परिव्यय ..	३,७८,८३,६००	..	३,७८,८३,६००
११	अभियंत्रण संस्थायें ..	३१,६३,७००	..	३१,६३,७००
१२	सामान्य प्रशासन (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) के कारण परिव्यय ..	३,१८,८२,२००	१२,६१,२००	३,३१,४३,४००
१३	कमिश्नरों और जिला प्रशासन का परिव्यय ..	३,०१,६५,६००	..	३,०१,६५,६००
१४	गांव सभायें और पंचायतें	१,०४,९९,९००	..	१,०४,९९,९००
१५	न्याय प्रशासन ..	१,४६,२८,०००	२८,०३,४००	१,७४,३१,४००
१६	जेल ..	१,५६,९६,७००	..	१,५६,९६,७००
१७	पुलिस ..	८,९०,८९,५००	५,०००	८,९०,९४,५००
१८	शिक्षा ..	१६,१०,४५,८००	..	१६,१०,४५,८००
१९	चिकित्सा ..	४,०६,११,८००	..	४,०६,११,८००
२०	जन-स्वास्थ्य ..	२,४९,११,७००	..	२,४९,११,७००
२१	कृषि संबंधी विकास अभियंत्रण और खोजें ..	३,४७,४०,७००	७०,२००	३,४८,१०,९००
२२	उपनिवेशन (कालोनाइजेशन) ..	५५,४३,७००	..	५५,४३,७००
२३	पशु-चिकित्सा ..	१,८७,८५,०००	..	१,८७,८५,०००
२४	विद्युत् योजनाओं पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	२,७४,६२,०००	..	२,७४,६२,०००
२५	विद्युत् योजनाओं के अधिष्ठान पर व्यय ..	१,५०,०२,२००	..	१,५०,०२,२००
२६	सहकारिता ऋण ..	१,५३,३१,९००	..	१,५३,३१,९००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
२७	उद्योग ..	५,५७,७४,०००	१,०००	५,५७,७५,०००
२८	श्रम ..	१,६१,४४,१००	१,०००	१,६१,४५,१००
२९	परिवहन विभाग ..	५,८५,१८,०००	६६,०००	५,८५,८४,०००
३०	सूचना संचालक कार्यालय	..	..	..
३१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	५,७०,९८,३००	२,३१,०००	५,७३,२९,३००
३२	यातायात सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) ..	१३,०४,६००	..	१३,०४,६००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्य के अधिष्ठान पर व्यय..	७६,९१,६००	..	७६,९१,६००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (ग्रांट इन एड आफ सिविल वर्क्स) ..	१,०६,९२,१००	..	१,०६,९२,१००
३५	दुर्भिक्ष सहायता ..	३६,६६,२००	१६,००,०००	५२,६६,२००
३६	प्रादेशिक और राजनैतिक पेंशनें और भारतीय शासकों को निजी थैलियां ..	१३,३५,०००	..	१३,३५,०००
३७	बुढ़ौती भत्ते और पेंशनें ..	२,०९,३४,२००	१२,८९,६००	२,२२,२३,८००
३८	लेखन-सामग्री और मुद्रण	१,२९,६३,०००	..	१,२९,६३,०००
३९	विविध परिव्यय ..	४,०१,९३,४००	१००	४,०१,९३,५००
४०	अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का सुधार और उत्थान ..	१,४६,६४,५००	..	१,४६,६४,५००
४१	समाज कल्याण ..	४२,९९,८००	..	४२,९९,८००
४२	असाधारण परिव्यय ..	३५,९५,६००	७४,०००	३६,६९,६००
४३	योजना और सहयोग ..	९,३१,०२,३००	..	९,३१,०२,३००
	ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..	..	९,१६,९०,२००	९,१६,९०,२००
	ऋण को कम करना या उससे बचना ..	..	३०,१८,६८,४००	३०,१८,६८,४००
४४	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई साधनों का निर्माण	७,८०,०१,६००	..	७,८०,०१,६००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
		रु०	रु०	रु०
४५	कृषि योजनाओं पर पूंजी का लागत ..	१२,६३,००,०००	८,९९,९००	१२,७१,९९,९००
४६	औद्योगिक विकास ..	२,५५,५३,१००	..	२,५५,५३,१००
४७	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत ..	८,४३,६५,२००	..	८,४३,६५,२००
४८	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी का लागत ..	१०,३६,१०,७००	..	१०,३६,१०,७००
४९	कृषि अभियंत्रण सरकारी बस सेवाओं सहायता और पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	२,६४,७२,७००	१,००,०००	२,६५,७२,७००
५०	पेंशनों की संराशि (कम्यूटेड वैल्यू) ..	१८,७५,०००	२५,०००	१९,००,०००
५१	राज्य व्यापार की योजनायें पूंजी से की गई निक्षेप निधि का विनियोग ..	११,४२,१९,९००	..	११,४२,१९,९००
५२	ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण । ..	७,१६,२७,९००	..	७,१६,२७,९००
	योग ..	१,७६,६५,६७,१००	४०,२०,३०,४००	२,१६,८५,९७,५००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, ३ और अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८

३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५९ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव, भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, १९५८ कहलायगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये करता हूं कि इस सरकार को लगातार ६ वर्षों से यह चेतावनी दी जाती रही है कि वह इन फन्ड्स का ठीक तरह से इस्तेमाल करे लेकिन बराबर आडिट रिपोर्ट्स में यह ऐतराज आते रहे हैं कि तखमीनें नहीं हैं, बिल नहीं हैं, वाउचर्स नहीं हैं, सन् १९५५–५६ की आडिट रिपोर्ट में तो इसका टोटल ४१ करोड़ रुपया आता है । ५ करोड़ रुपये के लिये लिखा है कि प्रमाण-पत्र नहीं हैं, फिर भी अगर सदन इस सरकार को एक पैसा भी देता है तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता । जहां तक हमारी आवाज जाती है, मैं सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सरकार को, जो अनियंत्रित ढंग से खर्चा कर जाती है, एक पैसा भी खर्च करने की इजाजत न दें । इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत †)

श्री अध्यक्ष—अब माननीय न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया है । इस समय साढ़े ५ बजने में ३ मिनट बाकी हैं, तो साढ़े ६ बजने में ३ मिनट बाकी तक सदन चलेगा ।

श्री अध्यक्ष—उसमें यह था कि ५ बजे के बाद एक घंटा समय इस सदन ने बढ़ाया है इस पर विचार करने के लिये । तो सदन का समय तो एक घंटा बढ़ ही गया है । अब आधा घंटा समय कम हो गया है क्योंकि विनियोग विधेयक में आधा घंटा अधिक लग गया । तो उसमें से मैं वह समय काट लेता हूं और अगर समय ज्यादा लगा तो सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह ६ बजे के बाद सदन का समय बढ़ाने का प्रस्ताव कर सकता है और उसके बाद भी बैठ सकता है । लेकिन प्रस्ताव के अनुसार इस विधेयक पर ६ बजे तक विचार चलेगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी हक हो और जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करे ।

श्रीमन्, यह अमेंडमेंट इसलिये रखा गया है कि यह जो हमारा स्टैम्प ऐक्ट है, इसमें सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि वह दिन प्रति दिन वैल्यूएशन को बढ़ाती रही है । जब अव्वल मर्तबा यह इंडियन स्टैम्प ऐक्ट पास हुआ, तब से आजतक कोई न कोई पावर बढ़ाया गया है । जैसे ट्रांसफर को ही ले लें, गिफ्ट को ही ले लें, जहां इस पर पहले ८ रु० हजार था, फिर १२ रु० हजार हुआ और २४ रु० हजार अब हो गया है । इसी तरह से रजिस्ट्रेशन का है, पावर आफ एटार्नी

---

* ११ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही में छापा गया ।

† २६ मार्च, १९५८ की कार्यवाही से ।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

के लिये जहां पहले १ रु० था उसकी जगह ३ रु० हो गया है । गरज यह है कि सरकार ने कुछ ऐसा रवैया अख्तियार किया है कि स्टैम्प ड्यूटी निरन्तर वह बढ़ाती जा रही है । इसका असर यह पड़ता है कि गरीब लोग अपनी जायदाद को बेंचना तो दूर रहा, उसकी गिफ्ट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है । मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अल्मोड़ा के सिलसिले में एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री ने आज ही कहा कि ११ गांव बह गये और वहां के ४२ आदमी मर गये तथा उनकी २४० नाली भूमि बरबाद हो गयी। इस बात को माननीय मंत्री जी ने खुद तसलीम किया है । ऐसे तो सब के खेत बह ही गये, एकाध के कुछ खेत वहां बचे हैं उनको वह माया मोह में पड़कर पितरों के खेत होने की वजह से अपनी लड़की को ट्रांसफर कर देना चाहते हैं, लेकिन उस शख्स के पास चूंकि पैसा नहीं है इसलिये वह उसको ट्रांसफर या गिफ्ट नहीं कर पा रहा है । उस गांव की हालत यह है कि वहां के ११९ मवेशी तो बह गये, २६ पुख्ते घर टूट गये, और ४२ आदमी मर गये, लेकिन मदद के नाम पर सरकार ने उनको केवल १ हजार रु० दिया । जहां सरकार को टैक्स लगाने का हक है वहां उसका यह भी कर्तव्य है कि वह अपनी रियाया की परवरिश करे । माननीय चरण सिंह जी की मैं पर्सनली बड़ी कद्र करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास हार्ड फैक्ट्स लेकर आइये तो मैं न्याय करूंगा । मैं पूछता हूं कि इससे बढ़कर हार्ड फैक्ट्स और क्या हो सकते हैं, जहां के ४२ आदमी मर गये , उनकी केवल हड्डियां बची हैं, सैकड़ों मवेशी बह गये, उनके खेत बरबाद हो गये ।

श्री अध्यक्ष—यह स्टैम्प के विषय में कहां से आ गया ? आप स्टैम्प के विषय में ही कहें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, इतना तो कहने दीजिये, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—आप असंगत बातें कह कर ध्यान आकृष्ट न करें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं महज यह कह रहा हूं कि अगर कोई लड़की को गिफ्ट करना चाहता है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट बड़े डाउट करती है चाहे उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन कुछ भी हो, बड़ा लम्बा चौड़ा उसका प्रोसीजर होता है, एक्चुअल वैल्यूएशन चाहे पहले उसकी कुछ भी रही हो, लेकिन अब तो केवल यही है कि खंडहर बता रहे हैं इमारत अजीम थी । वह जमीन मकान सब खत्म हो गये अब तो चट्टान ही रह गई है । हम देखते हैं कि इस तरह से कुछ लोग गिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन हाई स्टैम्प ड्यूटी के कारण उनकी हालत यह हो गई है कि वह सोचते हैं कि क्या करें,उनकी मदद के मामले में हालत यह है कि १ हजार रुपया, ३ बीड़ी के बंडल और ९ दियासलाई और १८ बोतल मिट्टी का तेल दिया गया, गोया उसका मतलब यह रहा होगा कि जो कुछ रहा है उसमें भी मिट्टी का तेल छिड़क कर दियासलाई लगा दो । जहां इतनी बड़ी कैलेमिटी आई अलमोड़े में वहां केवल १,००० रुपया और जहां रोज बाढ़ आती हैं वहां आठ-आठ लाख, दस-दस लाख और बारह-बारह लाख रुपया दिया जाता है और जहां सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ४२ आदमी मरते हैं, ११९ जानवर मरते हैं वहां ..... मैं अध्यक्ष महोदय, दो मिनट में खत्म कर दूंगा.....

श्री अध्यक्ष—मैं असंगत बात नहीं बोलने दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह अर्ज कर रहा था कि जो सहायता दी जाती है उसमें इतनी डिसपैरिटी क्यों है, क्या हम उनके राज्य में नहीं रहते ? क्या हमको इन्सान नहीं समझा जाता ? अगर यही हालत रही तो अगले साल फिर यही हालत होगी और सुनने में आयेगा कि अलमोड़ा के फिर १०० आदमी मर गये ।

श्री अध्यक्ष—अब आप तकलीफ न करें, आप स्थान ग्रहण करें क्योंकि भाषण बिलकुल असंगत हो रहा है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—दूसरी बात मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जो ट्रांसफर डीड होते हैं, मारगेज डीड होते हैं या यह जो वाटर मार्क पेपर होता है वह पहले एक पैसे का और फिर दो पैसे का मिलता था । मेरा प्रस्ताव परिधि बढ़ाने का है इसलिये इस पर ठंडे दिल से गौर किया जाय कि यहां के लोग गरीब हैं इतनी ड्यूटी नहीं दे सकते । अब वाटर मार्क के दो पुराने पैसे के ५ नये पैसे किये गये और आज ५ नये पैसे की जगह स्टैम्प वेण्डर १ आना ले रहे हैं । इस तरह से कीमत एकदम दुगुनी हो गई है और आदमी उसको खरीद नहीं सकता । मैं समझता हूं कि यह भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेशन है । इसका अर्थ है कि अगर किसी को कर्ज लेना है तो वह पहले स्टैम्प ड्यूटी दे जैसे साहूकार लोग गांठ खुलाई ५ रुपया पहले ही ले लेते हैं। उसी तरह से सरकार ने अपनी स्टैम्प ड्यूटी पहले ही लगा ली । फिर हम यह भी देखें कि इस तरह से जो रुपया लिया जायगा उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा । आप देखें कि साढ़े ३ लाख के करीब रुपया लिफ्ट के लिये रखा गया था और सभासचिवों के निवासस्थान के लिये पहले ३० हजार रुपया रखा गया था सन् १९५६ में, लेकिन अब अगर आप बजट में देखें तो उसकी लिमिट बढ़ा कर ४० हजार कर दी गई है और कारण यह बताया है कि चूंकि सभासचिव और उपमंत्री की हैसियत ज्यादा है इसलिये लिमिट बढ़ाई जाती है । इस तरह से स्टैम्प से लिया हुआ रुपया व्यय होगा । यह नहीं कि उनकी जरुरत ज्यादा है, यह बात नहीं, उनकी हैसियत ज्यादा है । तो हैसियत की बिना पर उनके घरों के लिये रुपया रखा जा रहा है । इतना ही नहीं श्रीमन्, पुराना रायल होटल तोड़ा जा रहा है और फिर बनाया जा रहा है । कन्धारी बाजार की गली चौड़ी की जायगी । साढ़े ४५ हजार रुपया खर्च होगा । गवर्नमेंट हाउस में सड़कों का नवीनीकरण होगा । उस पर कई हजार रुपया खर्च होगा । लेकिन हमारे यहां के मरते हुये आदमियों के ऊपर १ हजार रुपया नहीं दिया जायगा । तो श्रीमन्, मैं कहता हूं कि इन सब बातों को देखते हुये पहाड़ों की तरफ ज्यादा तवज्जह दी जाय । उनको भी इन्सान समझा जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं कि यह स्टैम्प ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय जहां उसकी परिधि भी बढ़ाई जा सके ।

श्री अध्यक्ष—माननीय ब्रजनारायण तिवारी । अन्य जो संशोधन हैं माननीय जरगाम हैदर, भगवती सिंह विशारद, प्रताप सिंह तथा बंशीधर शुक्ल के हैं, वे वैसे ही हैं जैसा कि संशोधन अभी उपस्थित हो चुका है । लेकिन माननीय ब्रजनारायण जी का है जनमत संग्रह के लिये । तो आप उपस्थित करना चाहते हैं ?

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—मैं श्रीमन्, यह चाहता हूं कि हमारा खंडों में संशोधन है, मैं उसी पर बोलूंगा ।

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय सदस्यों ने इस बिल को देखने का प्रयास किया होगा । उसको देखने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दो बातें खासकर के हैं । पहली तो यह है कि देश में दाशमिक प्रणाली के प्रचलन के पश्चात् यह आवश्यक हो गया है कि स्टैम्प ऐक्ट जो कि १८९९ में बना था उसमें आने पाई जो हैं उनको दाशमिक प्रणाली में परिवर्तित किया जाय । इसके बाद दूसरी खास चीज यह है कि शिड्यूल (ए) जो है इस १८९९ के ऐक्ट में उसमें केन्द्रीय सरकार को ही परिवर्तन करने का अधिकार है । जहां तक शिड्यूल (बी) का प्रश्न है उसको प्रान्तीय सरकार परिवर्तित कर सकती है । उसके बाद करीब १९२० में प्रान्त की सरकारों को इस ऐक्ट को परिवर्तित करने का अधिकार मिला । उसके बाद इस प्रदेश में १९२३ में, १९३४ में, १९३६ में, १९३८ में, १९४३ में इस ऐक्ट में संशोधन हुआ। सन् १९४८ में सेक्शन ६ में और शिड्यूल २५ (बी) में जो था उसमें सन् १९५२ में परिवर्तन हुआ और उसमें जो संशोधन हुआ उसमें सेक्शन ६ में २ रुपया ८ आना लिखा हुआ है और शिड्यूल २५ (बी) में ३ रुपया लिखा हुआ है और जो शिड्यूल २५ (बी) है उसी के अनुसार स्टैम्प ड्यूटी लगती है। इसलिये इस असंगति को दूर करने के लिये, डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिये इसमें संशोधन किया गया है। इसके अलावा और कोई घटाने

[डाक्टर सीताराम]
बढ़ाने की बात नहीं है कि स्टैम्प ड्यूटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। कोई भी ऐसा प्राविजन इसमें नहीं है। सिर्फ उसको रेगुलराइज करने के लिये संशोधन को सदन के समक्ष उपस्थित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय यह ठीक प्रतीत नहीं होता। मैं इसका विरोध करता हूं कि यह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प ड्यूटी (संशोधन) विधेयक, १९५८ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी हक हो और जो एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ [U. P. Stamp (Amendment) Bill, 1958] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—३

ऐक्ट २, १८९९ की धारा ३ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ दिया जाय :

"*Explanation*—Where the amount of duty prescribed in Schedule I-B contains any fraction of a rupee below twenty-five naye paise, or above twenty-five naye paise but below fifty naye paise, or above fifty naye paise but below seventy-five naye paise, or above seventy-five naye paise but below one rupee, the proper duty shall be an amount rounded off to the next higher quarter of a rupee as hereinafter appearing in the said schedule."

ऐक्ट २, १८९९ की धारा ४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ (१) में शब्द "two rupees, eight annas", के स्थान पर शब्द "two rupees and fifty naye paise", रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

ऐक्ट २, १८९९ की धारा ६ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ६ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "two rupees eight annas", के स्थान पर शब्द "three rupees", रख दिये जायें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से खण्ड ४ की पंक्ति २ के शब्द "three rupees" के स्थान पर शब्द "two rupees" रख दिये जायं, यह संशोधन उपस्थित करता हूं।

श्रीमन्, अभी यह कहा गया कि कोई परिवर्तन के लिये यह बिल नहीं लाया गया। मैं भी समझता हूं कि पुराने सिक्के के स्थान पर नये सिक्के कर दिये जायं। केवल इसमें एक जगह मुझे एतराज है कि जहां पर प्रस्तावित विधेयक में खंड ४ में ढाई रुपये की जगह तीन रुपया रख दिया गया है। केवल अगर रूप ही बदलना चाहते हैं नये सिक्के में तो ढाई रुपये की जगह आप दो रुपया ५० नया पैसा रख दें। कल भी इसी प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया गया था जिसमें १ आने की जगह १० नया पैसा किया गया था केवल एक जगह। यहां भी केवल धारा ४ में आप ऐसा ही कर रहे हैं कि ढाई रु० की जगह ३ रुपया कर रहे हैं। अगर आप

इसको भूल समझते हैं तो इसको सुधार लें। अगर यह बात नहीं है, यह बिल देखा जाय १८९९ का है। श्रीमन्, दुनिया बहुत पहले ही बनी है और लिखने पढ़ने का काम भी चलता होगा। यह पहले बिल स्टैम्प के नाम पर बना था कि हमारे देश के लोग कोई लिखा-पढ़ी करना चाहें तो बाकायदा कुछ दें। उसके पहले भी लिखा पढ़ी होती होगी उसके पहले कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो श्रीमन्, आज ५९ वर्ष के बाद में यह देखता हूं कि उसमें बार-बार तरमीम की गई, जैसा मंत्री जी ने बताया कि १९३२, १९३४, १९३६ और १९४८ में तरमीमें हुईं। तो श्रीमन्, मैं जानता हूं कि जिस स्टैम्प का दाम आज से पहले १२ आना था और १२ आना के स्टैम्प पर जो रकम लिखी जाती थी उसका ड्योढ़ा, दूना कर दिया गया।

मैं एक मिसाल दूं। एक किसान था उसने बटाई पर खेत दिया था और जब उसको बेइमानी करने को हुई तो उसने २,४ आदमियों को इकठ्ठा कर लिया और कहा कि देखो भाई मैं इससे यह कहता हूं कि या तो मुझे गेहूं दे और यह भूसा ले/या यह भूसा ले और मुझे गेहूं दे। दोनों तरह से गेहूं ही उसके पास आता था। इसी तरह से सरकार का रवैया देख रहा हूं। एक तरफ तो कहते हैं कि टैक्स देने की हिम्मत भी नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि बिना टैक्स दिये कैसे देश का काम चलेगा। जब टैक्स देने की हिम्मत नहीं है उस पर भी बढ़ाते चले जाइये टैक्स। आम जनता से इसका संबंध है क्योंकि मैं जानता हूं कि कागज स्टैम्प के साथ लिखने के लिये आज आदमी मजबूर है। तो अगर यह कागजी भूल है तो मैं चाहूंगा कि सुधार कर दिया जाय वर्ना मेरा संशोधन यह है कि ३ रुपये के स्थान पर २ रुपये कर दिये जायं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री ब्रजनारायण तिवारी के संशोधन का समर्थन करता हूं। यह संशोधन देखने में बहुत सीधासादा और निर्दोष है। इसे हाउस मंजूर करेगा। मंत्री जी ने इस विधेयक के लाने का उद्देश्य यह बतलाया कि धारा ६, अनुसूची १ (बी) तथा अनुच्छेद २५ (बी) के उपबन्धों के मध्य वर्तमान असंगति को दूर करने के लिये यह लाया गया है। लेकिन खंड ४ में जहां पहले ढाई रुपये थे वहां अब उसके स्थान पर ३ रुपये सरकार करने जा रही है। यह मामूली संशोधन नहीं है।

सरकार स्टैम्प्स की बिक्री के लिये जो ठेकेदार रखती है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। गरीब लिटीगेन्ट्स को स्टैम्प वेंडर लोग स्टैम्प्स देने में बड़ा परेशान करते हैं। नये नियम के मुताबिक एफिडेविट के लिये जो स्टैम्प पेपर लेना पड़ता है उसके लिये मुवक्किल को पहले एक खास अधिकारी के पास जाना पड़ता है और फिर ट्रेजरी से उसे प्राप्त किया जा सकता है। १२ बजे के पहले वह मिल नहीं सकता और १२ बजे के बाद ५-१० एफिडेविट स्टैम्प पेपर्स दे देने के पश्चात् कह दिया जाता है कि स्टैम्प पेपर है ही नहीं? फिर उनकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। २ रुपये का वह स्टैम्प पेपर ३, ३ रुपये में बिकता है।

इसके अलावा उन वेंडर्स को लाइसेन्स हासिल करने में बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है। उसके बाद वे वेंडर्स खूब पैसा पैदा करते हैं। गवर्नमेंट का जो स्टैम्प्स का हाई रेट है यह गरीब किसानों के लिये बोझा हो गया है। यह स्टैम्प्स के रेट्स उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह से सरकार अन्य टैक्सेज बढ़ाती जा रही है। सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है कि यह स्टैम्प्स ड्यूटी अब गरीबों के लिये असह्य हो गयी है। सरकार अपने खजाने को भरने की ही बात सोचती है, लेकिन गरीबों की हालत को नहीं सोचती। यह विधेयक अवश्य एक पीसमील लेजिस्लेशन है लेकिन इस अवसर पर मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर खींचे बगैर नहीं रह सकता कि स्टैम्प ड्यूटी का रेट बहुत ज्यादा है, उन रेट्स को घटाया जाय जिससे किसानों का बोझा हल्का हो सके ताकि वे जो डाक्युमेंट्स की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं किसान उन पर स्टैम्प ड्यूटी आसानी से दे सकें। माननीय मंत्री हृदय से इस बात पर सोचें कि देश निर्धन है और स्टैम्प ड्यूटी की यह ऊंची दर बहुत अनुपयुक्त है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस ऊंची स्टैम्प ड्यूटी को घटा दिया जाय।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय तब तक बढ़ा दिया जाय जब तक यह विधेयक पास न हो।

श्री राजनारायण—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आपका विरोध हो गया, अब मैं इस पर राय लिये लेता हूं।

श्री राजनारायण—कम से कम एक मिनट तो देंगे ?

मेरा तर्क यह है कि यह आश्वासन दिया गया था कि एक घंटा ५ बजे के बाद समय बढ़ेगा। कल भी सदन बैठा रहा है और आपने कहा था कि अगर आज पास न होगा तो सदन अगले रोज ले सकता है। तो बार-बार सदन को आश्वासन देना और फिर उस मर्यादा को भंग करना यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—आप का कोई सुझाव है ?

श्री राजनारायण—हमारा कहना यह है कि हम तो इस वक्त इसका विरोध कर रहे हैं, अगर उसके बाद फिर प्रपोजल आयेगा तो हम देखेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—श्री त्रिलोकी सिंह जी ने आश्वासन दिया था और इस आश्वासन पर गेंदा सिंह जी को समय दिया गया था। तो आधा घंटा जो पहले उसमें लग गया है, वह अब बढ़ना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अब तो मैं आपके प्रस्ताव पर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि आज सदन की बैठक तब तक जारी रहे जब तक कि प्रस्तुत विधेयक पारित न हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने यहां प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं। क्योंकि मूल अधिनियम की धारा ६ में यह है कि ढाई रुपया इसका रेट होगा। और प्रस्तुत विधेयक में ३ रुपया रेट है और शेड्यूल १ (बी) के अनुसार सब-चार्जेज लगाये जाते हैं। तो दोनों की डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिये ढाई की जगह ३ रुपया रख दिया गया है। इसलिये मैं विरोध करता हूं, यह कोई नयी चीज नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बार-बार इस सदन में सरकारी पक्ष की ओर से गांधी जी का नाम लिया जाता है और जब भी कोई अवसर प्राप्त होता है तब सरकार अपने कार्यों की गांधी जी के कथन से पुष्टि करना चाहती है। इस संबंध में मैं भी आपके द्वारा गांधी जी के ही कुछ वाक्य कहना चाहूंगा। अंग्रेजी साम्राज्यशाही के जमाने में न्याय अपने देश में कितना मंहगा हो गया है, इस पर गांधी जी ने कुछ सम्मति प्रकट की है। उन्होंने कहा कि वह मुल्क बर्बर मुल्क है जहां पर न्याय मंहगा हो और न्याय पाने के लिये भी टैक्स देना पड़े। मैं पुरानी कांग्रेस की चर्चा करता हूं, नयी की नहीं करता। जब मैं कांग्रेसी था और कांग्रेस एक राष्ट्रीय मंच थी, कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं थी उस समय के अधिवेशनों के वाद-विवाद को देखेंगे तो बराबर इस बात पर आयेंगे कि गांधी जी ने किसी भी प्रकार से कोर्ट फीस लेने की सख्त निन्दा की है। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने उस अवसर पर कहा है कि कोर्टफीस नहीं ली जानी चाहिये और करीब-करीब एक प्रकार से जनता को आश्वासन था कि जब अंग्रेजी हुकूमत का खात्मा होगा तो इस तरह की फीस नहीं ली जायगी और न्याय सस्ता किया जायगा। मैं आपके द्वारा आज इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस कथन को किसी भी माने में पूरा करने की ओर बढ़ रही है ? यह सवाल किसी एक मंत्री विशेष से नहीं है।

यह सवाल केवल माननीय डाक्टर सीताराम जी से संबंधित नहीं है, यह सरकार की रीति नीति से संबंधित है। इसलिये इस पर मुझे कुछ कहना है। श्रीमन्, अगर आप अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट पेश करने की आज्ञा प्रदान करते ....

श्री अध्यक्ष—इसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण—इसीलिये कहता हूं कि अगर आप प्रदान करते तो मैं यह संशोधन रखता कि जहां २ रु० ८ आ० है उसको भी निकाल दिया जाय, यानी स्टैम्प लगे ही नहीं। अभी-अभी जब हम लोग जेल में थे तो वहां से हमको हाईकोर्ट में दरख्वास्त देनी पड़ी। हमसे कहा गया कि स्टैम्प के पैसे लाइये तब आपकी दरख्वास्त भेजी जायगी। हमने बड़ी लड़ाई लड़ी कि जब तक हम जेल में हैं तब तक हम पैसा नहीं देंगे, हम गरीब हैं और हमारा गरीब दल है। फिर जिलाधीश के पास मामला रेफर हुआ। तो उन्होंने कहा कि जजमेंट की कापी फ्री मिल सकती है, लेकिन दरख्वास्त पर स्टैम्प लगाने के लिये पैसे देने ही पड़ेंगे। बाद में काफी तर्क वितर्क के बाद हमारी दरख्वास्त भेजी गयी, पता नहीं किसने स्टैम्प लगाया, बहरहाल हमने नहीं लगाया और न पैसे ही दिये।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं चाहता था कि ६ बजे तक समाप्त हो जाय। माननीय मंत्री जी अगर लीगल नाइसिटीज और टेक्निकेलिटीज में न जा कर स्वतः अपनी ओर से यह प्रस्ताव पेश करें कि ढाई रुपये अब नहीं लिया जायगा तो गरीब भी यह समझेगा कि माननीय डाक्टर सीताराम जी एक हरिजन परिवार के हैं, एक गरीब परिवार के हैं और उनके हाथ में जब यह विधेयक आया तो ढाई रुपये हटा लिये गये। और नहीं तो मैं यह समझूंगा कि बर्ड्स आफ दि सेम फेदर फ्लाक टुगेदर (Birds of the same feather flock together) इसलिये मैं उनके प्रति अपने अच्छे भाव रखते हुये भी चाहूंगा कि वे हमारे इस सुझाव को मानें और जब भी उनको मौका मिले तब उसको करने की कृपा करें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, वही बात फिर से दोहरानी पड़ती है। मैं भी यह आशा करता था कि हमारे मंत्री जी जिस परिवार के हैं वे जानबूझ कर कोई भी ऐसा काम अपने कार्यकाल में नहीं करेंगे जो गरीबों पर कर भार बढ़ाये। इसलिये मैंने यह निवेदन किया था कि जैसा उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है कि इसमें कहीं बढ़ाने का सवाल नहीं है, केवल दाशमिक प्रणाली के आधार पर तरमीम करना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरमीम को वापस ले लूंगा। लेकिन उसके लिये भी वे तैयार नहीं हुये। यह टैक्स केवल गरीबों पर जा रहा है, हम देने के काबिल नहीं हैं, लेकिन हमको मजबूर किया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से हम अधिक से अधिक पैसा सरकार को दें। अधिक देने में भी कोई हर्ज नहीं है लेकिन अभी माननीय चरण सिंह जी ने कहा कि जमींदारी एबोलिशन के बाद सर्किल रेट के आधार पर लगान तय करने का आदेश था, लेकिन हुआ यह कि पटवारियों ने जहां लगान अधिक था उसको कम नहीं किया और जहां कम था उसको बढ़ा दिया। तो इस सरकार का शुरू से यह रवैया रहा है कि गरीबों का फायदा न हो। एक बात और। ऐप्रोप्रियेशन बिल के सिलसिले में इस सरकार का सबसे बड़ा दिवालियापन.....

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में आप नहीं कह सकते।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—बहुत अच्छा। तो हमने देखा कि जो टैक्स का पैसा हमसे लिया जाता है वह प्राइवेट लोगों को प्रोत्साहन देने में कर्जा दिया जाता है। इसलिये मैं जरूर चाहूंगा कि मंत्री महोदय हमारे इस संशोधन को मान लें ताकि गरीबों का कुछ तो कर भार हल्का हो जाय।

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, अभी राजनारायण जी ने कहा कि जब वह जेल में थे तो उनको शायद स्टैम्प ड्यूटी अपनी एप्लीकेशन पर देनी पड़ी। ऐसा में उनके कहने से समझा हूं। लेकिन स्टैम्प ऐक्ट का सेक्शन १९ साफ है। इसमें लिखा है कि——

"Petition by a prisoner, or other person in duress or under restraint of any court or its officers."

[डाक्टर सीताराम]

इससे स्पष्ट है कि जेल में प्रिजनर को स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगानी पड़ती है। माननीय तिवारी जी ने कहा कि मैं गरीब परिवार का हूं और मुझे गरीबों की रक्षा के लिये ही कानून बनाना चाहिये। यह बात सत्य है। लेकिन मैं एक चीज पेश करना चाहता हूं कि गरीबों की सेवा के लिये ही यह कानून बनाया जा रहा है। इसमें बढ़ोत्तरी नहीं हुई है बल्कि जो १९५२ का बना हुआ ऐक्ट है उसमें से असंगति को दूर करने के लिये रैगूलेराइज किया जा रहा है। अगर बढ़ोत्तरी की होती तब तो माननीय तिवारी जी कुछ कह सकते थे, लेकिन यह तो गरीबों के फायदे के लिये है और इसमें बढ़ोत्तरी की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द "Three rupees" के स्थान पर शब्द "Two rupees" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

ट २, ९९ की सूची १-बी

५—मूल अधिनियम की अनुसूची १-बी में:

(क) अनन्वित खंड में शीर्षक "Schedule I-B" के अन्तर्गत आने वाले शब्द "Under the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952", के स्थान पर शब्द "Under the Indian Stamp Act, 1899 as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh" रख दिये जायं।

(ख) प्रथम स्तम्भ में अनुच्छेद २४ में शब्द "one rupee, eight annas", के स्थान पर शब्द "one rupee and fifty naye paise", रख दिये जाय;

(ग) द्वितीय स्तम्भ में:

(१) अनुच्छेद १ में शब्द "four annas", के स्थान पर शब्द "twenty-five naye paise", रख दिये जायं;

(२) अनुच्छेद ५ में शब्द "eight annas" और "four annas", के स्थान पर क्रमशः शब्द "fifty naye paise" और "twenty-five naye paise", रख दिये जायं;

(३) अनुच्छेद ६ (२) (ए) में अक्षर "p" तथा उसके नीचे आने वाले समस्त शून्य निकाल दिये जायं तथा अक्षर "a" के स्थान पर अक्षर "np" रख दिये जायं तथा "a" के अधीन आने वाले अंक "4", "8" तथा "12", के स्थान पर क्रमशः अंक "25", "50" तथा "75" रख दिये जायं।

(४) अनुच्छेद ७ में शब्द "eighteen rupees, twelve annas", तथा "thirty-seven rupees, eight annas", के स्थान पर क्रमशः शब्द "eighteen rupees and seventy-five naye paise", तथा "thirty-seven rupees and fifty naye paise", रख दिये जायं;

(५) अनुच्छेद १५ में शब्द "four annas", "eight annas", "seven rupees, eight annas", और "ten rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-five naye paise, "fifty naye paise", "seven rupees and fifty naye paise", तथा "ten rupees and fifty naye paise", रख दिये जायं;

(६) अनुच्छेद १८ में शब्द "four annas" और "eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-five naye paise" और "fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(७) अनुच्छेद १९ में शब्द "four annas", के स्थान पर शब्द "twenty-five naye paise", रख दिये जायं ;

(८) अनुच्छेद २४ में शब्द "one rupee, eight annas", और "two rupees, eight annas", के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise" और "two rupees and fifty naye paise", रख दिये जायं :

(९) अनुच्छेद २५-ए में शब्द "two rupees, eight annas" के स्थान पर शब्द "two rupees and fifty naye paise", रख दिये जायं ;

(१०) अनुच्छेद २८ और ३६ में शब्द "four annas", के स्थान पर शब्द "twenty-five naye paise", रख दिये जायं;

(११) अनुच्छेद ४० (ग) में शब्द "one rupee, four annas", के स्थान पर शब्द "one rupee and twenty-five naye paise" रख दिये जायं ;

(१२) अनुच्छेद ४१ में शब्द "four annas", और "eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "twenty-five naye paise" और "fifty naye paise", रख दिये जायं ;

(१३) अनुच्छेद ४३ में शब्द "eight annas","twenty-three rupees eight annas" और "four annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "fifty naye paise" "twenty-three rupees and fifty naye paise" और "twenty-five naye paise", रख दिये जायं ;

(१४) अनुच्छेद ४४ में शब्द "one rupee, eight annas", के स्थान पर शब्द "one rupee and fifty naye paise", रख दिये जायं ;

(१५) अनुच्छेद ४८ में शब्द "one rupee, eight annas" और "two rupees, eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "one rupee and fifty naye paise" और "two rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं ;

(१६) अनुच्छेद ६० में शब्द "four annas" के स्थान पर शब्द "twenty-five naye paise", रख दिये जायं ;

(१७) अनुच्छेद ६२ (बी) में शब्द "seven rupees, eight annas" और "ten rupees eight annas" के स्थान पर क्रमशः शब्द "seven rupees and fifty naye paise" और "ten rupees and fifty naye paise" रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८

इन्डियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में और संशोधित करने का :

विधेयक

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यह संशोधित इन्डियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ को आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये संशोधित किया जाय :

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह १ अप्रैल, १९५८ से प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२७ मार्च, १९५८ ।

नत्थी 'क'

(देखिये २० मार्च के स्थगित तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२८ पर)

जुडीशियल आफिसर्स जिला बुलन्दशहर के यहां माल विभाग के चालू मुकदमों का विवरण

धारा	वादों की संख्या	सन् ४९	सन् ५२	सन् ५५	सन् ५६	सन् ५७	सन् ५८
यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट							
४९	२७	५	..	..	..	१९	३
५९	१५	..	..	१	१	१२	१
९४	२	..	..	..	..	२	..
११३	१	..	..	..	..	१	..
१४४	१	..	..	..	..	..	१
१४८	३	..	..	..	..	३	..
१६१	१	..	..	..	..	..	१
१७१	४	..	..	..	२	२	..
१७५	२	..	..	..	..	२	..
१८०	६	..	..	..	..	६	..
१८३	१	..	१	..	..	..	..
२२४	१	..	..	..	..	१	..
२३०	९	..	..	१	..	८	..
२३१	३	..	..	..	३	..	..
२३३	१	..	..	..	..	१	..
२५१	११	..	..	..	३	८	..
जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था कानून							
१७६	२४५	..	..	..	२६	१६३	५६
१८२	१	..	..	..	..	१	..
१८३	५	..	..	..	१	४	..
२०२	३५	..	१	१	९	२३	१
२०९	७९	..	..	..	१६	५२	११
२१२	६	..	..	१	३	२	..
२२०	१	..	..	..	..	१	..
२२२	९	..	..	..	..	९	..
२२९/२३४	१७२	..	..	..	७	१३८	२७
२४६	१	..	..	..	..	१	..
आमदा दीवानी	२५७	..	..	..	५४	१८३	२०

नत्थी 'ख'

(देखिये २० मार्च के स्थगित तारांकित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२ पर)

No. 3189-R/IS

FROM

SRI ZAHURUL HASAN, I.A.S.,
SACHIV, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH,

TO

THE SECRETARY,
BOARD OF REVENUE,
SECTION-2, UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Lucknow, November 28, 1957.

SIR,

LAJASWA (ABHAV) VIBHAG.

I AM directed to address you on the subject of grant of *takavi* and loans under the head "P—Loans and Advances by the State Government—A—Loans to Local Funds, Private Parties, etc.—Advances to Cultivators" and to say that Government are of the view that in order to derive full benefit from consolidation of holdings it is necessary to follow up these proceedings with intensive development and that one of the methods of achieving this object is to give preference to the areas in which holdings have been consolidated in the matter of grant of *takavi* loans and advances. It has, therefore, been decided that henceforward where funds are available for grant of financial assistance for the whole of the area in a district, applications from persons or institutions of areas in which consolidation operations have reached a stage where possession to the newly formed *chaks* is transferred should be given preference over applications from other areas in the district. The above principle shall, however, not apply in cases where *takavi* is to be distributed on account of any natural calamity. In other cases also, where exceptional circumstances exist, the disbursing officer shall of course exercise his own discretion to mitigate hardship on the non-consolidation areas. I am to request you to issue necessary instructions to all concerned immediately, under intimation to Government.

Yours faithfully,
ZAHURUL HASAN,
Sachiv.

No. 3189-R (i)/IS of date

COPY forwarded for information to —

(1) Agriculture (A), (B) and (C) Departments,
(2) Agriculture (E) Department,
(3) Planning (B) Department,
(4) Industries (A) Department,
(5) Animal Husbandry Department,
(6) Revenue (A) Department,

with the request that if they agree, orders on the lines of the above G. O. may be issued to their Heads of Departments.

By order,
K. D. AGARWAL,
Anu Sachiv.

No. 3189-R (ii)/IS of date

COPY also forwarded for information to the —

(1) Director of Agriculture, U. P., Lucknow.
(2) Additional Chief Engineer, U. P., Irrigation Department.
(3) Development Commissioner, U. P.
(4) Cane Commissioner, U. P., Lucknow.
(5) Director of Animal Husbandry, U. P., Lucknow.
(6) All Commissioners of Divisions.
(7) Director of Consolidation of Holdings, U. P., Lucknow.

By order,
K. D. AGARWAL,
Anu Sachiv.

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये २० मार्च के स्थगित तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३४ पर)

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रबी १३६४ फसली में मालगुजारी में जो छूट दी गई तथा खरीफ १३६५ फसली की मालगुजारी में जो छूट के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुये हैं उनकी तालिका

क्रम संख्या	जिले का नाम		रबी १३६४ फसली में मालगुजारी में छूट जो दी गई	खरीफ १३६५ फसली की मालगुजारी के छूट के प्रस्ताव जो शासन को प्राप्त हुये हैं
			रुपया	रुपया
१	देहरादून	..	३३,७८१	..
२	सहारनपुर	..	२,०३,२७१	१२,८७३
३	मुजफ्फरनगर	..	..	१,१०,१५८
४	मेरठ	..	२६,०१०	४७,७१०
५	बुलन्दशहर	..	१,५८,४९३	८१,६४१.४७
	कमिश्नरी का योग	..	४,२१,५५५	२,५२,३८२.४७
६	अलीगढ़	..	२६,५८२	५,२१,८२७
७	मथुरा	..	..	२,७८,३६५
८	आगरा	..	८५,९५४	अनुमानित सहायता की सूचना प्राप्त नहीं है ।
९	मैनपुरी	..	२८,२६१	१,१६,८५१
१०	एटा	..	४९,०१९	९४,३२७.९९
	कमिश्नरी का योग	..	१,८९,८१६	१०,११,३७०.९९
११	बरेली	..	८१,१५४	१,१८,४८५
१२	बिजनौर	..	२२,०६५	..
१३	बदायूं	..	२,१०,२०४	२,४१,७१८.७५
१४	मुरादाबाद	..	४,०२,०२१	६,६३,१८०.४५
१५	शाहजहांपुर	..	१,८९,४५७	१८,०००
१६	पीलीभीत	..	६,८१०	४८,२५३.३७
१७	रामपुर	..	३,६०७	९६,१६४
	कमिश्नरी का योग	..	९,१५,३१८	१२,३५,८०१.५८

क्रम-संख्या	जिले का नाम		रबी १३६४ फसली में मालगुजारी में छूट जो दी गई	खरीफ १३६५ फसलों की मालगुजारी के छूट के प्रस्ताव जो शासन को प्राप्त हुये हैं
१८	फर्रुखाबाद	..	१,८७,७६०	५६,९८९
१९	इटावा	..	१७,२३८	११,०१२
२०	कानपुर	..	२,५९१	..
२१	फतेहपुर	..	१६७	१,३८,८४५·१०
२२	इलाहाबाद	..	२०,३७,४४७	१९,३९,५१०·३८
	कमिश्नरी का योग		२२,४५,२०३	२१,४६,३५६·४८
२३	बांदा	..	८८	७,५०,००८·७८
				(मऊ तहसील छोड़कर)
२४	हमीरपुर	..	७,०१८	३,६८,७२६
२५	झांसी	..	२७,६९६	१,५४,९०२
२६	जालौन	..	२,१५६	(अनुमानित सहायता निश्चित नहीं है)
	कमिश्नरी का योग	..	३६,९५८	१२,७३,६३६·७८
२७	वाराणसी	..	३,१५,०८३	९,३१,८५९·७९
२८	मिर्जापुर	..	४,२१,५७४	७,५८,१७३·४५
२९	जौनपुर	..	५,६२,८३१	१५,८२,३६७·९९
३०	गाजीपुर	..	५,९३,१६५	७,५९,०९३
३१	बलिया	..	६,१९,५५९	२,०७,८२४·९५
	कमिश्नरी का योग	..	२५,१२,२१२	४२,३९,३१९·१८
३२	गोरखपुर	..	५,६१,४२५	३,८७,७४७·५०
३३	बस्ती	..	१५,६१,४६०	१४,८३,४१३·७०
३४	आजमगढ़	..	१३,६७,५२९	१४,१४,५३५
३५	देवरिया	..	६,५५,५७०	३,०१,६६९
	कमिश्नरी का योग	..	४१,४५,९८४	३५,८७,३६५.२०
३६	नैनीताल	..		(अनुमानित सहायता की सूचना प्राप्त नहीं है !)
३७	अल्मोड़ा	..	२०३	..
३८	गढ़वाल	..	..	..
३९	टेहरी-गढ़वाल	..	..	१९६·४०
	कमिश्नरी का योग	..	२०३	१९६·४०

क्रम-संख्या	जिले का नाम	रबी १३६४ फसली में मालगुजारी में छूट जो दी गई	खरीफ १३६५ फसली की मालगुजारी के छूट के प्रस्ताव जो शासन को प्राप्त हुये हैं
४०	लखनऊ ..	..	८२,००९
४१	उन्नाव ..	२,०७,२२८	३,४५,३४३
४२	रायबरेली ..	९,२३१	१,०५,२४६·४७
४३	सीतापुर ..	५,३९,५९६	२,८१,१११
४४	हरदोई ..	२८,२९२	४,५३,१८७
४५	खीरी ..	१,१९५	५१,४३४
		७,८५,५४२	१३,१८,३३०·४७
४६	फैजाबाद ..	..	११,९६,७०८·८३
४७	बहराइच ..	१,४७,७५९	१,०६,१९५·०४
४८	सुल्तानपुर ..	४१९	३,९०,७०६·४०
४९	प्रतापगढ़ ..	९०,३९२	७,९३,००४·६८
५०	गोंडा ..	६७,८७०	२,०९,०११
५१	बाराबंकी ..	१,३७,५१९	२,०३,३०५·९३
	कमिश्नरी का योग ..	४,४[illegible],९५९	२८,९८,९३१·८८
	सम्पूर्ण योग ..	१,१६,९६,७५०	१,७९,[illegible]३,६९१·४३

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३८ पर)

Copy of letter no. 663 *Rest*/647-*R*/*Est*/53, *dated February* 23, 1953, *from the Parivahan Ayukt, U. P., Lucknow, to all General Managers, Government Roadways, U. P.*

The practice of recruiting illiterate drivers should be stopped with immediate effect.

Henceforth, only those drivers are to be recruited, who are literate and can make entries in the C. S. R. or Way Bill and prepare tickets while on line.

The driver should, therefore, write this fact in his application before he is given the appointment order.

Kindly acknowledge receipt of this circular letter.

Copy of letter no. 4624 *Rest*/585-*R*/*Est*, *dated February* 23, 1953, *from the Deputy Transport Commissioner (Roadways), U. P., Lucknow, to the General Manager, Government Roadways, Agra and copy to all General Managers.*

Subject : **Age limit for candidates for employment in Roadways Organization**

Reference your letter no. E/XXVA/AGRW/6943, dated November 25/26, 1952 on the above subject.

While making recruitment against the subordinate services noted below it should be kept in view that the candidate's age does not exceed the following limits :

1.	Non-technical posts	18 years to 35 years.
2.	Technical posts	18 years to 45 years.
3.	Drivers post	21 years to 45 years.

In case of good candidates the limit can be relaxed provided Transport Commissioner's approval is obtained before making appointments.

Incumbents who have attained the age of 55 years or above are not to be appointed in any case.

Receipt of this letter should be acknowledged.

Copy of letter no. 1730-*T*/*XXX*—5099-*T*-57, *dated October* 9, 1957, *from the Secretary to Government, U. P., Medical (A) Department, Lucknow to all Civil Surgeons, U. P.*

Subject : **Periodical checking of the vision of the drivers of the U. P. Government Roadways**

I am directed to say that with a view to minimising possibilities of accidents on roads, it has been decided that the eyesight of the Roadways drivers should be tested periodically. The General Managers of the Roadways have accordingly been directed to get the vision of every driver working in their regions tested periodically by the Civil Surgeon of the district in which the driver may be working at the time he is due for vision test. I am, accordingly, to request that the eyesight of the drivers, referred to you, for vision test, may be tested and a certificate to the effect that they possess normal vision may please be issued in their favour.

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३८ पर)

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु जुलाई १९५६ में "उत्तर प्रदेश टूरिस्ट कौंसिल" राज्य सरकार द्वारा संस्थापित की गई। स्थानीय प्राथमिकता के अनुसार पर्यटकों की सुविधा के लिये १९५६-५७ में आगरा, वाराणसी और हरिद्वार में पर्यटन इन्सपेक्टरों की देख-रेख तीन पर्यटन केन्द्र (Bureaus) खोले गये। इसी वित्तीय वर्ष में देहरादून, लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, और कोटद्वारा (गढ़वाल) में रिसेप्शनिस्ट-कम-इन्सपेक्टर्स की देख-रेख में उप-पर्यटन-केन्द्र (Sub-Bureaus) व चित्रकूट और बलरामपुर में रिसेप्शनिस्ट्स की देख-रेख में स्वागत केन्द्र (Reception Centres) खोले गये।

२—हिमालय प्रदेश में भ्रमण करने वाले पर्यटकों को सुविधापूर्वक ठहराने के लिये पांडुकेश्वर, भुइन्धर, विराही, गौना, ओसला, फुर्किया, अगोरा (कल्यानी) और पौरी में (Log Cabins) स्वीकृत हुये। इसके अतिरिक्त बिन्सार में यात्रियों के रुकने के लिये एक शेड (Shed) बनाया गया। इसके अतिरिक्त भीमताल में जिला बोर्ड के डाक बंगले के पुनः निर्माण के लिये जिसमें आग लग गई थी यू० पी० टूरिस्ट कौंसिल ने जिला बोर्ड को १४,००० रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया। लखनऊ में चिनहट झील को पिकनिक केन्द्र बनाने का भी कार्य हाथ में लिया गया। शीतलाखेत में रेस्ट हाउस (Rest House) में भी दो कमरे बढ़ाये गये। नैनीताल में एक पिकनिक केन्द्र के विकास का कार्य भी हाथ में लिया गया।

३—इसी वर्ष १२,००० रु० का सामान लाग केबिन्स में पर्यटकों को सुविधा पहुंचाने के लिये खरीदा गया। तीन मोटर बोट्स (Motor Boats) वाराणसी में पर्यटकों को गंगा नदी के घाटों आदि का प्रदर्शन कराने के लिये प्रयोग में लायी जाने लगी। मोटर बोट्स किराये पर चलायी जाती हैं।

४—पर्यटनों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रमुख समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में अनेक बार विज्ञापन प्रकाशित किये गये। नैनीताल और मसूरी पर फोल्डर्स (folders) छापे गये।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३९ पर)

No. 896-R/XXXV—500(129)-53

FROM

SRI T. D. PANDE,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, March 17, 1954.

Subject : **Constitution of Block Advisory Committee in National Extension Service Blocks**

SIR,

PLANNING DEPARTMENT

IN supersession of the instructions issued in G. Os. nos. 6701-R/XXXV—500(129)-53, dated January 18, 1954 and 964/XXXV—500(129)-53, dated March 4, 1954, on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the formation of a Block Advisory Committee for each of the National Extension Service Blocks which have already been opened and which are likely to be opened in the State in future. The Committee will consist of the following :

(1) All Members of the District Planning Committee who are residents of the National Extension Service Block area.

(2) All Sarpanches of Co-operative Societies in the National Extension Service Block area.

(3) One representative of each Block Committee in the area formed under Planning Department's letter no. 405-P/65-P/50, dated February 28, 1951, and approved by the District Palanning Committee.

(4) All M. L. As., M.L.Cs. and Members of Parliament residing in or representing the Block area or any portion thereof.

(5) President, District Board and all members of District Board, belonging to the N. E. S. Block area.

(6) Officials of different Development Departments of the level of Group Level Workers in the Block area, and also the District Level Workers where necessary.

(7) Five members nominated by Government.

The Block Development Officers of the National Extension Servce Blockm will be the *ex officio* Secretary of the Committee and the District Magistrate or his nominee shall be the Chairman.

2. The function of the Block Advisory Committtee will be to advise and assist the Block staff in the planning and execution of the programme of the N. E. S. Scheme in accordance with the instructions issued by Government from

time to time. The Committee shall be an advisory body and shall have no financial or executive functions. It shall be independent of the District Planning Committee.

3. I am to add that no travelling or daily allowance will be paid to the members of the Block Advisory Committee for attending the meetings.

Yours faithfully,
T. D. PANDE,
Deputy Secretary.

No. 896-R(i)/XXXV—500(129)-53 of date

COPY forwarded for information to—

(1) All M. L. As., M. L. Cs. and Members of Parliament.
(2) All Departments of the Secretariat.
(3) All District Magistrates.

By order,
T. D. PANDE,
Deputy Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

No 485-R/XXXV—500(129)-953

FROM

SRI T. D. PANDE,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH.

TO

THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Lucknow, Febraury 10, 1955.

Subject : **Constitution of Advisory Committee for the National Extension Services Blocks**

SIR,

PLANNING DEPARTMENT

I AM directed to refer to paragraph 2 of your letter no. 24516/CP—516-52, dated November 20, 1954, on the above subject, and to say that in the circumstances stated therein, the Governor is pleased to order that the Block Advisory Commiteee for the various National Extension Service Blocks should henceforth be called "National Extension Service Advisory Committee".

Yours faithfully,
T. D. PANDE.
Deputy Secretary.

No. 7294/XXXV-A—500(129)-1953

FROM

SRI D. B. DUTT,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Lucknow, August 16, 1956.

Subject : **Constitution of National Extension Service Advisory Committees**

SIR,

PLANNING (A) DEPARTMENT

IN partial modification of G. O. no. 896-R/XXXV—500(129)-1953, dated March 18, 1954, read together with G.O. no. 485-R/XXXV—500(129)-1953, dated February 10, 1955, I am directed to convey the sanction of the Governor to the following amendments :

(i) The District Magistrate or his nominee would continue to preside over the meetings of the National Extension Service Advisory Committees, but the nominee would not be the Block Development Officer. The District Magistrate can nominate the Additional District Magistrate, the District Planning Officer or the Sub-Divisional Officer concerned in this connexion, and in case the District Magistrate or his nominee is not able to attend the meeting, the members of the Committee present would elect a Chairman from amongst themselves for conducting that meeting.

(ii) All the Pradhans of Gaon Sabhas falling within the National Extension Service Blocks would become *exofficio* members of the National Extension Service Advisory Committees concerned.

(iii) All Sarpanches of Co-operative Unions falling in the Block area will henceforth be *exofficio* members of the National Extension Service Advisory Committees.

(iv) The system of five nominations by the State Government on each National Extension Service Advisory Committee would henceforth be dropped.

(v) The Police Circle Officer of the area covered by a National Extension Service Block would also be a member of the National Extension Service Advisory Committee concerned.

Yours faithfully,
D. B. DUTT,
Deputy Secretary.

No. 7294(i)/XXXV-A—500(129)-1953

Copy forwarded for information and necessary action to—

(1) Home (Police) Department, Civil Secretariat, U. P., Lucknow.
(2) All other departments of the Secretariat.
(3) All District Magistrates, Uttar Pradesh.
(4) All M. L. As., M. L. Cs. and M. Ps. of Uttar Pradesh.

By order,
D. B. DUTT,
Deputy Secretary to Government, Uttar Pradesh.

No. 9277/XXXV-A—500(129)-53

FROM

SRI S. M. GOYAL,
ANU SACHIV TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH;

TO

THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH,
LUCKNOW.

Dated Lucknow, January 31, 1958.

Subject : **Constitution of National Extension Service Committees**

SIR,

NIYOJAN (KA) VIBHAG.

IN partial modification of G.O. no. 896-R/XXXV-A—500(129)-1953, dated March 17, 1954 and in continuation of G. O. no. 7294/XXXV-A—500 (129)-1953, dated August 16,1956, I am directed to say that the Governor is pleased to order that the Chief Instructors of Home Economics Training Centres in Uttar Pradesh may also be co-opted as members of the National Extension Service Advisory Committees of the blocks in which the centres are located.

Yours faithfully,
S. M. GOYAL,
Anu Sachiv.

No. 9277(i)/XXXV-A—500(129)-53

Copy forwarded for information and necessary action to --

(1) All Departments of the Secretariat.
(2) All District Magistrates, Uttar Pradesh.
(3) Deputy Director (Women Welfare), office of the Development Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow, with reference to her letter no. A-9253/P-II, dated November 18, 1957.

By order,
S. M. GOYAL,
Anu Sachiv.

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४० पर)

इलाहाबाद रीजन के कर्मचारियों की जिलेवार संख्या

क्रम-संख्या	पदनाम	इलाहाबाद रीजन											
		मिर्जापुर			वाराणसी			जौनपुर			प्रतापगढ़		
		कुल संख्या	हरिजन संख्या	कुल जन संख्या	कुल संख्या	हरिजन संख्या	कुल जन संख्या	कुल संख्या	हरिजन संख्या	कुल जन संख्या	कुल संख्या	हरिजन संख्या	कुल जन संख्या
१	मजदूर	४७	८	१४	३८	५	७	२	३		१०९	१५	
२	क्लीनर	५२	१३	१३	१	१३	३	१६	२	११	११५	१९	
३	क्लर्क	१३३	२	२३	७२	२	३३		२५		२८६	४	
४	कन्डक्टर	५८	१	२९	९९	१२	२१	२	१९		२२६	१५	
५	ड्राइवर	६४	२	३०	७०	१३	२०	३	१८		२०२	१८	
६	ए० टी० आई०	९		३	१०		५		४		३१		
	योग	३६३	२६	११२	१३१	३५	१०२	९	८०		९६९	७१	

अनिल यादव

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४० पर)

प्रश्न संख्या २९ से सम्बन्धित सूची १

क्रम-संख्या	विवरण	तहसील घोसी	तहसील सगड़ी	योग
१	२	३	४	५
(१) अहेतुक सहायता				
१	नकद सहायता ..	५,००० रु०	५,००० रु०	१०,००० रु०
२	गल्ला ..	१४७ मन २० सेर	३९५ मन	५४२ मन २० सेर
३	मिट्टी का तेल ..	१४ टीन	१६ टीन	३० टीन
४	नमक ..	१५ मन	२९ मन	४४ मन
५	दियासलाई ..	४१ दर्जन	६० दर्जन	१०१ दर्जन
६	कपड़ा ..	५ थान मारकीन	५ थान मारकीन	१० थान मारकीन
	इसके अतिरिक्त मुफ्त दवाइयां भी बांटी गयीं।			
		रुपया	रुपया	रुपया
२	टेस्ट वर्क्स ..	३,५८७.५०	३,१२६.३७	६,८१३.८७
३	विपत्तिकालीन तकावी	३२,४९०	२९,८४०	६२,३३०

उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त कायदे के अनुसार मालगुजारी में छूट भी दी जायगी।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४१–१४२ पर)

सूची

३०—पुलिस वींग द्वारा किये जाने वाले कार्य—

१—पुलिस के सिपाहियों के साथ रात को पहरा देना ।

२—दिन में घूम-घूम कर पहरा देना तथा नगर के कुछ नियत स्थानों पर (सिनेमा हाउस इत्यादि) पर ड्यूटी देना ।

३—रिवर (River) पुलिस का कार्य करना ।

४—खोये हुये बच्चों के मुहकमे (जो कि बड़े-बड़े नगरों में स्थापित किये गये हैं) कार्य करना ।

५—विशेष अवसरों तथा मेले इत्यादि में ड्यूटी देना ।

६—संकट काल (Emergency) में कार्य करना ।

प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य—

१—स्वयं सेवकों की भर्ती तथा उनके प्रशिक्षण जिस में ड्रिल, मस्किटरी (बन्दूक चलाना) इत्यादि होता है ।

२—विकास कार्यों में जन शक्ति जुटाकर सहयोग देना ।

३—शारीरिक संवर्धन के लिये अखाड़े, खेलकूद आदि का आयोजन करना ।

४—वन रोपण कराना ।

५—अन्य समाज सेवा कार्य जैसे मेले तमाशों इत्यादि के समय स्वयं सेवक होना, डूबतों को बचाना इत्यादि ।

६—श्रमदान के लिये प्रचार करना तथा आदमी जुटाना ।

३१—जिला हरदोई में निम्नलिखित ब्लाक आर्गनाइजर हैं—

नाम		रहने के जिले का नाम	नियुक्ति की तिथि
१		२	३
१—श्री सिद्धेश्वर नाथ	..	हरदोई	१–५–४८
२— ,, शक्तिसिंह	..	,,	६–८–४८
३— ,, शंकर बक्स सिंह	..	,,	२७–४–५०
४— ,, राम पाल सिंह	..	फर्रुखाबाद	१५–१०–४९
५— ,, द्वारिका प्रसाद	..	हरदोई	१५–१२–४९
६— ,, नटवीर सिंह	..	,,	१५–१०–४९
७— ,, सिया राम यादव		फर्रुखाबाद	१५–१०–४९
८— ,, छोटे लाल सिंह	..	हरदोई	१६–१२–४९
९— ,, नवाबसिंह	..	फर्रुखाबाद	२६–१२–५२
१०— ,, हेतसिंह	..	एटा	१–११–५४
११— ,, ब्रह्मदत्त दीक्षित	..	हरदोई	१–५–४८

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे १४३ पृष्ठ पर)

सेवा में,

माननीय श्री चरणसिंह जी,
माल मंत्री,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

मान्यवर,

कल विधान सभा में आजमगढ़ जिले के ओलाग्रस्त क्षेत्रों का उत्तर देते हुये श्रीमन् ने प्रकट किया था कि सगड़ी तहसील को छोड़कर बाकी सब जगह क्षति हुई है । तत्संबंध में मुझे निम्न जानकारी प्राप्त करना है --

१--सरकारी सूचना के अनुसार सगड़ी में क्या ओला पड़ा ही नहीं और यदि पड़ा तो किन किन स्थानों पर और उससे हानि कितनी हुई ?

२--४ मई, १९५७ को जो सरकारी आदेश लगान और नहर के बकायों के अतिरिक्त अन्य सरकारी धनों की वसूली को स्थगित करने का जिलों में भेजा गया है, उसकी एक प्रतिलिपि क्या मुझे भी मिल सकती है ? यदि हां, तो कृपया भेजवाने का कष्ट करें ।

आपका विश्वासभाजन,
ह० इन्दुभूषण गुप्त
सदस्य, विधान सभा ।

स्थान ५४-बी विधायक निवास ।
दिनांक--१० मई, १९५७ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४३ पर)

	संख्या
१--गांवों की संख्या जिनमें सिद्धान्तों के विवरण पत्रों का प्रकाशन किया जा चुका है ..	२१२
२--गांवों की संख्या जिनमें सिद्धान्तों के विवरण पत्रों को पूर्णरूप दिया जा चुका है ..	५२
३--गांवों की संख्या जिनमें प्रस्तावों के विवरण पत्र बन चुके हैं (परन्तु प्रकाशित नहीं हुये हैं)	७
४--गांवों की संख्या जिनमें प्रस्तावों के विवरण पत्र का प्रकाशन हो चुका है ..	३४१
५--गांवों की संख्या जिनमें प्रस्तावों के विवरण पत्रों को पूर्ण रूप दिया जा चुका है ..	१६
६--गांवों की संख्या जिनमें अन्य कार्यवाही चल रही है ..	१२७
कुल गांवों की संख्या ..	७५५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४६ पर)

जिला हरदोई में सन् १९५७ में भूदान में प्रारम्भ हुई भूमि के ग्रामों की सूची

तहसील हरदोई	तहसील शाहाबाद	तहसील बिलग्राम
नाम ग्राम	नाम ग्राम	नाम ग्राम
१---महरेपुर	१---नसौली गोपाल	१---पसनेर
२---करीम नगर सैदापुर	२---सराय सरधा	२---डामा
३---कसमंडी	३---यहिरापुर	३---दुर्गागंज
४---थोकबाध	४---मुगलापुर	४---बस्तापुर चित्तौर
५---सारीपुर हीरालाल	५---फदनापुर	५---कुरसठ बुजुर्ग
६---अहरोरी परसपुर	६---सिधौली	६---करवा
७---खाड़ा खेड़ा	७---सिरोमननगर	७---नरायनमऊ
८---आसा	८---खनिगवांखुर्द	८---फुलई
९---पुरा बहादुर	९---चन्द्रमपुर	९---चन्दौली
१०---राजेपुर	१०---नगला लोधू	१०---हइया
११---करीमनगर जलालपुर	११---टोडरपुर	
१२---बिजगवां	१२---कमालपुर (शरह)	
१३---मर्चापुर	१३---शरह खास	
१४---बरबन	१४---सैदपुर	
१५---बाजपुर नकटोरा	१५---इटारा	
१६---धामपुर	१६---कनकापुर लाल	
१७---सेनेपुर	१७---बूटामऊ	
१८---महिमापुर		
१९---नारायनपुर		
२०---बहलोली		
२१---नेवादा		
२२---मुबारकपुर		
२३---गजहेतन		
२४---लालपुर		
२५---हुसियापुर		
२६---धुनार		
२७---शाहाबद्दीनपुर		
२८---बेहटा सघई		
२९---तब्पुरा		

अनुपूरक प्रश्न

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२–७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४७ पर)

सघन विकास क्षेत्र खटीमा (नैनीताल), सघन विकास क्षेत्र रुद्रपुर (नैनीताल) और सघन विकास क्षेत्र सरगाखेत ओखल कांडा (नैनीताल) में माह दिसम्बर, १९५७ तक के विकास कार्यों की प्रगति का विवरण

क्रम-संख्या	कार्य के नाम	खटीमा	रुद्रपुर	सरगाखेत-ओखलकांडा
१	२	३	४	५
१	उन्नतिशील बीज वितरण (मनों में)	१०,००७	५१,८२१	४,८२९
२	रासायनिक खाद वितरण (मनों में)	४,३६३	८,८४७	४८७
३	उन्नतिशील कृषि उपकरणों की पूर्ति (संख्या)	१,५०१	७०९	१
४	कृषि प्रदर्शन (संख्या) ..	८६१	१,६६०	२,४७९
५	खाद के गड्ढे खोदे गये (संख्या) ..	१,९०२	१,८२१	२७९
६	फलदार वृक्षारोपण (संख्या) ..	२४,२०७	५२,७५१	४६,२६२
७	भूमि सुधार (एकड़) ..	१,०३९	५,३७७	७३९
८	बधिया किये गये पशु (संख्या) ..	२,०९६	१,७६५	१,०६९
९	शुद्ध नस्ल के पशु दिये गये (संख्या) ..	३६	..	९०
१०	शुद्ध नस्ल की चिड़ियां दी गईं (संख्या)	१,१०५	१,१२२	३३५
११	चिकित्सित पशुओं की संख्या ..	२१,४१९	४०,९०९	७,४४२
१२	पशुओं के टीके लगे (संख्या) ..	२१,९५५	३९,९६९	३,११२
१३	नलकूप लगे (संख्या) ..	६	८	..
१४	सिंचित क्षेत्र में वृद्धि (एकड़ में) ..	२,८७६	२१,९३६	४१६
१५	चेचक तथा हैजे के टीके लगे (संख्या)	१८,५१५	२०,६४२	७,५७२
१६	देहाती टट्टी बनी (संख्या) ..	२१६	२१४	७४६
१७	पक्की नाली का निर्माण (गज) ..	१,१८२	२,९५९	३१८
१८	धूम्र रहित चूल्हों का निर्माण (संख्या)	२५१	८१	१४
१९	गलियां पक्की की गईं (गज) ..	२,०८०	५,६०३	१,५३०
२०	पेय जल हेतु नौले धारों का निर्माण (संख्या)	३४२	३७७	१३६
२१	पेय जल हेतु नौले धारों का सुधार (संख्या)	९१	१३०	४५३
२२	सोख्तों का निर्माण (संख्या) ..	२,५४८	६०३	१,४४६
२३	नये स्कूल खोले गये (संख्या) ..	७	४०	११
२४	वाचनालय एवं पुस्तकालय खोले गये (संख्या)	४२	११	१५
२५	सामाजिक केन्द्र प्रारम्भ हुये (संख्या)	२९	७४	७३

क्रम-संख्या	कार्य के नाम	खटीमा	रुद्रपुर	सरगाखेत-ओखलकांडा
१	२	३	४	५
२६	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ हुये (संख्या)	५०	७७	८१
२७	प्रौढ़ साक्षर बनाये गये (संख्या) ..	१,५१२	१,५४०	१,९६४
२८	पक्की सड़क निर्माण (मी० फ०) ..	०–३	४३–१	१०–७
२९	पक्की सड़क का सुधार (मी० फ०) ..	१–०	१–४	..
३०	कच्ची सड़क का निर्माण (मी० फ०)	५६–५	७२–५	३११–५
३१	कच्ची सड़क का सुधार (मी० फ०)	४९–१	११७–७	६००–१
३२	आंशिक रोजगार पाने वाले व्यक्ति (संख्या)	..	२,७१४	६७
३३	पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्ति (संख्या)	..	७०६	..
३४	सहकारी समितियां बनी (संख्या)	१२५	२०६	७०
३५	सहकारी समिति के सदस्यों की संख्या	२,६८५	९,३७३	४,८६९
३६	जनता का अनुदान—			
	(अ) श्रम का मूल्य (रुपयों में) ..	२,०८,७०९	२,६४,४८२	४,५१,०९२
	(ब) धनराशि आदि (रुपयों में) ..	२,३३,९८६	१,१६,९१६	२,९९,२६५
	कुल अनुदान का (श्रम के मूल्य का तथा धनराशि का) योग ..	४,४२,६९५	३,८१,३९८	७,५०,३५७

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १४९ पर)

तालिका "क"

जिला झांसी में स्थित तालबेहट राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में उसके खुलने की तिथि जुलाई १, १९५६ से मार्च ३१, १९५७ तक मदानुसार प्राविधान के आंकड़े

क्रम-संख्या	मद	प्राविधान (रुपया)	
१	२	३	
		रु०	
१	अधिकारियों का वेतन	७२०	
२	कर्मचारियों का वेतन	५,३२३	
३	मंहगाई भत्ता	४,८००	
४	यात्रा भत्ता	४,२००	
५	प्रासंगिक व्यय (आवर्तक)	२,२००	
६	प्रासंगिक व्यय (अनावर्तक) ..	१०,१००	
७	राजकीय सिंचाई कार्य	१०,०४५	
८	स्वास्थ्य एवं ग्राम स्वच्छता	१६,०००	इसमें १५,००० रु० जिला नियोजन समिति के व्यक्तिगत लेखे में रख दिया गया है ।
९	शिक्षा	१५,०००	उपरोक्त
१०	समाज शिक्षा	५,०००	
११	यातायात	१५,०००	उपरोक्त
१२	कार्यालय भवन तथा अन्य भवन निर्माण ..	९,९५४	
१३	सिंचाई हेतु ऋण	५,०००	
	योग ..	१,०३,३४२	

तालिका 'ख'

जिला झांसी में स्थित तालबेहट राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड में वित्तीय वर्ष १९५७–५८ में मदानुसार प्राविधान के आंकड़े

क्रम-संख्या.	मद	प्राविधान (रुपया)
१	२	३
		रु०
१	अधिकारियों का वेतन	२,५००
२	कर्मचारियों का वेतन	१८,३००
३	महंगाई तथा यात्रा भत्ता	१०,७००
४	प्रासंगिक व्यय (आवर्तक)	३,५००
५	प्रासंगिक व्यय (अनावर्तक) ..	..
६	कृषि तथा पशुपालन	१,४००
७	राजकीय सिंचाई कार्य	११,०००
८	स्वास्थ्य एवं ग्राम स्वच्छता	७,००० इसमें से ५,००० रु० जिला नियोजन समिति के व्यक्तिगत लेखे में रख दिया गया है ।
९	शिक्षा	५,०००
१०	समाज शिक्षा	५,०००
११	यातायात	५,०००
१२	सिंचाई के लिये ऋण	७,०००
१३	कार्यालय भवन एवं अन्य भवन निर्माण ..	३३,०००
	योग ..	१,०९,४००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४–११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५३ पर)

प्रत्येक जिले की भ्रष्टाचार विरोधी समिति की १९५६–५७ की बैठकों एवं उक्त काल में उनके सामने जो शिकायतें आईं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्रम-संख्या	जिला	समिति की बैठकों की संख्या	भ्रष्टाचार की शिकायतें जो समिति के सामने आयीं उनका विवरण				टिप्पणी
			कुल संख्या	जो निराधार पाई गईं	जिनमें संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई	जिनमें जांच हो रही है	
१	देहरादून	५	४	३	१	..	
२	सहारनपुर	७	१७*	१२	२	..	*३ शिकायतों में जांच नहीं की गई क्योंकि संबंधित मामलों में अदालती कार्यवाही हो रही थी।
३	मुजफ्फरनगर	८	८	३	४	१	
४	मेरठ ..	४	५**	१	२	१	**१ शिकायत पर समिति ने कार्यवाही नहीं की।
५	बुलन्दशहर	७	४	३	१	..	
६	अलीगढ़	३	१	१	..	..	
७	मथुरा ..	६	१३†	..	..	..	†सभी शिकायतें उचित कार्यवाही (disposal) के लिये संबंधित अधिकारियों के पास भेज दी गयीं।
८	आगरा	८	३६‡	३२	..	..	‡४ शिकायतों पर समिति ने कार्यवाही नहीं की।
९	मैनपुरी ..	६	..	..	..	..	
१०	एटा ..	१०	१८%	७	२	४	%३ शिकायतों में जांच नहीं की गई क्योंकि संबंधित मामलों में अदालती कार्यवाही हो रही थी तथा २ शिकायतें पुलिस कार्यालय में खो गयीं।

भ्रष्टाचार की शिकायतें जो समिति के सामने आयीं उनका विवरण

क्रम-संख्या	जिला	समिति की बैठकों की संख्या	कुल संख्या	जो निराधार पाई गईं	जिनमें संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई	जिनमें जांच हो रही है	टिप्पणी
११	बरेली ..	९	३+	..	..	..	+समिति ने कोई रिकार्ड नहीं रक्खा कि इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ।
१२	बिजनौर	१	५	..	३	२	
१३	बदायूं ..	३	१	..	१	..	
१४	मुरादाबाद		आवश्यक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।				
१५	शाहजहांपुर	४	..	..	..	..	
१६	पीलीभीत	७	१३	५	६	२	
१७	रामपुर ..	१०	१०	७	१	२	
१८	फर्रुखाबाद	७	४	३	..	१	
१९	इटावा ..		आवश्यक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।				
२०	कानपुर	८	३६	३३	३	..	
२१	फतेहपुर ..	१२	९	२	..	७	
२२	इलाहाबाद	३	२७*	१५	३	३	*६ शिकायतें उचित कार्यवाही (disposal) के लिये संबंधित अधिकारियों को भेजी गयीं ।
२३	बांदा	११	५	५	..	..	
२४	हमीरपुर ..	३	२	१	१	..	
२५	झांसी ..	४	९**	३	१	..	**५ शिकायतों पर समिति ने कार्यवाही नहीं की ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२६	जालौन ..	६	३†	..	२	..	†१ शिकायत में जांच नहीं की गयी क्योंकि संबंधित मामले में अदालती कार्यवाही हो रही थी।
२७	बाराणसी	३	११	६	५	..	
२८	मिर्जापुर	२	..	..	..	..	
२९	जौनपुर ..	८	१५	५	८	२	
३०	गाजीपुर	१३	६	१	५	..	
३१	बलिया ..	११	२	..	२	..	
३२	गोरखपुर	४	१	१	..	..	
३३	बस्ती ..	७	२३*	९	३	३	*७ शिकायतें उचित कार्यवाही (disposal) के लिये संबंधित अधिकारियों को भेजी गयीं तथा १ में मामला अदालत में था इसलिये जांच नहीं की गई।
३४	आजमगढ़	२	..	..	..	..	
३५	देवरिया ..	१२	३	२	१	..	
३६	नैनीताल	५	३२%	..	..	२६	%६ शिकायतों पर कार्यवाही पूरी हो चुकी परन्तु विवरण प्राप्त नहीं हुआ।
३७	अल्मोड़ा	६	९	७	१	१	
३८	गढ़वाल	४	१२	३	२	७	
३९	टेहरी-गढ़वाल	३	२	..	२	..	
४०	लखनऊ ..	७	२	२	..	..	
४१	उन्नाव ..	७	४	२	१	१	
४२	रायबरेली	५	६	३	२	१	
४३	सीतापुर ..	९	११*	७	१	..	*३ शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि वह समिति से सम्बन्धित नहीं थी।
४४	हरदोई ..	४	२*	१	..	..	*१ शिकायत पुलिस कार्यालय में खो गई। संबंधित व्यक्ति से कई बार मांगने पर भी नकल प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला	समिति की बैठकों की संख्या	भ्रष्टाचार की शिकायतें जो समिति के सामने आईं उनका विवरण				टिप्पणी
			कुल संख्या	जो निराधार पाई गईं	जिनमें संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्य-वाही की गई	जिनमें जांच हो रही है	
४५	खीरी ..	८	४८	३४	११	३	
४६	फैजाबाद ..	४	..	..	..	..	
४७	गोंडा ..	१६	४	२	१	१	
४८	बहराइच ..	६	..	..	..	..	
४९	सुल्तानपुर	७	३	१	२	..	
५०	प्रतापगढ़ ..	७	५	४	१	..	
५१	बाराबंकी	८	१५	१२	३	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

दसवें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर में प्रस्तुत सूचना

कार्य का नाम	१९५५-५६	१९५६-५७
१—कुयें जो बनवाये गये	२१	३५
२—कुयें जिनकी मरम्मत कराई गई	५६	९३
३—नालियां	—	—
४—खड़ंजा	—	३

सत्यमेव जयते

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

तालिका 'ज'

जिला देवरिया में स्थित कसया सामुदायिक (अब सामान्य) विकास खंड में उसके खुलने की तिथि से जनवरी ३१, १९५८ तक किये गये विकास कार्यों का विवरण

क्रम-संख्या	नाम विकास कार्य	संख्या
१	बीज भंडार भवन	५
२	स्कूल भवन	१९
३	पुलिया	२४३
४	जलपेय कूप मरम्मत तथा निर्माण	८६३
५	नये हरिजन जलकूप निर्माण	२५
६	नर्सरी	८
७	फुटपाथ	३१
८	सड़क (२४ मी० ६ फ०) पक्की	५
९	खड़ंजा	५५ ग्राम
१०	स्नानघर	६
११	बड़ोची व नाली	२६४
१२	हैण्ड पम्प	५०
१३	पंचायत घर एवं सामाजिक केन्द्र	६
१४	बैलों के रहने का घर	१
१५	भेड़ों के रहने का घर	१
१६	मरीजों के रहने का घर	१
१७	नलकूप निर्माण	१४
१८	ग्रामीण कला एवं उद्योग धंधे (दर्जीगीरी तथा लोहारगीरी) ..	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५९ पर)

प्रश्न संख्या १५४ से सम्बन्धित सूची

नाम तहसील			वितरित तकावी की धनराशि	अधिक से अधिक एक व्यक्ति को दी गई तकावी की धनराशि	कम से कम एक व्यक्ति को दी गई तकावी की धनराशि
			रु०	रु०	रु०
हरदोई	..	..	१४,१००	३५	५
शाहाबाद	..	..	६५,६७६	५००	५
संडीला	..	..	४७,३५०	१५०	५
बिलग्राम	..	..	९७,६०५	१००	५

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

तालिका (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न १६६–१६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर)

श्रीमती सज्जन देवी महनोत, एम० एल० ए० के प्रश्न संख्या १६६–१६७ के उत्तर के संबंध में हाई स्कूल और इंटरमीडियेट कक्षाओं के लिये सरकारी हिन्दी अध्यापक के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को सरकारी मान्यता

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा का नाम	किस रूप में सरकारी हिन्दी अध्यापकों के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये परीक्षा को मान्यता दी गई है
१	२
(१) साहित्य-रत्न	(१) कक्षा ११–१२ (इंटरमीडियेट) के हिन्दी अध्यापक के पद पर साहित्य रत्न परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति लिया जा सकता है यदि नीचे की शर्तें भी पूरी हों : (क) दो वर्ष के कोर्स की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ वह व्यक्ति जिसने परीक्षा हिन्दी साहित्य के साथ पास की हो, और संस्कृत में बी० ए० की परीक्षा भी पास की हो । (ख) यदि हिन्दी साहित्य के साथ साहित्य रत्न की परीक्षा केवल एक वर्ष में उत्तीर्ण की गई हो तो नौकरी के उम्मीदवार को पांच वर्ष के अध्यापन का अनुभव भी होना चाहिये । (२) कक्षा ९–१० (हाई स्कूल) के हिन्दी अध्यापक के पद पर साहित्य रत्न परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति लिया जा सकता है यदि नीचे की शर्तें भी पूरी हों : (क) दो वर्ष के कोर्स की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ वह व्यक्ति जिसने परीक्षा संस्कृत के साथ पास की हो और हाई स्कूल की परीक्षा भी पास की हो । (ख) यदि संस्कृत के साथ साहित्य रत्न की परीक्षा केवल एक वर्ष में उत्तीर्ण की गई हो, तो नौकरी के उम्मीदवार को पांच वर्ष का अध्यापन का अनुभव भी होना चाहिये ।
(२) विशारद	कक्षा ९–१० (हाई स्कूल) के हिन्दी के अध्यापक के पद पर विशारद परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति लिया जा सकता है यदि नीचे की शर्तें भी पूरी हों : (क) अंग्रेजी के साथ विशारद परीक्षा पास की गई हो, और (ख) राजकीय संस्कृत विद्यालय, वाराणसी, की मध्यमा की परीक्षा भी पास की हो ।

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६६–१६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर)

तालिका (ख)

श्रीमती सज्जन देवी महनोत, एम० एल० ए० के प्रश्न संख्या १६६–१६७ के उत्तर के संबंध में शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को मान्यता

सम्मेलन की परीक्षा का नाम	किस रूप में सम्मेलन की परीक्षा को मान्यता दी गई है
१	२
साहित्य रत्न	केवल आगरा विश्वविद्यालय ने साहित्य रत्न उत्तीर्ण व्यक्तियों को अपनी बी० ए० की परीक्षा में केवल अंग्रेजी में बैठने की अनुमति दे दी है।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'प'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७० का उत्तर पीछे पृष्ठ १६२ पर)

सूची

	नाम	कब से हैं	कब तक रखने का विचार है
१	श्री मजीदुल्लाह, एकाउन्टस आफिसर, भूमि सुधार, झांसी ।	८-११-१९५४	मई, १९५८ तक इनके बच्चों के इम्तिहान खत्म हो जायेंगे तब इनका तबादला किया जायगा ।
२	श्री महाराज बहादुर माथुर, असिस्टेंट इन्जीनियर, दूसरी सब-डिवीजन, सपरार सब डिवीजन, झांसी ।	५-११-१९५४	शासकीय आदेश संख्या २८३७ आई० ई०/२३/७६ आई० ई०/५३, दिनांक २५ अगस्त, १९५४ के अनुसार यह अधिकारी पांच वर्ष तक झांसी में रखे जा सकते हैं, यदि प्रशासकीय कारणों से इनका तबादला उचित न समझा जाय ।
३	श्री सी० सी० बिलानी, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, दूसरी सब डिवीजन, सपरार सब डिवीजन, झांसी ।	२२-५-१९५४	
४	श्री एस० पी० शर्मा, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, तीसरी सब डिवीजन भंडार कैनाल डिवीजन, झांसी ।	२-५-१९५४	
५	श्री आर० सी० पी० सक्सेना, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, दूसरी डिवीजन माता टीला डिवीजन, झांसी ।	३०-९-१९५४	
६	श्री बी० पी० शर्मा, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, माता टीला डिवीजन झांसी ।	२९.११.१९५१	श्री शर्मा को पांच वर्ष अवश्य हो गये हैं किन्तु माता टीला बांध के निर्माण के हित में इनको झांसी में रखना अभी आवश्यक है । जब इनकी आवश्यकता न रहेगी इन्हें बदल दिया जायगा ।
७	श्री रामहित राम, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर, आफ स्कूल्स, झांसी ।	२१-२-१९५५	१९५८-५९ के वार्षिक तबादलों के समय इनका तबादला हाथ में लिया जायगा ।
८	श्री बी० डी० श्रीवास्तव, हेड मास्टर गवर्नमेंट नार्मल स्कूल, झांसी ।	२३-९-१९५२	
९	श्री सिद्दीक अहमद सिद्दीकी, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल सोयल कन्जरवेशन आफिसर ।	१०-१२-१९५३	यह आजकल मुअत्तल हैं ।
१०	डा० एच० के० रेलिया, सब चार्ज, जिला अस्पताल, झांसी ।	१५-६-१९५४	इनके तबादले पर विचार किया जा रहा है ।

	नाम	कब से है	कब तक रहने का विचार है
११	डा० ए० पी० मुकर्जी, सहायक चिकित्सा अधिकारी, जिला जेल, झांसी ।	१३-८-१९५४	इनके तबादले पर विचार किया जा रहा है ।
१२	डाक्टर सुकुमार ताल्लुकदार, चिकित्सा अधिकारी, तबलेहाट डिस्पेंसरी, जिला झांसी ।	२३-७-१९५४	
१३	कुमारी एल० आर० लारटियस, पी० एन० एस०, असिस्टेन्ट मेट्रन, जिला तथा स्त्री अस्पताल, झांसी।	१७-४-१९५४	असिस्टेन्ट मेट्रन के पद थोड़े होने के कारण इनका तबादला न किया जा सका । इसके अलावा नर्सों के बारे में सरकार के ऐसे आदेश हैं कि केवल तीन वर्ष बीतने पर नहीं बल्कि प्रशासकीय कारणों से आवश्यक प्रतीत होने पर नर्सों का तबादला किया जाय ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'फ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६२ पर)

तारांकित प्रश्न १७३ के उत्तर में

बालक्रीड़ा स्थल, विकास क्षेत्र हसायन

क्रम-संख्या	गांव का नाम	क्रम-संख्या	गांव का नाम
१	सिकतरा	२१	खेडियाकला
२	सीधामई	२२	अमौसी
३	महासिंहपुर	२३	जिरौली कला जूनियर हाई स्कूल
४	गंगापुर	२४	मनौरा
५	अडौली	२५	गिनौली
६	गडौला	२६	जिरौली खुर्द
७	मथुरापुर	२७	नगला आल
८	धुवई	२८	बनवारीपुर
९	नगला डाडा	२९	वाड
१०	हसायन टाउन एरिया	३०	बरसौली
११	हसायन ब्लाक	३१	करारमई
१२	मैकुरी	३२	नगला वरो
१३	कानऊ	३३	वाडी
१४	वपडई	३४	नगला मिया
१५	मैदामई	३५	सडरमई
१६	पोरा	३६	सीतापुर
१७	जिरौली कला	३७	नगला सकत
१८	मीरपुर	३८	ढिडौली
१९	सिधौली	३९	उल्दापुर
२०	मुगलगढ़ी	४०	नगला विजन
		४१	चमरौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६२ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या १७४ के उत्तर में

	गांव जहां क्रीड़ास्थल है	सामान जो दिया गया तथा उसकी कीमत	जनता का अंशदान	रिमार्क
१	सिकरा	—	—	
२	सीधामई	वालीबाल सेट २२ रु०	११ रु०	शेष ११ रु० ब्लाक बजट से दिये गये।
३	महासिंहपुर	—	—	—
४	गंगापुर	वालीबाल सेट २२ रु०	११ रु०	,,
५	अन्डौली	,,	११ रु०	,,
६	गडौला	,,	११ रु०	,,
७	मथुरापुर	,,	११ रु०	,,
८	धुबई	,,	११ रु०	,,
९	नगला डांडा	—	—	—
१०	हसायन कस्बा	वालीबाल सेट २२ रु०	११ रु०	,,
११	हसाय ब्लाक	वालीबाल, रिंग बाल, क्रिसकस थ्रो, मेरी गो राउण्ड, सी सा, स्लाइडिंग शूट।	५०० रु० (भूमि के रूप में)	दिये गये सामान की कुल लागत (५८६ रु०) ब्लाक बजट से दी गई।
१२	मैकुरी	वालीबाल सेट, व्यायामशाला, कुल लागत ३५१ रु०।	१९० रु०	शेष १६१ रु० ब्लाक बजट से दिये गये।
१३	कानऊ	वालीबाल सेट २२ रु०	११ रु०	शेष ११ रु० ब्लाक बजट से दिये गये।
१४	बपनई	,,	११ रु०	,,
१५	पोरा	,,	११ रु०	,,
१६	जिरौली कलां	,,	११ रु०	,,
१७	मीरपुर	—	—	—
१८	सिधौली	वालीबाल सेट २२ रु०	११ रु०	,,
१९	मुगलगढ़ी	,,	११ रु०	,,
२०	खेड़िया कलां	—	—	—
२१	अमौसी	—	—	—
२२	जिरौली कलां	—	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गांव जहां क्रीड़ास्थल है		सामान जो दिया गया तथा उसकी कीमत	जनता का अंशदान	रिमार्क
२३	ममौरा	वालीबाल सेट २२ रु०	११ रु०	शेष ११ रु० ब्लाक
२४	गिनौली	—	—	बजट से दिये गये ।
२५	जिरौली खुर्द	वालीबाल सेट २२ रु०	११ रु०	,,
२६	नगला आल	—	—	—
२७	बनवारीपुर	वालीबाल सेट २२ रु०	११ रु०	,,
२८	वाड	—	—	—

उपरोक्त क्रीड़ास्थलों के पास ऊपर दिये गये सामान के अतिरिक्त कुछ अपना सामान भी है ।

शेष क्रीड़ास्थलों के पास अभी कोई सामान नहीं है और वहां पर ऐसे खेल-कूद होते हैं जैसे कबड्डी आदि ।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'भ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर में प्रगाढ़ विकास क्षेत्र, हसायन के अन्तर्गत पुलियों की सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम सभा	पुलियों की संख्या
१	इन्द्रनगर	६
२	सीधामई	१
३	खिटोली	२
४	निजामतपुर	१
५	पिछौती	३
६	बनवारीपुर	५
७	रसूलपुर	५
८	हैतारघुनाथपुर	८
९	नगला आल	७
१०	महासिंहपुर	२
११	गंगापुर	२
१२	वांड	१
१३	अंडौली	६
१४	इटरनी	२
१५	वदनपुर	२
१६	गडौला	२
१७	वकायन	२
१८	कानऊ	६
१९	भिन्तर	२
२०	मैकुरी	१
२१	मैदामई	१
२२	पौरा	३
२३	सिधौली	५
२४	सखीपुर	१
२५	विष्णुपुरी	२
२६	वाडी	३
२७	जिरौलीखुर्द	१
२८	खैडिया	६
२९	वरामईनगला विजन	३
३०	वसईवावस	२
३१	जाऊइनायतपुर	४
३२	खिचावलीसानी	२
३३	नगला मियापट्टीदेवरी	१
३४	लौधीपुरपट्टीदेवरी	३
३५	जरैरा	१
३६	कठाई	३
३७	शकरपुर	२
३८	वपडई	६
	कुल योग ..	११५

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८ एल० ए०-१९५८-८३५ ।